तीसरी
THIRD

अनुदानों की पूरक मांगें
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2007-2008

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च March, 2008

परिचायक टिप्पणी

विषय : *अनुदानों की पूरक मांगों का तीसरा और अन्तिम बैच, 2007-08*

वर्ष 2007-2008 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के तीसरे और अनन्तिम बैच में 79 अनुदान और 4 विनियोग शामिल हैं। 1,40,378.91 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 43,059.92 करोड़ रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय की राशि 97,318.16 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, 83 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

2. अतिरिक्त व्यय जिसमें निवल नकद व्यय शामिल है, की मदें निम्नलिखित हैं :

INTRODUCTORY NOTE

Subject : *Third and Final Batch of Supplementary Demands for Grants, 2007-2008.*

The third and final batch of Supplementary Demands for Grants for 2007-2008 includes 79 Grants and 4 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of Rs. 1,40,378.91 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 43,059.92 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/ Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to Rs. 97,318.16 crore. Besides, token provision of Rs. 83 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नकद व्यय	**Cash Outgo**			
कृषि मंत्रालय	**MINISTRY OF AGRICULTURE**			
1 कृषि तथा सहकारिता विभाग	**1 Department of Agriculture and Cooperation**			
(क) स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(a) For Grants-in-aid to State Farms Corporation of India Limited.	21.21	-	21.21
(ख) रबी 2005-06 और 2006-07 को दौरान सरसों के लिए मूल्य समर्थन परिचालनों के तहत सरसों के बीजों की अधिप्राप्ति/निपटान के संबंध में नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. को हुई हानियों की प्रति पूर्ति हेतु।	(b) For reimbursement of losses to National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited on procurement/disposal of mustard seeds under Price Support Operations for Mustard during Rabi 2005-06 and 2006-07.	-	100.00	100.00
(ग) कृषि के लिए राज्य आयोजनाओं को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के कार्यान्वयन के तहत निधियां प्रदान करने हेतु (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना)।	(c) For providing funds under implementation of Additional Central Assistance Scheme to State Plans for Agriculture (Rashtriya Krishi Vikas Yojana).	200.00	-	200.00
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय	**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS**			
8. उर्वरक विभाग	**8 Department of Fertilisers**			
(क) आयातित उर्वरकों (1663.30 करोड़ रुपए), स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों (1386.70 करोड़ रुपए) और आयातित विनियंत्रित उर्वरकों (700 करोड़ रुपए) पर सब्सिडी हेतु।	(a) For subsidy on imported fertilisers (Rs.1663.30 crore), indigenous decontrolled fertilisers (Rs. 1386.70 crore) and imported decontrolled fertilisers (Rs. 700 crore).	-	3,586.70	3,586.70
(ख) नाइट्रोजनी उर्वरकों (50 करोड़ रुपए) पर सब्सिडी और फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (200 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For subsidy on Nitrogenous Fertilisers (Rs. 50 crore) and Grants-in-aid to Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (Rs. 200 crore).	-	250.00	250.00
नागर विमानन मंत्रालय	**MINISTRY OF CIVIL AVIATION**			
9 नागर विमानन मंत्रालय	**9 Ministry of Civil Aviation**			
(क) अन्य सचिवालय व्यय के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of Other Secretariat Expenditure.	-	0.83	0.83

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) हज चार्टरों के परिचालन के संबंध में एयर इंडिया को भुगतान (139.87 करोड़ रुपए) और अन्य सचिवालय व्यय (1.70 करोड़ रुपए) के व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For payment to Air India towards operation of Haj Charters (Rs. 139.87 crore) and for meeting expenditure of Other Secretariat Expenditure (Rs. 1.70 crore).	-	101.57	101.57
कोयला मंत्रालय	**MINISTRY OF COAL**			
10 कोयला मंत्रालय	**10 Ministry of Coal**			
(क) कोल माइंस डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंश स्कीम (सीएमडीएलआईएस) के तहत सरकार का अंशदान (0.13 करोड़ रुपए) (ख) सीएमडीएलआईएस के संबंध में प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति (0.04 करोड़ रुपए), (ग) कोयला खान पेंशन योजना, 1998 (सीएमपीएस) के तहत पेंशन-सह-अनुग्रह राशि निधि के अंशदान में सरकार का हिस्सा (6.02 करोड़ रुपए) और सीएमपीएस के तहत प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति (1 करोड़ रुपए) हेतु।	For (a) Government's contributions under Coal Mines Deposit Linked Insurance Schemes (CMDLIS) (Rs. 0.13 crore), (b) Reimbursement of Administration Charges towards CMDLIS (Rs. 0.04 crore), (c) Government share of contribution to Pension-cum-Ex-Gratia Fund under Coal Mines Pension Scheme, 1998 (CMPS) (Rs. 6.02 crore) and (d) Reimbursement of Administration Charges under CMPS (Rs. 1 crore).	-	6.81	6.81
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**			
12 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	**12 Department of Industrial Policy and Promotion**			
(क) 'राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्' को भविष्य निधि भुगतान के सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(a) For providing additional Grants-in-aid to 'National Productivity Council' to meet statutory obligations of Provident Fund payment.	-	2.77	2.77
(ख) परिवहन सब्सिडी के संबंध में दावों के निपटान हेतु (554 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting expenditure towards Transport Subsidy to settle the claims (Rs. 554 crore).	432.35	-	432.35
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**			
18 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	**18 Department of Food and Public Distribution**			
भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न सब्सिडी (5849.39 करोड़ रुपए) और 'चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता योजना, 2007' के तहत केन्द्रक अभिकरणों/बैंकों को सब्सिडी (2.08 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु।	For providing Foodgrains Subsidy to Food Corporation of India (Rs. 5849.39 crore) and for providing subsidy to Nodal Agencies/ Banks under the 'Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertaking, 2007' (Rs. 2.08 crore).	-	5,823.90	5,823.90
रक्षा मंत्रालय	**MINISTRY OF DEFENCE**			
21 रक्षा पेंशन	**21 Defence Pensions**			
पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2007 और 1 जुलाई, 2007 से स्वीकृत अतिरिक्त मंहगाई राहत के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure owing to additional dearness relief sanctioned to pensioners with effect from 1st January, 2007 and 1st July, 2007.	-	595.00	595.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION**			
28 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	**28 Ministry of Development of North Eastern Region**			
(क) स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting establishment related expenditure.	-	1.17	1.17

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकारों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For Grants-in-aid to the State Governments of Assam and Arunachal Pradesh for implementation of Sarva Shiksha Abhiyan.	35.99	-	35.99
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम लिमिटेड की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के लिए।	(c) For working capital requirements of the North Eastern Regional Agriculture Marketing Corporation Limited.	-	1.75	1.75
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**			
30 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	**30 Ministry of Environment and Forests**			
(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु (i) राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (33.40 करोड़ रुपए), (ii) भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (0.90 करोड़ रुपए), (iii) भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद (3 करोड़ रुपए), (iv) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान (1 करोड़ रुपए), (v) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण (3 करोड़ रुपए), और (vi) राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम हेतु सहायता अनुदान (32.98 करोड़ रुपए)।	(a) For providing additional funds for (i) National Afforestation Programme (Rs. 33.40 crore), (ii) Indian Institute of Forestry Management (Rs. 0.90 crore), (iii) Indian Council of Forest Research and Education (Rs. 3 crore), (iv) Indian Plywood Industries Research Institute (Rs. 1 crore), (v) Central Zoo Authority (Rs. 3 crore), and (vi) Grants-in-aid for National Afforestation Programme (Rs. 32.98 crore).	41.30	-	41.30
(ख) निम्नलिखित को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (4 करोड़ रुपये), (ii) राष्ट्रीय नदी सरंक्षण कार्यक्रम (0.85 करोड़ रुपये), तथा (iii) राज्य वन सेवा और रेंजर्स महाविद्यालय (0.05 करोड़ रुपये)।	(b) For providing additional Grants-in-aid for (i) National Afforestation Programme (Rs. 4 crore), (ii) National River Conservation Programme (Rs. 0.85 crore) and (iii) State Forest Service and Rangers College (Rs. 0.05 crore).	4.90	-	4.90
(ग) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (2.50 करोड़ रुपए), (ii) तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (0.30 करोड़ रुपए), (iii) राष्ट्रीय नदी बचाओ योजना (54 करोड़ रुपए) (iv) स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास एवं संवर्धन (2 करोड़ रुपए) (v) पर्यावरण प्राधिकरणों की स्थापना (1.45 करोड़ रुपए), (vi) मैंग्रोव पारितंत्र और नमीवाले स्थान (0.50 करोड़ रुपए) और (vii) राष्ट्रीय तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (0.15 करोड़ रुपए)।	(c) For providing additional funds under (i) International Cooperation (Rs. 2.50 crore), (ii) Coastal Zone Management Programme (Rs. 0.30 crore), (iii) National River Conservation Plan (Rs. 54 crore), (iv) Development and Promotion of Clean Technology (Rs. 2 crore), (v) Establishment of Environment Authorities (Rs. 1.45 crore), (vi) Mangrove Eco Systems and Wetlands (Rs. 0.50 crore) and (vii) National Coastal Zone Management Programme (Rs. 0.15 crore).	2.80	-	2.80
(घ) केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड (0.20 करोड़ रुपए) और उत्कृष्ट केन्द्रों (0.10 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने और राज्य प्रदूषण बोर्डों को ''जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण'' के तहत जल उपकर के संग्रहण में उनके हिस्से के संबंध में एकत्र बकाया राशि (50 करोड़ रुपए) के भुगतान हेतु।	(d) For providing additional Grants-in-aid for Central Pollution Board (Rs. 0.20 crore), Centres for Excellance (Rs. 0.10 crore) and for payment of accumulated arrears to the State Pollution Control Boards towards their share in the collection of Water Cess under the Scheme ‘ Prevention and Control of Water Pollution’ (Rs. 50 crore).	-	50.00	50.00
विदेश मंत्रालय	**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**			
31 विदेश मंत्रालय	**31 Ministry of External Affairs**			
राजदूतावासों और मिशनों में (54.00 करोड़ रुपए), विशेष राजनयिक व्यय (110.28 करोड़ रुपए), पासपोर्ट और उत्प्रवासन (107.35 करोड़ रुपए)	For meeting additional requirement of funds in Embassies and Missions (Rs. 54 crore), Special Diplomatic Expenditure			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
मनोरंजन प्रभार (8.26 करोड़ रुपए), अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (5.71 करोड़ रुपए), अन्य व्यय (30.67 करोड़ रुपए) के संबंध में निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(Rs. 110.28 crore), Passport and Emigration (Rs. 107.35 crore), Entertainment Charges (Rs. 8.26 crore), International Cooperation (Rs. 5.71 crore), Other Expenditure (Rs.30.67 crore).	-	249.39	249.39
वित्त मंत्रालय	**MINISTRY OF FINANCE**			
32 आर्थिक कार्य विभाग	**32 Department of Economic Affairs**			
(क) लाभांश राहत और अन्य रियायतों के संबंध में रेलवे को अतिरिक्त सब्सिडियां प्रदान करने हेतु (249.33 करोड़ रुपए) तथा रेलवे को सामरिक महत्व की रेलवे लाइनों के संचालन संबंधी घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु (316 करोड़ रुपए)।	(a) For providing additional subsidies to Railways towards dividend relief and other concessions (Rs. 249.33 crore) and reimbursement of losses to Railways on operating Strategic Railway Lines (Rs. 316 crore).	-	450.33	450.33
(ख) सामाजिक और अवसंरचना विकास हेतु निधियन पहलों के संबंध में व्यय (6000 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting expenditure towards funding initiatives for Social and Infrastructure Development (Rs. 6000 crore).	-	5,923.00	5923.00
33 वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	**33 Payments to Financial Institutions**			
(क) किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थानों द्वारा 31.3.2007 तक संवितरित और 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार अतिदेय और 29.2.2008 तक भुगतान न किए गए सभी कृषि ऋणों को कवर करने हेतु 'कृषक ऋण राहत निधि' के सृजन हेतु।	(a) For creating a 'Farmers Debt Relief Fund' towards the debt waiver and debt relief scheme for farmers to cover all agricultural loans disbursed by scheduled commercial banks, regional rural banks and cooperative credit institutions upto 31.3.2007 and overdue as on 31.12.2007 and remained unpaid till 29.2.2008.	-	10,000.00	10,000.00
(ख) सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम की स्थापना (100 करोड़ रुपए) के संबंध में इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कम्पनी लिमिटेड को इक्विटी सहायता (500 करोड़ रुपए) हेतु।	(b) Towards establishment of the Irrigation and Water Resources Finance Corporation (Rs. 100 crore) and for equity support to India Infrastructure Finance Company Limited (Rs. 500 crore).	-	100.00	100.00
34 ब्याज भुगतान	**34 Interest Payments**			
'बाजार ऋण, बाजार स्थिरीकरण योजना' 'क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड' और 'राजकोषीय हुंडियों पर छूट' आदि में ब्याज देयताओं के कारण हुए अतिरिक्त व्यय (12,307.25 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of interest liabilities under 'Market Loans', 'Market Stabilisation Scheme', 'Compensation and Other Bonds', and 'Discount on Treasury Bills', etc (Rs. 12,307.25 crore).	-	8,476.20	8,476.20
35 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	**35 Transfers to State and Union Territory Governments**			
(क) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनओं (740 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू-कश्मीर (900 करोड़ रुपए) की विशेष केन्द्रीय सहायता, त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (1000 करोड़ रुपए) और राष्ट्रमंडल युवा खेल, पुणे (100 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त सहायता हेतु।	(a) For Grants Component under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Rs. 740 crore), Special Central Assistance to Jammu and Kashmir for Power Sector Reforms (Rs. 900 crore), additional requirement for Accelerated Power Development Programme (Rs. 1000 crore) and Commonwealth Youth Games, Pune (Rs. 100 crore).	2,740.00	-	2,740.00
(ख) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत ऋण संघटक हेतु।	(b) For Loan Component under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects.	435.17	-	435.17

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
39. पेंशन	**39 Pensions**			
(क) भारत के पूर्व राष्ट्रपति/भारत के पूर्व-उपराष्ट्रपति की पेंशन के परिणत मूल्य, आदान और पेंशन तथा अन्य हकदारी संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।	(a) For meeting additional expenditure on commuted value of pension, gratuity and pension and other entitlement of Ex-Presidents/Ex-Vice Presidents of India.	-	3.60	3.60
(ख) पेंशनभोगियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में सरकार का अंशदान और एआईएस (पेंशनभोगियों) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।	(b) For additional expenditure on account of medical re-imbursement of pensioners, Government's Contribution for Defined Contribution Pension Scheme and AIS (Pensioners).	-	110.00	110.00
40. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	**40 Indian Audit and Accounts Department** For meeting additional establishment related expenditure.	-	12.98	12.98
41. राजस्व विभाग मूल्य वर्द्धित कर (वैट) को लागू करने और केन्द्रीय बिक्री कर को क्रमबद्ध रूप से समाप्त करने की वजह से राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों की क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु (680.00 करोड़ रुपए)।	**41 Department of Revenue** For meeting additional requirement of compensation to State Governments for revenue loss due to introduction of Value Added Tax and phasing out of Central Sales Tax (Rs. 680 crore).	-	537.03	537.03
42. प्रत्यक्ष कर	**42 Direct Taxes**			
(क) स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional establishment related expenditure.	-	220.70	220.70
(ख) वृहत कर दाता एककों (एलटीयू) की स्थापना करने के लिए मुम्बई और नई दिल्ली में तैयार निर्मित कार्यालय भवनों की खरीद के लिए आंशिक भुगतान करने और अन्य कार्यालयों के लिए एकमुश्त प्रावधान करने हेतु (30 करोड़ रुपए)।	(b) For making part payment towards purchase of ready built office accommodation at Mumbai and New Delhi for setting up of Large Tax Payer Units and for lumpsum provision for other offices (Rs. 30 crore)	-	29.72	29.72
43. अप्रत्यक्ष कर	**43 Indirect Taxes**			
(क) सीमाशुल्क कार्यालयों के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional establishment related expenditure of Customs Offices.	-	11.00	11.00
(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (48.70 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting additional establishment related expenditure of Central Excise Offices (Rs. 48.70 crore).	-	17.70	17.70
44. विनिवेश विभाग पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आईपीओ में सरकार के निर्गम संबंधी व्यय में हिस्से के भुगतान पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	**44 Department of Disinvestment** For meeting additional expenditure on payment of Government's share of issue expenses to the Initial Public Offering of Power Grid Corporation of India Limited.	-	4.00	4.00
गृह मंत्रालय	**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**			
50 गृह मंत्रालय	**50 Ministry of Home Affairs**			
(क) पद्म पुरस्कारों पर व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting the expenditure on Padma Awards.	-	3.65	3.65
(ख) निम्नलिखित के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (1.90 करोड़ रुपए), (ii) आसूचना ब्यूरो (11.38 करोड़ रुपए) और (iii) मरम्मत पर (3 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting additional establishment related expenditure (i) of National Human Rights Commision (Rs. 1.90 crore), (ii) of Intelligence Bureau (Rs. 11.38 crore) and (iii) on repairs (Rs. 3 crore).	-	2.01	2.01
(ग) निम्नलिखित के लिए (i) असम में अनाधिकृत प्रवासियों के निर्धारण हेतु अतिरिक्त न्यायधिकरणों की स्थापना (3.61 करोड़ रुपए) और (ii) विदेशियों के पंजीकरण और निगरानी के संबंध में राज्यों को प्रतिपूर्ति (1 करोड़ रुपए)।	(c) For (i) establishment of additional Tribunals to determine illegal migrants in Assam (Rs. 3.61 crore) and (ii) providing re-imbursement to States on registration and surveillance of foreigners (Rs. 1 crore).	-	3.48	3.48

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
51 मंत्रिमंडल	**51 Cabinet**			
(क) विशेष सुरक्षा दल की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting establishment related expenditure of Special Protection Group.	-	2.96	2.96
(ख) विशेष सुरक्षा दल के लिए भूमि की खरीद हेतु (0.26 करोड़ रुपए)।	(b) For purchase of land for the Special Protection Group (Rs. 0.26 crore).	-	0.21	0.21
53 गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	**53 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs**			
(क) महंगाई भत्ते की दर और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त व्यय (60 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure (Rs. 60 crore) on account of enhancement of rate of DA and Swatantrata Sainik Samman Pension.	-	14.72	14.72
(ख) निम्नलिखित के लिए (i) 1984 के दंगा पीड़ित व्यक्तियों को वर्द्धित क्षतिपूर्ति के भुगतान पर हुए व्यय के एवज में राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति (237 करोड़ रुपए), (ii) श्रीलंका स प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के राहत एवं पुनर्वास पर हुए व्यय के एवज में तमिलनाडु सरकार को प्रतिपूर्ति (17.68 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। (iii) कारागार प्रशासन योजना के आधुनिकीकरण हेतु (50 करोड़ रुपए)।	(b For (i) providing re-imbursement to State Governments against expenditure incurred on payment of enhanced compensation to victims of 1984 riots (Rs. 237 crore), (ii) providing re-imbursement to Government of Tamil Nadu against expenditure incurred on relief and rehabilitation of repatriates from Sri Lanka (Rs. 17.68 crore) and (iii) Modernisation of Prison Administration Scheme (Rs. 50 crore).	-	291.43	291.43
54. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	**54 Transfers to Union territory Governments**			
पुदुचेरी सरकार को केन्द्रीय बिक्री कर संग्रहणों की प्रतिपूर्ति के संबंध में सहायता अनुदान (164.42 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु।	For providing Grants-in-aid to the Government of Puducherry towards reimbursement of Central Sales Tax collections (Rs. 164.42 crore).	-	55.64	55.64
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**			
56 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	**56 Department of School Education and Literacy**			
(क) निम्नलिखित की वचनबद्ध देयताओं को पूरा करने हेतु (i) केन्द्रीय विद्यालय संगठन और राष्ट्रीय कैडेट कोर के क्रियाकलाप (21.70 करोड़ रुपए), (ii) नवोदय विद्यालय समिति (21.40 करोड़ रुपए), (iii) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (3.05 करोड़ रुपए), (iv) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (0.03 करोड़ रुपए), जन शिक्षण संस्थान (0.02 करोड़ रुपए), (v) दिल्ली नगर निगम को संपत्ति कर (2.70 करोड़ रुपए) के भुगतान हेतु तथा (ग) अध्यापकों को दिए गए राष्ट्रीय पुरस्कारों पर हुए अतिरिक्त व्यय (0.20 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting committed liabilities of (i) Kendriya Vidyalaya Sangathan and for National Cadet Core Activities (Rs. 21.70 crore), (ii) Navodaya Vidyalaya Samiti (Rs. 21.40 crore), (iii) Central Tibetan School Administration (Rs. 3.05 crore), (iv) Directorate of Adult Education (Rs. 0.03 crore), (v) Jan Shikshan Sansthan (Rs. 0.02 crore), (b) For payment of property tax to Municipal Corporation of Delhi (Rs. 2.70 crore) and (c) For meeting additional expenditure on National Awards to Teachers (Rs. 0.20 crore).	-	49.10	49.10
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**			
59. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	**59 Ministry of Labour and Employment**			
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के संबंध में अंशदान के सरकारी अंश (150 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु।	For meeting additional requirement on Government Share of contribution towards Employees' Pension Scheme, 1995 (Rs. 150 crore).	-	88.62	88.62

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विधि एवं न्याय मंत्रालय	**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**			
60 चुनाव आयोग	**60 Election Commission**			
भारतीय निर्वाचन आयोग और परिसीमन आयोग के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting additional establishment related expenditure of the Election Commission of India and Delimitation Commission.	-	1.00	1.00
62. भारत का सर्वोच्च न्यायालय	**62 Supreme Court of India**			
स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय , तोड़-फोड़ निरोधी कार्य, सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा संबंधी उपकरणों पर व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional establishment related expenditure ,expenditure on Anti Sabotage, CCTV and other security related equipments.	-	3.48	3.48
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**			
70 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**70 Ministry of Petroleum and Natural Gas**			
(क) घरेलू एलपीजी और पीडीएस केरोसीन पर सब्सिडी के संवर्धन हेतु (50 करोड़ रुपए)।	(a) For augmentation of Subsidy on Domestic LPG and PDS Kerosene (Rs. 50 crore).	28.84	-	28.84
(ख) सचिवालय-आर्थिक सेवाओं के तहत प्रावधानों के संवर्धन हेतु।	(b) For augmentation of provisions under Secretariat-Economic Services.	-	0.33	0.33
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	**THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT**			
73. राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते	**73 Staff, Household and Allowances of the President**			
अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional establishment related expenditure.	-	1.73	1.73
75. राज्य सभा	**75 Rajya Sabha**			
अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional establishment related expenditure.	-	0.08	0.08
ग्रामीण विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**			
78. ग्रामीण विकास विभाग	**78 Department of Rural Development**			
(क) वेतन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting the salary expenditure.	-	0.64	0.64
(ख) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (600 करोड़ रुपए) के खाद्यान्न घटक और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (1064.09 करोड़ रुपए) हेतु।	(b) For Foodgrains Component of Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (Rs. 600 crore) and National Rural Employment Guarantee Scheme (Rs. 1064.09 crore) .	880.00	-	880.00
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रवधान के तहत निधियों के संवर्धन हेतु।	(c) For augmentation of funds under lump sum provision for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	100.00	-	100.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**			
83 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	**83 Department of Biotechnology**			
(क) सचिवालय - आर्थिक सेवाओं के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting the expenditure under Secretariat-Economic Services.	-	0.30	0.30
(ख) (i) निम्नलिखित के लिए सहायता अनुदान हेतु (1) बायोटेक्नोलोजी एसोसियटशिप एंड ट्रेनिंग अब्रोड (1.57 करोड़ रुपए) (2) जैव प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना (2 करोड़ रुपए), (3) जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा और प्रशिक्षण (4.99 करोड़ रुपए), (4) कृषि जैव प्रौद्योगिकी (5) चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी (4.99 करोड़ रुपए), (6) ह्यूमन जिनेटिक्स	(b) (i) For Grants-in-aid for (1) Bio-Technology Associateships and Training Abroad (Rs. 1.57 crore), (2) Biotech Popularisation (Rs 2 crore), (3) Biotechnology Education and Training (Rs. 4.99 crore), (4) Agriculture Biotechnology (Rs. 4.99 crore), (5) Medical Biotechnology			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
एंड जिनोमिक्स (3.52 करोड़ रुपए) (7) पशु जैव प्रौद्योगिकी (2 करोड़ रुपए) (8) नैनो जैव प्रौद्योगिकी (2.45 करोड़ रुपए) (9) वैक्सीन (1.84 करोड़ रुपए) और (10) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च (0.60 करोड़ रुपए) (ii) निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के तहत व्यय की पूर्ति हेतु (1) स्टेम सेल अनुसंधान (4.20 करोड़ रुपए) (2) जैव इंजीनियरिंग (2 करोड़ रुपए) और (3) अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम तथा वैज्ञानिक परामर्शी समिति (1 करोड़ रुपए)।	(Rs.4.99 crore), (6) Human Genetics and Genomics (Rs. 3.25 crore), (7) Animal Biotechnology (Rs. 2 crore), (8) Nano Biotechnology (Rs. 2.45 crore) (9) Vaccine (Rs. 1.84 crore) and (10) National Institute of Plant Genome Research (Rs. 0.60 crore), (ii) For meeting expenditure under the following R&D activities: (1) Stem Cell Research (Rs. 4.20 crore), (2) Bioengineering (Rs. 2 crore) and (3) International Bilateral Programme and Scientific Advisory Committee (Rs. 1 crore).	7.20	-	7.20
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में निम्नलिखित के लिए व्यय हेतु, सहायता अनुदान के लिए (i) जैव संसाधन विकास और उपयोग (2.80 करोड़ रुपए), (ii) नैनो जैव-प्रौद्योगिकी (0.82 करोड़ रुपए) (iii) कृषि जैव प्रौद्योगिकी (0.10 करोड़ रुपए) और (iv) बायोइन्फॉर्मेटिक्स (2.25 करोड़ रुपए)।	(c) For Grants-in-aid expenditure in North Eastern Areas for (i) Bioresource development and utilisation (Rs. 2.80 crore), (ii) Nano Biotechnology (Rs. 0.82 crore), (iii) Agriculture Biotechnology (Rs. 0.10 crore) and (iv) Bio-Informatics (Rs. 2.25 crore).	0.80	-	0.80
नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**			
85 नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	**85 Department of Road Transport and Highways**			
(क) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) सड़क विंग (177.30 करोड़ रुपए) और सीमा सड़क विंग (10 करोड़ रुपए) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव एवं मरम्मत (ii) सामरिक महत्व की और सीमावर्ती सड़क का रखरखाव कार्य (9.74 करोड़ रुपए) (iii) भूटान क्षतिपूर्ति भत्ते के लिए सहायता अनुदान (11.90 करोड़ रुपए) और भूटान के अंदर सड़क निर्माण कार्य (5.49 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting additional expenditure on (i) maintenance and repairs of national highways undertaken by Roads Wing (Rs. 177.30 crore) and Border Roads Wing (Rs. 10 crore), (ii) Strategic and Border Road maintenance works (Rs. 9.74 crore), (iii) Grants-in-aid for Bhutan Compensatory Allowance (Rs. 11.90 crore) and for road works inside Bhutan (Rs. 5.49 crore)	-	87.30	87.30
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**			
87 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	**87 Ministry of Social Justice and Empowerment**			
'बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन' के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय हेतु (1 करोड़ रुपए)।	For recurring and non-recurring expenditure for 'Babu Jagjivan Ram National Foundation' (Rs. 1 crore).	0.83	-	0.83
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	**UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE**			
94 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गृह मंत्रालय (31.39 करोड़ रुपए), ग्रामीण विकास मंत्रालय (1.62 करोड़ रुपए), विद्युत मंत्रालय (31 करोड़ रुपए), (घ) माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग (1.20 करोड़ रुपए), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (2.12 करोड़ रुपए), नौवहन मंत्रालय (25.50 करोड़ रुपए), नागर विमानन मंत्रालय (4.17 करोड़ रुपए), शहरी विकास मंत्रालय (2.66 करोड़ रुपए) और पर्यावरण और वन मंत्रालय (0.34 करोड़ रुपए) के अंतर्गत अतिरिक्त राजस्व और पूंजी व्यय हेतु।	**94 Andaman and Nicobar Islands** For additional revenue and capital expenditure under Ministry of Home Affairs (Rs. 31.39 crore), Ministry of Rural Development (Rs. 1.62 crore), Ministry of Power (Rs. 31 crore), (d) Department of Secondary Education and Higher Education (Rs. 1.20 crore), Ministry of Road Transport and Highways (Rs. 2.12 crore), Ministry of Shipping (Rs. 25.50 crore), Ministry of Civil Aviation (Rs. 4.17 crore),			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	Ministry of Urban Development (Rs. 2.66 crore), and Ministry of Environment and Forests (Rs.0.34 crore).	-	100.00	100.00
95 चंडीगढ़	**95 Chandigarh**			
(क) गृह मंत्रालय (9.48 करोड़ रुपए), ग्रामीण विकास मंत्रालय (2.48 करोड़ रुपए), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (0.13 करोड़ रुपए), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (2.78 करोड़ रुपए), बुनियादी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (3.19 करोड़ रुपए), माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग (3.86 करोड़ रुपए), युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (5.22 करोड़ रुपए), संस्कृति मंत्रालय (0.18 करोड़ रुपए), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (0.50 करोड़ रुपए), पर्यटन मंत्रालय (1.71 करोड़ रुपए), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (0.96 करोड़ रुपए), कृषि मंत्रालय (0.13 करोड़ रुपए), शहरी विकास मंत्रालय (16.38 करोड़ रुपए), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (3 करोड़ रुपए) में अतिरिक्त राजस्व एवं पूंजी व्यय हेतु।	(a) For additional revenue and capital expenditure under Ministry of Home Affairs (Rs. 9.48 crore), Ministry of Rural Development (Rs. 2.48 crore), Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Rs. 0.13 crore), Ministry of Health and Family Welfare (Rs. 2.78 crore), Department of Elementary Education and Literacy (Rs. 3.19 crore), Department of Secondary and Higher Education (Rs. 3.86 crore), Ministry of Youth Affairs and Sports (Rs. 5.22 crore), Ministry of Culture (Rs. 0.18 crore), Ministry of Labour and Employment (Rs. 0.50 crore), Ministry of Tourism (Rs. 1.71 crore), Ministry of Communications and Information Technology (Rs. 0.96 crore), Ministry of Agriculture (Rs. 0.13 crore), Ministry of Urban Development (Rs. 16.38 crore) and Ministry of Road Transport and Highways (Rs. 3 crore).	50.00	-	50.00
(ख) गृह मंत्रालय (15.96 करोड़ रुपए), विद्युत मंत्रालय (22.13 करोड़ रुपए), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (0.10 करोड़ रुपए), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (2.95 करोड़ रुपए), बुनियादी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (3.23 करोड़ रुपए), माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग (9.55 करोड़ रुपए), युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (0.42 करोड़ रुपए), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (0.34 करोड़ रुपए), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (5.61 करोड़ रुपए), पर्यटन मंत्रालय (0.40 करोड़ रुपए), शहरी विकास मंत्रालय (27.31 करोड़ रुपए), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (0.08 करोड़ रुपए), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (0.50 करोड़ रुपए) में अतिरिक्त राजस्व और पूंजी व्यय हेतु।	(b) For additional revenue and capital expenditure under Ministry of Home Affairs (Rs. 15.96 crore), Ministry of Power (Rs. 22.13 crore), Ministry of Food Processing Industries (0.10 crore), Ministry of Health and Family Welfare (Rs. 2.95 crore), Department of Elementary Education and Literacy (Rs. 3.23 crore), Department of Secondary and Higher Education (Rs. 9.55 crore), Ministry of Youth Affairs and Sports (Rs. 0.42 crore), Ministry of Culture (Rs. 0.42 crore), Ministry of Labour and Employment (Rs. 0.34 crore), Ministry of Road Transport and Highways (Rs. 5.61 crore), Ministry of Tourism (Rs. 0.40 crore), Ministry of Urban Development (Rs. 27.31 crore), Ministry of Social Justice and Empowerment (Rs. 0.08 crore), Ministry of Communications and Information Technology (Rs. 0.50 crore).	-	66.00	66.00
96. दादरा और नागर हवेली	**96 Dadra and Nagar Haveli**			
(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय (0.96 करोड़ रुपए), विद्युत मंत्रालय (6.10 करोड़ रुपए), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (3.90 करोड़ रुपए), बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग (1.20 करोड़ रुपए), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (2करोड़ रुपए), जल	(a) For additional revenue and capital expenditure under Ministry of Rural Development (Rs. 0.96 crore), Ministry of Power (Rs. 6.10 crore), Ministry of Health and Family Welfare (Rs. 3.90 crore), Department of			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संसाधन मंत्रालय (3.85 करोड़ रुपए), और पर्यटन मंत्रालय (0.50 करोड़ रुपए) में अतिरिक्त राजस्व और पूंजी व्यय हेतु।	Elementary Education and Literacy (Rs. 3.71 crore), Department of Secondary Education and Higher Education (Rs. 1.20 crore), Ministry of Road Transport and Highways (Rs. 2 crore), Ministry of Water Resources (Rs. 3.85 crore) and Ministry of Tourism (Rs. 0.50 crore).	22.22	-	22.22
(ख) गृह मंत्रालय (0.05 करोड़ रुपए), विद्युत मंत्रालय (0.40 करोड़ रुपए), पर्यावरण और वन मंत्रालय (1.42 करोड़ रुपए), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (1.05 करोड़ रुपए), बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग (0.35 करोड़ रुपए), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (0.23 करोड़ रुपए), और जल संसाधन मंत्रालय (0.50 करोड़ रुपए) में अतिरिक्त राजस्व व्यय हेतु।	(b) For additional revenue expenditure under Ministry of Home Affairs (Rs. 0.05 crore), Ministry of Power (Rs. 0.40 crore), Ministry of Environment and Forests (Rs. 1.42 crore), Ministry of Health and Family Welfare (Rs. 1.05 crore), Department of Elementary Education and Literacy (Rs. 0.35 crore), Ministry of Road Transport and Highways (Rs. 0.23 crore) and Ministry of Water Resources (Rs. 0.50 crore).	-	4.00	4.00
97 दमन और दीव	**97 Daman and Diu**			
(क) गृह मंत्रालय (0.70 करोड़ रुपए), विद्युत मंत्रालय (2 करोड़ रुपए), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (2.10 करोड़ रुपए), प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग (0.25 करोड़ रुपए), लघु उद्योग मंत्रालय (0.15 करोड़ रुपए), सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (9 करोड़ रुपए), पर्यटन मंत्रालय (0.65 करोड़ रुपए), शहरी विकास मंत्रालय (1 करोड़ रुपए), जल संसाधन मंत्रालय (0.25 करोड़ रुपए) और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय (0.90 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त राजस्व तथा पूंजी व्यय हेतु।	(a) For additional revenue and capital expenditure of the Ministry of Home Affairs (Rs. 0.70 crore), Ministry of Power (Rs. 2 crore), Ministry of Health and Family Welfare (Rs. 2.10 crore), Department of Elementary Education and Literacy (Rs. 0.25 crore), Ministry of Small Scale Industries (Rs. 0.15 crore), Ministry of Road Transport and Highways (Rs. 9 crore), Ministry of Tourism (Rs. 0.65 crore), Ministry of Urban Development (Rs. 1 crore), Ministry of Water Resources (Rs. 0.25 crore) and Ministry of Social Justice and Empowerment (Rs. 0.90 crore).	17.00	-	17.00
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (0.50 करोड़ रुपए) और शहरी विकास मंत्रालय (5.50 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त राजस्व व्यय हेतु।	(b) For additional revenue expenditure of Ministry of Health and Family Welfare (Rs. 0.50 crore) and Ministry of Urban Development (Rs. 5.50 crore).	-	6.00	6.00
98 लक्षद्वीप	**98 Lakshadweep**			
गृह मंत्रालय (0.32 करोड़ रुपए), कृषि मंत्रालय (0.87 करोड़ रुपए), ग्रामीण विकास मंत्रालय (2.08 करोड़ रुपए), विद्युत मंत्रालय (9.91 करोड़ रुपए), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (3 करोड़ रुपए), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (0.30 करोड़ रुपए), माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग (3.77 करोड़ रुपए), लघु उद्योग मंत्रालय (0.10 करोड़ रुपए), नौवहन मंत्रालय (9.60 करोड़ रुपए) और शहरी विकास मंत्रालय (2.82 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त राजस्व और पूंजी व्यय हेतु।	For additional revenue and capital expenditure of Ministry of Home Affairs (Rs. 0.32 crore), Ministry of Agriculture (Rs. 0.87 crore), Ministry of Rural Development (Rs. 2.08 crore), Ministry of Power (Rs. 9.91 crore), Ministry of Food Processing Industries (Rs. 3 crore), Ministry of Health and Family Welfare (Rs. 0.30 crore), Department of Secondary Education and Higher Education (Rs. 3.77 crore), Ministry of Small Scale Industries (Rs. 0.10 crore), Ministry of Shipping (Rs. 9.60 crore) and Ministry of Urban Development (Rs. 2.82 crore).	-	30.00	30.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
शहरी विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**			
99 शहरी विकास विभाग	**99 Department of Urban Development**			
दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को अन्तरण सहायता (567.50 करोड़ रुपए) के रूप में ऋण तथा केन्द्रीय करों के भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु गौण ऋण (32.50 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने हेतु।	For providing loan to Delhi Metro Rail Corporation Limited as Pass Through Assistance (Rs. 567.50 crore) and Subordinate Debt for meeting expenditure on payment of Central Taxes (Rs. 32.50 crore).	560.48	-	560.48
जोड़ नकद व्यय	**Total Cash Outgo**	**5,581.09**	**37,478.83**	**43,059.92**

3. पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में 97,318.16 करोड़ रुपए के तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी पूर्ति मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा तद्नरूपी बचतों द्वारा की जाती है। ये मदें निम्नलिखित हैं:

3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for Rs. 97,318.16 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

तकनीकी पूरक अनुदानों की मांगें	**Technical Supplementary Demands for grants**			
परमाणु ऊर्जा विभाग	**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**			
5 परमाणु ऊर्जा	**5 Atomic Energy**			
(क) सचिवालय के स्थापना सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting the establishment expenditure of the Secretariat.	-	0.21	0.21
(ख) नाभिकीय फ्यूल कम्पलेक्स हेतु आपूर्ति तथा सामग्रियों पर व्यय की पूर्ति हेतु (28 करोड़ रुपए) और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लघु निर्माण कार्य (5.73 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting the expenditure on supplies and materials for Nuclear Fuel Complex (Rs. 28 crore) and minor works for Bhabha Atomic Research Centre (Rs. 5.73 crore).	-	33.73	33.73
(ग) सहायता अनुदान हेतु (i) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (15 करोड़ रुपए) (ii) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजीक्स (5.60करोड़ रुपए) (iii) टाटा मैमोरियल सेंटर (6.10 करोड़ रुपए) (iv) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स (1 करोड़ रुपए) (v) इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस (1.31 करोड़ रुपए) और (v) हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान (2 करोड़ रुपए)।	(c) For Grants-in-aid to (i) Tata Institute of Fundamental Research (Rs. 15 crore), (ii) Saha Institute of Nuclear Physics (Rs. 5.60 crore), (iii) Tata Memorial Centre (Rs. 6.10 crore), (iv) Institute of Physics (Rs. 1 crore), (v) Institute of Mathematical Science (Rs. 1.31 crore) and (v) Harish-Chandra Research Institute (Rs. 2 crore).	-	31.01	31.01
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय	**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS**			
7. रसायन तथा उर्वरक विभाग	**7 Department of Chemicals and Petrochemicals**			
निधियों को बढ़ाने हेतु, (क) हिन्दुस्तान आर्गनिक केमिकल्स लिमिटेड (5 करोड़ रुपए) और (ख) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (20.17 करोड़ रुपए)।	For augmentation of funds for (a) Hindustan Organic Chemicals Limited (Rs. 5 crore) and (b) Hindustan Antibiotics Limited (Rs.20.17 crore).	25.17	-	25.17
8. उर्वरक विभाग	**8 Department of Fertilisers**			
आयातित उर्वरकों (1663.30 करोड़ रुपए), स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरक (1386.70 करोड़ रुपए) और आयातित विनियंत्रित उर्वरक (700 करोड़ रुपए) हेतु सब्सिडी।	For subsidy on imported fertilisers (Rs.1663.30 crore), indigenous decontrolled fertilisers (Rs. 1386.70 crore) and imported decontrolled fertilisers (Rs. 700 crore).	-	163.30	163.30
नागर विमानन मंत्रालय	**MINISTRY OF CIVIL AVIATION**			
9 नागर विमानन मंत्रालय	**9 Ministry of Civil Aviation**			
हज चार्टरों के प्रचालन के संबन्ध में एअर इंडिया को भुगतान हेतु (132.40 करोड़ रुपए)।	For payment to Air India towards operation of Haj Charters (Rs. 132.40 crore).	-	30.00	30.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**			
13 डाक विभाग	**13 Department of Posts**			
(क) विभागीय मेल मोटर सेवा के तहत कोर्ट डिक्री (0.12 करोड़ रुपए) और कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत पेंशन सम्बन्धी प्रभार (0.06 करोड़ रुपए) के भुगतान हेतु।	(a) For meeting payment arising out of court decrees under departmental mail motor service (Rs. 0.12 crore) and pensionary charges under Workman Compensation Act, 1923 (Rs. 0.06 crore).	-	0.18	0.18
(ख) मुख्य रूप से वेतन, मजदूरी, रेलवे को देय ढुलाई प्रभारों, बचत बैंक/बचत प्रमाण पत्र से सम्बद्ध स्टेशनरी मुद्रण तथा विभागीय मुद्रण प्रेस की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure, mainly, towards salaries, wages, haulage charges payable to Railways, printing of stationery for Savings Bank/Saving Certificate operations and Departmental Printing Press.	-	54.22	54.22
उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**			
18. खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	**18 Department of Food and Public Distribution**			
(क) भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न सब्सिडी (5849.39 करोड़ रुपए) और 'चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना, 2007' के अन्तर्गत केन्द्रक अभिकरणों/बैंकों को सब्सिडी उपलब्ध कराने हेतु (2.08 करोड़ रुपए)।	(a) For providing Foodgrains Subsidy to Food Corporation of India (Rs. 5849.39 crore) and for providing subsidy to Nodal Agencies/Banks under the 'Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertaking, 2007' (Rs. 2.08 crore).	-	12.97	12.97
(ख) 'चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना, 2007' के अन्तर्गत केन्द्रक अभिकरणों/बैंकों को निधियां उपलब्ध कराने हेतु।	(b) For providing funds to Nodal Agencies/ Banks under the 'Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertaking, 2007'.	-	2.92	2.92
संस्कृति मंत्रालय	**MINISTRY OF CULTURE**			
19. संस्कृति मंत्रालय	**19 Ministry of Culture**			
(क) राजेन्द्र स्मृति संग्रहालय, पटना के विकास हेतु सहायता अनुदान।	For Grants-in-aid for development of Rajendra Smiriti Sangrahalaya, Patna.	10.00	-	10.00
रक्षा मंत्रालय	**MINISTRY OF DEFENCE**			
20. रक्षा मंत्रालय	**20 Ministry of Defence**			
(क) "तटरक्षक संगठन" को पट्टा किराया और सेवा प्रभारों की एवज में तथा वायुयानों की सर्विसिंग आदि पर होने वाले अतिरिक्त व्यय (23.80 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।	(a) For 'Coast Guard Organisation' to meet additional expenditure towards lease rent & service charges and for servicing of Aircrafts, etc (Rs. 23.80 crore).	-	3.22	3.22
(ख) कैंटीन स्टोर विभाग द्वारा स्टोरों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु, एकीकृत सीएसडी सिस्टम पर खर्च तथा अन्य विविध व्यय।	(b) For additional expenditure on account of purchase of stores by Canteen Stores Department, expenses on Integrated CSD Systems and other miscellaneous expenditure.	-	226.57	226.57
(ग) मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कोर्ट डिग्री के कारण व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting expenditure on account of court decree under Motor Vehicle Act.	-	0.40	0.40
22. रक्षा सेवाएं- थल सेना	**22 Defence Services - Army**			
थल सेना के वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure towards pay and allowances of Army.	-	232.22	232.22
23 रक्षा सेवाएं- नौसेना	**23 Defence Services - Navy**			
(क) नौसेना के वेतन और भत्तों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (60.11 करोड़ रूपए)	For (a) meeting additional expenditure on account of pay and allowances of Navy			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
और (ख) "सेन्टर फॉर ज्वॉइंट वारफेयर स्टडीज़" को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (5 करोड़ रुपए)।	(Rs.60.11 crore) and (b) providing Grants-in-aid to 'Centre for Joint Warfare Studies' (Rs. 5 crore).	-	60.11	60.11
24. रक्षा सेना- वायु सेना	**24 Defence Services - Air Force**			
अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (क) कोर्ट डिक्री के कारण (0.40 करोड़ रुपए) और (ख) वायु सेना के लिए वेतन और भत्तों के अन्तर्गत (298.21 करोड़ रुपए)।	For meeting additional expenditure (a) arising out of court decrees (Rs. 0.40 crore) and (b) under 'pay and allowances of Air Force' (Rs. 298.21 crore).	-	298.61	298.61
25. रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	**25 Defence Ordnance Factories**			
व्यय की पूर्ति हेतु (क) कोर्ट डिक्री के कारण (0.30 करोड़ रुपए) और (ख) रक्षा सेवाओं को अधिक आपूर्ति के सम्बन्ध में (193.93 करोड़ रुपए)।	For meeting expenditure (a) arising out of court decrees (Rs. 0.30 crore) and (b) towards higher supplies to Defence Services (Rs. 193.93 crore).	-	194.23	194.23
26. रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	**26 Defence Services - Research and Development**			
स्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional establishment related expenditure.	-	23.09	23.09
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	**MINISTRY OF EARTH SCIENCES**			
29. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	**29 Ministry of Earth Sciences**			
विवाचन फैसलों के भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure on payment of Arbitration award.	-	0.10	0.10
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**			
30 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	**30 Ministry of Environment and Forests**			
यूएनडीपी/जीईएफ लघु अनुदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और जीईई प्रकोष्ठ के सुदृढ़ीकरण के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु।	For providing funds for up scaling of the UNDP/GEF Small Grants Programme and strengthening of GEF Cell.	1.27	-	1.27
विदेश मंत्रालय	**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**			
31. विदेश मंत्रालय	**31 Ministry of External Affairs**			
राजदूतावासों और मिशनों में (54 करोड़ रुपए), विशेष राजनयिक व्यय (110.28 करोड़ रुपए), पासपोर्ट और उत्प्रवासन (107.35 करोड़ रुपए), मनोरंजन प्रभार (8.26 करोड़ रुपए), अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (5.71 करोड़ रुपए), अन्य व्यय (30.67 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	For meeting additional requirement of funds in Embassies and Missions (Rs. 54 crore), Special Diplomatic Expenditure (Rs. 110.28 crore), Passport and Emigration (Rs. 107.35 crore), Entertainment Charges (Rs. 8.26 crore), International Cooperation (Rs. 5.71 crore), Other Expenditure (Rs.30.67 crore).	-	66.88	66.88
वित्त मंत्रालय	**MINISTRY OF FINANCE**			
32. आर्थिक कार्य विभाग	**32 Department of Economic Affairs**			
(क) बकाया देय राशियों का अधित्याग करने हेतु और वर्ष 1995 में किर्गिस्तान सरकार को दी गयी ऋण श्रृंखला के संबंध में सम्बन्ध में बकाया ऋणों पर ब्याज/दांडिक ब्याज का अधित्याग (1.65 करोड़ रुपए) करने हेतु।	(a) For (i) waiving of outstanding dues (Rs. 3.65 crore)and (ii) waiving of interest/ penal interest (Rs. 1.65 crore) on loans outstanding in respect of line of credit extended to the Government of Kyrghyztan in 1995.	-	5.30	5.30
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक को आपूर्ति किए जाने वाले सिक्कों की खरीद हेतु भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा टकसाल निगम को अतिरिक्त भुगतान करने हेतु।	(b) For making additional payment to Security Printing and Minting Corporation of India Limited for purchase of coins to be supplied to Reserve Bank of India.	-	336.38	336.38

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
33. वित्तीय संस्थानों को भुगतान	**33 Payments to Financial Institutions**			
(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को, खुदे कुओं के माध्यम से भूजल का कृत्रिम रिचार्ज करने संबंधी कार्यान्वयन पर सब्सिडी (1536.75 करोड़ रुपए)। नाबार्ड के निम्नलिखित के संबंध में भुगतान (i) नकदी सहायता हेतु ब्याज सब्सिडी (37.26 करोड़ रुपए) (ii) किसानों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने हेतु ब्याज आर्थिक सहायता (23.14 करोड़ रुपए), (iii) अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना का पुनरूजीवन (545.37 करोड़ रुपए), (iv) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण परियोजना (0.82 करोड़ रुपए), (v) वित्तीय समावेशन निधि का गठन (10 करोड़ रुपए) और (vi) वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि का गठन (10 करोड़ रुपए)।	(a) For payment to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) as subsidy for implementation of 'Artificial Recharge of Ground Water through Dugwells' (Rs. 1536.75 crore), (b) For payments to NABARD towards (i) interest subsidy for liquidity support (Rs. 37.26 crore), (ii) interest subvention for providing short term credit to farmers (Rs. 23.14 crore), (iii) revival of Short Term Cooperative Credit Structure (Rs. 545.37 crore), (iv) International Fund for Agriculture Development, Maharashtra Rural Credit Project (Rs. 0.82 crore), (v) constitution of Financial Inclusion Fund (Rs. 10 crore) and (vi) constitution of Financial Inclusion Technology Fund (Rs. 10 crore).	-	1,536.75	1,536.75
(ख) भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों का राइट्स इश्यु के संबंध में अंशदान	(b) For subscribing to the Rights issue of Equity Shares of State Bank of India.	-	10,000.00	10,000.00
34. ब्याज भुगतान	**34 Interest Payments**			
'बाजार ऋणों' 'बाजार स्थिरीकरण योजना', 'प्रतिपूर्ति तथा अन्य बॉंडस' और 'राजकोषीय हुंडियों पर डिस्काउंट' आदि (12,307.25 करोड़ रुपए) के अन्तर्गत ब्याज देयताओं के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of interest liabilities under 'Market Loans', 'Market Stabilisation Scheme', 'Compensation and Other Bonds', and 'Discount on Treasury Bills', etc (Rs. 12,307.25 crore).	-	3,831.05	3,831.05
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	**35 Transfers to State and Union Territory Governments**			
(क) पंजाब सरकार को ब्याज की माफी।	(a) For waiver of interest to the Government of Punjab.	-	2,728.48	2,728.48
(ख) निम्नलिखित के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)- अन्य परियोजनाएं (640 करोड़ रुपए), (ii) एसीए-ईएपी-अनुदान भाग (0.50 करोड़ रुपए), (iii) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (499.55 करोड़ रुपए), (iv) सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (500 करोड़ रुपए), (v) लघु और मध्यम कस्बों के संबंध में शहरी ढांचागत विकास (501.78 करोड़ रुपए) और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (686.29 करोड़ रुपए)।	(b) For providing additional requirement under (i) Additional Central Assistance (ACA)-Other Projects (Rs. 640 crore), (ii) ACA-EAP-Grant portion (Rs. 0.50 crore), (iii) National Social Assistance Programme (Rs. 499.55 crore), (iv) Tsunami Rehabilitation Programme (Rs. 500 crore), (v) Urban Infrastructure Development for Small and Medium Towns (Rs. 501.78 crore) and Accelerated Irrigation Benefit Programme and other Water Resources Programmes (Rs. 686.29 crore).	2,828.12	-	2,828.12
(ग) ईएपी के संबंध में एसीए के अन्तर्गत (ऋण संघटक) अतिरिक्त आवश्यकता की व्यवस्था करने हेतु।	(c) For providing additional requirement under ACA to EAP (Loan Component).	199.50	-	199.50
37. ऋण की वापसी अदायगी	**37 Repayment of Debt**			
सामान्य बाजार उधारों के तहत 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (79954 करोड़ रुपए), 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (7273 करोड़ रुपए), 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (2307 करोड़ रुपए) के उन्मोचन के संबंध में, अर्थोपाय अग्रिम (10007 करोड़ रुपए), अफ्रीकी विकास निधि (3.90 करोड़ रुपए), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	Towards discharge of 91 day Treasury Bills (Rs. 79954 crore), 182 day Treasury Bills (Rs. 7273 crore), 364 day Treasury Bills (Rs. 2307 crore) under normal market borrowings, Ways and Means Advances (Rs. 10007 crore), African Development Fund (Rs. 3.90 crore),			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(1440.87 करोड़ रुपए), 8.50 प्रतिशत राहत बांड 2001(469.14 करोड़ रुपए),6.50 प्रतिशत बचत बांड (गैर-कर योग्य), 2003(945.86 करोड़ रुपए) और दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार विभिन्न लघु बचत योजना के अन्तर्गत शेष बकाया राशियों के संबंध में जारी केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों का उन्मोचन (9997.48 करोड़ रुपए)।	International Monetary Fund (Rs. 1440.87 crore), 8.50% Relief Bonds, 2001 (Rs. 469.14 crore), 6.50% Savings Bonds (Non-Taxable), 2003 (Rs. 945.86 crore), and Redemption of Special Central Government Securities issued against the outstanding balances under various small savings scheme as on 31.3.1999 (Rs. 9997.48 crore).	-	62,573.17	62573.17
39. पेशन	**39 Pensions**			
पेंशन फंड मैनजरों के सम्बन्ध में भारतीय लोक लेखे में धारित 'परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम' के अन्तर्गत रखी गयी जमाराशियों से निधियों के अन्तरण हेतु।	For transfer of funds from the Deposits held under 'Defined Contribution Pension Scheme' placed in the Public Accounts of India to the Pension Fund Managers.	-	1,177.00	1177.00
41. राजस्व विभाग	**41 Department of Revenue**			
(क) मूल्य वर्धित कर को प्रारम्भ करने और केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने की वजह से राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों की प्रतिपूर्ति की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु (680 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting additional requirement of compensation to State Governments for revenue loss due to introduction of Value Added Tax and phasing out of Central Sales Tax (Rs. 680 crore).	-	0.45	0.45
(ख) अमरीकी सरकार से केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो को क्षमता उन्नयन हेतु प्राप्त सहायता सामग्री तथा उपस्करों का अन्तरण करने हेतु।	(b) For pass through of Aid Material and Equipments received from the Government of United States of America to Central Bureau of Narcotics for capability upgradation.	-	1.00	1.00
(ग) अमरीकी सरकार से केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो को क्षमता उन्नयन हेतु प्राप्त सहायता सामग्री तथा उपस्करों का अन्तरण करने के संबंध में आवश्यक लेखा समायोजन करने हेतु।	(c) For carrying out necessary accounting adjustments relating to pass through of Aid Material and Equipments received from the Government of United States of America to Central Bureau of Narcotics for capability upgradation.	-	1.00	1.00
43. अप्रत्यक्ष कर	**43 Indirect Taxes**			
केन्द्रीय उत्पाद कार्यालयों के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (48.70 करोड़ रुपए)।	For meeting additional establishment related expenditure of Central Excise Offices (Rs. 48.70 crore).	-	31.00	31.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**			
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	**46 Department of Health and Family Welfare**			
मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (क) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (2 करोड़ रुपए) और (ख) डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (9.95 करोड़ रुपए)	For meeting additional expenditure on Major Works of (a) Safdarjung Hospital, New Delhi (Rs. 2 crore) and (b) Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (Rs. 9.95 crore).	11.95	-	11.95
भारी उद्योग तथा सरकारी उद्यम मंत्रालय	**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES**			
48. भारी उद्योग विभाग	**48 Department of Heavy Industry**			
(क) आवश्यक लेखा समायोजनों को करने हेतु अर्थात् भारत सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज की माफी (3.85 करोड़ रुपए), दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालना (1.10 करोड़ रुपए) और भारत	(a) For carrying out necessary accounting adjustments viz., Waiver of interest outstanding on Government of India Loan (Rs. 3.85 crore), write off of outstanding Government of India Loan (Rs. 1.10 crore) as on 31.3.2007 and			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
यंत्र निगम लिमिटेड के संबंध में इस कंपनी के बंद होने के फलस्वरूप इक्विटी को कम करके लिखना (2.31 करोड़ रुपए)।	write down of equity (Rs. 2.31 crore) in respect of Bharat Yantra Nigam Limited., consequent upon closure of the company.	-	7.26	7.26
(ख) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा जारी बोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश हेतु।	(b) For additional equity investment in the form of bonus shares issued by Bharat Heavy Electricals Limited.	-	165.76	165.76
गृह मंत्रालय	**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**			
50. गृह मंत्रालय	**50 Ministry of Home Affairs**			
(क) असम में अवैध रूप से बसने वालों का निर्धारण करने के लिए अतिरिक्त अभिकरणों की स्थापना (3.61 करोड़ रुपए) और (ख) विदेशियों का पंजीकरण और निगरानी के संबंध में राज्यों को प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करने हेतु (1 करोड़ रुपए)।	For (a) establishment of additional Tribunals to determine illegal migrants in Assam (Rs.3.61 crore) and (b) providing re-imbursement to States on registration and surveillance of foreigners (Rs. 1 crore).	-	1.13	1.13
51. मंत्रिमंडल	**51 Cabinet**			
विशेष सुरक्षा समूह के लिए भू-खरीद (0.26 करोड़ रुपए)।	For purchase of land for the Special Protection Group (Rs. 0.26 crore).	-	0.05	0.05
52. पुलिस	**52 Police**			
(क) केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.05 करोड़ रुपए) और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मामलों में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु (0.60 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting additional establishment related expenditure of Central Reserve Police Force (Rs. 0.05 crore) and for payment of compensation in Motor Accident Claims Tribunal case (Rs. 0.60 crore).	-	0.65	0.65
(ख) असम राइफल (46.30 करोड़ रुपए), सीमा सुरक्षा बल (38 करोड़ रुपए), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (20.50 करोड़ रुपए) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (33.81 करोड़ रुपए), और दिल्ली पुलिस (26.93 करोड़ रुपए) के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional establishment related expenditure of Assam Rifles (Rs. 46.30 crore), Border Security Force (Rs. 38 crore), Central Industrial Security Force (Rs. 20.50 crore), Indo-Tibetan Border Police (Rs. 33.81 crore) and Delhi Police (Rs. 26.93 crore).	-	124.89	124.89
(ग) पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु।	(c) For providing grants-in-aid under the scheme of Modernisation of Police Force.	-	200.00	200.00
53. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	**53 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs**			
(क) 1984 के दंगों के शिकार लोगों के संबंध में वर्धित क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने पर व्यय के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करना (237 करोड़ रुपए), (ख) तमिलनाडु सरकार को श्रीलंका से प्रत्यावर्तित लोगों को राहत तथा पुनर्वास कार्य में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु (17.68 करोड़ रुपए) और (ग) जेल प्रशासन योजना का आधुनिकीकरण (50 करोड़ रुपए)।	For (a) providing re-imbursement to State Governments against expenditure incurred on payment of enhanced compensation to victims of 1984 riots (Rs. 237 crore), (b) providing re-imbursement to Government of Tamil Nadu against expenditure incurred on relief and rehabilitation of repatriates from Sri Lanka (Rs. 17.68 crore), and (c) Modernisation of Prison Administration Scheme (Rs. 50 crore).	-	13.25	13.25
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**			
69. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	**69 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions**			
(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के स्थापना संबंधी व्यय हेतु।	(a) For establishment expenditure of Central Bureau of Investigation.	-	6.46	6.46
(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के स्थापना संबंधी व्यय हेतु।	(b) For establishment expenditure of Central Vigilance Commission.	-	2.24	2.24

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**			
70. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूली के संबंध में तेल विपणन कम्पनियों को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम जरिए क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना (9076.41 करोड़ रुपए) और ओएनजीसी (197.31 करोड़ रुपए) और आईओसी (23.14 करोड़ रुपए) की अनुषंगी देयताओं का निपटान जो एपीएम अवधि से सम्बद्ध है।	**70 Ministry of Petroleum and Natural Gas** For providing compensation through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated under-recoveries on account of sale of sensitive petroleum products (Rs. 9076.41 crore) and settlement of the contingent liabilities of ONGC (Rs. 197.31 crore) and IOC (Rs. 23.14 crore) pertaining to the APM period.	9,296.92	-	9,296.92
विद्युत मंत्रालय	**MINISTRY OF POWER**			
72. विद्युत मंत्रालय विश्व बैंक से विष्णुगढ़ पिपलकोटी पन बिजली परियोजना के अध्ययन हेतु टिहरी पन बिजली विकास निगम लिमिटेड को प्राप्त सहायता का अन्तरण।	**72 Ministry of Power** For passing on aid received from World Bank to Tehri Hydro Development Corporation Limited for studies for Vishnugad Pipalkoti Hydro Electric Project.	2.26	-	2.26
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**			
81. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग गांधी नगर, गुजरात स्थित भारतीय सर्वेक्षण के निर्माण व्यय की पूर्ति हेतु (2 करोड़ रुपए)।	**81 Department of Science and Technology** For meeting construction expenditure of Survey of India (Rs. 2 crore) at Gandhi Nagar, Gujarat.	1.95	-	1.95
82. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग 'एशिया तथा प्रशान्त प्रौद्योगिकी अन्तरण केन्द्र' के संबंध में विशेष निर्माण कार्य हेतु व्यय।	**82 Department of Scientific and Industrial Research** For expenditure towards special construction work for 'Asia and Pacific Centre for the Transfer of Technology'.	0.20	-	0.20
नौवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**			
85. नौवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	**85 Department of Road Transport and Highways**			
(क) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) रोड़ विंग (177.30 करोड़ रुपए) तथा सीमा सड़क विंग (10 करोड़ रुपए) द्वारा हाथ में लिए गए राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव तथा मरम्मत, (ii) सामरिक तथा सीमा सड़क रख रखाव निर्माण कार्य (9.74 करोड़ रुपए), (iii) भूटान क्षतिपूर्ति भत्ता के सम्बन्ध में सहायता अनुदान (11.90 करोड़ रुपए) और भूटान के अन्दर सड़क निर्माण कार्य (5.49 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting additional expenditure on (i) maintenance and repairs of national highways undertaken by Roads Wing (Rs. 177.30 crore) and Border Roads Wing (Rs. 10 crore), (ii) Strategic and Border Road maintenance works (Rs. 9.74 crore), (iii) Grants-in-aid for Bhutan Compensatory Allowance (Rs. 11.90 crore) and for road works inside Bhutan (Rs. 5.49 crore).	-	74.58	74.58
(ख) कोर्ट डिक्री तथा मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of court decrees and Motor Accidents Claims Tribunal.	-	0.50	0.50
इस्पात मंत्रालय	**MINISTRY OF STEEL**			
90. इस्पात मंत्रालय भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड में इक्विटी निवेश हेतु (7 करोड़ रुपए)।	**90 Ministry of Steel** For equity investments in Bharat Refractories Limited (Rs. 7 crore).	5.00	-	5.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
कपड़ा मंत्रालय	**MINISTRY OF TEXTILES**			
91. कपड़ा मंत्रालय	**91 Ministry of Textiles**			
भारत जूट निगम लिमिटेड की पुनर्संचना के फलस्वरूप बकाया ऋण (196.58 करोड़ रुपए) और ब्याज माफी (313.07 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डालने के संबंध में आवश्यक लेखा समायोजन करने हेतु।	For carrying out necessary accounting adjustments relating to write off of outstanding loan (Rs. 196.58 crore) and waiver of interest (Rs. 313.07 crore) consequent upon restructuring of Jute Corporation of India Limited.	-	509.65	509.65
पर्यटन मंत्रालय	**MINISTRY OF TOURISM**			
92. पर्यटन मंत्रालय	**92 Ministry of Tourism**			
गंतव्य स्थल और सर्किटों हेतु उत्पाद/ढांचागत विकास के अन्तर्गत चालू योजनाओं/परियोजनाओं के हेतु व्यय की पूर्ति (59.28 करोड़ रुपए)।	For meeting expenditure (Rs. 59.28 crore) for on-going schemes/projects under Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits.	1.50	-	1.50
विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	**UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE**			
95. चंडीगढ़	**95 Chandigarh**			
गृह मंत्रालय (15.96 करोड़ रुपए), विद्युत मंत्रालय (22.13 करोड़ रुपए), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (0.10 करोड़ रुपए), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (2.95 करोड़ रुपए), प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग (3.23 करोड़ रुपए), माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग (9.55 करोड़ रुपए), युवा मामले और खेल मंत्रालय (0.42 करोड़ रुपए), संस्कृति मंत्रालय (0.42 करोड़ रुपए), श्रम तथा रोजगार मंत्रालय (0.34 करोड़ रुपए), सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (5.61 करोड़ रुपए), पर्यटन मंत्रालय (0.40 करोड़ रुपए), शहरी विकास मंत्रालय (27.31 करोड़ रुपए) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय (0.08 करोड़ रुपए), संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (0.50 करोड़ रुपए) के अन्तर्गत अतिरिक्त राजस्व तथा पूंजी व्यय हेतु।	For additional revenue and capital expenditure under Ministry of Home Affairs (Rs. 15.96 crore), Ministry of Power (Rs. 22.13 crore), Ministry of Food Processing Industries (0.10 crore), Ministry of Health and Family Welfare (Rs. 2.95 crore), Department of Elementary Education and Literacy (Rs. 3.23 crore), Department of Secondary and Higher Education (Rs. 9.55 crore), Ministry of Youth Affairs and Sports (Rs. 0.42 crore), Ministry of Culture (Rs. 0.42 crore), Ministry of Labour and Employment (Rs. 0.34 crore), Ministry of Road Transport and Highways (Rs. 5.61 crore), Ministry of Tourism (Rs. 0.40 crore), Ministry of Urban Development (Rs. 27.31 crore), Ministry of Social Justice and Empowerment (Rs. 0.08 crore), Ministry of Communications and Information Technology (Rs. 0.50 crore).	-	23.00	23.00
97. दमन और दीव	**97 Daman and Diu**			
विद्युत मंत्रालय के अतिरिक्त राजस्व हेतु।	For additional revenue expenditure of Ministry of Power.	-	118.00	118.00
98. लक्षद्वीप	**98 Lakshadweep**			
गृह मंत्रालय (0.32 करोड़ रुपए), कृषि मंत्रालय (0.87 करोड़ रुपए), ग्रामीण विकास मंत्रालय (2.08 करोड़ रुपए), विद्युत मंत्रालय (9.91 करोड़ रुपए), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (3 करोड़ रुपए), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (0.30 करोड़ रुपए), माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग (3.77 करोड़ रुपए), लघु उद्योग मंत्रालय (0.10 करोड़ रुपए), नौवहन मंत्रालय (9.60 करोड़ रुपए), और शहरी विकास मंत्रालय (2.82 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त राजस्व तथा पूंजी व्यय हेतु।	For additional revenue and capital expenditure of Ministry of Home Affairs (Rs. 0.32 crore), Ministry of Agriculture (Rs. 0.87 crore), Ministry of Rural Development (Rs. 2.08 crore), Ministry of Power (Rs. 9.91 crore), Ministry of Food Processing Industries (Rs. 3 crore), Ministry of Health and Family Welfare (Rs. 0.30 crore), Department of Secondary Education and Higher Education (Rs. 3.77 crore), Ministry of Small Scale Industries (Rs. 0.10 crore), Ministry of Shipping (Rs. 9.60 crore) and Ministry of Urban Development (Rs. 2.82 crore).	-	2.77	2.77

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
शहरी विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**			
99. शहरी विकास मंत्रालय	**99 Department of Urban Development**			
अन्तरण सहायता के रूप में दिल्ली मेट्रो रेल निगम लि. को ऋण (567.50 करोड़ रुपए) तथा केन्द्रीय करों के भुगतान के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति हेतु गौण ऋण (32.50 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने के लिए।	For providing loan to Delhi Metro Rail Corporation Limited as Pass Through Assistance (Rs. 567.50 crore) and Subordinate Debt for meeting expenditure on payment of Central Taxes (Rs. 32.50 crore).	28.58	-	28.58
जोड़ तकनीकी	**Total Technical**	**12,412.42**	**84,905.74**	**97,318.16**

4 नीचे सूचीबद्ध की गयी मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक के लिए 1 लाख रूपए का पूरक अनुदान भी प्रस्तावित है, मद के समक्ष दर्शाए गए व्यय की पूर्ति सम्बद्ध अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत बचत के पुनर्विनियोग से की जाएगी।

4. Supplementary grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अनुदानों की सांकेतिक पूरक मांगें	**Token Supplementary Demands for grants**			
कृषि मंत्रालय	**MINISTRY OF AGRICULTURE**			
1. कृषि तथा सहकारिता विभाग	**1 Department of Agriculture and Cooperation**			
(क) सहायता अनुदान हेतु (i) बीजों के उत्पादन तथा वितरण हेतु बीज ढांचागत सुविधाओं का विकास तथा सुदृढ़ीकरण (109 करोड़ रुपए), (ii) जैविक खेती के उत्पादन की राष्ट्रीय परियोजना (3 करोड़ रुपए), (iii) कृषि आर्थिक नीति तथा विकास सूचना संबंधी अध्ययनों हेतु (2.50 करोड़ रुपए), (iv) एकीकृत तिलहन/ ऑइलापॉय/ दालें तथा मक्का विकास (21 करोड़ रुपए) हेतु (v) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (10 करोड़ रुपए) और (vi) भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु क्षमता निर्माण हेतु (0.20 करोड़ रुपए) और (vii) कृषि बीमा कम्पनी को अंशदान हेतु (218.88 करोड़ रुपए)।	(a) For Grants-in-aid (i) for 'Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for production and distribution of seeds' (Rs. 109 crore), (ii) to National Project on Promotion of Organic Farming (Rs. 3 crore), (iii) for Studies on input for Agricultural Economic Policy and Development (Rs. 2.50 crore), (iv) for Integrated Oil seeds/Oil Palm/Pulses and Maize Development (Rs. 21 crore), (v) National Horticulture Board (Rs. 10 crore) and (vi) for Capacity Building to enhance competitiveness of Indian Agriculture (Rs. 0.20 crore) and (vii) Contribution to Agriculture Insurance Company (Rs. 218.88 crore).	364.58	-	364.58
(ख) शिक्षा तथा प्रशिक्षण की पुनर्संरचित योजना हेतु सहायता अनुदान।	(b) For Grants-in-aid for Restructured Scheme of Education and Training.	3.94	-	3.94
(ग) (i) राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को सहायता अनुदान (1.71 करोड़ रुपए), (ii) राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को क्षमता निर्माण हेतु विदेशी सहायता अन्तरण (1.47 करोड़ रुपए) और (iii) विपणन बाजार आधारभूत संरचना का विकास, ग्रेडिंग तथा बाजार मानकीकरण (57.86 करोड़ रुपए)।	(c) (i) For Grants-in-aid for National Institute of Agricultural Marketing (Rs. 1.71 crore), (ii) For passing on external aid to National Institute of Agricultural Marketing for Capacity Building (Rs. 1.47 crore), and (iii) Marketing, Development of market infrastructure, Grading and Market Standardisation (Rs. 57.86 crore).	61.04	-	61.04
(घ) सहायता अनुदान हेतु (i) बीजों के उत्पादन तथा वितरण हेतु बीज ढांचागत सुविधाओं का विकास तथा सुदृढ़ीकरण, (15.80 करोड़ रुपए), (ii) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर,हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में एकीकृत बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन (25 करोड़ रुपए) और (iii) राष्ट्रीय बांस मिशन (19.27 करोड़ रुपए)।	(d) Grants-in-aid for (i) Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for production and distribution of seeds (Rs. 15.80 crore), (ii) Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North Eastern States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	Pradesh and Uttrakhand (Rs. 25 crore) and (iii) National Bamboo Mission (Rs. 19.27 crore).	60.07	-	60.07
(ङ) कीटनाशक अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु।	(e) For implementation of Insecticides Act.	1.50	-	1.50
(च) भूमि विकास बैंकों को ऋण प्रदान करने हेतु।	(f) For loans to Land Development Banks.	14.00	-	14.00
2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	**2 Department of Agricultural Research and Education**			
(क) बागवानी (5.60 करोड़ रुपए), कृषि विस्तार (44.50 करोड़ रुपए) कृषि शिक्षा (4.60 करोड़ रुपए) तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान जिसमें कृषि-वानिकी अनुसंधान भी शामिल है (6.47 करोड़ रुपए) के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(a) For Grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research under Horticulture (Rs. 5.60 crore), Agricultural Extension (Rs. 44.50 crore), Agricultural Education (Rs. 4.60 crore) and other Natural Resource Management Institutes including Agro-Forestry Research (Rs. 6.47 crore).	61.17	-	61.17
(ख) फसल विज्ञान (14.71 करोड़ रुपए), बागवानी (12.51 करोड़ रुपए), कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड तथा कृषि सूचना और प्रकाशन निदेशालय (26.47 करोड़ रुपए), कृषि विस्तार (0.15 करोड़ रुपए), कृषि शिक्षा (1.60 करोड़ रुपए) आर्थिक सांख्यिकी तथा प्रबंधन (0.64 करोड़ रुपए), कृषि इन्जीनियरिंग (4.94 करोड़ रुपए), मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान (1.21 करोड़ रुपए) अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध संस्थान जिसमें कृषि वानिकी अनुसंधान भी शामिल है (9.42 करोड़ रुपए), पशुपालन (12.19 करोड़ रुपए) और मात्स्यिकी (5.16 करोड़ रुपए) के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान।	(b) For Grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research(ICAR) under Crop Science (Rs. 14.71 crore), Horticulture (Rs. 12.51 crore), ICAR Headquarters Administration including Agricultural Scientists Recruitment Board and Directorate of Information and Publication of Agriculture (Rs. 26.47 crore), Agricultural Extension (Rs. 0.15 crore), Agricultural Education (Rs. 1.60 crore), Economic Statistics and Management (Rs. 0.64 crore), Agricultural Engineering (Rs. 4.94 crore), Soil and Water Conservation Research Institute (Rs. 1.21 crore), Other Natural Resource Management Institutes including Agro-Forestry Research (Rs. 9.42 crore), Animal Husbandry (Rs. 12.19 crore) and Fisheries (Rs. 5.16 crore).	-	89.00	89.00
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**			
4. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्वनाम एग्रो तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय)	**4 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (Previously Ministry of Agro and Rural Industries)**			
खादी पर छूट दावों के निपटान हेतु।	For settlement of rebate claims on Khadi.	0.90	-	0.90
परमाणु ऊर्जा विभाग	**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**			
5. परमाणु ऊर्जा	**5 Atomic Energy**			
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को अतिरिक्त सहायता अनुदान हेतु (i)सीएमएस एक्सपेरिमेंटल डाटा सम्बन्धी ग्रिड कम्प्यूटिंग सुविधा तथा इसका प्रचालन और रख-रखाव (3.87 करोड़ रुपए), (ii) व्यावहारिक भौतिक विशेष कार्यक्रम (1.05 करोड़ रुपए), (iii) अनुसंधान सुविधाएं (6.52 करोड़ रुपए), (iv) सामान्य सेवाएं (1.50 करोड़ रुपए), (v) संघटित सामग्री-ii (नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी) (2.90	For additional Grants-in-aid to Tata Institute of Fundamental Research for (i) Grid Computing Facility for CMS Experimental Data and its operation and maintenance (Rs. 3.87 crore), (ii) Theoretical Physics Special Programmes (Rs. 1.05 crore), (iii) Research Facilities (Rs. 6.52 crore), (iv) Common			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
करोड़ रुपए) और (vi) एनसीबीएस चरण ii तथा iii (8.18 करोड़ रूपए)	Services (Rs. 1.50 crore), (v) Condensed Matter II (Nano Science and Technology) (Rs. 2.90 crore) and (vi) NCBS Phase II and III (Rs. 8.18 crore).	24.02	-	24.02
(ख) तुम्मालापल्लि में यूरेनियम अयस्क खनन परियोजना और प्रसंस्करण परियोजना के संबंध में भारतीय यूरेनियम निगम में निवेश।	(b) For Investment in Uranium Corporation of India Limited for the Project Uranium Ore Mining and Processing Project at Tummalapallie.	39.00	-	39.00
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय	**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS**			
7. रसायन तथा उर्वरक विभाग	**7 Department of Chemicals and Petrochemicals**			
राष्ट्रीय भेषज शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान को सहायता अनुदान।	For Grants-in-aid to National Institute of Pharmaceuticals Education and Research.	-	0.71	0.71
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**			
11. वाणिज्य विभाग	**11 Department of Commerce**			
(क) इलायची बागान का पुनः रोपण तथा नवीकरण के लिए निधियां उपलब्ध कराना।	(a) For providing funds towards Replantation and Rejuvenation of Cardamon Plantations.	3.00	-	3.00
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़बोर्ड को व्यय के सम्बन्ध में अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु।	(b) For additional funds to Rubber Board towards expenditure in the North Eastern Region.	2.50	-	2.50
(ग) विशेष मुख्य उत्पादन पुनर्वास निधि हेतु कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को निधियां उपलब्ध कराना।	(c) For providing funds to Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority for Special Floriculture Rehabilitation Fund.	10.00	-	10.00
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**			
14. दूरसंचार विभाग विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2002-03 से 2005-06 की अवधि हेतु अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवाओं में इसके एकाधिकार को शीघ्र समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवाओं की एवज में लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु।	**14 Department of Telecommunications** For reimbursement of license fee paid by Videsh Sanchar Nigam Limited towards National Long Distances services for early termination of its monopoly in International Long Distances Services for the period from 2002-03 to 2005-06.	-	79.32	79.32
15. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	**15 Department of Information Technology**			
(क) स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत वचनबद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान हेतु (i)भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (1.50 करोड़ रुपए), (ii) आम जनता के लिए आईटी (8 करोड़ रुपए) और (iii) जनशक्ति विकास कार्यक्रम (7.15 करोड़ रुपए)	(a) For Grants-in-aid to meet the committed requirements under the approved projects (i) Software Technology Parks of India (Rs. 1.50 crore), (ii) IT for Masses (Rs. 8 crore) and (iii) Manpower Development Programme (Rs. 7.15 crore).	16.65	-	16.65
(ख) स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत वचनबद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (i) व्यावहारिक सूक्ष्मतरण इलैक्ट्रानिक्स अभियांत्रिकी और अनुसंधान सोसाइटी (3 करोड़ रुपए), (ii) इलैक्ट्रानिक्स संघटक तथा मेटेरियल्स विकास (5 करोड़ रुपए), (iii) सामरिक इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों का विकास (3 करोड़ रुपए), (iv) प्रौद्योगिकी विकास परिषद (5 करोड़ रुपए) और (v) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (5 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting the committed requirements under approved projects (i) Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (Rs. 3 crore), (ii) Electronics Component and Material Development Programme (Rs. 5 crore), (iii) Development of Strategic Electronics Equipment (Rs. 3 crore), (iv) Technology Development Councils (Rs. 5 crore) and (v) National Informatics Centre (Rs. 5 crore).	21.00	-	21.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संस्कृति मंत्रालय	**MINISTRY OF CULTURE**			
19 संस्कृति मंत्रालय	**19 Ministry of Culture**			
(क) खालसा हेरीटेज परियोजना को सहायता अनुदान।	(a) For Grants-in-aid to Khalsa Heritage Project.	19.00	-	19.00
(ख) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) संगीत नाटक अकादमी (0.30 करोड़ रुपए) (ii) साहित्य अकादमी (0.20 करोड़ रुपए) (iii) राष्ट्रीय नाट्य स्कूल (0.15 करोड़ रुपए) (iv) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन केन्द्र, लेह (0.20 करोड़ रुपए) (v) भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की 2550वीं वर्षगांठ का आयोजन (5 करोड़ रुपए) (vi) सालारजंग म्यूजियम (0.15 करोड़ रुपए) (vii) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (0.10 करोड़ रुपए) और (viii) डांडी हेरीटेज कॉरिडोर के विकास हेतु (10 करोड़ रुपए)।	(b) For Grants-in-aid (i) to Sangeet Natak Akademi (Rs. 0.30 crore), (ii) to Sahitya Akademi (Rs. 0.20 crore), (iii) to National School of Drama (Rs. 0.15 crore), (iv) to Central Institute of Buddhist Studies, Leh (Rs. 0.20 crore), (v) for commemoration of 2550th Anniversary of Mahaparinirvana of Lord Buddha (Rs. 5 crore), (vi) to Salar Jung Museum (Rs. 0.15 crore), (vii) to Indira Gandhi Rashtriya Manav Sanghrahalaya (Rs. 0.10 crore) and (viii) for development of Dandi Heritage Corridor (Rs. 10 crore).	-	16.10	16.10
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	**MINISTRY OF EARTH SCIENCES**			
29 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	**29 Ministry of Earth Sciences**			
(क) निम्नलिखित को व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (i) अन्टार्कटिक अनुसन्धान/ध्रुवीय विज्ञान (15 करोड़ रुपए) (ii) बहुधात्विक ग्रन्थिका कार्यक्रम के तहत पर्यावरण प्रभाव क्षेत्र अध्ययन (0.16 करोड़ रुपए) (iii) अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता (6.80 करोड़ रुपए) और (iv) सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर (1.50 करोड़ रुपए) और (v) नवीन अनुसन्धान जलयान (6 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting the expenditure on Grants-in-aid for (i) Antarctic Research/Polar Science (Rs. 15 crore), (ii) Environment Impact Area study under Polymetallic Nodules Programme (Rs. 0.16 crore), (iii) Assistance for Research Projects (Rs. 6.80 crore), (iv) Information Technology and Computers (Rs. 1.50 crore) and (v) New Research Vessel (Rs. 6 crore).	29.46	-	29.46
(ख) उच्च निष्पादन कम्प्युटिंग प्रणाली की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में आंशिक भुगतान हेतु सहायता अनुदान पर व्यय की पूर्ति के लिए और भारतीय उष्णकटिबन्धीय प्रबन्धन संस्थान द्वारा अर्जित की जा रही क्लाउड एरोसल इन्टरएकशन प्रोसेस एक्सपेरिमेण्टस परियोजना में व्यय हेतु।	(b) For meeting expenditure on Grants-in-aid in respect of part payment towards procurement of High Performance Computing System and for expenditure under the project Cloud Aerosal Interaction Process Experiments being acquired by Indian Institute of Tropical Management, Pune (IITM).	5.00	-	5.00
(ग) भारतीय उष्ण कटिबन्धीय प्रबन्धन संस्थान को संस्थापना सम्बन्धी व्यय को सहायता अनुसंधान हेतु।	(c) For Grants-in-aid to IITM for estalishment related expenditure.	-	4.00	4.00
(घ) ''मरीन लिविंग रिसोर्सेज वेसेल, डेडीकेटेड बर्थिंग एण्ड एसोसिएटेड फेसिलिटी'' योजना के तहत केरल सरकार को भूमि लागत सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु।	(d) For meeting the expenditure towards cost of land to Government of Kerala under the Scheme "Marine Living Resources Vessel, Dedicated Berthing and Associated Facility".	0.95	-	0.95
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**			
30 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	**30 Ministry of Environment and Forests**			
निम्नलिखित को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (क) भारतीय वानिकी प्रबन्धन संस्थान (0.28 करोड़ रुपए) (ख) भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (0.69 करोड़ रुपए) (ग) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान (0.16 करोड़ रुपए) तथा (घ) पशुधन कल्याण (0.20 करोड़ रुपए)।	For providing additional Grants-in-aid for (a) Indian Institute of Forestry Management (Rs. 0.28 crore), (b) Indian Council of Forest Research and Education (Rs. 0.69 crore), (c) Indian Plywood Industries Research Institute (Rs. 0.16 crore) and (d) Welfare of Animals (Rs. 0.20 crore).	-	1.33	1.33

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore*)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	**Grant No. & title and description of items**	आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non Plan**	जोड़ **Total**
विदेश मंत्रालय	**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**			
31 विदेश मंत्रालय दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के क्षेत्रीय फोरम में व्यय हेतु।	**31 Ministry of External Affairs** For expenditure under Association of South-East Asian Nations (ASEAN) Regional Forum.	-	0.16	0.16
वित्त मंत्रालय	**MINISTRY OF FINANCE**			
32 आर्थिक कार्य विभाग म्यांमार सरकार को भारत से माल व सेवा निर्यात संवर्धन हेतु भारत सरकार की स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा को बढ़ाने हेतु।	**32 Department of Economic Affairs** For extending a Government of India Line of Credit to Government of Myanmar for promotion of exports of goods and services from India.	-	1.32	1.32
33 आर्थिक कार्य विभाग	**33 Department of Economic Affairs**			
(क) भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय क्रेडिट व्यवस्था के तहत ब्याज विभेदक निधि के सम्बन्ध में आईसीआईसीआई बैंक को भुगतान हेतु।	(a) For payment to ICICI Bank towards interest differential fund under the bilateral credit arrangement between Germany and India.	-	23.83	23.83
(ख) 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः पूंजीकरण हेतु भारत सरकार के हिस्से के अंशदान हेतु (303.11 करोड़ रुपए) तथा पांडिचेरी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हेतु (0.50 करोड़ रुपए)।	(b) For Government of India's share of contribution for recapitalisation of 27 Regional Rural Banks (Rs. 303.11 crore) and for establishment of a Regional Rural Bank at Puducherry (Rs. 0.50 crore).	-	303.61	303.61
43 अप्रत्यक्ष कर **केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालयों हेतु बने बनाए कार्यालय आवासों के अधिग्रहण हेतु आंशिक भुगतान के लिए।**	**43 Indirect Taxes** For making part payment for acquisition of ready built office accommodation to house the offices of Central Board of Excise and Customs.	-	30.00	30.00
44 विनिवेश विभाग तीन चयनित निधि प्रबन्धकों अर्थात् (क) एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (ख) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड्स मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ग) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एसेट मेनेजमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को निधियों के पुनः आबंटन हेतु।	**44 Department of Disinvestment** For re-allocation of funds to the three selected Fund Managers i.e. (a) LIC Mutual Fund Asset Management Company Limited, (b) State Bank of India Funds Management Pvt Limited, (c) Unit Trust of India Asset Management Company Pvt. Limited.	-	1,651.00	1,651.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES**			
45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित को सहायता अनुदान (क) उद्यान विज्ञान आधारित उद्योगों को तकनीकी उन्नति/स्थापना/खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु (41.50 करोड़ रुपए) और (ख) दुग्ध आधारित उद्योगों को गुणात्मक आश्वासन, संहिता मानक और अनुसंधान और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विकास हेतु (2 करोड़ रुपए)।	**45 Ministry of Food Processing Industries** For Grants-in-aid to (a) Horticulture based Industries for Technology Up-gradation/ Establishment/Modernisation of Food Processing Industries (Rs. 41.50 crore) and (b) Milk based Industries for Quality Assurance, Codex Standards and Research and Development for Food Processing Industries (Rs. 2 crore).	43.50	-	43.50
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**			
46 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	**46 Department of Health and Family Welfare**			
(क) (i) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (1) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो विज्ञान संस्थान, बैंगलोर (2 करोड़ रुपए) (2) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन	(a) (i) For Grants-in-aid to (1) National Institute of Mental Health and Neuroscience, Bangalore (Rs. 2 crore), (2) Post Graduate Institute of Medical			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
एंड रिसर्च, चंडीगढ़ को नई मशीनरी और उपस्करों की खरीद और संस्थान के विभिन्न विभागों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (30 करोड़ रुपए) (3) कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति, वर्धा को स्थापना इत्यादि पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (8.48 करोड़ रुपए) (4) लाला रामस्वरूप टीबी और सम्बद्ध रोग संस्थान को स्थापना और सिविल निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (9.63 करोड़ रुपए) (ii) एड्स, टीबी और मलेरिया की वैश्विक निधि के दौर vi के तहत ''राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम'' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (139 करोड़ रुपए) (iii) ''आपात चिकित्सा राहत (बर्ड फ्लू)'' योजना के अन्तर्गत पक्षी इंफ्लूएंजा अभियान के लिए आकस्मिक उपभोज्य वस्तुओं पर और निगरानी प्रयासों की सहायता के लिए व्यय की पूर्ति हेतु (10 करोड़ रुपए)।	Education and Research, Chandigarh, for meeting additional requirements for acquiring new Machinery and Equipments and augmentation of various departments of the Institute (Rs. 30 crore), (3) Kasturba Health Society, Wardha, for meeting additional establishment related expenditure (Rs. 8.48 crore), (4) Lala Ram Sarup Institute of TB and Allied Diseases for meeting additional expenditure on establishment and civil works (Rs. 9.63 crore), (ii) For meeting additional expenditure under the scheme "National AIDS Control Programme" under Round VI of the Global Fund for AIDS, TB and Malaria (Rs. 139 crore) and (iii) For meeting the expenditure under the scheme "Emergency Medical Relief (Avian Flu)" on consumables and to support the Surveillence efforts as contingency for Avian Influenza Operation (Rs. 10 crore).	199.11	-	199.11
(ख) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली को स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (0.29 करोड़ रुपए) (ii) अंतराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई को स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए (0.10 करोड़ रुपए)।	(b) For Grants-in-aid to (i) National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for meeting the additional requirements on establishment related expenditure (Rs. 0.29 crore) and (ii) International Institute for Population Sciences, Mumbai, for meeting the additional requirements on establishment related expenditure (Rs. 0.10 crore).	-	0.39	0.39
47 आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपेथी (आयुष) विभाग	**47 Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)**			
(क) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (1)''केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली'' की दो प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और त्रिवेन्द्रम, विजयवाड़ा, चेन्नै, ताड़ीखेत इत्यादि में अपने भवनों का निर्माण करने के लिए (3.99 करोड़ रुपए) (ii) भद्रक, लखनऊ, सिल्चर, पटना और नई दिल्ली में ''केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली'' के भवनों का निर्माण करने के लिए (2.02 करोड़ रुपए)। (iii)''केन्द्रीय योग और प्राकृतिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली'' को कुछ नई परियोजनाओं/अस्पतालों में अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए (0.22 करोड़ रुपए)।	(a) For Grants-in-aid to (i) "Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, New Delhi" for modernisation of two laboratories and construction of its buildings at Trivandrum, Vijayawada, Chennai, Tarikhet, etc. (Rs. 3.99 crore), (ii) "Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi" for construction of buildings at Bhadrak, Lucknow, Silchar, Patna and New Delhi (Rs. 2.02 crore) and (iii) "Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi" for meeting additional requirements for new Projects/Hospitals (Rs. 0.22 crore).	6.23	-	6.23
(ख) संकाय सदस्य की पेंशन में संशोधन होने की वजह से बकाया राशि का भुगतान (1.90 करोड़ रुपए) तथा (ii) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के कर्मचारियों के वेतन संबंधी अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने और	(b) For Grants-in-aid to (i) National Institute of Ayurveda, Jaipur towards clearance of arrears due to the revision of pension of Faculty and for payment of Non Practice Allowance to the Faculty (Rs. 1.90 crore) and (ii) Central			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण का भुगतान करने हेतु (1.55 करोड़ रुपए) (iii) केन्द्रीय होम्योपेथी अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के सेवानिवृत कर्मचारियों को पेशन भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (1.60 करोड़ रुपए) (iv) केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली को वेतन, सेवानिवृति लाभ और पेंशन संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (3 करोड़ रुपए) तथा (v) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के महंगाई भत्ते में वृद्धि, उपदान के भुगतान और योग कक्षाओं में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.25 करोड़ रुपए)।	Council for Research in Ayurveda & Sidha, New Delhi for meeting additional requirements towards salary and payment of leave encashment to the retiring employees (Rs. 1.55 crore), (iii) Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi for meeting additional requirement for payment of pension to retired employees (Rs. 1.60 crore), (iv) Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi for meeting additional requirement towards salary, terminal benefit and pension (Rs. 3 crore) and (v) Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi for meeting additional expenditure for increase in DA, payment for Gratuity and increase in Yoga Classes (Rs. 0.25 crore).	-	8.30	8.30
गृह मंत्रालय	**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**			
50 गृह मंत्रालय	**50 Ministry of Home Affairs**			
आसूचना ब्यूरो की चालू परियोजना निर्माण कार्य पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	For meeting additional expenditure on works for ongoing project of Intelligence Bureau.	-	2.40	2.40
आवास और शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	**MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION**			
55 आवास और शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	**55 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation**			
कम लागत के स्वच्छता कार्यक्रम के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure under Low Cost Sanitation Programme.	29.99	-	29.99
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**			
56 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	**56 Department of School Education and Literacy**			
(क) निम्नलिखित हेतु (i) नवोदय विद्यालय समिति की निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त आवश्यकता (185 करोड़ रुपए)(ii) बाल केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण/सुधार पर व्यय (1.70 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) additional requirement on construction activities of Navodaya Vidyalaya Samiti (Rs. 185 crore) and (ii) expenditure on strengthening/ improving of Bal Kendras (Rs. 1.70 crore).	186.70	-	186.70
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure in North Eastern Region.	15.00	-	15.00
57 उच्च शिक्षा विभाग	**57 Department of Higher Education**			
(क) 'केन्द्रीय सरकार द्वारा संवर्धित सम विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid to 'Deemed Universities promoted by Central Government'.	2.50	-	2.50
(ख) (i) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (1) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (48.49 करोड़ रुपए) (2) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (261.63 करोड़ रुपए) (3) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (0.55 करोड़ रुपए) (4) भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला (0.25 करोड़ रुपए) (5) शास्त्री भारत-कनाडियाई संस्थान (0.05 करोड़ रुपए) (6) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल,	(b) (i) For Grants-in-aid to (1) University Grants Commission (Rs. 48.49 crore), (2) Central Universities (Rs. 261.63 crore), (3) Indian Council for Historical Research (Rs. 0.55 crore), (4) Indian Institute of Advanced Studies, Shimla (Rs. 0.25 crore), (5) Shastri Indo-Canadian Institute (Rs. 0.05 crore), (6) Kendriya Hindi Shikshan Mandal,			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

	अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण		Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	आगरा (0.80 करोड़ रुपए) (7) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (1.20 करोड़ रुपए) (8) राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट/संस्थान (1.40 करोड़ रुपए), निम्नलिखित हेतु (ii) विदेश जाने वाले भारतीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्तियों की अतिरिक्त आवश्यकता (0.26 करोड़ रुपए) (iii) वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी शब्दावली आयोग (0.10 करोड़ रुपए) (iv) हिन्दी निदेशालय (0.12 करोड़ रुपए) (v) इन स्कीमों में अतिरिक्त आवश्यकता हेतु		Agra (Rs. 0.80 crore), (7) Rashtriya Sanskrit Sansthan (Rs. 1.20 crore), (8) National Book Trust/Institutions (Rs. 1.40 crore), For (ii) additional requirement under the Scheme 'Indian Scholars going abroad against scholarships offered by Foreign Government/Organisations' (Rs. 0.26 crore), (iii) Commission for Scientific and Technical Terminology (Rs. 0.10 crore), (iv) Directorate of Hindi (Rs.0.12 crore), (v) additional requirements under the schemes			
	1. सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण हेतु ''अरोविल प्रबंधन'' (0.34 करोड़ रुपए);		(1) "Auroville Management" for maintenance of public buildings (Rs. 0.34 crore);			
	2. यूनेस्को सम्मेलनों आदि के लिए प्रतिनियुक्ति और शिष्ट मंडल (0.30 करोड़ रुपए);		(2) "Deputation and Delegation to UNESCO Conferences, etc. (Rs. 0.30 crore);			
	3. यूनेस्कों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए समितियों/सम्मेलनों की बैठकों का आयोजन करने और प्रदर्शनी आयोजित करना (0.61 करोड़ रुपए);		(3) "Holding of Meetings of Committees/Conferences and Organisation of exhibition in furtherance of UNESCO's aims and objectives (Rs. 0.61 crore);			
	4. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (0.06 करोड़ रुपए);		(4) National Commission for Minority Educational Institutions (Rs. 0.06 crore);			
	5. संगोष्ठियों, समितियों, बैठकों इत्यादि हेतु (0.03 करोड़ रुपए);		(5) For Seminars, Committees, Meetings etc. (Rs. 0.03 crore);			
	6. विदेश में स्थित शैक्षणिक संस्थानों (0.27 करोड़ रुपए); और		(6) Educational Institutions abroad (Rs. 0.27 crore) and			
	7. यूनाइटेड स्टेटस एजुकेशन फाउंडेशन इन इंडिया को आयकर और सीमा शुल्क की वापसी (1.05 करोड़ रुपए)		(7) "Refund of Income tax and Customs Duty" to United States Education Foundation in India (Rs. 1.05 crore).	-	317.51	317.51
(ग)	(i) 'प्रशिक्षुता प्रशिक्षण छात्रवृत्ति एवं वजीफा कार्यक्रम योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता (0.50 करोड़ रुपए) (ii) 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (29.90 करोड़ रुपए) (2) भारतीय प्रबन्धन संस्थान (1.20 करोड़ रुपए) (3) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर (0.30 करोड़ रुपए) (4) राष्ट्रीय ढलाई एवं भट्ठी प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची (3.15 करोड़ रुपए) (5)भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (1.14 करोड़ रुपए) (6) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई, कोलकाता, कानपुर और चैन्नई (0.65 करोड़ रुपए) (7) अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संघ में भारतीय राष्ट्रीय डिजीटल पुस्तकालय (2 करोड़ रुपए) तथा (8) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (54.54 करोड़ रुपए)।	(c)	(i) Additional requirements under the Scheme 'Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends' (Rs. 0.50 crore), (ii) Grants-in-aid to (1) 'National Institutes of Technology' (Rs. 29.90 crore), (2) Indian Institutes of Management (Rs. 1.20 crore), (3) Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior (Rs. 0.30 crore), (4) National Institute for Foundry and Forge Technology, Ranchi (Rs. 3.15 crore), (5) Indian Institute of Information Technology, Allahabad (Rs. 1.14 crore), (6) Board of Apprenticeship Training, Mumbai, Kolkata, Kanpur and Chennai (Rs. 0.65 crore), (7) Indian National Digital Library in Engineering Science and Technology Consortium (Rs. 2 crore) and (8) Indian Institute of Technology (Rs. 54.54 crore).	-	93.38	93.38

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) सचिवालय सामाजिक सेवाओं में अतिरिक्त आवश्यकता हेतु।	(d) For additional requirements under Secretariat Social Services.	-	3.02	3.02
(ङ.) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार (2.60 करोड़ रुपए) (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर (4.50 करोड़ रुपए)।	(e) Grants-in-aid to (i) Central Institute of Technology, Kokrajhar (Rs. 2.60 crore) and (ii) North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar (Rs. 4.50 crore).	7.10	-	7.10
(च) पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर को सहायता अनुदान।	(f) Grants-in-aid to North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar.	-	0.95	0.95
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**			
58 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	**58 Ministry of Information and Broadcasting**			
(क) बाल फिल्म सोसायटी को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने हेतु (0.42 करोड़ रुपए), भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (1.20 करोड़ रुपए), सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (0.93 करोड़ रुपए), भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली (0.55 करोड़ रुपए) तथा भारतीय प्रेस परिषद (0.18 करोड़ रुपए)।	(a) For providing additional grants to Children's Film Society (Rs. 0.42 crore), Film and Television Institute of India (Rs. 1.20 crore), Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata (Rs. 0.93 crore), Indian Institute of Mass Communication, New Delhi (Rs. 0.55 crore) and Press Council of India (Rs. 0.18 crore).	-	3.28	3.28
(ख) प्रसार भारती को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For providing additional grants to Prasar Bharati.	-	13.38	13.38
(ग) मशीनरी और उपस्कर खरीदने तथा 'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेवा' के लिए प्रमुख कार्यो हेतु।	(c) For purchase of Machinery & Equipment and Major Works for 'Electronic Media Monitoring Service'.	2.90	-	2.90
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**			
59 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	**59 Ministry of Labour and Employment**			
(क) विश्व बैंक सहायता से समर्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना के अंतर्गत आईटीआई के श्रेष्ठ/उन्नत केन्द्रों की स्थापना और प्रशिक्षक प्रशिक्षण विंग/राज्य परियोजना क्रियान्वयन यूनिट/अनुश्रवण और मूल्यांकन इत्यादि केन्द्रों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी करने के लिए।	(a) For release of additional Grants-in-aid to various States for establishment of Centres of Excellance/Upgradation of ITIs and establishment of Instructor Training Wing(ITWs)/State Project Implementation Unit(SPIU)/Monitoring and Evaluation, etc under Vocational Training Improvement Project (VTIP) with World Bank Assistance.	40.00	-	40.00
(ख) श्रम ब्यूरो कार्यालय, चंडीगढ़ के लिए भूमि लागत के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure in connection with the cost of land for Labour Bureau Office at Chandigarh.	3.71	-	3.71
विधि एवं न्याय	**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**			
61 विधि एवं न्याय	**61 Law and Justice**			
	For Grants-in-aid to:			
(क) संघ राज्य सरकारों (विधानमंडल रहित) को न्यायिक अवसंरचना सुविधा पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) Union Territory Governments (without Legislature) for meeting additional expenditure on infrastructural facilities of Judiciary.	1.00	-	1.00
(ख) राज्य सरकारों को न्यायिक अवसंरचना सुविधा पर अतिरिक्त व्यय पूर्ति हेतु।	(b) State Governments for meeting additional expenditure on infrastructural facilities of Judiciary.	54.99	-	54.99

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	**MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY**			
65 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (क) बायोगैस विकास कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत वचनबद्ध देयताओं के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (14 करोड़ रुपए) (ख) राज्य अभिकरणों को सोलर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम के तहत जारी (23.95 करोड़ रुपए) (ग) पवन पम्प कार्यक्रम को सहायता के अन्तर्गत वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु (2.40 करोड़ रुपए) (घ) औद्योगिक अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा के तहत वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु (0.75 करोड़ रुपए) तथा (ड.) राज्य केन्द्रक अभिकरण के तहत वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु (0.40 करोड़ रुपए)।	**65 Ministry of New and Renewable Energy** (a) To meet additional expenditure for committed liabilities under National Programme for Biogas Development programme (Rs. 14 crore), (b) For release to State agencies under Solar Photovoltaic programme (Rs. 23.95 crore), (c) To meet committed liabilities under Assistance to Wind Pump Programme (Rs. 2.40 crore), (d) To meet committed liabilities under Energy from Industrial Waste (Rs. 0.75 crore) and (e) To meet committed liabilities under State Nodal Agency (Rs. 0.40 crore).	41.50	-	41.50
विद्युत मंत्रालय	**MINISTRY OF POWER**			
72 विद्युत मंत्रालय	**72 Ministry of Power**			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के लिए व्यय हेतु।	(a) For expenditure for Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana (RGVY) in North Eastern Region and Sikkim.	240.47	-	240.47
(ख) टिहरी हाइड्रो डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विष्णुगढ़ पीपल कोटी की अनुमोदित परियोजना के लिए इक्विटी प्रदान करने हेतु।	(b) For providing equity to the approved project of Vishnugad Pipalkoti of Tehri Hydro Development Corporation Limited.	60.74	-	60.74
ग्रामीण विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**			
78 ग्रामीण विकास विभाग	**78 Department of Rural Development**			
(क) डीआरडीए प्रशासन के तहत अतिरिक्त व्यय हेतु।	(a) For additional expenditure under DRDA Administration.	38.00	-	38.00
(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एडीबी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अतिरिक्त व्यय हेतु।	(b) For additional expenditure for ADB assisted projects under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.	350.00	-	350.00
79 भूसंसाधन विभाग एकीकृत संभरण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।	**79 Department of Land Resources** For meeting expenditure under the Integrated Watershed Management Programme.	50.00	-	50.00
80 पेय जल आपूर्ति विभाग मल व्ययन और स्वच्छता कार्यक्रम के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।	**80 Department of Drinking Water Supply** For meeting expenditure under the Sewerage and Sanitation Programme.	16.63	-	16.63
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**			
81. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) भारतीय वैज्ञानिक कृषि एसोसिएशन, कोलकाता (7 करोड़ रुपए) (ii) भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलौर (4.85 करोड़ रुपए) (iii) श्री चित्रा तिरूमल आयुर्विज्ञान चिकित्सा और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवअन्तपुरम (2 करोड़ रुपए) (iv) जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर (5 करोड़ रुपए) (v) चूर्ण धातु विज्ञान और नवीन सामग्री के लिए उच्च अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद (6 करोड़ रुपए) (vi) राज्य वेधशाला, नैनीताल (7 करोड़ रुपए) (vii) बांस उत्पाद प्रौद्योगिकी (20 करोड़ रुपए) (viii) अनुसंधान और विकास सहायता (25 करोड़ रुपए) (ix) अन्य देशों के	**81 Department of Science and Technology** For Grants-in-aid to (i) Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata (Rs. 7 crore), (ii) Indian Institute of Astrophysics, Bangalore (Rs. 4.85 crore), (iii) Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram (Rs. 2 crore), (iv) Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore (Rs. 5 crore), (v) Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad (Rs. 6 crore), (vi) State Observatory, Nainital (Rs. 7 crore), (vii) Technology for Bamboo Products			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग (10 करोड़ रुपए) और (x) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता विकास (7 करोड़ रुपए)।	(Rs.20 crore), (viii) Research and Development Support (Rs. 25 crore), (ix) S&T Cooperation with other countries (Rs. 10 crore) and (x) S&T Entrepreneurship Development (Rs. 7 crore).	93.85	-	93.85
82 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	**82 Department of Scientific and Industrial Research**			
(क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बौद्धिक संपदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन के सम्बन्ध में सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(a) For providing Grants-in-aid to Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) towards Intellectual Property and Technology Management.	6.20	-	6.20
(ख) सीएसआईआर प्रशासन को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For providing additional Grants-in-aid to the Administration of the CSIR.	-	10.00	10.00
नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**			
84 नौवहन विभाग	**84 Department of Shipping**			
(क) हल्दिया चैनल के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को अतिरिक्त ड्रेजिंग सब्सिडी प्रदान करने हेतु (20.43 करोड़ रुपये) अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स के लघु कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय प्रदान करने के लिए (1.10 करोड़ रुपये) सामान्य रिजर्व निधि को अन्तरण (1.59 करोड़ रुपये) अवमूल्यन रिजर्व फंड (3 करोड़ रुपये) तथा दीपस्तम्भ व दीप पोत महानिदेशालय द्वारा व्यावसायिक सेवाओं (1.50 करोड़ रुपये) पद अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For providing additional dredging subsidy to Kolkata Port Trust for Haldia Channel (Rs. 20.43 crore), for providing additional expenditure for Minor Works of Andaman Lakshadweep Harbour Works (Rs. 1.10 crore), Transfer to General Reserve Fund (Rs. 1.59 crore), Depreciation Reserve Fund (Rs. 3 crore) and to meet additional expenditure on professional services (Rs. 1.50 crore) by Directorate General of Light Houses and Light Ships.	-	27.62	27.62
(ख) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing additional grants-in-aid to Inland Waterways Authority of India.	-	0.54	0.54
(ग) 70 टन एलएल क्रेन की अधिप्राप्ति के लिए हिन्दूस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की अतिरिक्त आवश्यकता प्रदान करने हेतु।	(c) For providing additional requirement of Hindustan Shipyard Limited for procurement of 70 ton LL Crane.	7.78	-	7.78
85 सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	**85 Department of Road Transport and Highways**			
सीमा सड़क संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के सम्बन्ध में जम्मू व कश्मीर में भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure towards land acquisition in Jammu and Kashmir by Border Roads Organisation in respect of National Highway.	100.00	-	100.00
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**			
86 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्वनाम-लघु उद्योग मंत्रालय	**86 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (Previously Ministry of Small Scale Industries)**			
निम्नलिखित की व्यय की पूर्ति हेतु (क) प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान की गुणवत्ता और सब्सिडियों से सम्बद्ध कार्यक्रम (4.14 करोड़ रुपये) (ख) प्रोत्साहन सेवा संस्थान तथा अन्य प्रभार सम्बन्धी कार्यक्रम (4.73 करोड़ रुपये) (ग) अन्य प्रशासनिक व्ययों पर डाटाबेस का उन्नयन (1.55 करोड़ रुपये)।	For meeting the expenditure of (a) Quality of Technology Support Institution and Programme on Subsidies (Rs. 4.14 crore), (b) Promotional Service Institutions and Programmes on Other Charges (Rs. 4.73 crore) and (c) Updation of Data base on Other Administrative Expenses (Rs. 1.55 crore).	10.42	-	10.42

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION**			
89 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**89 Ministry of Statistics and Programme Implementation**			
भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional establishment related expenditure of Indian Statistical Institute, Kolkata	-	2.50	2.50
कपड़ा मंत्रालय	**MINISTRY OF TEXTILES**			
91 कपड़ा मंत्रालय	**91 Ministry of Textiles**			
(क) निम्नलिखित में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) मिल गेट प्राइस स्कीम योजना (8.50 करोड़ रुपये), (ii) डिजाइन और तकनीकी उन्नयन (1.25 करोड़ रुपये), और (iii) मानव संसाधन विकास (1.52 करोड़ रुपये)।	(a) For meeting additional expenditure under (i) Mill Gate Price Scheme (Rs. 8.50 crore), (ii) Design and Technical Upgradation (Rs. 1.25 crore) and (iii) Human Resource Development (Rs. 1.52 crore).	11.27	-	11.27
(ख) निम्नलिखित में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (232.37 करोड़ रुपये) तथा (ii) कपड़ा प्रबंधन संस्थान (4.18 करोड़ रुपये)।	(b) For meeting additional expenditure under (i) Technology Upgradation Fund Scheme (Rs. 232.37 crore) and (ii) Institute of Textile Management (Rs.4.18 crore).	236.55	-	236.55
(ग) राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure of National Institute of Fashion Technology.	-	0.50	0.50
(घ) बुनकर सेवा केन्द्रों/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारभूत अवसंरचना पर व्यय की पूर्ति के लिए।	(d) For meeting the expenditure on Infrastructure for Weavers' Service Centres/Indian Institutes of Handloom Technology.	1.15	-	1.15
पर्यटन मंत्रालय	**MINISTRY OF TOURISM**			
92 पर्यटन मंत्रालय	**92 Ministry of Tourism**			
होटल प्रबंधन संस्थान/फूड क्राफ्ट संस्थान/भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान/राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी परिषद के लिए केन्द्रीय वित्त सहायता (3 करोड़ रुपये), आवास अवसरंचना के प्रोत्साहन हेतु (4 करोड़ रुपये) और यूएनडीपी के तहत पर्यटन परियोजना के लिए (1 करोड़ रुपये)।	For Central Financial Assistance to Institute of Hotel Management/Food Craft Institute/ Indian Institute of Tourism and Travel Management/National Council for Hotel Management and Catering Technology (Rs. 3 crore), Incentive to Accomomodation Infrastructure (Rs. 4 crore) and Tourism Project under UNDP (Rs. 1 crore).	8.00	-	8.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय	**MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS**			
93 जनजातीय कार्य मंत्रालय	**93 Ministry of Tribal Affairs**			
अनुवीक्षण और और मूल्यांकन योजना के अंतर्गत मूल्यांकन अध्ययनों का संचालन करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों के लिए सहायता अनुदान हेतु।	For grants-in-aid to specialised agencies for conducting Evaluation Studies under the Scheme 'Monitoring and Evaluation'.	0.14	-	0.14
शहरी विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**			
99. शहरी विकास विभाग	**99 Department of Urban Development**			
(क) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सहायता अनुदान।	(a) For Grants-in-aid to Delhi Metro Rail Corporation Limited.	19.40	-	19.40
(ख) अरुणाचल प्रदेश (29.72 करोड़ रुपये), नागालैंड (22.34 करोड़ रुपये), सिक्किम (11.06 करोड़ रुपये), त्रिपुरा (4.58 करोड़ रुपये) तथा असम (22.30 करोड़ रुपये) राज्यों में ढांचागत विकास परियोजनाओं हेतु।	(b) For Infrastructure Development Projects in the States of Arunachal Pradesh (Rs. 29.72 crore), Nagaland (Rs. 22.34 crore), Sikkim (Rs. 11.06 crore), Tripura (Rs. 4.58 crore) and Assam (Rs. 22.30 crore).	90.00	-	90.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**			
103 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	**103 Ministry of Women and Child Development**			
(क) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय लोक सहयोग संस्थान तथा बाल विकास (1.20 करोड़ रुपये) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (0.53 करोड़ रुपये), (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग (0.15 करोड़ रुपये), (iii) राष्ट्रीय महिला आयोग (0.15 करोड़ रुपये)।	(a) For Grants-in-aid to (i) National Institute of Public Cooperation and Child Development (Rs. 1.20 crore), (ii) Central Social Welfare Board (Rs. 0.53 crore), (iii) National Commission for Women (Rs. 0.15 crore).	-	1.88	1.88
(ख) खाद्य एवं पोषण बोर्ड को सहायता अनुदान।	(b) For Grants-in-aid to Food and Nutrition Board.	1.09	-	1.09
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	**MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS**			
104 युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	**104 Ministry of Youth Affairs and Sports**			
(क) निम्नलिखित को अतिरिक्त व्यय हेतु (i) राष्ट्रीय सेवा योजना हेतु (1.35 करोड़ रुपये), (ii) युवा छात्रावास हेतु (0.35 करोड़ रुपये), (iii) अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार (3.50 करोड़ रुपये) (iv) राष्ट्रीय खेल परिसंघ (3 करोड़ रुपये) (v) राष्ट्रमण्डल खेलों हेतु (15 करोड़ रुपये) (vi) साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए (0.50 करोड़ रुपये) (vii) डोप टेस्ट के लिए उपस्करों की खरीद हेतु (4 करोड़ रुपये) तथा (viii) 'राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए भारतीय टीमों की तैयारी' योजना हेतु (10 करोड़ रुपये)।	(a) For additional expenditure (i) for National Service Scheme (Rs. 1.35 crore), (ii) for Youth Hostel (Rs. 0.35 crore), (iii) for Special Awards to Winners in International Sports Events and their Coaches (Rs. 3.50 crore), (iv) for National Sports Federations (Rs. 3 crore), (v) for Commonwealth Games (Rs. 15 crore), (vi) for Promotion of Adventure Activities (Rs. 0.50 crore), (vii) for purchase of equipments for Dope Test (Rs. 4 crore) and (viii) for the scheme "Preparation of Indian Teams for Commonwealth Games" (Rs. 10 crore).	37.70	-	37.70
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर को सहायता अनुदान।	(b) For Grants-in-aid to Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir under National Service Scheme.	4.15	-	4.15
(ग) नेहरु युवा केन्द्र संगठन को सहायता अनुदान (1.67 करोड़ रुपये), भारतीय खेल प्राधिकरण (3.54 करोड़ रुपये) तथा राष्ट्रीय खेल महिला चेम्पियनशिप के संचालन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता हेतु (0.50 करोड़ रुपये)।	(c) For Grants in aid to Nehru Yuva Kendra Sanghathan (Rs. 1.67 crore), Sports Authority of India (Rs. 3.54 crore) and for additional requirement for conducting National Sports Championship for Women (Rs. 0.50 crore).	-	5.71	5.71
(घ) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के तहत सहायता अनुदान हेतु।	(d) For Grants-in-aid under National Discipline Scheme.	-	2.67	2.67
जोड़ सांकेतिक	**Total Token**	**0.54**	**0.29**	**0.83**
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	***17,994.05***	***122,384.86***	***140,378.91***
निवल नकद व्यय	**Net Cash Outgo**	**5,581.09**	**37,478.83**	**43,059.92**
तकनीकी पूरक	**Technical Supplementary**	**12,412.42**	**84,905.74**	**97,318.16**
सांकेतिक पूरक	**Token Supplementary**	**0.54**	**0.29**	**0.83**

विषय सूची
CONTENTS

(करोड़ रुपए Rupees in crore)

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि मंत्रालय		**MINISTRY OF AGRICULTURE**					
1. कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	321.25	0.02	321.27	1-2
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.02	...	0.02	3
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्वनाम-एग्रो तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय)		**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (Previously MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES)**					
4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्वनाम-एग्रो तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय)	स्वीकृत	4. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (Previously Ministry of Agro and Rural Industries)	Voted	0.01	...	0.01	4
परमाणु ऊर्जा विभाग		**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**					
5. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	5. Atomic Energy	Voted	64.96	0.01	64.97	5-6
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS**					
7. रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	स्वीकृत	7. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	0.01	25.17	25.18	7
8. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	8. Department of Fertilisers	Voted	4,000.00	...	4,000.00	8
नागर विमानन मंत्रालय		**MINISTRY OF CIVIL AVIATION**					
9. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	132.40	...	132.40	9
कोयला मंत्रालय		**MINISTRY OF COAL**					
10. कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	10. Ministry of Coal	Voted	6.81	...	6.81	10
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**					
11. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	11. Department of Commerce	Voted	0.03	...	0.03	11
12. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	12. Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	435.12	...	435.12	12
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**					
13. डाक विभाग	*भारित*	13. Department of Posts	*Charged*	*0.18*	...	*0.18*	13
	स्वीकृत		Voted	54.22	...	54.22	
14. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	14. Department of Telecommunications	Voted	0.01	...	0.01	14
15. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	15. Department of Information Technology	Voted	0.02	...	0.02	15
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**					
18. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	18. Department of Food and Public Distribution	Voted	5,836.87	2.92	5,839.79	16-17

(करोड़ रुपए *Rupees in crore)*

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
संस्कृति मंत्रालय		**MINISTRY OF CULTURE**					
19. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	10.02	...	10.02	18-19
रक्षा मंत्रालय		**MINISTRY OF DEFENCE**					
20. रक्षा मंत्रालय	*भारित*	20. Ministry of Defence	*Charged*	...	*0.40*	*0.40*	20
	स्वीकृत		Voted	229.79	...	229.79	
21. रक्षा पेंशन	स्वीकृत	21. Defence Pensions	Voted	595.00	...	595.00	21
22. रक्षा सेवा-थल सेना	स्वीकृत	22. Defence Services - Army	Voted	232.22	...	232.22	22
23. रक्षा सेवा-नौसेना	स्वीकृत	23. Defence Services - Navy	Voted	60.11	...	60.11	23
24. रक्षा सेवा-वायु सेना	*भारित*	24. Defence Services - Air Force	*Charged*	*0.40*	...	*0.40*	24
	स्वीकृत		Voted	298.21	...	298.21	
25. रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	*भारित*	25. Defence Ordnance Factories	*Charged*	*0.30*	...	*0.30*	25
	स्वीकृत		Voted	193.93	...	193.93	
26. रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	स्वीकृत	26. Defence Services - Research and Development	Voted	23.09	...	23.09	26
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		**MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION**					
28. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	37.16	1.75	38.91	27
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		**MINISTRY OF EARTH SCIENCES**					
29. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	*भारित*	29. Ministry of Earth Sciences	*Charged*	*0.10*	...	*0.10*	28-29
	स्वीकृत		Voted	0.03	0.01	0.04	
पर्यावरण और वन मंत्रालय		**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**					
30. पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	30. Ministry of Environment and Forests	Voted	100.28	...	100.28	30-31
विदेश मंत्रालय		**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**					
31. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	31. Ministry of External Affairs	Voted	316.28	...	316.28	32
वित्त मंत्रालय		**MINISTRY OF FINANCE**					
32. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	32. Department of Economic Affairs	Voted	455.63	6,259.39	6,715.02	33-34
33. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	स्वीकृत	33. Payments to Financial Institutions	Voted	11,536.76	10,100.01	21,636.77	35-36
34. विनियोग-ब्याज अदायगियां	*भारित*	34. Appropriation-Interest Payments	*Charged*	*12,307.25*	...	12,307.25	37
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	*भारित*	35. Transfers to State and Union territory Governments	*Charged*	...	*634.67*	*634.67*	38-39
	स्वीकृत		Voted	8,296.60	...	8,296.60	
37. विनियोग-ऋणों की वापसी अदायगी	*भारित*	37. Appropriation - Repayment of Debt	*Charged*	...	*62,573.17*	62,573.17	40
39. पेंशन	*भारित*	39. Pensions	*Charged*	*3.60*	...	*3.60*	41
	स्वीकृत		Voted	1287.00	...	1287.00	
40. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	स्वीकृत	40. Indian Audit and Accounts Department	Voted	12.98	...	12.98	42
41. राजस्व विभाग	स्वीकृत	41. Department of Revenue	Voted	539.48	...	539.48	43
42. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	42. Direct Taxes	Voted	220.70	29.72	250.42	44
43. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	43. Indirect Taxes	Voted	59.70	0.01	59.71	45
44. विनिवेश विभाग	स्वीकृत	44. Department of Disinvestment	Voted	4.00	0.01	4.01	46
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		**MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES**					
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	45. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01	...	0.01	47
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**					
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	46. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.02	11.95	11.97	48-49

(करोड़ रुपए Rupees in crore)

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
47. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत	47. Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.02	...	0.02	50-51
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES**					
48. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	48. Department of Heavy Industry	Voted	7.26	165.76	173.02	52
गृह मंत्रालय		**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**					
50. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	50. Ministry of Home Affairs	Voted	10.27	0.01	10.28	53-54
51. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	51. Cabinet	Voted	2.96	0.26	3.22	55
52. पुलिस	*भारित*	52. Police	*Charged*	*0.65*	...	*0.65*	56-57
	स्वीकृत		Voted	324.89	...	324.89	
53. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	स्वीकृत	53. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Voted	319.40	...	319.40	58
54. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	स्वीकृत	54. Transfers to Union territory Governments	Voted	55.64	...	55.64	59
आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		**MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION**					
55. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	स्वीकृत	55. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	Voted	0.01	...	0.01	60
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**					
56. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	56. Department of School Education and Literacy	Voted	49.12	...	49.12	61-62
57. उच्च शिक्षा विभाग	स्वीकृत	57. Department of Higher Education	Voted	0.06	...	0.06	63-65
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**					
58. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	58. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.02	0.01	0.03	66
श्रम और रोजगार मंत्रालय		**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**					
59. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Labour and Employment	Voted	88.63	0.01	88.64	67
विधि और न्याय मंत्रालय		**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**					
60. निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	60. Election Commission	Voted	1.00	...	1.00	68
61. विधि और न्याय	स्वीकृत	61. Law and Justice	Voted	0.02	...	0.02	69
62. विनियोग-भारत का सर्वोच्च न्यायालय	*भारित*	62. Appropriation-Supreme Court of India	*Charged*	*3.48*	...	*3.48*	70
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		**MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY**					
65. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	65. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01	...	0.01	71
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**					
69. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	*भारित*	69. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	*Charged*	*2.24*	...	*2.24*	72
	स्वीकृत		Voted	6.46	...	6.46	

(करोड़ रुपए *Rupees in crore)*

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**					
70. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	70. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	9,326.09	...	9,326.09	73
विद्युत मंत्रालय		**MINISTRY OF POWER**					
72. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	72. Ministry of Power	Voted	2.27	0.01	2.28	74
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय		**THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT**					
73. विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारी वृंद, आवास एवं भत्ते	भारित	73. Appropriation-Staff, Household and Allowances of the President	*Charged*	*1.73*	...	*1.73*	75
75. राज्य सभा	*भारित*	75. Rajya Sabha	*Charged*	*0.08*	...	*0.08*	76
ग्रामीण विकास मंत्रालय		**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**					
78. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	78. Department of Rural Development	Voted	980.66	...	980.66	77
79. भूमि संसाधन विभाग	स्वीकृत	79. Department of Land Resources	Voted	0.01	...	0.01	78
80. पेय जलापूर्ति विभाग	स्वीकृत	80. Department of Drinking Water Supply	Voted	0.01	...	0.01	79
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**					
81. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	81. Department of Science and Technology	Voted	0.01	1.95	1.96	80
82. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	82. Department of Scientific and Industrial Research	Voted	0.02	0.20	0.22	81
83. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	83. Department of Biotechnology	Voted	8.30	...	8.30	82-83
नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**					
84. नौवहन विभाग	स्वीकृत	84. Department of Shipping	Voted	0.02	0.01	0.03	84-85
85. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	*भारित*	85. Department of Road Transport and Highways	*Charged*	...	*0.50*	0.50	86-87
	स्वीकृत		Voted	161.88	0.01	161.89	
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय		**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**					
86. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	86. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.01	...	0.01	88
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**					
87. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	87. Ministry of Social Justice and Empowerment	Voted	0.83	...	0.83	89
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		**MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION**					
89. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	89. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.01	...	0.01	90
इस्पात मंत्रालय		**MINISTRY OF STEEL**					
90. इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	90. Ministry of Steel	Voted	...	5.00	5.00	91

(करोड़ रुपए Rupees in crore)

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कपड़ा मंत्रालय		**MINISTRY OF TEXTILES**					
91. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	91. Ministry of Textiles	Voted	509.68	0.01	509.69	92
पर्यटन मंत्रालय		**MINISTRY OF TOURISM**					
92. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Tourism	Voted	0.01	1.50	1.51	93
जनजाति कार्य मंत्रालय		**MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS**					
93. जनजाति कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	93. Ministry of Tribal Affairs	Voted	0.01	...	0.01	94
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)		**UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE**					
94. अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्वीकृत	94. Andaman and Nicobar Islands	Voted	99.00	1.00	100.00	95-96
95. चंड़ीगढ़	*भारित*	95. Chandigarh	*Charged*	*4.35*	...	*4.35*	97-102
	स्वीकृत		Voted	93.57	41.08	134.65	
96. दादरा और नगर हवेली	स्वीकृत	96. Dadra and Nagar Haveli	Voted	16.32	9.90	26.22	103-105
97. दमन और दीव	स्वीकृत	97. Daman and Diu	Voted	129.50	11.50	141.00	106-108
97. लक्षद्वीप	स्वीकृत	98. Lakshadweep	Voted	32.77	...	32.77	109-110
शहरी विकास मंत्रालय		**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**					
99. शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	99. Department of Urban Development	Voted	0.02	589.06	589.08	111-112
महिला और बाल विकास मंत्रालय		**MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**					
103. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	103. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.02	...	0.02	113
युवा मामले और खेल मंत्रालय		**MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS**					
104. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	104. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.04	...	0.04	114-115
कुल जोड़		***GRAND TOTAL***		***59,911.92***	***80,466.99***	***1,40,378.91***	
	भारित		*Charged*	*12,324.36*	*63,208.74*	*75,533.10*	
	स्वीकृत		Voted	47,587.56	17,258.25	64,845.81	
अनुबंध		**ANNEXURE**					116-142

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1, वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 देखिए)।

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 1-2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08 and page 1-2 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	...	*214.80*	*214.80*
	स्वीकृत		Voted:	5650.91	81.50	5732.41
पूरक अनुदान		*SUPPLEMENTARY GRANTS:*				
	भारित		*Charged:*	*0.01*	...	*0.01*
	स्वीकृत		Voted:	1867.96	...	1867.96
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	321.25	0.02	321.27
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**7840.13**	**296.32**	**8136.45**
	भारित		*Charged:*	*0.01*	*214.80*	*214.81*
	स्वीकृत		Voted:	7840.12	81.52	7921.64

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग **मुख्य शीर्ष**		*REVENUE SECTION* **MAJOR HEAD**				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:	21.22 (कa)	100.00 (खb)	121.22
2425-सहकारिता	स्वीकृत	2425-Cooperation	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	स्वीकृत	2435-Other Agricultural Programmes	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	200.00 (चf)	...	200.00
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total Revenue Section**	**Voted:**	**221.25**	**100.00**	**321.25**
पूंजी भाग **मुख्य शीर्ष**		*CAPITAL SECTION* **MAJOR HEAD**				
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	Voted:	0.01 (छg)	...	0.01
6425-सहकारिता के लिए ऋण	स्वीकृत	6425-Loans for Cooperation	Voted:	0.01 (जh)	...	0.01
जोड़ पूंजी भाग	**स्वीकृत**	**Total Revenue Section**	**Voted:**	**0.02**	**...**	**0.02**
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**221.27**	**100.00**	**321.27**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है :

(क) (i) निगम की कर्मचारी भविष्य निधि देयताओं (21.21 करोड़ रुपये) के निपटान हेतु भारतीय राज्य फार्म निगम लि. को सहायता अनुदान। इसमें नकद व्यय होगा।

(ii) 'बीजों' के उत्पादन और संवितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता अनुदान (109.00 करोड़ रुपये); राष्ट्रीय आर्गेनिक खेती प्रोत्साहन परियोजना के लिए सहायता अनुदान (3.00 करोड़ रुपये); राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृषि बीमा कंपनी को अंशदान (218.88 करोड़ रुपये); कृषि आर्थिक नीति और विकास के लिए निवेश पर अध्ययन के लिए सहायता अनुदान (2.50 करोड़ रुपये); समन्वित तिलहन/आयल पाम/दालों तथा मक्का के विकास के लिए सहायता अनुदान (21 करोड़ रुपये); राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपए); और भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने हेतु सक्षमता का निर्माण करने के लिए सहायता अनुदान (0.20 करोड़ रुपये)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(ख) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के रबी मौसम के दौरान सरसों के समर्थन मूल्यों के परिचालन के तहत सरसों के बीजों की खरीद/निपटान करने पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ लि. की हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

(ग) शिक्षा और प्रशिक्षण योजना के पुनर्गठन हेतु सहायता अनुदान (3.94 करोड़ रुपये)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(घ) (i) राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (1.71 करोड़ रुपये); क्षमता निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को विदेशी सहायता को मंजूर कराने के लिए (1.47 करोड़ रुपये) और (iii) विपणन, बाजार अवसंरचना का विकास, ग्रेडिंग तथा बाजार मानकीकरण (57.86 करोड़ रुपये) के लिए सहायता अनुदान। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(ङ) बीजों के उत्पादन और संवितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण (15.80 करोड़ रुपये); (ii) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बागवानी के समन्वित विकास के प्रौद्योगिकी मिशन (25 करोड़ रुपये); और (iii) राष्ट्रीय बांस मिशन (19.27 करोड़ रुपये) के लिए सहायता अनुदान। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(च) कृषि हेतु राज्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के क्रियान्वयन के तहत निधियां प्रदान करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(छ) 'कीटनाशी अधिनियम के क्रियान्वयन' के लिए (1.50 करोड़ रुपये)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(ज) भूमि विकास बैंकों को ऋण के लिए (14 करोड़ रुपये)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) (i) Grants-in-aid to State Farms Corporation of India Ltd. (SFC1) for settlement of employees provident fund liabilities of the Corporation (Rs.21.21 crore). This will entail cash outgo.

(ii) Grants-in-aid for Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for production and distribution of seeds (Rs. 109.00 crore); Grants-in-aid to National Project on Promotion of Organic Farming (Rs. 3.00 crore); Contribution to Agriculture Insurance Company for implementing National Agricultural Insurance Schemes (NAIS) (Rs. 218.88 crore); Grants-in-aid for Studies on input for Agricultural Economic Policy & Development (Rs.2.50 crore); Grants-in-aid for Integrated Oilseed/Oilpalm/Pulses and Maize Development (Rs. 21 crore); Grants-in-aid to National Horticulture Board (Rs. 10.00 crore); and Grants-in-aid for Capacity building to enhance competitiveness of Indian Agriculture (Rs. 0.20 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) For reimbursement of losses to National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) on procurement/disposal of mustard seeds under Price Support Operations for Mustard during Rabi 2005-06 and 2006-07. This will entail cash outgo.

(c) Grants-in-aid for Restructured Scheme of Education and Training (Rs. 3.94 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) Grants-in-aid for (i) National Institute of Agricultural Marketing (Rs. 1.71 crore); (ii) For passing on external aid to National Institute of Agricultural Marketing (NIAM) for capacity building (Rs. 1.47 crore); and (iii) Marketing, Development of Market Infrastructure, Grading and Market Standardization (Rs. 57.86 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e) Grants-in-aid for (i) Development and Strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds (Rs. 15.80 crore); (ii) Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh & Uttarakhand (Rs.25 crore); and (iii) National Bamboo Mission (Rs. 19.27 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(f) For providing funds under implementation of Additional Central Assistance Scheme to state Plans for Agriculture (Rashtriya Krishi Vikas Yojana). This will entail cash outgo.

(g) For Implementation of Insecticides Act (Rs. 1.50 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(h) For Loans to Land Development Banks (Rs. 14 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2, और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 3-4 देखिए)। (See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 3-4 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	2460.00	...	2460.00
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	96.00	96.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**2460.03**	**96.00**	**2556.03**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत	2415-Agricultural Research and Education	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु मांगा गया हैः

(क) कृषि-वानिकी अनुसंधान (6.47 करोड़ रुपए) सहित बागवानी (5.60 करोड़ रुपए), कृषि विस्तार (44.50 करोड़ रुपए), कृषि शिक्षा (4.60 करोड़ रुपए) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थानों को सहायता अनुदान।

(ख) फसल विज्ञान (14.71 करोड़ रुपए), बागवानी (12.51 करोड़ रुपए) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड और कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय सहित मुख्यालय प्रशासन (26.47 करोड़ रुपए), कृषि विस्तार (0.15 करोड़ रुपए), कृषि शिक्षा (1.60 करोड़ रुपए), आर्थिक सांख्यिकी और प्रबंधन (0.64 करोड़ रुपए), कृषि इंजीनियरिंग (4.94 करोड़ रुपए), मृदा एवं जल-संरक्षण अनुसंधान संस्थान (1.21 करोड़ रुपए), कृषि वानिकी अनुसंधान सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (9.42 करोड़ रुपए), पशु-पालन (12.19 करोड़ रुपए) और मात्स्यिकी (5.16 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) Grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research (ICAR) under Horticulture (Rs.5.60 crore), Agricultural Extension (Rs. 44.50 crore). Agricultural Education (Rs. 4.60 crore) and Other Natural Resource Management Institutes including Agro-Forestry Research (Rs. 6.47 crore).

(b) Grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research (ICAR) under Crop Science (Rs. 14.71 crore), Horticulture (Rs. 12.51 crore), Indian Council of Agricultural Research (ICAR) Headquarters Administration including Agricultural Scientists Recruitment Board (ASRB) & Directorate of Information and Publication of Agriculture (DIPA) (Rs. 26.47 crore), Agricultural Extension (Rs. 0.15 crore), Agricultural Education (Rs. 1.60 crore), Economic Statistics and Management (Rs. 0.64 crore), Agricultural Engineering (Rs. 4.94 crore), Soil & Water Conservation Research Institute (Rs. 1.21 crore), Other Natural Resource Management Institutes including Agro-Forestry Research (Rs. 9.42 crore), Animal Husbandary (Rs. 12.19 crore) and Fisheries (Rs. 5.16 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 4

सूक्ष्म,लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय
(पूर्वनाम-एग्रो और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय)
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(Previously-Ministry of Agro and Rural Industries)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिए)।
(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	1194.32	5.31	1199.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**1194.33**	**5.31**	**1199.64**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2851-ग्रामीण और लघु उद्योग	स्वीकृत	2851- Village and Small Industries	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की मांग खादी पर छूट के दावों का निपटान करने के लिए की गयी है (0.90 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for settling the claims of rebate on Khadi (Rs.0.90 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.5

परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5, वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिए)।

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008 and page 6 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*4.10*	...	*4.10*
	स्वीकृत		Voted:	2457.45	2154.01	4611.46
I. पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	...	*17.41*	*17.41*
	स्वीकृत		Voted:	0.01	0.02	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	64.96	0.01	64.97
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**2526.52**	**2171.45**	**4697.97**
	भारित		*Charged:*	*4.10*	*17.41*	*21.51*
	स्वीकृत		Voted:	2522.42	2154.04	4676.46

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451- Secretariat-Economic Services	Voted:	...	0.21 (कa)	0.21
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852- Industries	Voted:	...	33.73 (खb)	33.73
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत	3401- Atomic Energy Research	Voted:	0.01 (गc)	31.01 (घd)	31.02
जोड़ -राजस्व भाग		**Total -Revenue Section**		**0.01**	**64.95**	**64.96**
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4861- Capital Outlay on Atomic Energy Industries	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.02**	**64.95**	**64.97**

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु की गयी हैः-

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय के स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.21 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

(ख) नाभिकीय ईंधन परिसर के लिए आपूर्ति और सामग्री पर होने वाले व्यय (28 करोड़ रुपये) की पूर्ति हेतु तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लघु निर्माण कार्य (5.73 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जायेगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) प्लान परियोजनाओं हेतु टाटा इंस्टीट्युट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु (i) सीएमएस एक्सपेरिमेंटल डाटा के लिए ग्रिड कम्प्युटिंग फेसिलिटी, और इसका प्रचालन तथा रख-रखाव (3.87करोड़ रुपए), (ii) थ्योरीटिकल फिजिक्स स्पेशल प्रोग्राम (1.05 करोड़ रुपए), (iii) अनुसंधान सुविधाएं (6.52 करोड़ रुपए), (iv) सामान्य सेवाएं (1.50 करोड़ रुपए), (v) संघनित

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) To meet the establishment expenditure of Department of Atomic Energy, Secretariat (Rs.0.21 crore),

(b) To meet the expenditure on supplies and materials for Nuclear Fuel Complex (Rs.28 crore) and minor works for Bhabha Atomic Research Centre (Rs.5.73 crore).

As an equivalent amount will be surrendered from Capital Section of the Grant, this will not entail any cash outgo.

(c) To meet the expenditure on additional grants-in-aid for Tata Institute of Fundamental Research for the Plan Projects (i) Grid Computing Facility for CMS Experimental Data and its operation and maintenance (Rs.3.87 crore), (ii) Theoretical Physics Special Programmes (Rs.1.05 crore), (iii) Research Facilities (Rs.6.52 crore), (iv) Common Services (Rs.1.50 crore),

सामग्री-II (नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी) 2.90 करोड़ रुपए और (vi) एनसीबीएस चरण-II तथा III (8.18 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान में उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

(घ) निम्नलिखित को अतिरिक्त सहायता अनुदान सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु (i) टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च (15 करोड़ रुपए); (ii) शाह इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स (5.60 करोड़ रुपए); (iii) टाटा मैमोरियल सेंटर (6.10 करोड़ रुपए); (iv) इंस्टीट्यूट आफ फिजिक्स (1 करोड़ रुपए); (v) इंस्टीट्यूट आफ मैथमेटिकल साइंस (1.31 करोड़ रुपए) और (vi) हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान (2 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जायेगी, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ङ) तुम्मालापल्लि स्थित प्रोजेक्ट यूरेनियम ओर माइनिंग एंड प्रोसैसिंग प्रोजेक्ट के लिए भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड में निवेश करने के लिए (39 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान में उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

(v) Condensed Matter II (Nano Science & Technology) (Rs.2.90 crore) and (vi) NCBS Phase II & III (Rs.8.18 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementary is sought.

(d) To meet the expenditure on additional grants-in-aid to (i) Tata Institute of Fundamental Research (Rs.15 crore); (ii) Saha Institute of Nuclear Physics (Rs.5.60 crore), (iii) Tata Memorial Centre (Rs.6.10 crore), (iv) Institute of Physics (Rs.1 crore), (v) Institute of Mathematical Sciences (Rs.1.31 crore) and (vi) Harish Chandra Research Institute (Rs.2 crore).

As an equivalent amount will be surrendered from Capital Section of the Grant, this will not entail any cash outgo.

(e) For investment in Uranium Corporation of India Limited (Rs.39 crore) for the Project Uranium Ore Mining and Processing Project at Tummalapallie.

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.7

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग
DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिए)।
(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	198.50	58.50	257.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	25.17	25.18
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**198.51**	**83.67**	**282.18**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	...	0.01 (कa)	0.01
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
6857-रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत	6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	Voted:	25.17 (खb)	...	25.17
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**		**25.17**	**0.01**	**25.18**
	स्वीकृत		Voted:	25.17	0.01	25.18

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया हैः-

(क) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (0.71 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक माँगा गया है।

(ख) हिन्दुस्तान ऑर्गनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) (5.00 करोड़ रुपए) और हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) (20.17 करोड़ रुपए) के लिए निधियों के संवर्धन के लिए। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:-

(a) Grant-in-aid to National Institute of Pharmaceuticals Education & Research (NIPER) (Rs.0.71 crore). Since savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Augmentation of funds for Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) (Rs.5.00 crore) and Hindustan Antibiotics Limited (HAL) (Rs.20.17 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue section of the Grant, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 8

उर्वरक विभाग
DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिए)।
(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	24543.57	56.68	24600.25
I. पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	15000.00	...	15000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	4000.00	...	4000.00
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**43543.57**	**56.68**	**43600.25**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:	...	3750.00 (कa)	3750.00
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	...	250.00 (खb)	250.00
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**4000.00**	**4000.00**

टिप्पणीः *उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।*

Note: *The above estimates of additional requirments do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.*

राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:	...	(-)163.30	(-)163.30

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित हैः-

(क) (i) आयातित यूरिया पर सब्सिडी (1663.30 करोड़ रुपये)।
(ii) घरेलू विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (1386.70 करोड़ रुपये)।
(iii) आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (700 करोड़ रुपये)।

(ख) (i) नाइट्रोजनी उर्वरकों पर सब्सिडी (50 करोड़ रुपये)।
(ii) फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल ट्रावंकोर लि. (एफएसीटी) के सतत संचालन के लिए सहायता अनुदान (200 करोड़ रुपये)।

163.30 करोड़ रुपये की वसूलियों को खाते में लेने के बाद, इसमें 3836.70 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

This supplementary grant is required for the following purposes:-

(a) (i) subsidy on imported fertilizers (Rs.1663.30 crore).
(ii) subsidy on indigenous decontrolled fertilisers (Rs.1386.70 crore).
(iii) subsidy on imported decontrolled fertilisers (Rs.700 crore).

(b) (i) subsidy on nitrogenous fertilisers (Rs.50 crore).
(ii) grants-in-aid for sustaining the operations of Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. (FACT) (Rs.200 crore).

After taking into account the recoveries (Rs.163.30 crore) this will entail a cash outgo of Rs.3836.70 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.9

नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9, वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 तथा वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिए)।

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 5 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008 and page 7 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	475.60	142.00	617.60
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	548.01	0.01	548.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	132.40	...	132.40
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**1156.01**	**142.01**	**1298.02**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat Economic Services	Voted:	...	0.83 (क a)	0.83
3053-नागर निमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation	Voted:	...	131.57 (ख b)	131.57
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**132.40**	**132.40**

पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए मांगा गया हैः-

(क) अन्य सचिवालय व्यय (0.83 करोड़ रुपए) के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

(ख) हज चार्टरों के संचालन (139.87 करोड़ रुपए) और अन्य सचिवालय व्ययों की पूर्ति हेतु (1.70 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों द्वारा 30.00 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए राजस्व भाग से, 101.57 करोड़ रुपए की शेष राशि का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for following purpose:-

(a) For meeting additional expenditure on account of Other Secretariat Expenditure (Rs. 0.83 crore). This will entail net cash outgo.

(b) For payment to Air India towards operation of Haj Charters (Rs. 139.87 crore) and for meeting expenditure of Other Secretariat Expenditure (Rs. 1.70 crore). As an amount of Rs. 30.00 crore will be met from savings in the Capital Section of the Grant and Rs. 10 crore from the Revenue Section of the Grant, the balance amount of Rs. 101.57 crore will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 10

कोयला मंत्रालय
MINISTRY OF COAL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)।
(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 8 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	288.00	30.00	318.00
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	127.19	...	127.19
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	6.81	...	6.81
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**422.00**	**30.00**	**452.00**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2230-श्रम और रोजगार	स्वीकृत	2230-Labour and Employment	Voted:	...	6.81	6.81

इन पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है (क) कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना (सीएमडीएलआईएस) (0.13 करोड़ रुपए, (ख) सीएमडीएलआईएस की एवज में प्रशासनिक प्रभार की प्रतिपूर्ति (0.04 करोड़ रुपए) (ग) कोयला खान पेंशन योजना, 1998 (सीएमपीएस) के अन्तर्गत पेंशन तथा अनुग्रह निधि के लिए सरकारी अंशदान की हिस्सेदारी (6.02 करोड़ रुपए), और (घ) सीएमपीएस के अन्तर्गत प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति (1.00 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतों का उपयोग करने के बाद इसमें 6.81 करोड़ रुपए निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for (a) Government's contributions under Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme (CMDLIS) (Rs 0.13 crore), (b) Reimbursement of Administration Charges towards CMDLIS (Rs 0.04 crore), (c) Government share of contribution to Pension-cum-Ex-Gratia Fund under Coal Mines Pension Scheme, 1998 (CMPS)(Rs 6.02 crore), and (d) Reimbursement of Administration Charges under CMPS (Rs 1.00 crore). After utilizing the savings within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs 6.81 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.11

वाणिज्य विभाग
DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11, वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 तथा वर्ष 2007-08 की अनुदानों की दूसरी मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)।

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 6 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008 and page 9 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.50*	...	*0.50*
	स्वीकृत		Voted:	1887.70	707.00	2594.70
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	1200.01	29.79	1229.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**3088.24**	**736.79**	**3825.03**
	भारित		*Charged:*	*0.50*	...	*0.50*
	स्वीकृत		Voted:	3087.74	736.79	3824.53

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2407-बागान	स्वीकृत	2407-Plantations	Voted:	0.01 (कa)	...	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
3453-विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	स्वीकृत	3453-Foreign Trade and Export Promotion	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total Revenue Section**	**Voted:**	**0.03**	**...**	**0.03**

इन पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु हैः

(क) इलायची बागान का पुनः रोपण तथा नवीकरण हेतु निधि (3.00 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने के लिए ।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय के लिए रबड़ बोर्ड को अतिरिक्त निधियां (2.50 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने के लिए।

(ग) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विशेष पुष्पोत्पादन पुनर्वास निधि के सम्बन्ध में निर्यात विकास प्राधिकरण को निधियां (10.00 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने के लिए।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) To provide funds for Replantation & Rejuvenation of Cardamom Plantations (Rs 3.00 crore).

(b) To provide additional funds to Rubber Board for expenditure in the North Eastern Region (Rs 2.50 crore).

(c) To provide funds to Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority for Special Floriculture Rehabilitation Fund (Rs 10.00 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO.12

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12, वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ सं.7 तथा वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ सं.11 देखिए)।
(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 7 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008 and page 11 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	613.46	...	613.46
पूरक अनुदानः		***SUPPLEMENTARY GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	5.00	5.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	435.12	...	435.12
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1048.59**	**5.00**	**1053.59**
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	1048.59	5.00	1053.59

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2852-उद्योग		2852-Industries	Voted:		2.77 (कa)	2.77
2885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	स्वीकृत	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	Voted:	432.35 (खb)	...	432.35
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**432.35**	**2.77**	**435.12**

यह पूरक अनुदान निम्न उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है;

(क) भविष्य निधि भुगतान के सांविधिक दायित्व को पूरा करने हेतु "राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद" को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने संबंधी 2.77 करोड़ रुपए।

(ख) बकाया दावों को निपटाने के लिए परिवहन सब्सिडि के तहत 554.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि प्रदान करने सम्बन्धी 432.35 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान। 121.63 करोड़ रुपए की शेष राशि अनुदान में उपलब्ध बचतों के माध्यम से पूरी की जागी।

उपर्युक्त पूरकों में 435.12 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) Rs.2.77 crore towards providing additional grants-in-aid to 'National Productivity Council' for meeting statutory obligations of Provident Fund payment.

(b) Supplementary grant of Rs.432.35 crore is sought to provide additional fund of Rs.554.00 crore under Transport Subsidy to settle the pending claims. Balance amount of Rs.121.63 crore will be met from the savings available within the grant.

The above supplementaries will entail a cash outgo of Rs.435.12 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 13

डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिए)। (See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 12 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.10*	...	*0.10*
	स्वीकृत		Voted:	7237.29	232.22	7469.51
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		*Charged:*	...	*0.17*	*0.17*
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	*0.18*	...	*0.18*
	स्वीकृत		Voted:	54.22	...	54.22
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**7291.79**	**232.39**	**7524.18**
	भारित		*Charged:*	*0.28*	*0.17*	*0.45*
	स्वीकृत		Voted:	7291.51	232.22	7523.73

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary grant/appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3201-डाक सेवाएं		3201-Postal Services				
	भारित		*Charged:*	...	*0.18 (क a)*	*0.18*
	स्वीकृत		Voted:	...	54.22 (ख b)	54.22
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**		**...**	**54.40**	**54.40**
	भारित		*Charged:*	...	*0.18*	*0.18*
	स्वीकृत		Voted:	...	54.22	54.22

टिप्पणीः *उपर्युक्त अनुमानों में दर्शाई गई निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।*

Note: *The above estimates do not include the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.*

राजस्व भाग	**REVENUE SECTION**			
मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEAD**			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services	...	(-)77.75	(-)77.75

इस पूरक अनुदान/विनियोग का अनुरोध निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया गया है:

(क) विभागीय डाक मोटर सेवा के तहत न्यायालय के आदेशों की वजह से किए जाने वाले भुगतानों (0.12 करोड़ रुपये) और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत पेंशनर प्रभार (0.06 करोड़ रुपये) के लिए को पूरा करने के भुगतान लिए।

(ख) मुख्य रूप से रेल को देय वेतन,मजदूरी, ढुलाई प्रभारों, बचत बैंक/बचत प्रमाणपत्र कार्यों के लिए लेखन सामग्री के मुद्रण और विभागीय मुद्रणालय के लिए (54.22 करोड़ रुपये)।

ईन अतिरिक्त प्राप्तियों (209.61 करोड़ रुपये) और वसूलियां (77.75 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेने के बाद, इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

(a) for meeting payment arising out of court decrees under departmental mail motor service (Rs.0.12 crore) and pensionary charges under Workman Compensation Act, 1923 (Rs. 0.06 crore).

(b) for meeting additional expenditure, mainly, towards salaries, wages, haulage charges payable to Railways, printing of stationery for Savings Bank/Saving Certificate operations and Departmental Printing Press (Rs.54.22 crore).

After taking into account the additional receipts (Rs.209.61 crore) and recoveries (Rs.77.75 crore), this supplementary will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.14

दूरसंचार विभाग
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पूरक मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिए)।

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08 and page 13 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	5445.00	195.00	5640.00
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.08*	...	*0.08*
	स्वीकृत		Voted:	377.00	352.01	729.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**5822.09**	**547.01**	**6369.10**
	भारित		*Charged:*	*0.08*	...	*0.08*
	स्वीकृत		Voted:	5822.01	547.01	6369.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3275-अन्य दूरसंचार सेवाएं	स्वीकृत	3275- Other Communication Services	Voted:	...	0.01	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता करों को घटाकर 79.32 करोड़ रुपए विदेश संचार निगम लिमिटेड को लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु है जिसे वीएसएनएल द्वारा वर्ष 2002-03 से 2005-2006 की अवधि हेतु अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवाओं में इसके एकाधिकार को शीघ्र समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवाओं की एवज में भुगतान किया गया है। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for reimbursement of licence fee to Videsh Sanchar Nigam Limited (VSNL) of Rs.79.32 crore, net of taxes, paid by VSNL towards National Long Distances Services for the period 2002-03 to 2005-06; for early termination of its monopoly in International Long Distance Services. As matching saving is available in the Revenue Section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.15

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिए)।
(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	1457.00	79.00	1536.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**1457.02**	**79.00**	**1536.02**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (कa)	...	0.01
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.02**	**...**	**0.02**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया हैः

(क) अधोलिखित स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत वचनबद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (i) साफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क्स ऑफ इंडिया (1.50 करोड़ रुपए), (ii) आम जनता के लिए आईटी (8 करोड़ रुपए) और (iii) जनशक्ति विकास कार्यक्रम (7.15 करोड़ रुपए)।

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं के तहत वचनबद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (i) व्यावहारिक सूक्ष्मतरण इलैक्ट्रनिक्स अभियांत्रिकी और अनुसंधान सोसायटी (3 करोड़ रुपए), (ii) इलेक्ट्रॉनिक्स संघटक तथा मेटेरियल्स विकास (5 करोड़ रुपए), (iii) सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपस्करों का विकास (3 करोड़ रुपए) (iv) प्रौद्योगिकी विकास परिषद (5 करोड़ रुपए) और (v) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (5 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for:

(a) grants-in-aid to meet the committed requirements under the approved projects (i) Software Technology Parks of India (Rs 1.50 crore), (ii) IT for Masses (Rs 8 crore) and (iii) Manpower Development Programme (Rs 7.15 crore).

(b) meeting the committed requirements under approved projects (i) Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (Rs 3 crore) (ii) Electronics Component and Materials Development (Rs 5 crore), (iii) Development of Strategic Electronics Equipment (Rs 3 crore), (iv) Technology Development Council (Rs 5 crore) and (v) National Informatics Centre (Rs 5 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 18

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18,वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिए)।

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008 and page 15 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	26115.00	376.20	26491.20
पूरक अनुदान :		***SUPPLEMENTARY GRANT :***				
	भारित		*Charged:*	*0.54*	...	*0.54*
	स्वीकृत		Voted:	578.86	...	578.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	5836.87	2.92	5839.79
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**32531.27**	**379.12**	**32910.39**
	भारित		*Charged:*	*0.54*	...	*0.54*
	स्वीकृत		Voted:	32530.73	379.12	32909.85

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2408-खाद्य, भंडारण और भांडागार	स्वीकृत	2408-Food, Storage and Warehousing	Voted:	...	5836.87 (कa)	5836.87
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत	6860-Loans for Consumer Industries	Voted:	...	2.92 (खb)	2.92
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**5839.79**	**5839.79**

टिप्पणी: *उपर्युक्त अनुमानों में वे वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है:*

Note: *The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure:*

पूंजी भाग	***CAPITAL SECTION***			
मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEAD**			
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	...	(-) 2.92	(-) 2.92

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगे गए हैं :

(क) (i) भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी (5849.39 करोड़ रुपये)।

(ii) "चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना, 2007" के तहत केन्द्रक अभिकरणों/बैंकों (ऋण दाताओं) को भुगतान (2.08 करोड़ रुपये)।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(a) (i) Foodgrains subsidy to Food Corporation of India (Rs.5849.39 crore).

(ii) For payment to Nodal agencies/Banks (lenders) under the "Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2007" (Rs.2.08 crore).

चूंकि अनुदान के उसी भाग में 14.60 करोड़ रुपये की बचतें उपलब्ध हैं तथा अनुदान के पूंजी भाग में 12.97 करोड़ रुपये की बचतों का उपयोग करने के पश्चात् इसमें 5823.90 करोड़ रुपये का निवल नगद व्यय होगा।

(ख) "चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना, 2007" के तहत केन्द्रक अभिकरणों/बैंकों (ऋण दाताओं) को भुगतान। इस व्यय को चीनी विकास निधि से प्राप्त वसूलियों से पूरा किया जाएगा।

As savings of Rs.14.60 crore are available within the same Section of the Grant and after utilizing the savings of Rs.12.97 crore under the Capital Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs.5823.90 crore.

(b) Payments to Nodal agencies/Banks (lenders) under the “Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2007”. The expenditure will be matched by recoveries from the Sugar Development fund.

मांग संख्या DEMAND NO. 19

संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19, वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहले बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 10 और 11 तथा अनुदानों की दूसरे बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 16 और 17 देखिए)।

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 10 and 11 of First Supplementary Demands for Grants and page 16 and 17 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	882.61	50.00	932.61
पूरक अनुदानः		***SUPPLEMENTARY GRANT:***	Voted:	104.98	..	104.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	10.02	...	10.02
जोड़ (मूल और पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Original plus Supplementary)**	**Voted:**	**997.61**	**50.00**	**1047.61**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEAD**				
2205-कला और संस्कृति	2205- Art and Culture	Voted:	10.01 (कa)	0.01 (खb)	10.02

टिप्पणीः *(क) अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।*

Note: *(a) The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.*

राजस्व भाग	***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEAD**				
2205-कला और संस्कृति	2205- Art and Culture	Voted:	(-)10.00	.. .	(-)10.00

इस पूरक अनुदानों की मांग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु की गयी हैः

(क) (i) राजेन्द्र स्मृति संग्रहालय, पटना के विकास हेतु सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रूपए) ।

चूंकि प्रस्तावित व्यय की पूर्ति भारत के लोक लेखे में धारित "सामाजिक और ढांचागत विकास निधि" से की जाएगी, इसलिए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ii) खालसा हेरिटेज प्रोजेक्ट को सहायता अनुदान (19.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।

(ख) (i) मंहगाई भत्ता, स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना लाभों और चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि के सम्बन्ध में संगीत नाटक अकादमी के कर्मचारियों को सहायता अनुदान (0.30 करोड़ रूपए)।

(ii) साहित्य अकादमी को वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में बचनबद्ध देयता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.20 करोड़ रूपए)।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) (i) Grants-in-aid for development of Rajendra Smiriti Sanghrahalaya, Patna (Rs. 10.00 crore).

Since, the proposed expenditure will be met from "Social and Infrastructure Development Fund" placed in the Public Account of India, there will be no cash outgo.

(ii) Grants-in-aid to Khalsa Heritage Project (Rs. 19.00 crore).

As saving is available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants-in-aid to Sangeet Natak Academy for payment of DA, VRS benefits and Medical reimbursement etc. to its employees (Rs. 0.30 crore).

(ii) Grants-in-aid to Sahitya Academy to meet committed liability on pay & allowances (Rs.0.20 crore).

(iii) राष्ट्रीय नाट्य स्कूल को वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में बचनबद्ध देयता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.15 करोड़ रूपए)।

(iv) लेह स्थित केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान को अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों और छात्रों को वजीफों के सम्बन्ध में बचनबद्ध देयता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.20 करोड़ रूपए)।

(v) महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2550 वीं वर्षगांठ के समारोह के लिए सहायता अनुदान (5.00 करोड़ रुपए)।

(vi) सालार जंग संग्रहालय को वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में बचनबद्ध देयता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.15 करोड़ रूपए)।

(vii) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में बचनबद्ध देयता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.10 करोड़ रूपए)।

(viii) डांडी हेरीटेज कारिडोर के विकास हेतु सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रूपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(iii) Grants-in-aid to National School of Drama to meet to meet committed liability on pay & allowances (Rs.0.15 crore).

(iv) Grants-in-aid to Central Institute of Buddhist Studies, Leh to meet committed liability on pay & allowances to its employees and stipends to the students. (Rs.0.20 crore).

(v) Grants-in-aid for commemoration of 2550th Anniversary of Mahaparinirvana of Lord Buddha (Rs.5.00 crore).

(vi) Grants-in-aid to Salar Jung Museum to meet committed liability on pay & allowances (Rs. 0.15 crore).

(vii) Grants-in-aid to Indira Gandhi Rashtriya Manav Sanghrahalaya to meet committed liability on salary (Rs. 0.10 crore).

(viii) Grants-in-aid for development of Dandi Heritage Corridor (Rs. 10.00 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 20

रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF DEFENCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिए)।
(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.24*	*...*	*0.24*
	स्वीकृत		Voted:	6865.08	781.51	7646.59
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	...	*0.40*	*0.40*
	स्वीकृत		Voted:	229.79	...	229.79
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**7095.11**	**781.91**	**7877.02**
	भारित		*Charged:*	*0.24*	*0.40*	*0.64*
	स्वीकृत		Voted:	7094.87	781.51	7876.38

II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2037-सीमा शुल्क	स्वीकृत	2037-Customs	Voted:	...	3.22 (कa)	3.22
2075-विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2075-Miscellaneous General Services	Voted:	...	226.57 (खb)	226.57
जोड़ राजस्व भाग		**Total Revenue Section**		**...**	**229.79**	**229.79**
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	*भारित*	4047-Capial Outlay on Other Fiscal Services	*Charged:*	...	*0.40 (गc)*	*0.40*
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**		**...**	**230.19**	**230.19**
	भारित		*Charged:*	...	*0.40*	*0.40*
	स्वीकृत		Voted:	...	229.79	229.79

इस पूरक विनियोग/अनुदान की मांग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए हैः

(क) पट्टा किराया तथा सेवा प्रभार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता और विमानों की सर्विसिंग आदि के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। तटरक्षक संगठन को 23.80 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, 3.22 करोड़ रुपए की शेष राशि के लिए पूरक मांगा गया है।

(ख) कैंटीन स्टोर विभाग जो विभागीय संचालित वाणिज्यिक उपक्रम है, द्वारा स्टोर्स की खरीद, समेकित सीएसडी सिस्टम और अन्य विविध व्यय के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु 226.57 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

(ग) मोटरवाहन अधिनियम के तहत कोर्ट डिक्री के कारण व्यय की पूर्ति हेतु 0.40 करोड़ रुपए अपेक्षित हैं।

कैंटिन स्टोर विभाग के लेखे में अतिरिक्त प्राप्तियों (224 करोड़ रुपए) और अनुदान के पूंजी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों की ध्यान में रखते हुए, इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Appropriation/grant is sought for the following purposes :

(a) Rs. 23.80 crore is required for 'Coast Guard Organisation' to meet the additional requirement towards lease rent and service charges and for servicing of Aircrafts, etc. Taking into consideration savings available in the same section of the grant, supplementary for the balance amount of Rs. 3.22 crore is sought.

(b) Rs. 226.57 crore is required to meet the additional expenditure on account of purchase of stores by Canteen Stores Department, a departmentally-run commercial undertaking, expenses on Integrated CSD Systems (ICSDS) and other miscellaneous expenditure.

(c) Rs. 0.40 crore is required towards meeting expenditure on account of court decree under Motor Vehicle Act.

Taking into additional receipts on account of Canteen Stores Department (Rs. 224 crore) and savings available under Capital section of the grant, this supplementary will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.21

रक्षा पेंशन
DEFENCE PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिए)।
(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*0.25*	...	*0.25*
	स्वीकृत		Voted:	14648.75	...	14648.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	595.00	...	595.00
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**15244.00**	**...**	**15244.00**
	भारित		*Charged:*	*0.25*	...	*0.25*
	स्वीकृत		Voted:	15243.75	...	15243.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभ	स्वीकृत	2071-Pensions and other Retirement Benefits	Voted:	...	595.00	595.00

यह पूरक अनुदान दि. 1.1.2007 और 1.7.2007 से पेंशनरो को स्वीकृत अतिरिक्त महंगाई राहत के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इस पूरक के कारण नगद व्यय 595 करोड़ रुपए होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure owing to additional dearness relief sanctioned to pensioners with effect fom 1.1.2007 and 1.7.2007. Cash outgo on account of this supplementary will be Rs.595 corore.

मांग संख्या DEMAND NO.22

रक्षा सेवा - थल सेना
DEFENCE SERVICES - ARMY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिए)।
(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*16.38*	...	*16.38*
	स्वीकृत		Voted:	35177.88	...	35177.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	232.22	...	232.22
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**35426.48**	**...**	**35426.48**
	भारित		*Charged:*	*16.38*	...	*16.38*
	स्वीकृत		Voted:	35410.10	...	35410.10

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2076-रक्षा सेवा - थल सेना		2076- Defence Services - Army				
	स्वीकृत		Voted:	...	232.22	232.22

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता थल सेना के वेतन तथा भत्तों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है।

इस पूरक में कोई नगद व्यय नहीं होगा क्योंकि रक्षा सेवाओं के पूंजी अनुदान से समकक्ष बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure towards pay and allowances of Army.

This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent savings will be surrendered from the Capital grant of Defence Services.

मांग संख्या DEMAND NO.23

रक्षा सेवा-नौसेना
DEFENCE SERVICES-NAVY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 तथा वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिए)।
(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*1.37*	...	*1.37*
	स्वीकृत		Voted:	7048.74	...	7048.74
पूरक अनुदानः		***SUPPLEMENTARY GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	63.83	...	63.83
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	60.11	...	60.11
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**7174.05**	**...**	**7174.05**
	भारित		*Charged:*	*1.37*	...	*1.37*
	स्वीकृत		Voted:	7172.68	...	7172.68

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2077-रक्षा सेवा-नौसेना		2077- Defence Services-Navy				
	स्वीकृत		Voted:	...	60.11	60.11

इन पूरक अनुदान की मांग नौसेना के वेतन और भत्तों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय (66.11 करोड़ रुपए) के लिए की गयी है और साथ ही "सेंटर फॉर ज्वॉइंट वेलफेयर स्टडीज" को (5 करोड़ रुपए) सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए भी है। चूंकि अनुदान के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपए की बचत उपलब्ध है। इसलिए शेष राशि के लिए पूरक मांगा गया है।

इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा, क्योंकि रक्षा सेवाओं के पूंजी अनुदान से समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी।

The supplementary grant of Rs.65.11 crore is sought towards additional expenditure on account of pay and allowances of Navy (Rs.60.11 crore) and also towards providing Grants-in-aid to 'Centre for Joint Warfare Studies' (Rs.5 crore). As saving of Rs.5 crore is available within the Grant, supplementary for the balance amount is sought.

This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent savings will be surrendered from the Capital Grant of Defence Services.

मांग संख्या DEMAND NO.24

रक्षा सेवा- वायु सेना
DEFENCE SERVICES-AIR FORCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिए)।
(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः	*I. ORIGINAL GRANT:*				
भारित		*Charged:*	*1.54*	...	*1.54*
स्वीकृत		Voted:	10428.82	...	10428.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
भारित		*Charged:*	*0.40*	...	*0.40*
स्वीकृत		Voted:	298.21	...	298.21
जोड़ (मूल और पूरक)	**Total (Original plus Supplementary)**		**10728.97**	**...**	**10728.97**
भारित		*Charged:*	*1.94*	...	*1.94*
स्वीकृत		Voted:	10727.03	...	10727.03

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEAD**				
2078-रक्षा सेवा- वायु सेना	2078- Defence Services-Air Force				
भारित		*Charged:*	...	*0.40* (क a)	*0.40*
स्वीकृत		Voted:	...	298.21 (ख b)	298.21
जोड़ (पूरक)	**Total (Supplementary)**		**...**	**298.61**	**298.61**
भारित		*Charged:*	...	*0.40*	*0.40*
स्वीकृत		Voted:	...	298.21	298.21

इस पूरक विनियोग/अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैः

(क) कोर्ट डिक्री की वजह से 0.40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(ख) "वायु सेना के वेतन और भत्तों" के अन्तर्गत 298.21 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि रक्षा सेवाओं के पूंजी अनुदान से समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी।

The supplementary appropriation/grant is sought for the following purposes:

(a) Rs. 0.40 crore to meet additional expenditure arising out of Court decrees.

(b) Rs.298.21 crore for meeting additional expenditure under pay and allowances of Air Force.

This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent savings will be surrendered from the Capital Grant of Defence Services.

मांग संख्या DEMAND NO.25

रक्षा आयुध कारखाने
DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिए)।
(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*1.00*	...	*1.00*
	स्वीकृत		Voted:	1191.52	...	1191.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	*भारित*	Supplementary Estimate of the amount now required:	*Charged:*	*0.30*	...	*0.30*
	स्वीकृत		Voted:	193.93	...	193.93
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1386.75**	**...**	**1386.75**
	भारित		*Charged:*	*1.30*	...	*1.30*
	स्वीकृत		Voted:	1385.45	...	1385.45

II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2079-रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने		2079-Defence Services-Ordnance Factories				
	भारित		*Charged:*	...	*0.30* (कa)	*0.30*
	स्वीकृत		Voted:	...	193.93 (खb)	193.93
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**		**...**	**194.23**	**194.23**
	भारित		*Charged:*	...	*0.30*	*0.30*
	स्वीकृत		Voted:	...	193.93	193.93

इस पूरक विनियोग/अनुदान की मांग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु की गई हैः

(क) कोर्ट डिक्री की वजह से 0.30 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(ख) रक्षा सेवाओं की उच्च आपूर्तियों की पूर्ति के सम्बन्ध में 193.93 करोड़ रुपए।

इस पूरक में नगद व्यय नहीं होगा, क्योंकि समतुल्य बचतें रक्षा सेवाओं के पूंजी अनुदान से अभ्यर्पित की जाएगी।

The supplementary appropriation/grant is sought for the following purposes:

(a) Rs.0.30 crore to meet additional expenditure arising out of Court decrees.

(b) Rs.193.93 crore towards meeting higher supplies to Defence Services.

This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent savings will be surrendered from the Capital Grant of Defence Services.

मांग संख्या DEMAND NO.26

रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास
DEFENCE SERVICES - RESEARCH AND DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगो का पृष्ठ 13 देखिए)।
(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.24*	...	*0.24*
	स्वीकृत		Voted:	3202.23	...	3202.23
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		*Charged:*	*0.50*	...	*0.50*
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	23.09	...	23.09
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**3226.06**	**...**	**3226.06**
	भारित		*Charged:*	*0.74*	...	*0.74*
	स्वीकृत		Voted:	3225.32	...	3225.32

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2080-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास	स्वीकृत	2080- Defence Services-Research and Development	Voted:	...	23.09	23.09

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता 'वेतनों' के सबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है।

इस पूरक में नगद व्यय नहीं होगा, क्योंकि समतुल्य बचतें रक्षा सेवाओं के पूंजी अनुदान से अभ्यर्पित की जाएंगी।

The supplementary grant is required to meet additional expenditure on account of 'salaries'.

This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent savings will be surrendered from the Capital Grant of Defence Services.

मांग संख्या DEMAND NO.28

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिए)।
(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	1238.70	154.37	1393.07
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	0.01	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	37.16	1.75	38.91
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**1275.87**	**156.13**	**1432.00**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2052-सचिवालय सेवाएं	स्वीकृत	2052-Secretariat General Services	Voted:	...	0.20 (कa)	0.20
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070-Other Administrative Sevices	Voted:	...	0.97 (खb)	0.97
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	35.99 (गc)	...	35.99
जोड़ राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total Revenue Section**	**Voted:**	**35.99**	**1.17**	**37.16**
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
6851-ग्रामीण एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण		6851- Loans for Village and Small industies	Voted:	...	1.75 (घd)	1.75
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**35.99**	**2.92**	**38.91**

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु की गई हैः

(क) और (ख) स्थापना सम्बधी व्यय की पूर्ति हेतु।

(ग) असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकारों को सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु 2007-08 के लिए सहायता अनुदान की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम लिमिटेड की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं हेतु।

उपर्युक्त पूरक में नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) and (b) For meeting establishment related expenditure.

(c) For payment of arrears of grants-in-aid for 2007-2008 to the State Governments of Assam and Arunachal Pradesh for implementation of Sarva Shiksha Abhiyan.

(d) For working capital requirements of the North Eastern Regional Agriculture Marketing Corporation Ltd. (NERAMAC)

The above supplementary shall entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 29

भू-विज्ञान मंत्रालय
MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिए)।
(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.05*	...	*0.05*
	स्वीकृत		Voted:	614.44	273.51	887.95
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	*0.10*	...	*0.10*
	स्वीकृत		Voted:	0.03	0.01	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**614.62**	**273.52**	**888.14**
	भारित		*Charged:*	*0.15*	...	*0.15*
	स्वीकृत		Voted:	614.47	273.52	887.99

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3403-महासागरीय अनुसंधान	स्वीकृत	3403-Oceanographic Research	Voted:	0.01 (कa)	...	0.01
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत	3425-Other Scientific Research	Voted:	0.01 (खb)	0.01 (गc)	0.02
3455-मौसम विज्ञान	*भारित*	3455-Meteorology	*Charged:*	...	*0.10 (घd)*	*0.10*
जोड़ राजस्व भाग		**Total Revenue Section**		**0.02**	**0.11**	**0.13**
	भारित		*Charged:*	...	*0.10*	*0.10*
	स्वीकृत		Voted:	0.02	0.01	0.03
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5403- महासागरीय अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5403-Capial Outlay on Oceanographic Research	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**		**0.03**	**0.11**	**0.14**
	भारित		*Charged:*	...	*0.10*	*0.10*
	स्वीकृत		Voted:	0.03	0.01	0.04

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अपेक्षित हैः

(क) निम्नलिखित पर सहायता अनुदानों पर व्यय की पूर्ति हेतुः (i) अंटार्कटिक अनुसंधान/पोलर साइंस (15 करोड़ रुपए), (ii) बहु-धात्विक पिण्डिका कार्यक्रम के तहत पर्यावरण प्रभाव क्षेत्र अध्ययन (0.16 करोड़ रुपए), (iii) अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता (6.80 करोड़ रुपए), (iv) सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर (1.50 करोड़ रुपए) तथा (v) नव-अनुसंधान जलयान (6 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई हैं।

(ख) हाइ परफॉरमेंस कम्प्यूटिंग सिस्टम (एचपीसी) की अधिप्राप्ति से संबंधित आंशिक भुगतान के सम्बन्ध में सहायता अनुदान और इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रापिकल मैनेजमेंट पुणे द्वारा प्राप्त

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes :

(a) For meeting the expenditure on Grants-in-aid for (i) Antarctic Research/Polar Science (Rs. 15 crore), (ii) Environment Impact Area study under Polymetallic Nodules Programme (Rs. 0.16 crore), (iii) Assistance for Research Projects (Rs. 6.80 crore), (iv) Information Technology & Computers (Rs. 1.50 crore) and (v) New Research Vessel (Rs. 6 crore). As saving is available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

(b) For meeting the expenditure on Grants-in-aid in respect of part payment towards procurement of High Performance Computing System (HPC) and for

क्लाउड एरोसल इन्टरेक्शन प्रोसेस एक्सपेरिमेन्टस परियोजना के तहत व्यय की पूर्ति हेतु (5 करोड़)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचत उपलब्ध है, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(ग) आईआईटीएम, पुणे के वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान के लिए सहायता अनुदान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (4 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचत उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(घ) डिजीटल साइक्लोन वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम (डीसीडब्ल्यूडीएस), रिसीवर की अधिप्राप्ति के संबंध में विवाचन-निर्णय के भुगतान संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए। चूंकि अनुदान (स्वीकृत) के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ड.) "मरीन लिविंग रिर्सोसेज वेसल, डेडिकेटेड बर्थिंग एंड एसोसिएटेड-फैसिलिटी" योजना के तहत केरल सरकार को भूमि की लागत के भुगतान के संबंध में व्यय की पूर्ति के लिए (0.95 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचत उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

expenditure under the project Cloud Aerosal Interaction Process Experiments being acquired by Indian Institute of Tropical Management (IITM), Pune (Rs. 5 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

(c) For meeting the expenditure on Grants-in-aid for making salaries payment and other allowances of IITM, Pune (Rs. 4 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) For meeting expenditure on payment of Arbitration award in connection with procurement of Digital Cyclone Warning Dissemination System (DCWDS) Receiver. As savings are available within the same Section of the Grant (voted), this will not entail cash outgo.

(e) For meeting the expenditure towards payment of cost of land to Government of Kerala (Rs. 0.95 crore) under the Scheme “Marine Living Resources Vessel, Dedicated berthing and associated facility”. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.30

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिए)।
(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	1517.95	21.05	1539.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	100.28	...	100.28
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**1618.23**	**21.05**	**1639.28**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2406-वानिकी और वन्य जीव	स्वीकृत	2406-Forestry & Wildlife	Voted:	41.30 (कa)	0.01 (खb)	41.31
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	4.90 (गc)	...	4.90
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत	3435-Ecology and Environment	Voted:	4.07 (घd)	50.00 (ङe)	54.07
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**50.27**	**50.01**	**100.28**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए अपेक्षित हैः

(क) (i) निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु (1) राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम (33.40 करोड़ रुपए), (2) भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (0.90 करोड़ रुपए), (3) भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (3 करोड़ रुपए), (4) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान (1 करोड़ रुपए) और (5) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण (3 करोड़ रुपए), (ii) राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान (32.98 करोड़ रुपए)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के पश्चात् इसमें 41.30 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ख) निम्नलिखित के लिए सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु (i) भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (0.28 करोड़ रुपए), (ii) भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (0.69 करोड़ रुपए), (iii) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान (0.16 करोड़ रुपए) तथा (iv) पशु कल्याण (0.20 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ग) निम्नलिखित के लिए सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु (i) राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (4 करोड़ रुपए), (ii) राष्ट्रीय नदी बचाओ कार्यक्रम (0.85 करोड़ रुपए), (iii) राज्य वन सेवा और रेंजर्स कॉलेज (0.05 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(घ) (i) निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करनरे हेतु (1) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (2.50 करोड़ रुपए), (2)

The supplementary grant is required for the following:

(a) (i) For providing additional funds under (1) National Afforestation Programme (Rs 33.40 crore), (2) Indian Institute of Forestry Management (0.90 crore), (3) Indian Council of Forest Research & Education (Rs 3 crore), (4) Indian Plywood Industries Research Institute (Rs 1 crore) and (5) Central Zoo Authority (Rs 3 crore), (ii) Grants-in-aid for National Afforestation Programme (Rs 32.98 crore). After utilizing the savings available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs 41.30 crore.

(b) For providing additional funds under Grants-in-aid for (i) Indian Institute of Forestry Management (0.28 crore), (ii)Indian Council of Forest Research & Education (0.69 crore), (iii) Indian Plywood Industries Research Institute (Rs 0.16 crore)and (iv) Welfare of Animals (Rs 0.20 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) For providing additional funds under Grants-in-aid for (i) National Afforestation Programme (Rs 4 crore), (ii) National River Conservation Programme (Rs 0.85 crore) and (iii) State Forest Service & Rangers College (Rs 0.05 crore). This will entail cash outgo.

(d) (i) For providing additional funds under the (1) International Cooperation (Rs 2.50 crore), (2) Coastal

तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (0.30 करोड़ रुपए), (3) राष्ट्रीय नदी बचाओ योजना (सामान्य संघटक) (54 करोड़ रुपए), (4) स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्धन (2करोड़ रुपए), (5) पर्यावरण प्राधिकरणों की स्थापना (1.45 करोड़ रुपए), (6) मैंग्रोव पारितंत्र और नमी वाले स्थान (0.50 करोड़ रुपए) और (7) राष्ट्रीय तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (0.15 करोड़ रुपए)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करनरे के पश्चात् इसमें 2.80 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ii) यूएनडीपी/जीईएफ लघु अनुदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और जीईएफ प्रकोष्ठ के सुदृढ़ीकरण के लिए निधियां (1.27 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। चूंकि इसका प्रतिसंतुलन यूएनडीपी से होने वाली प्राप्तियों से की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ङ) केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड (0.20 करोड़ रुपए) और उत्कृष्ट केन्द्रों (0.10 करोड़ रुपए) के लिए सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को ''जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण'' के तहत जल उपकर के संग्रहण में उनके हिस्से के संबंध में एकत्र बकाया राशि (50 करोड़ रुपए) के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें 50 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

Zone Management Programme (Rs 0.30 crore), (3) National River Conservation Plan (General component) (Rs 54 crore), (4) Development and Promotion of Clean Technology (Rs 2 crore), (5) Establishment of Environment Authorities (Rs 1.45 crore), (6) Mangrove Eco Systems and Wetlands (Rs 0.50 crore) and (7) National Coastal Zone Management Programme (Rs 0.15 crore). After utilizing the savings available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs 2.80 crore.

(ii) For providing funds (Rs 1.27 crore) for up scaling of the UNDP/GEF Small Grants Programme and strengthening of GEF Cell. As this will be matched by receipts from UNDP, this will not entail any cash outgo.

(e) For providing additional funds under the Grants-in-aid for Central Pollution Board (Rs 0.20 crore) and Centres for Excellence (Rs 0.10 crore) and for providing additional funds for payment of accumulated arrears to the State Pollution Control Boards towards their share in the collection of Water cess under the "Prevention & Control of Water Pollution'' (Rs 50 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs 50 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.31

विदेश मंत्रालय
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिए)।
(See page 31 of the Demands for Grants of Cental Government for the year 2007-2008 and page 18 of Second Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	3674.38	759.22	4433.60
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	100.01	...	100.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	316.28	...	316.28
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**4090.67**	**759.22**	**4849.89**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2601-विदेशी मामले	स्वीकृत	2061- External Affairs	Voted:	...	316.28	316.28
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**316.28**	**316.28**

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः-

(क) राजदूतावासों और मिशनों में (54.00 करोड़ रुपए), विशेष राजनयिक व्यय (110.28 करोड़ रुपए), पासपोर्ट और उत्प्रवासन (107.35 करोड़ रुपए) मनोरंजन प्रभार (8.26 करोड़ रुपये), अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (5.71 करोड़ रुपये), अन्य व्यय (30.67 करोड़ रुपये) के सम्बन्ध में निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। अनुदान के पूंजी भाग से 66.88 करोड़ रुपये की राशि के अभ्यर्पण के बाद, निवल नगद व्यय 249.39 करोड़ रुपये होगा।

(ख) आसियान क्षेत्रीय फोरम हेतु (0.16 करोड़ रुपये)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for the following purposes:-

(a) For meeting additional requirement of funds in Embassies & Missions (Rs.54.00 crore), Special Diplomatic Expenditure (Rs.110.28 crore), Passport and Emigration (Rs.107.35 crore), Entertainment Charges (Rs.8.26 crore), International Cooperation (Rs.5.71 crore), Other Expenditure (Rs.30.67 crore). After surrendering an amount of Rs.66.88 crore from the Capital Section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs.249.39 crore.

(b) For Association of South-East Asian Nations (ASEAN) Regional Forum (Rs.0.16 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 32

आर्थिक कार्य विभाग
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32, वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिए)।

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08 and page 19 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	3486.23	455.20	3941.43
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	15.00	15.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	455.63	6259.39	6715.02
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**3941.87**	**6729.59**	**10671.46**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	स्वीकृत	3075-Other Transport Services	Voted:	...	450.33 (कa)	450.33
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3475-Other General Economic Services	Voted:	...	5.30 (खb)	5.30
जोड़ राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total Revenue Section**	**Voted:**	**...**	**455.63**	**455.63**
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4046-Capital Outlay on Currency Coinage and Mint	Voted:	...	336.38 (गc)	336.38
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	Voted:	...	5923.00 (घd)	5923.00
7605-विदेशी सरकारों को अग्रिम	स्वीकृत	7605-Advances to Foreign Governments	Voted:	...	0.01 (ङe)	0.01
जोड़ पूंजी भाग	**स्वीकृत**	**Total Capital Section**	**Voted:**	**...**	**6259.39**	**6259.39**
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**6715.02**	**6715.02**

टिप्पणीःअतिरिक्त आवश्यकता के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction in expenditure.

पूंजी भाग	*CAPITAL SECTION*			
मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEAD**			
4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय	4046-Capital Outlay on Currency Coinage and Mint	...	(-) 336.38	(-) 336.38

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः

(क) लाभांश राहत और अन्य रियायतों के सम्बन्ध में रेलवे को अतिरिक्त सब्सिडियां प्रदान करने हेतु (249.33 करोड़ रुपए) तथा रेलवे को सामरिक रेलवे लाइनों के संचालन सम्बन्धी घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु (316 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 115 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, अतः शेष राशि के लिए पूरक की मांग की गयी है। इसमें नगद व्यय होगा।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(a) For providing additional subsidies to Railways towards dividend relief and other concessions (Rs. 249.33 crore) and reimbursement of losses to Railways on operating Strategic Railway Lines (Rs. 316 crore). As savings of Rs. 115 crore is available within the same Section of the Grant, supplementary for the balance amount is sought. This will entail a cash outgo.

(ख) (i) वर्ष 1995 में किर्गिस्तान सरकार को दी गई ऋण श्रृंखला संबंधी बकाया देय राशियों (3.65 करोड़ रुपए) का अधित्याग करने हेतु। चूंकि इसे समतुल्य राशि की प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाएगा, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ii) वर्ष 1995 में किर्गिस्तान सरकार को दी गई ऋण श्रृंखला में से बकाया ऋणों पर ब्याज/दंड ब्याज (1.65 करोड़ रुपए) की माफी हेतु। चूंकि इसे समतुल्य राशि की प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाएगा, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक को आपूर्ति किए जाने वाले सिक्कों की खरीद हेतु अतिरिक्त भुगतान (336.38 करोड़ रुपए) करने हेतु। चूंकि इसे भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए ऋण से समतुल्य राशि की वसूली द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाएगा, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(घ) सामाजिक और अवसंरचना विकास हेतु निधीयन पहलों के संबंध में 6000 करोड़ रुपए के व्यय की पूर्ति हेतु। यह प्रावधान शुरु में भारत के लोक लेखे में सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि में अंतरित किया जाएगा और तत्पश्चात् बजट भाषण 2008-09 में पैरा 21, 23, 24, 37 से 39, 41, 52, 65, 101 से 103, 105, 112 से 114 में घोषित योजनाओं सहित निधीयन योजनाओं के लिए विभिन्न निकायों को अंतरित किया जाएगा। अनुदान के इसी भाग में आयोजना के तहत उपलब्ध 77 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखते हुए शेष 5923 करोड़ रुपए का पूरक मांगा गया है। इसमें नकद व्यय होगा।

(ङ.) भारत से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात संवर्धन हेतु म्यांमार सरकार को भारत सरकार की 1.32 करोड़ रुपए की ऋण श्रृंखला प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(b) (i) For waiving of outstanding dues (Rs. 3.65 crore) in respect of line of credit extended to Government of Kyrghyzstan in 1995. As this will be matched by receipts of an equivalent amount, there will be no cash outgo.

(ii) For waiving of interest/penal interest (Rs. 1.65 crore) on loans outstanding against the line of credit extended to Government of Kyrghyzstan in 1995. As this will be matched by receipts of an equivalent amout, there will be no cash outgo.

(c) For making additional payment to Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) (Rs. 336.38 crore) for purchase of coins to be supplied to Reserve Bank of India. As this will be matched by recovery of an equivalent amount from credit received from Reserve Bank India, there will be no cash outgo.

(d) For meeting expenditure of Rs. 6000 crore towards funding initiatives for social and infrastructure development. The provision would be transferred initially to the Social and Infrastructure Development Fund in Public Account of India and thereafter eventually transferred to various entities for funding schemes including those announced in Paras 21, 23, 24, 37 to 39, 41, 52, 65, 101 to 103, 105, 112 to 114 of Budget Speech 2008-09. After taking into account the savings of Rs. 77 crore available under Plan within the same Section of the Grant, supplementary for the balance amount of Rs. 5923 crore is sought. This will entail cash outgo.

(e) For extending a Government of India Line of Credit of Rs. 1.32 crore to Government of Myanmar for promotion of exports of goods and services from India. As matching savings are available within the same Section of Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.33

वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां
PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33, वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिए)।

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008 and page 20 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	5723.81	40353.76	46077.57
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	1.85	1500.00	1501.85
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	11536.76	10100.01	21636.77
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**17262.42**	**51953.77**	**69216.19**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत	2235-Social Security and Welfare	Voted:	...	10000.00 (कa)	10000.00
2416-कृषि वित्तीय संस्थाएं	स्वीकृत	2416-Agricultural Financial Institutions	Voted:	...	1536.75 (खb)	1536.75
2885-उद्योगों और खनियों पर अन्य परिव्यय	स्वीकृत	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total Revenue Section**	**Voted:**	**...**	**11536.76**	**11536.76**
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4416-कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	स्वीकृत	4416-Investments in Agricultural Financial Institutions	Voted:	...	0.01 (घd)	0.01
4885-उद्योगों और खनियों पर अन्य पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4885-Other Capital Outlay on Industries and Minerals	Voted:	...	100.00 (ङe)	100.00
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	स्वीकृत	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted:	...	10000.00 (चf)	10000.00
जोड़ पूंजी भाग	**स्वीकृत**	**Total Capital Section**	**Voted:**	**...**	**10100.01**	**10100.01**
जोड़ पूरक	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**21636.77**	**21636.77**

टिप्पणीः *अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।*

Note: *The above estimates of additional requirements do not take into account the receipts shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.*

मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEADS**			
2416-कृषि वित्तीय संस्थाएं	2416-Agricultural Financial Institutions	...	(-) 1536.75	(-) 1536.75
8012-विशेष जमा एवं खाते	8012-Special Deposits and Accounts	...	(-) 10000.00	(-) 10000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु मांगा गया है:-

(क) बजट भाषण 2008-09 के पैरा 73 में घोषित ऋण माफी और ऋण राहत योजना के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा 31.3.2007 तक संवितरित और 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार अतिदेय और 29.2.2008 तक भुगतान न किए गए सभी कृषि ऋणों को कवर करने हेतु 10000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक आधारभूत निधि के साथ 'किसान ऋण राहत निधि' के सृजन हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) (i) सात राज्यों, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिल नाडु में चट्टानी क्षेत्रों में 'भूमिजल का खोदे गए कुओं के जरिए कृत्रिम रूप से रिचार्ज करना' के कार्यान्वयन के संबंध में सब्सिडी के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को भुगतान (1536.75 करोड़ रुपये) करने हेतु। चूंकि इस व्यय की पूर्ति भारतीय लोक लेखा की 'सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि' से की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ii) नाबार्ड को नकदीकरण सहायता हेतु ब्याज सब्सिडी के संबंध में 37.26 करोड़ रुपये, किसानों को अल्पावधिक ऋण प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता हेतु 23.14 करोड़ रुपये, अल्पावधिक सहकारी ऋण व्यवस्था के पुनरूजीवन के संबंध में 545.37 करोड़ रुपये, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) के तहत महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण परियोजना (एमआरसीपी) के लिए 0.82 करोड़ रुपये। वित्तीय अंतर्वेश निधि (एफआईएफ) के निर्माण के संबंध में 10 करोड़ रुपये और वित्तीय अंतर्वेश प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) के निर्माण के लिए अन्य 10 करोड़ रुपये के भुगतान हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) जर्मनी और भारत के बीच द्विपक्षीय ऋण व्यवस्था के तहत ब्याज विभेदक निधि के संबंध में आईसीआईसीआई बैंक को (23.83 करोड़ रुपये) के भुगतान हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(घ) पुदुचेरी में 27 ग्रामीण बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए 303.11 करोड़ रुपये के अंशदान में भारत सरकार के हिस्से का भुगतान और पुदुचेरी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए 0.50 करोड़ रुपये के भुगतान हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ङ) (i) सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम की स्थापना के संबंध में 100 करोड़ रुपये के भुगतान हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ii) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कम्पनी लि. को 500 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता के भुगतान हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(च) भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू (10000 करोड़ रुपये) के अभिदान हेतु। चूंकि इसे भारतीय स्टेट बैंक की विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाएगा, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) For creating a 'Farmers Debt Relief Fund' with an initial corpus of Rs.10000 crore towards the debt waiver and debt relief scheme for farmers announced in para 73 of the Budget Speech 2008-09 to cover all agricultural loans disbursed by scheduled commercial banks, Regional Rural Banks and cooperative credit institutions upto 31.03.2007 and overdue as on 31.12.2007 and remained unpaid till 29.2.2008. This will entail cash outgo.

(b) (i) For payment to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) (Rs.1536.75 crore) as subsidy towards implementation of 'Artificial Recharge of Ground Water through Dugwells' in hard rock areas in seven States viz., Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu. As the expenditure will be met from the 'Social and Infrastructure Development Fund' in the Public Account of India, there will be no cash outgo.

(ii) Payments to NABARD for Rs.37.26 crore towards interest subsidy for liquidity support, Rs.23.14 crore for interest subvention for providing short term credit to farmers, Rs.545.37crore towards revival of Short Term Cooperative Credit Structure, Rs.0.82 crore under International Fund for Agriculture Development (IFAD) Maharashtra Rural Credit Project (MRCP), Rs.10 crore in connection with constitution of Financial Inclusion Fund (FIF) and other Rs.10 crore for constitution of Financial Inclusion Technology Fund (FITF). As savings are available within the Revenue Section of the Grant, there will be no cash outgo.

(c) For payment to ICICI Bank (Rs.23.83 crore) towards interest differential fund under the bilateral credit arrangement between Germany and India. As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) For payment of Government of India's share of contribution of Rs.303.11 crore for recapitalization of 27 Regional Rural Banks (RRBs) and Rs.0.50 crore for establishment of a Regional Rural Bank in Puducherry. As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e) (i) For payment of Rs.100 crore towards establishment of the Irrigation and Water Resources Finance Corporation (IWRFC). This will entail cash outgo.

(ii) For making payment to India Infrastructure Finance Company Ltd. (IIFCL) towards equity support of Rs.500 crore. As matching savings are available within the same Section of the Grant, there will be no cash outgo.

(f) For subscribing to the Rights Issue of Equity Shares of State Bank of India (Rs.10000 crore). As this will be matched by issue of Special Securities to State Bank of India, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.34 (विनियोग/APPROPRIATION)

ब्याज भुगतान
INTEREST PAYMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 21देखिए)।
(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 21 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*163994.93*	...	*163994.93*
	स्वीकृत		Voted:	...	...	...
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*4500.00*	...	*4500.00*
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	*12307.25*	...	*12307.25*
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**180802.18**	**...**	**180802.18**
	भारित		*Charged:*	*180802.18*	...	*180802.18*
	स्वीकृत		Voted:	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2049-ब्याज भुगतान		2049- Interest Payments				
	भारित		*Charged:*	...	*12307.25*	*12307.25*

यह पूरक विनियोग 'बाजार ऋण', 'बाजार स्थिरीकरण योजना','क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड' और राजकोषीय हुण्डियों पर छूट आदि में मुख्यतः ब्याज देयताओं के कारण भुगतान से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।

खाते में 3831.05 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्तियों को लेने के बाद, इस पूरक में 8476.20 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required to meet additional expenditure arising out of payments, mainly, on account of interest liabilities under 'Market Loans', 'Market Stabilisation Scheme', 'Compensation & Other Bonds', and 'Discount on Treasury Bills', etc.

After taking the additional receipts of Rs.3831.05 crore into account, this supplementary entails a cash outgo of Rs.8476.20 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.35

राज्य एवम् संध राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण
TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35, वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 तथा वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिए)।
(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 18 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008 and page 22 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*30087.50*	*4286.50*	*34374.00*
	स्वीकृत		Voted:	37574.20	...	37574.20
पूरक अनुदानः		***SUPPLEMENTARY GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*...*	*2500.00*	*2500.00*
	स्वीकृत		Voted:	8063.28	...	8063.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	*...*	*634.67*	*634.67*
	स्वीकृत		Voted:	8296.60	...	8296.60
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	भारित		***Charged:***	***30087.50***	***7421.17***	***37508.67***
	स्वीकृत		**Voted:**	**53934.08**	**...**	**53934.08**

II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2075-विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2075-Miscellaneous General Services	Voted:	...	2728.48 (कa)	2728.48
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-Aid to State Governments	Voted:	5568.12 (खb)	...	5568.12
जोड़ राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total Revenue Section**	**Voted:**	**5568.12**	**2728.48**	**8296.60**
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	*भारित*	7601-Loans and Advances to State Governments	*Charged:*	*634.67* (गc)	...	*634.67*
जोड़ पूंजी भाग	***भारित***	**Total Capital Section**	***Charged:***	**634.67**	**...**	**634.67**
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**		**6202.79**	**2728.48**	**8931.27**
	भारित		*Charged:*	*634.67*	...	*634.67*
	स्वीकृत		Voted:	5568.12	2728.48	8296.60

इन पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैः-

(क) उग्रवादी अवधि के दौरान आतंकवाद को कुचलने के लिए पंजाब सरकार को दिए गए ऋण के ब्याज (2728.48 करोड़ रुपए) माफ करने हेतु प्रदान करना। चूंकि प्राप्तियों से इस माफी राशि की पूर्ति की जायेगी, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) (i) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (740.00 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू-कश्मीर (900.00 करोड़ रुपए) को सहायता के तहत अनुदान घटक हेतु।

The Supplementary Appropriation/Grant is required for the following purposes:-

(a) To provide for waiver of Interest (Rs.2728.48 Crore) on loan given to the Government of Punjab for combating terrorism during the period of militancy. Since receipts will match this waiver, there will be no cash outgo.

(b) (i) For Grant Component under Additional Central Assistance (ACA) for Externally Aided Projects (EAPs) (Rs.740.00 crore) and assistance to Jammu and Kashmir for Power Sector Reforms (Rs.900.00 crore).

(ii) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (1000.00 करोड़ रुपए) और राष्ट्रमंडल युवा खेल, पुणे (100.00 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त जरूरतों के लिए।

(iii) एसीए-अन्य परियोजनाएं (640.00 करोड़ रुपए), एसीए-ईएपी (अनुदान अंश) (0.50 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (499.55 करोड़ रुपए) और सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम (500.00 करोड़ रुपए), छोटे और मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास (501.78 करोड़ रुपए) के तहत और राजस्व (भारित) के अंतर्गत उपलब्ध बचतों के माध्यम से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (686.29 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त जरूरतें प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व (भारित) भाग से समकक्ष राशि सुपुर्द कर दी जायेगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

उपर्युक्त मद (ख) (i) से (ख) (ii) में नकद व्यय होगा।

(ग) (i) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनओं (435.17 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत ऋण घटक हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (ऋण घटक) (199.50 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत अतिरिक्त जरूरतें प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व (भारित) भाग से समकक्ष राशि सुपुर्द की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ii) For additional requirement for Accelerated Power Development Programme [APRDP] (Rs. 1000.00 crore) and Commonwealth Youth Games, Pune (Rs. 100.00 crore).

(iii) To provide additional requirement under ACA-Other Projects (Rs.640.00 Crore), ACA-EAP (Grant portion) (Rs. 0.50 Crore), National Social Assistance Programme (NSAP) [Rs.499.55 crore] and Tsunami Rehabilitation Programme (TRP) [Rs. 500.00 crore], Urban Infrastructure Development for Small and Medium Towns (UIDSMT) (Rs. 501.78 crore) and Accelerated Irrigation Benefit Programme and other Water Resources Programmes (AIBP) (Rs.686.29 crores) through available savings under Revenue (Charged). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue (Charged) Section of the Grant, there will be no cash outgo.

Items (b) (i) to (b) (ii) above will entail cash outgo.

(c) (i) For Loan Component under ACA for EAPs (Rs.435.17 crore). This will entail cash outgo.

(ii) To provide additional requirement under ACA for EAPs (Loan Component) (Rs. 199.50 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue (Charged) Section of the Grant, there will be no cash outgo.

संख्या NO. 37 (विनियोग) (APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी
REPAYMENT OF DEBT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)।
(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल विनियोगः		*I. ORIGINAL APPROPRIATION:*			
	भारित	*Charged:*	...	*1611645.92*	*1611645.92*
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	*Charged:*	...	*62573.17*	*62573.17*
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**	**...**	**1674219.09**	**1674219.09**

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
6001-केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	*भारित*	6001- Internal Debt of Central Government	*Charged:*	...	*62573.17*	*62573.17*

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपेक्षित हैः

सामान्य बाजार उधारोंके तहत 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (79954 करोड़ रुपए), 182- दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (7273 करोड़ रुपए), 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (2307करोड़ रुपए) का उन्मोचन, अर्थोपाय अग्रिम (10007 करोड़ रुपए), अफ्रीकी विकास निधि (3.90 करोड़ रुपए), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (1440.87 करोड़ रुपए), 8.50% राहत बांड, 2001 (469.14 करोड़ रुपए), 6.50 प्रतिशत बचत बांड (गैर-कर योग्य), 2003 (945.86 करोड़ रुपए) और दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार विभिन्न लघु बचत योजना के अन्तर्गत बकाया शेष की एवज में जारी केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों का उन्मोचन (9997.48 करोड़ रुपए)। विनियोग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखने के बाद शेष राशि के लिए पूरक 62573.17 करोड़ रुपए मांगा गया है।

कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि व्यय की प्राप्तियों द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

The Supplementary Appropriation is required to meet additional requirement of funds towards:

Discharge of 91 day Treasury Bills (Rs.79954 crore),182 day Treasury Bills (Rs.7273 crore), 364 day Treasury Bills (Rs.2307 crore) under normal market borrowings, Ways and Means Advances (Rs. 10007 crore), African Development Fund (Rs.3.90 crore), International Monetary Fund (Rs.1440.87 crore), 8.50% Relief Bonds, 2001 (Rs.469.14 crore), 6.50% Savings Bonds (Non-Taxable), 2003 (Rs. 945.86 crore) and Redemption of Special Central Government Securities issued against the outstanding balances under various small savings scheme as on 31.3.1999 (Rs.9997.48 crore). After taking into account the savings available within the Appropriation, supplementary for the balance amount of Rs. 62573.17 crore is sought.

There will be no cash outgo as expenditure will be matched by receipts.

मांग संख्या DEMAND NO.39

पेंशन
PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिए)।
(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*25.96*	...	*25.96*
	स्वीकृत		Voted:	7307.54	...	7307.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	*3.60*	...	*3.60*
	स्वीकृत		Voted:	1287.00	...	1287.00
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**8624.10**	**...**	**8624.10**
	भारित		*Charged:*	*29.56*	...	*29.56*
	स्वीकृत		Voted:	8594.54	...	8594.54

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	*भारित*	2071-Pensions and Other Retirement Benefits	*Charged:*	...	*3.60 (क a)*	*3.60*
	स्वीकृत		Voted:	...	1287.00 (ख b)	1287.00
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**		**...**	**1290.60**	**1290.60**

टिप्पणीः *उपर्युक्त अनुमानों में वे वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।*

Note: *The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.*

राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ		2071-Pensions and Other Retirement Benefits		...	*(-)1177.00*	*(-)1177.00*

ये पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैंः

(क) भारत के पूर्व राष्ट्रपति/भारत के पूर्व उप-राष्ट्रपति की पेंशन के परिणत मूल्य, उपदान और पेंशन तथा अन्य हकदारी संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए (3.60 करोड़ रुपए)।

(ख) (i) पेंशनभोगियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति, परिभाषित अंशदान पेशन योजना में सरकार का अंशदान और एआईएस (पेंशनभोगियों) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए (110.00 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

(ii) भारत के लोक लेखे में धारित "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के अंतर्गत प्राप्त जमाराशियों से 1177.00 करोड़ रुपए पेंशन निधि प्रबंधकों को अंतरित करने के लिए।

चूंकि व्यय की पूर्ति भारत के लोक लेखे में प्राप्त जमाराशियों से की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants/appropriation are required for the following purposes:

(a) For meeting additional expenditure on commuted value of pension, gratuity and pension & other entitlements of Ex-President of India/Ex-Vice President of India (Rs.3.60 crore).

(b) (i) For meeting additional expenditure on account of medical re-imbursement of pensioners, Government's Contribution for Defined Contribution Pension Scheme and AIS (Pensioners) (Rs.110.00 crore).

This will entail a cash outgo.

(ii) To transfer Rs.1177.00 crore from the Deposits under 'Defined Contribution Pension Scheme' placed in the Public Account of India to the Pension Fund Managers.

Since the expenditure is met from Deposits under Public Account of India, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.40

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिए)।
(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*39.98*	...	*39.98*
	स्वीकृत		Voted:	1218.49	2.11	1220.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	12.98	...	12.98
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1271.45**	**2.11**	**1273.56**
	भारित		*Charged:*	*39.98*	*0.00*	*39.98*
	स्वीकृत		Voted:	1231.47	2.11	1233.58

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2016-लेखा परीक्षा		2016- Audit				
	स्वीकृत		Voted:	...	12.98	12.98

इस पूरक अनुदान की मांग अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए की गई है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional establishment related expenditure. This will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 41

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिए)।
(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*0.02*	*...*	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	5874.37	1.47	5875.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	539.48	...	539.48
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**6413.87**	**1.47**	**6415.34**
	भारित		*Charged:*	*0.02*	*...*	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	6413.85	1.47	6415.32

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070-Other Administrative Services	Voted:	...	1.00 (कa)	1.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	537.48 (खb)	537.48
3606-सहायक वस्तुएं और उपकरण	स्वीकृत	3606-Aid Material and Equipments	Voted:	...	1.00 (गc)	1.00
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**539.48**	**539.48**

टिप्पणीः *अतिरिक्त आवश्यकता के उपर्युक्त अनुमानों में उन प्राप्तियों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।*

Note: *The above estimates of additional requirements do not take into account the receipts shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.*

राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3606-सहायक वस्तुएं और उपकरण	**स्वीकृत**	3606-Aid Material and Equipments	Voted:	...	(-)1.00	(-)1.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैः

(क) संयुक्त राज्य अमरीका सरकार से प्राप्त सहायक वस्तु और उपकरणों (1.00 करोड़ रुपये) को केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो को अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए अन्तरित करने हेतु। यह व्यय लेखा समायोजन की प्रकृति का है, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय शामिल नहीं है।

(ख) मूल्यवर्धित कर (वैट) को लागू करने और केन्द्रीय बिक्री कर को क्रमबद्ध रूप से समाप्त करने की वजह से राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों (680.00 करोड़ रुपये) की क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग (142.52 करोड़ रुपए) में और अनुदान के पूंजी भाग (0.45 करोड़ रुपए) के अंतर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखने के बाद, इस पूरक अनुदान में 537.03 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका सरकार से प्राप्त सहायक वस्तु और उपकरण (1.00 करोड़ रुपये) को केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो को तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए अन्तरित करने हेतु। इस व्यय को प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जायेगा, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय शामिल नहीं है।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) For pass through of Aid Material and Equipments (Rs.1.00 crore) received from the Government of United States of America (USA) to Central Bureau of Narcotics for capability upgradation. The expenditure is in the nature of accounting adjustments, hence no cash outgo is involved.

(b) For meeting additional requirement for compensation to State Governments (Rs.680.00 crore) for revenue loss due to introduction of Value Added Tax (VAT) and phasing out of Central Sales Tax (CST). After taking into account the savings (Rs.142.52 crore) available in the same section of the Grant and under Capital Section of the Grant (Rs.0.45 crore), the cash outgo on account of this supplementary will be Rs.537.03 crore.

(c) For pass through of Aid Material and Equipments (Rs.1.00 crore) received from the Government of United States of America (USA) to Central Bureau of Narcotics for technical capability upgradation. This will be matched by receipts, hence no cash outgo is involved.

मांग संख्या DEMAND NO.42

प्रत्यक्ष कर
DIRECT TAXES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिए)।
(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.02*	...	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	1521.51	10.47	1531.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	220.70	29.72	250.42
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1742.23**	**40.19**	**1782.42**
	भारित		*Charged:*	*0.02*	...	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	1742.21	40.19	1782.40

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2020-आयकर और व्यय पर कर संग्रह	स्वीकृत	2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure	Voted:	...	220.70 (क a)	220.70
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4059-Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	29.72 (ख b)	29.72
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**250.42**	**250.42**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया हैः

(क) अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

(ख) बृहत कर दाता एककों (एल.टी.यू.) की स्थापना करने के लिए मुम्बई और नई दिल्ली में तैयार निर्मित कार्यालय भवनों की खरीद के लिए आंशिक भुगतान करने और अन्य कार्यालयों के लिए एकमुश्त प्रावधान करने हेतु (30.00 करोड़ रुपए)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (0.28 करोड़ रुपए) को ध्यान में रखने के बाद, इसमें 29.72 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) For meeting additional establishment related expenditure. This will entail a net cash outgo.

(b) For making part payment for purchase of ready built office accommodation at Mumbai and New Delhi for setting up of Large Tax Payer Units (LTUs) and lumpsum provision for other offices (Rs.30.00 crore). After taking into account savings available (Rs.0.28 crore) within the same Section of the Grant, net cash outgo will be Rs.29.72 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.43

अप्रत्यक्ष कर
INDIRECT TAXES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिए)।
(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*1.00*	*...*	*1.00*
	स्वीकृत		Voted:	1689.80	140.20	1830.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	59.70	0.01	59.71
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1750.50**	**140.21**	**1890.71**
	भारित		*Charged:*	*1.00*	*...*	*1.00*
	स्वीकृत		Voted:	1749.50	140.21	1889.71

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2037-सीमा शुल्क	स्वीकृत	2037-Customs	Voted:	...	11.00 (कa)	11.00
2038-उत्पाद शुल्क	स्वीकृत	2038-Union Excise Duties	Voted:	...	48.70 (खb)	48.70
जोड़ राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total Revenue Section**	**Voted:**	**...**	**59.70**	**59.70**
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4059-Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**59.71**	**59.71**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उदेश्यों हेतु अपेक्षित हैः

(क) सीमा शुल्क कार्यालयों के अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों के अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध 31.00 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखने के बाद, इसमें 17.70 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यालयों हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम भवन, साकेत, नई दिल्ली, में तैयार निर्मित कार्यालय स्थल खरीदने के सम्बन्ध में आंशिक भुगतान (30.00 करोड़ रुपए) करने हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग में सदृश बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) For meeting additional establishment related expenditure of Customs Offices. This will entail a cash outgo.

(b) For meeting additional establishment related expenditure of Central Excise offices. After taking into account savings of Rs.31.00 crore available in the Capital Section of the Grant, net cash outgo will be Rs.17.70 crore.

(c) For making part payment (Rs.30.00 crore) towards acquisition of ready built office accommodation in National Building Construction Corporation (NBCC) building at Saket, New Delhi to house the offices of Central Board of Excise and Customs. As matching savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.44

विनिवेश विभाग
DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिए)।
(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 19 of First Batch of Supplimentary Demands for Grants 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	4.00	3302.00	3306.00
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	4.00	0.01	4.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**8.00**	**3302.02**	**3310.02**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat Economic Services	Voted:	...	4.00 (कa)	4.00
राजस्व भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
5467-राष्ट्रीय निवेश निधि के निवेश पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5467-Capital Outlay on Investment of National Investment Fund	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**4.01**	**4.01**

इन पूरक अनुदानों की मांग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु की गयी हैः

(क) इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को जारी व्यय के सरकारी हिस्से के भुगतान पर अतिरिक्त व्यय (4.00 करोड़ रुपए)की पूर्ति हेतु। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

(ख) समान अनुपात में पुनःआवंटन हेतु सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है। निम्नलिखित तीन चयनित निधि प्रबन्धकों हेतु राष्ट्रीय निवेश निधि को 1651.00 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्ति अर्थात (i) एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड ;(ii) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया फंडस मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ; (iii) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया एसेट मैनेजमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ।

The Supplementary grants are sought for the following purposes:

(a) To meet additional expenditure on payment of Government's share of issue expenses to the Initial Public Offering of Power Grid Corporation of India Limited (Rs.4.00 crore). This will entail a net cash outgo.

(b) A token supplementary grant is sought to re-allocate in equal proportion, the estimated receipt of Rs. 1651.00 crore in the National Investment Fund to the three selected Fund Managers i.e. (i) LIC Mutual Fund Asset Management Company Limited ; (ii) State Bank of India Funds Management Pvt. Limited; and (iii) Unit Trust of India Asset Management Company Pvt. Limited.

मांग संख्या DEMAND NO.45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 देखिए)।
(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	228.30	30.00	258.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**228.31**	**30.00**	**258.31**
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	228.31	30.00	258.31

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2408-खाद्य भंडारण एवं भंडारागारण	स्वीकृत	2408-Food Storage and Warehousing	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित उदेश्यों हेतु की गयी हैः

(i) उद्यान विज्ञान आधारित उद्योगों को तकनीकी उन्नति/स्थापना/खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आधुनिकीकरण हेतु सहायता अनुदान (41.50 करोड़ रुपए)

(ii) दुग्ध आधारित उद्योगों को गुणात्मक विनिश्यत, संहिता मानक और अनुसंधान और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विकास हेतु सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपए)

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। इसमें नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(i) Grants-in-aid to Horticultural based Industries for Technology Up-gradation/Establishment/Modernisation of Food Processing industries(Rs.41.50 crore), and

(ii) Grants-in-aid to Milk based Industries for Quality Assurance, Codex Standards and Research and Development for Food Processing Industries(Rs.2.00 crore).

As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought. This will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.46

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46, वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 तथा वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिए)।

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 20 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008 and page 23 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	16270.63	725.59	16996.22
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	280.52	39.30	319.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	11.95	11.97
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**16551.17**	**776.84**	**17328.01**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210- Medical and Public Health	Voted:	0.01 (कa)	...	0.01
2211-परिवार कल्याण		2211- Family Welfare	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total Revenue Section**	**Voted:**	**0.01**	**0.01**	**0.02**
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4210- Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted:	11.95 (गc)	...	11.95
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**11.96**	**0.01**	**11.97**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित हैः

(क) (i) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो विज्ञान संस्थान, बंगलोर को वेतन की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनुदान सहायता (2.00 करोड़ रुपए)।

(ii) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ को नई मशीनरी और उपस्करों की खरीद और संस्थान के विभिन्न विभागों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु सहायता अनुदान (30.00 करोड़ रुपए)।

(iii) कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति वर्धा को स्थापना इत्यादि पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान (8.48 करोड़ रुपए)।

(iv) एड्स, टीबी और मलेरिया की वैश्विक निधि के दौर VI के तहत ''राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम'' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (139.00 करोड़ रुपए)।

(v) लाला राम स्वरूप टीबी और सम्बद्ध रोग संस्थान को स्थापना और सिविल निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान (9.63 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) (i) Grants-in-aid to the National Institute of Mental Health & Neuroscience, Bangalore, for meeting the additional requirement on salaries (Rs.2.00 Crore).

(ii) Grants-in-aid to Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh, for meeting additional requirements for acquiring new Mechinery and Equipments and augmentation of various departments of the Institute (Rs.30.00 crore).

(iii) Grants-in-aid to Kasturba Health Society, Wardha, for meeting additional expenditure on establishment etc.(Rs.8.48 crore).

(iv) For meeting additional expenditure under the scheme "National AIDS Control Programme" under Round VI of the Global Fund for AIDS, TB and Malaria (Rs. 139.00 crore).

(v) Grants-in-aid to Lala Ram Sarup Institute of TB and Allied Diseases for meeting additional expenditure on establishment and civil works (Rs.9.63 crore).

(vi) ''आपात चिकित्सा राहत (पक्षी फ्लू)'' योजना के अंतर्गत पक्षी इंफ्लूएंजा अभियान के लिए आकस्मिक उपभोज्य वस्तुओं पर और निगरानी प्रयासों की सहायता के लिए व्यय की पूर्ति हेतु (10.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली को स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान (0.29 करोड़ रुपए)।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई को स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायत अनुदान (0.10 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ग) (i) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली को बड़े निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए (2.00 करोड़ रुपए)।

(ii) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली को बड़े निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय के लिए (9.95 करोड़ रुपए)।

चूंकि राजस्व भाग से समकक्ष राशि सुपुर्द की जाएगी, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(vi) For meeting the expenditure under the scheme "Emergency Medical Relief (Avian Flu)" on consumables and to support the surveillence efforts as contingency for Avian Influenza Operation (Rs. 10.00 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants-in-aid to National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for meeting the additional requirements on establishment related expenditure (Rs.0.29 crore).

ii) Grants-in-aid to International Institute for Population Sciences, Mumbai, for meeting the additional requirement on establishment related expenditure (Rs.0.10 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) (i) For meeting additional expenditure on Major Works of Safdarjung Hospital, New Delhi (Rs.2.00 crore).

(ii) For meeting additional expenditure on Major Works of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (Rs.9.95 crore).

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 47

आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग
DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिए)।
(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	563.88	...	563.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		Voted:	563.90	...	563.90

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.01**	**0.01**	**0.02**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः

(क) (i) ''केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली'' की दो प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और त्रिवेन्द्रम, विजयवाड़ा, चेन्नै, ताड़ीखेत इत्यादि में अपने भवनों का निर्माण करने के लिए सहायता अनुदान (3.99 करोड़ रुपए)।

(ii) भद्रक, लखनऊ, सिल्चर, पटना और नई दिल्ली में ''केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली'' के भवनों का निर्माण करने के लिए सहायता अनुदान (2.02 करोड़ रुपए)।

(iii) ''केन्द्रीय योग और प्राकृतिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली'' को कुछ नई परियोजनाओं/अस्पतालों में अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान (0.22 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) (i) ''राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर'' में 1.1.96 से पूर्व सेवानिवृत्त संकाय सदस्य की पेंशन में संशोधन होने की वजह से देय बकाया राशि और 1.4.2004 से संकाय को नॉन-प्रेक्टिस भत्ता का भुगतान करने के लिए सहायता अनुदान (1.90 करोड़ रुपए)।

(ii) ''केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली'' के कर्मचारियों के वेतन संबंधी अतिरिक्त जरूरतों को पूरा

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(a) (i) Grants-in-aid to "Central Council for Research in Ayurveda & Siddha, New Delhi" for modernization of two laboratories and construction of its own buildings at Trivandrum, Vijayawada, Chennai, Tarikhet etc.(Rs.3.99 crore).

(ii) Grants-in-aid to "Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi" for construction of buildings at Bhadrak, Lucknow, Silchar, Patna and New Delhi (Rs.2.02 crore).

(iii) Grants-in-aid to "Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi" for meeting additional requirements for few new Projects/ Hospitals (Rs.0.22 crore).

As savings are available in Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants-in-aid to "National Institute of Ayurveda, Jaipur" to clear the arrears due to revision of pension of Faculty retired before 1.1.96 and for payment of Non-Practice Allowance to the Faculty from 1.4.2004 (Rs. 1.90 crore).

(ii) Grants-in-aid to "Central Council for Research in Ayurveda & Siddha, New Delhi" for meeting

करने के और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण का भुगतान करने हेतु सहायता अनुदान (1.55 करोड़ रुपए)।

(iii) ''केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली'' के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वित्तीय वर्ष 2007-08 में सेवानिवृत्त होने वाली कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान (1.60 करोड़ रुपए)।

(iv) ''केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली'' को वर्ष 2007-08 के वित्तीय वर्ष में वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन संबंधी अतिरिक्त जरूरतों की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान (3.00 करोड़ रुपए)।

(v)''मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली'' के महंगाई भत्ते में वृद्धि; उपदान के भुगतान और योग कक्षाओं में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता की पूर्ति सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपए)।

चूंकि, अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

additional requirements towards salary and payment of leave encashment to the retiring employees (Rs. 1.55 crore).

(iii) Grants-in-aid to "Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi" for meeting additional requirement on payment of pension to retired employees/retirement benefits to the employees retiring in financial year 2007-08 (Rs.1.60 crore).

(iv) Grants-in-aid to "Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi" for meeting the additional requirement towards salary, terminal benefits and pension in the financial year 2007-08 (Rs.3.00 crore).

(v) Grants-in-aid to "Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi" for meeting requirement of additional expenditure due to increase in DA; payment for Gratuity and increase in Yoga Classes (Rs.0.25 crore).

As savings are available in Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.48

भारी उद्योग विभाग
DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिए)।
(See page 48 of the Demands for Grants of the Central Government for the year 2007-2008 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	285.50	628.58	914.08
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.41*	...	*0.41*
	स्वीकृत		Voted:	567.75	0.03	567.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	7.26	165.76	173.02
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**860.92**	**794.37**	**1655.29**
	भारित		*Charged:*	*0.41*	...	*0.41*
	स्वीकृत		Voted:	860.51	794.37	1654.88

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	...	7.26 (कa)	7.26
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4858-अभियांत्रिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4858-Capital Outlay on Engineering Industries	Voted:	...	165.76 (खb)	165.76
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**173.02**	**173.02**

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई हैः

(क) आवश्यक लेखा समायोजन जैसे भारत सरकार ऋण पर बकाया ब्याज छूट (3.85 करोड़ रुपए), दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के बकाया ऋण (1.10 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डालना और कम्पनी के बंद हो जाने के फलस्वरूप भारत यंत्र निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में इक्विटी (2.31 करोड़ रुपये), को कम करके लिखना इन्हें प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा। इस पूरक में नगद व्यय नहीं होगा।

(ख) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा जारी बोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (165.76 करोड़ रुपए)। इन्हें पूंजी प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा।

The supplementary Grant is required for the following purposes:

(a) For carrying out necessary accounting adjustments viz. Waiver of interest outstanding on Government of India loan (Rs.3.85 crore), Write off of outstanding Government of India loan (Rs.1.10 crore) as on 31.3.2007 and Write down of Equity (Rs.2.31 crore) in respect of Bharat Yantra Nigam Ltd., consequent upon closure of the company. These will be matched by receipts. This supplementary will not entail cash outgo.

(b) Additional equity investment in the form of bonus shares issued by Bharat Heavy Electricals Ltd.(Rs.165.76 crore). This will be matched by Capital Receipts.

मांग संख्या DEMAND NO.50

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50, वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 तथा अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिए)।

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 23 of First Supplementary Demands for Grants and page 25 of Second Supplimentary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.05*	*...*	*0.05*
	स्वीकृत		Voted:	765.77	70.68	836.45
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*1.04*	*...*	*1.04*
	स्वीकृत		Voted:	18.00	...	18.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	10.27	0.01	10.28
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**795.13**	**70.69**	**865.82**
	भारित		*Charged:*	*1.09*	*...*	*1.09*
	स्वीकृत		Voted:	794.04	70.69	864.73

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2052-सचिवालय सामान्य सेवा	स्वीकृत	2052-Secretariat General Service	Voted:	...	3.65 (कa)	3.65
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070-Other Administrative Services	Voted:	...	2.01 (गb)	2.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	4.61 (गc)	4.61
जोड़ राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total Revenue Section**	**Voted:**	**...**	**10.27**	**10.27**
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4059-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय		4059-Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**10.28**	**10.28**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैः

(क) पद्म पुरस्कारों पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) निम्नलिखित के अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु (i) मानव अधिकार आयोग (1.90 करोड़ रूपए); (ii) आसूचना ब्यूरो (11.38 करोड़ रूपए); और (iii) मरम्मत पर (3.00 करोड़ रुपए)।

अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध14.27 करोड़ रुपए की बचत के समायोजन के बाद, इस पूरक में 2.01 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

(ग) (i) असम में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों का निर्धारण करने हेतु अतिरिक्त अधिकरणों की स्थापना हेतु (3.61 करोड़ रूपए);

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) For meeting the expenditure on Padma Awards. This will entail cash outgo.

(b) For meeting additional establishment related expenditure of (i) National Human Rights Commission (NHRC) (Rs. 1.90 crore); (ii) Intelligence Bureau (IB) (Rs. 11.38 crore); and (iii) on repairs (Rs. 3.00 crore);

After adjusting savings of Rs. 14.27 crore available within the same Section of the Grant, the supplementary will entail a net cash outgo of Rs. 2.01 crore.

(c) (i) For establishment of additional Tribunals to determine illegal migrants in Assam (Rs.3.61 crore);

(ii) विदेशियों के पंजीकरण तथा निगरानी पर राज्यों को प्रतिपूर्ति हेतु (1.00 करोड़ रूपए);

चूंकि अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग के अन्तर्गत 1.13 करोड़ रूपए की बचतें उपलब्ध हैं और जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, इसलिए इस पूरक में 3.48 करोड़ रूपए का निवल नकद व्यय होगा।

(घ) आसूचना ब्यूरो की चालू परियोजना के सम्बन्ध में निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (2.40 करोड़ रूपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी हैं।

इस पूरक में 9.14 करोड़ रूपए का निवल नकद व्यय होगा।

(ii) For providing re-imbursement to States on registration and surveillance of foreigners (Rs.1.00 crore).

As savings of Rs. 1.13 crore available under the Capital Voted Section of the Grant will be surrendered, the supplementary will entail a net cash outgo of Rs. 3.48 crore.

(d) For meeting additional expenditure on works for ongoing project of Intelligence Bureau (Rs. 2.40 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

The supplementary will entail a net cash outgo Rs. 9.14 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.51

मंत्रिमंडल
CABINET

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51, वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की दूसरी पूरक माँगों का पृष्ठ 26 देखिए)।
(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 26 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.10*	...	*0.10*
	स्वीकृत		Voted:	205.27	33.36	238.63
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	74.00	...	74.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	2.96	0.26	3.22
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**282.33**	**33.62**	**315.95**
	भारित		*Charged:*	*0.10*	...	*0.10*
	स्वीकृत		Voted:	282.23	33.62	315.85

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2055-पुलिस		2055-Police				
	स्वीकृत		Voted:	...	2.96 (कa)	2.96
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय		4055-Capital Outlay on Police				
	स्वीकृत		Voted:	...	0.26(खb)	0.26
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**...**	**3.22**	**3.22**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मांगा गया हैः
(क) विशेष सुरक्षा दल की स्थापना सम्बन्धी व्यय।

इसमें नगद व्यय होगा।

(ख) विशेष सुरक्षा दल हेतु भूमि की खरीद।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, इस पूरक अनुदान में 0.21 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:
(a) for establishment related expendiutre of Special Protection Group.

This will entail cash outgo.

(b) for purchase of land for the Special Protection Group.

Taking into account savings available in the Revenue section of the Grant, which will be surrendered, the supplementary grant will involve a net cash outgo of Rs.0.21 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.52

पुलिस
POLICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52, वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक माँगों का पृष्ठ 24 और अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ सं.27देखिए)।

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 24 of First Supplementary Demands for Grants and page 27 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः	***I. ORIGINAL GRANT:***			
भारित	*Charged:*	*2.94*	*13.20*	*16.14*
स्वीकृत	Voted:	14469.55	4529.81	18999.36
पूरक अनुदानः	***SUPPLEMENTARY GRANT:***			
स्वीकृत	Voted:	120.01	81.10	201.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	*Charged:*	*0.65*	...	*0.65*
स्वीकृत	Voted:	324.89	...	324.89
जोड़ (मूल और पूरक)	**Total (Original plus Supplementary)**	**14918.04**	**4624.11**	**19542.15**
भारित	*Charged:*	*3.59*	*13.20*	*16.79*
स्वीकृत	Voted:	14914.45	4610.91	19525.36

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग	***REVENUE SECTION***			
मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEAD**			
2055-पुलिस	2055-Police			
भारित	*Charged:*	...	*0.65* (कa)	*0.65*
स्वीकृत	Voted:	...	124.89 (खb)	124.89
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments			
स्वीकृत	Voted:	...	200.00 (गc)	200.00
जोड़ (पूरक)	**Total (Supplementary)**	**...**	**325.54**	**325.54**
भारित	*Charged:*	...	*0.65*	*0.65*
स्वीकृत	Voted:	...	324.89	324.89

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः

(क) (i) केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल से सम्बन्धित व्यय (0.05 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

(ii) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मामले में क्षतिपूर्ति का भुगतान (0.60 करोड़ रुपए)

चूंकि अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यार्पित की जाएगी, इसलिए पूरक में नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) असम राइफल (46.30 करोड़ रुपए), सीमा सुरक्षा बल (38.00 करोड़ रुपए), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (20.50 करोड़ रुपए), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (33.81 करोड़ रुपए) और दिल्ली पुलिस (26.93 करोड़ रुपए) के स्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध 40.65 करोड़ रुपए की बचतों और अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए और जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा,पूरक में नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:

(a) (i) meeting additional establishment related expenditure of Central Reserve Police Force (Rs.0.05 crore).

(ii) payment of compensation in Motor Accident Claims Tribunal (MACT) case (Rs.0.60 crore).

As an equivalent amount will be surrendered from the Capital Voted Section of the grant, the supplementary will not entail cash outgo.

(b) meeting additional establishment related expenditure of Assam Rifles (Rs.46.30 crore), Border Security force (Rs.38.00 crore), Central Industrial Security Force (Rs.20.50 crore), Indo-Tibetan Border Police (Rs.33.81 crore) and Delhi police (Rs.26.93 crore).

Taking into account savings of Rs.40.65 crore available within the same Section of the Grant and savings available in the Capital Voted Section of the Grant which will be surrendered, the supplementary will not entail cash outgo.

(ग) पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के तहत सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।

चूँकि अनुदान के स्वीकृत पूँजी भागों से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(c) providing grants-in-aid under the scheme of Modernisation of Police Force.

As an equivalent amount will be surrendered from the Capital Voted Sections of the Grant, this supplementary will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.53

ग्रह मंत्रालय का अन्य व्यय
OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53, और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिए)।
(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*0.02*	...	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	1015.53	19.45	1034.98
पूरक अनुदानः		***SUPPLEMENTARY GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	106.58	...	106.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	319.40	...	319.40
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1441.53**	**19.45**	**1460.98**
	भारित		*Charged:*	*0.02*	...	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	1441.51	19.45	1460.96

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		2235-Social Security and Welfare				
	स्वीकृत		Voted:	...	14.72(कa)	14.72
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान		3601-Grants-in-aid to State Governments				
	स्वीकृत		Voted:	...	304.68(खb)	304.68
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**319.40**	**319.40**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए माँगा गया हैः

(क) मँहगाई भत्ते की दर और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन में बढ़ोत्तरी के कारण अतिरिक्त व्यय (60.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्धता की बचतों को ध्यान में रखते हुए इस पूरक अनुदान में 14.72 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ख) (i) 1984 के दंगा पीड़ित व्यक्तियों को वर्द्धित क्षतिपूर्ति के भुगतान पर हुए व्यय के एवज में राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति (237 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु।

(ii) श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के राहत एवं पुनर्वास पर हुए व्यय के एवज में तमिलनाडु सरकार को प्रतिपूर्ति (17.68 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु।

(iii) कारावास प्रशासन योजना के आधुनिकीकरण हेतु (50.00 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के स्वीकृत पूँजी भाग में उपलब्ध 13.25 करोड़ रुपए की राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इस पूरक अनुदान में 291.43 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

इस पूरक अनुदान में 306.15 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for:

(a) meeting additional expenditure on account of enhancement of the rate of DA and Swatantrata Sainik Samman Pension (Rs.60.00 crore).

Taking into account the savings available within the same Section of the Grant, the cash outgo on account of this supplementary will be Rs.14.72 crore.

(b) (i) providing re-imbursement to State Governments against expenditure incurred on payment of enhanced compensation to victims of 1984 riots (Rs.237.00 crore).

(ii) providing re-imbursement to Government of Tamil nadu against expenditure incurred on relief & rehabilitation of repatriates from Sri Lanka (Rs.17.68 crore).

(iii) modernisation of Prison Administration Scheme (Rs.50.00 crore).

As an amount of Rs.13.25 crore available in the Capital Voted Section of the Grant will be surrendered, the supplementary involves a net cash outgo of Rs.291.43 crore.

This supplementary grant will involve a total net cash outgo of Rs.306.15 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.54

संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण
TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की प्रथम पूरक मागों का पृष्ठ 26 देखिए)।
(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-08 and page 26 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	*1554.76*	*72.00*	*1626.76*
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	55.64	...	55.64
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**1610.41**	**72.00**	**1682.41**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	...	55.64	55.64
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**55.64**	**55.64**

यह पूरक अनुदान पांडिचेरी सरकार को केन्द्रीय बिक्री कर संग्रहण की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु अपेक्षित है (164.42 करोड़ रुपए)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इस पूरक के कारण 55.64 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for providing grants-in-aid to the Government of Puducherry towards reimbursement of Central Sales Tax collections (Rs.164.42 crore).

Taking into account the savings available within the same Section of the Grant, the cash outgo on account of this supplementary will be Rs. 55.64 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.55

आवास और शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिए)।
(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	504.14	5.61	509.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**504.15**	**5.61**	**509.76**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2215-जलआपूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत	2215- Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.01**	**...**	**0.01**

यह पूरक अनुदान कम लागत के स्वच्छता कार्यक्रम के तहत व्यय को पूरा करने के लिए मांगा गया है। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting expenditure under Low Cost Sanitation Programme (Rs. 29.99 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 56

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56, वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिए)।

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 27 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008 and page 28 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	33535.22	...	33535.22
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	49.12	...	49.12
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**33584.37**	**...**	**33584.37**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	0.01 (कa)	49.10 (खb)	49.11
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Area	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.02**	**49.10**	**49.12**

इन पूरक अनुदानों की मांग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु की गई हैः

(क) (i) नवोदय विद्यालय समितिः- दसवीं योजना के दौरान निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त आवश्यकता को पूरन करने हेतु (185.00 करोड़ रुपए)।

(ii) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली-बाल केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण/सुधार पर व्यय की पूर्ति हेतु (1.70 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ख) (i) केन्द्रीय विद्यालय संगठनः वेतन, पेंशनों जैसी वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति और नेशनल केडैट कोर की गतिविधियों हेतु (21.70 करोड़ रुपए)।

(ii) नवोदय विद्यालय समितिः वेतन पर वचनबद्ध देयताओं और मेस व्यय के संशोधित मानदण्डों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (21.40 करोड़ रुपए)।

(iii) केन्द्रीय तिब्बत स्कूल प्रबन्धनः वेतन,चिकित्सा प्रतिपूर्तियां शैक्षणिक निविष्टि व्यय व ऋणों और अग्रिमों पर देयताओं की पूर्ति (3.05 करोड़ रुपए)।

(iv) राष्ट्रीय बालभवनः दिल्ली नगर निगम को सम्पत्ति कर भुगतान हेतु (2.70 करोड़ रुपए)।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

a) (i) Navodaya Vidyalaya Sainiti:- To fulfill the additional requirement on construction activities during Xth Plan (Rs. 185.00 crore).

(ii) National Bal Bhawan, New Delhi - To meet the expenditure on strengthening/improving of Bal Kendras (Rs. 1.70 crore).

As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

b) (i) Kendriya Vidyalaya Sangathan- To meet committed liabilities like salaries, pensions and for National Cadet Core Activities (Rs. 21.70 Crore).

(ii) Navodaya Vidyalaya Samiti- To meet committed liabilities on salaries and additional expenditure due to revised norms of Mess expenditure(Rs.21.40 Crore).

(iii) Central Tibetan School Administration:- To meet the committed liabilities on salaries, medical reimbursements, educational input expenditure and loans and advances (Rs. 3.05 Crore).

(iv) National Bal Bhawan - For payment of property tax to Municipal Corporation of Delhi (Rs. 2.70 Crore).

(v) अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कारः धन में बढ़ोतरी और आवास खर्चों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.20 करोड़ रुपए)।

(vi) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयः वेतन पर वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु (0.03 करोड़ रुपए)।

(vii) जन शिक्षण संस्थान को अनुदानः वेतनों पर वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु (0.02 करोड़ रुपए)।

इसमें 49.10 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा।

(ग) नवोदय विद्यालय समितिः दसवीं योजना के दौरान भवन निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु (15.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(v) National Awards to Teachers: To meet the additional expenditure on account of increased award money and boarding & lodging Expenses (Rs. 0.20 Crore).

(vi) Directorate of Adult Education: - To meet committed liabilities on salaries. (Rs. 0.03 Crore).

(vii) Grants to Jan Shikskan Sansthan: - To meet committed liabilities on salaries (Rs. 0.02 Crore).

This will entail net cash outgo of Rs.49.10 crore.

(c) Navodaya Vidyalaya Samiti:- To fulfill the additional requirement on construction activities during Xth Plan and to achieve the physical targets in North Eastern Region (Rs. 15.00 Crore).

As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 57

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57, वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिए)।

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 28 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08 and page 29 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	9208.50	1.00	9209.50
पूरक अनुदान		*SUPPLEMENTARY GRANTS:*				
	स्वीकृत		Voted:	0.06	...	0.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.06	...	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**9208.62**	**1.00**	**9209.62**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2202-सामान्य शिक्षा		2202-General Education				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
2203-तकनीकी शिक्षा		2203-Technical Education				
	स्वीकृत		Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत	2251-Secretariat-Social Services	Voted:	...	0.01 (घd)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552-North Eastern Areas				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (ङe)	0.01 (चf)	0.02
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**0.02**	**0.04**	**0.06**

इन पूरक अनुदानों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उन्नीत 'सम-विश्वविद्यालयों' के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता/वेतन, सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए सहायता अनुदान (2.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(ख) (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को महंगाई भत्ता/वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने और सम्पत्ति कर/विद्युत/जल प्रभारों इत्यादि के खाते की प्रतिबद्ध देयता के लिए सहायता अनुदान (48.49 करोड़ रुपए)।

(ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए महंगाई भत्ता/वेतन, सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए और सम्पत्ति कर/विद्युत/जल प्रभारों इत्यादि के लिए प्रतिबद्ध देयता हेतु सहायता अनुदान (261.63 करोड़ रुपये)।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(a) Grants-in-aid to 'Deemed Universities promoted by Central Government' for payment of DA/Salary, retirement benefits etc. to employees (Rs.2.50 crore).

As saving is available in the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants-in-aid to University Grants Commission for payment of DA/Salary, retirement benefits and committed liability on account of property tax/electricity/water charges etc. (Rs.48.49 crore).

(ii) Grants-in-aid to Central Universities for payment of DA/Salary, retirement benefits and committed liability on account of property tax/electricity/water charges etc. (Rs.261.63 crore).

(iii) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए सहायता अनुदान (0.55 करोड़ रुपये)।

(iv) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने हेतु सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपये)।

(v) शास्त्री भारत-कनाडियाई संस्थान के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने हेतु सहायता अनुदान (0.05 करोड़ रुपये)।

(vi) विदेश जाने वाले भारतीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्तियों के लिए राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति के व्यय की अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने हेतु (0.26 करोड़ रुपये)।

(vii) वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग : इसके कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान हेतु (0.10 करोड़ रुपये)।

(viii) हिन्दी निदेशालय : कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए (0.12 करोड़ रुपये)।

(ix) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए सहायता अनुदान (0.80 करोड़ रुपये)।

(x) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए सहायता अनुदान (1.20 करोड़ रुपये)।

(xi) नेशनल बुक ट्रस्ट/पुस्तक संवर्द्धन संस्थानों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों तथा 18वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के लिए भुगतान करने हेतु सहायता अनुदान (1.40 करोड़ रुपये)।

(xii) 'अरोविले प्रबंधन' योजना के अंतर्गत सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त जरुरतों के लिए (0.34 करोड़ रुपये)।

(xiii) यूनेस्को सम्मेलनों आदि के लिए प्रतिनियुक्ति और शिष्टमंडल योजना के अंतर्गत लम्बित बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त अपेक्षाओं हेतु (0.30 करोड़ रुपये)।

(xiv) यूनेस्को के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए समितियों/सम्मेलनों की बैठकों का आयोजन करने और प्रदर्शनी आयोजित करने एवं दक्षिण एशिया सामाजिक विकास मंत्रियों के यूनेस्को मंच की बैठक का आयोजन करने की योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए (0.61 करोड़ रुपये)।

(xv) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग : इसके कर्मचारियों के महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए (0.06 करोड़ रुपये)।

(xvi) संगोष्ठियों, समितियों, बैठकों इत्यादि में गैर-सरकारी सदस्य के यात्रा भत्तों/महंगाई भत्ता के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए (0.03 करोड़ रुपये)।

(xvii) विदेश में स्थित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान हेतु अतिरिक्त जरुरतों के लिए (0.27 करोड़ रुपये)।

(xviii) यूनोइटेड स्टेटस एजुकेशन फाउंडेशन इन इंडिया को आयकर और सीमा शुल्क की वापसी "योजना के अंतर्गत कर की प्रतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं हेतु (1.05 करोड़ रुपये)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(iii) Grants-in-aid to Indian Council for Historical Research for payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to employees (Rs.0.55 crore).

(iv) Grants-in-aid to Indian Institute of Advanced Studies, Shimla for payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to employees (Rs.0.25 crore).

(v) Grants-in-aid to Shastri Indo- Canadian Institute for payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to employees (Rs. 0.05 crore).

(vi) Additional requirements under the Scheme 'Indian Scholars going abroad against scholarships offered by Foreign Govt/Organisations to meet the expenditure on Commonwealth Scholarship UK. (Rs.0.26 crore).

(vii) Commission for Scientific & Technical Terminology:- For payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to its employees (Rs.0.10 crore).

(viii) Directorate of Hindi:- For payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to employees (Rs.0.12 crore).

(ix) Grants-in-aid to Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra for payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to employees (Rs.0.80 crore).

(x) Grants-in-aid to Rashtriya Sanskrit Sansthan for payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to employees (Rs.1.20 crore).

(xi) Grants-in-aid to National Book Trust/Institutions for Book Promotion for payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to employees and for 18^{n} New Delhi World Book Fair (Rs. 1.40 crore).

(xii) Additional requirements under the scheme 'Auroville Management' for maintenance of Public buildings (Rs.0.34 crore).

(xiii) Additional requirements under the scheme 'Deputation and Delegation to UNESCO Conferences etc' for settlement of the pending bills (Rs.0.30 crore).

(xiv) Additional requirements under the scheme "Holding of meetings of Committees/Conference and organizations of exhibition in furtherance of UNESCO's aims and objectives" for holding a meeting of UNESCO Forum of Ministers of Social Development in South Asia (Rs. 0.61 crore).

(xv) National Commission for Minority Educational Institutions:- Additional requirements for payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to its employees (Rs.0.06 crore).

(xvi) Additional requirements for Seminars, Committees Meetings etc. for payment of TA/DA to Non-Official Member (Rs.0.03 crore).

(xvii) Additional requirements for payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to the employees of Educational Institutions Abroad (Rs.0.27 crore).

(xviii) Additional requirements under the Scheme "Refund of Income Tax and Custom Duty to United States Education Foundation in India" for the reimbursement of Tax (Rs. 1.05 crore).

As savings are available in the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

(ग) (i) लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए 'प्रशिक्षुता प्रशिक्षण वृत्तिका और छात्रवृत्ति' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त जरुरतों के लिए (0.50 करोड़ रुपये)।

(ii) 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान हेतु सहायता अनुदान (29.90 करोड़ रुपये)।

(iii) भारतीय प्रबंध संस्थानों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता/वेन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने तथा प्रखण्ड अनुदान योजना के अंतर्गत समतुल्य अनुदान बचत प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान (1.20 करोड़ रुपये)।

(iv) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए सहायता अनुदान (0.30 करोड़ रुपये)।

(v) राष्ट्रीय संधानशाला और भट्टी प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों तथा पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित देयताओं का भुगतान करने के लिए सहायता अनुदान (3.15 करोड़ रुपये)।

(vi) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए सहायता अनुदान (1.14 करोड़ रुपये)।

(vii) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड बम्बई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नै के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए सहायता अनुदान (0.65 करोड़ रुपये)।

(viii) भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी विज्ञान डिजिटल पुस्तकालय और प्रौद्योगिकी संघ के अंशदान प्रभारों में वृद्धि करने तथा नये संस्थान को शामिल करने के लिए सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपये)।

(ix) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के महंगाई भत्ता/वेतन, सेवानिवृत्ति लाभों, सम्पत्ति कर/विद्युत/जल प्रभारों इत्यादि की वचनबद्धता देयता के भुगतान के लिए सहायता अनुदान (54.54 करोड़ रुपये)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(घ) सचिवालय सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत महंगाई भत्ता/वेतन, सेवानिवृत्ति लाभों, और स्थापन प्रभारों के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं (3.02 करोड़ रुपये)

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपबलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(ङ) (i) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकरा झार में चल रही ढांचागत विकास गतिविधियों के लिए सहायता अनुदान (2.60 करोड़ रुपये)।

(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर के नये छात्रावासों, कक्षाओं के निर्माण और प्रयोगशाला उपस्करों आदि की खरीद के व्यय की पूर्ति करने के लिए सहायता अनुदान (4.50 करोड़ रुपये)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(च) 'पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर' के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता/वेतन, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान के लिए सहायता अनुदान (0.95 करोड़ रुपये)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचते उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(c) (i) Additional requirements under the Scheme 'Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends' to enhance targets (Rs. 0.50 crore).

(ii) Grants-in-aid to 'National Institutes of Technology' for payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to employees (Rs. 29.90 crore).

(iii) Grants-in-aid to Indian Institutes of Management for payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to employees and provide matching grant saving under block grant scheme (Rs. 1.20 crore).

(iv) Grants-in-aid to Indian Institute of Information Technology & Management, Gwaiior for payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to employees (Rs. 0.30 crore).

(v) Grants-in-aid to National Institute for Foundry and Forge Technology, Ranchi for payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to employees and liabilities pertaining to earlier year (Rs. 3.15 crore).

(vi) Grants-in-aid to Indian Institute of Information Technology, Allahabad for payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to employees (Rs. 1.14 crore).

(vii) Grants-in-aid to 'Board of apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur & Chennai' for payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to employees (Rs. 0.65 crore).

(viii) Grants-in-aid to Indian National Digital Library in Engineering Science and Technology Consortium to increase the subscription charges and inclusion of new institute (Rs. 2.00 crore).

(ix) Grants-in-aid to Indian Institute of Technology for payment of DA/Salary, retirement benefits, committed liability on account of property tax/electricity/water charges etc. (Rs.54.54 crore).

As savings are available in the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

(d) Additional requirements for payment of DA/Salary, retirement benefits, and establishment charges under Secretariat Social Services (Rs.3.02 crore).

As savings are available in the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

(e) (i) Grants-in-aid to Central Institute of Technology (CIT), Kokrajhar for the ongoing infrastructure development activities (Rs . 2.60 crore).

(ii) Grants-in-aid to 'North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar' to meet the expenditure on construction of new Hostels, Class rooms and purchase of Lab Equipment etc. (Rs. 4.50 crore).

As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(f) Grants-in-aid to 'North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar for payment of DA/Salary, bonus and retirement benefits to employees (Rs. 0.95 crore).

As savings are available in the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.58

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिए)।
(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 30 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08)).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*0.03*	*...*	*0.03*
	स्वीकृत		Voted:	1391.76	290.12	1681.88
पूरक अनुदानः		***SUPPLEMENTARY GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	4.92	0.01	4.93
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	0.01	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1396.73**	**290.14**	**1686.87**
	भारित		*Charged:*	*0.03*	*...*	*0.03*
	स्वीकृत		Voted:	1396.70	290.14	1686.84

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2220-सूचना और प्रचार	स्वीकृत	2220- Information and Publicity	Voted:	...	0.01 (कa)	0.01
2221-प्रसारण	स्वीकृत	2221-Broadcasting	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total Revenue Section**	**Voted:**	**...**	**0.02**	**0.02**
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4220-सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4220- Capital Outlay on Information and Publicity	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**		**0.01**	**0.02**	**0.03**
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	0.01	0.02	0.03

निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए इस पूरक अनुदान का अनुग्रह किया गया हैः

(क) निम्नलिखित के लिए 3.28 करोड़ रुपये अपेक्षित हैंः बाल फिल्म सोसायटी को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए (0.42 करोड़ रुपये), भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (1.20 करोड़ रुपये); सत्यजीत रे फिल्म व टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (0.93 करोड़ रुपए), भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली (0.55 करोड़ रुपये) और भारतीय प्रेस परिषद (0.18 करोड़ रुपये)।

(ख) प्रसार भारती को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए 13.38 करोड़ रुपए अपेक्षित है।

यद्यपि अनुदान के राजस्व भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए उपर्युक्त अपेक्षाओं के लिए सांकेतिक पूरकों का अनुरोध किया गया है।

(ग) मशीनरी और उपस्कर खरीद तथा बड़े निर्माण कार्यों लिए 'इलेट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सर्विस' के लिए 2.90 करोड़ रुपये की जरूरत है। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक का अनुरोध दिया गया है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) Rs. 3.28 crore is required for providing additional grants to Children's Films Society (Rs.0.42 crore), Film & Television Institute of India (Rs.1.20 crore), Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata (Rs.0.93 crore), Indian Institute of Mass Communication, New Delhi (Rs.0.55 crore) and Press Council of India (Rs.0.18 crore).

(b) Rs. 13.38 crore is required for providing additional grants to Prasar Bharati.

As matching savings are available in the revenue section of the grant, token supplementaries for the above mentioned requirements are sought.

(c) Rs.2.90 crore is required for 'Electronic Media Monitoring Service' towards purchase of Machinery and Equipment and Major Works. As matching savings are available in the capital section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 59

श्रम और रोजगार मंत्रालय
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59, वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)।

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08 and page 31 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.02*	...	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	1890.28	6.97	1897.25
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	235.94	750.00	985.94
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	88.63	0.01	88.64
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**2214.87**	**756.98**	**2971.85**
	भारित		*Charged:*	*0.02*	...	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	2214.85	756.98	2971.83

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2230-श्रम और रोजगार	स्वीकृत	2230-Labour and Employment	Voted:	...	88.62 (कa)	88.62
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	**स्वीकृत**	**Total (Revenue Section)**	**Voted:**	**0.01**	**88.62**	**88.63**
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4250-Capital Outlay on other Social Services	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.02**	**88.62**	**88.64**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैः

(क) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के संदर्भ में अंशदान के सरकारी अंश पर अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए (150.00 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को खाते में लेने के बाद, 88.62 करोड़ रुपए का नकद पूरक मांगा गया है।

(ख) विश्व बैंक सहायता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना के अंतर्गत आईटीआई के श्रेष्ठ/उन्नत केन्द्रों की स्थापना और प्रशिक्षक प्रशिक्षण विंग/राज्य परियोजना क्रियान्वयन यूनिट/अनुश्रवण और मूल्यांकन इत्यादि केन्द्रों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त सहायता अनुदान (40.00 करोड़ रुपए) जारी करने के लिए। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

(ग) चंडीगढ़ में श्रम ब्यूरो कार्यालय के लिए जमीन की लागत से संबंधित अतिरिक्त व्यय (3.71 करोड़ रुपए) की पूर्ति के लिए। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grants are required for the following purposes:

(a) For meeting additional requirement on Government's share of contribution towards Employees' Pension Scheme, 1995 (Rs.150.00 crore). After taking into account savings available in the same Section of the Grant, cash supplementary of Rs. 88.62 crore is sought.

(b) For release of additional grants-in-aid to various States for establishment of Centres of Excellence/Upgradation of ITIs and establishment of Instructor Training Wing (ITWs)/State Project Implementation Unit (SPIU)/ Monitoring & Evaluation, etc. under Vocational Training Improvement Project (VTIP) with World Bank Assistance (Rs. 40.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant a token supplementary is sought.

(c) For meeting additional expenditure in connection with the cost of land for Labour Bureau Office at Chandigarh (Rs. 3.71 crore). As matching savings are available within the Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.60

चुनाव आयोग
ELECTION COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिए)।
(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	14.50	...	14.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	1.00	...	1.00
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**15.50**	**...**	**15.50**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2015-चुनाव		2015- Election				
	स्वीकृत		Voted:	...	1.00	1.00

यह पूरक अनुदान भारतीय निर्वाचन आयोग और परिसीमन आयोग के अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धित व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें आयोग और राष्ट्रीय मतदाता जागरुकता अभियान/प्रशिक्षण योजना के लिए वेबसाइट के रखरखाव का प्रावधान (1.00 करोड़ रुपए) भी शामिल है। इसमें नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional establishment related expenditure of Election Commission of India and the Delimitation Commission. It also includes provision for maintenance of a website for the Commission and Scheme of National Voters Awareness Campaign/Training (Rs.1.00 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.61

विधि और न्याय मंत्रालय
LAW AND JUSTICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिए)।
(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 33 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	816.97	0.03	817.00
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**817.01**	**0.03**	**817.04**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2014-न्याय प्रशासन		2014-Administration of Justice				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (कa)	...	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.02**	**...**	**0.02**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया हैः

(क) न्यायपालिका की ढांचागत सुविधाओं संबंधी अतिरिक्त व्यय की (1.00 करोड़ रुपए) पूर्ति हेतु संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित) की सरकारों को सहायता अनुदान।

(ख) न्यायपालिका की ढांचागत सुविधाओं संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (54.99 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में ही बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) Grants-in-aid to Union Territory Governments (without Legislatures) for meeting additional expenditure on infrastructural facilities of Judiciary (Rs.1.00 crore).

(b) Grants-in-aid to State Governments for meeting additional expenditure on infrastructural facilities of Judiciary (Rs.54.99 crore).

As savings are available within the Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.62 (विनियोग) (APPROPRIATION)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय
SUPREME COURT OF INDIA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिए)।
(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*53.26*	...	*53.26*
	स्वीकृत		Voted:	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	*3.48*	...	*3.48*
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	भारित		***Charged:***	***56.74***	**...**	***56.74***

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2014-न्याय प्रशासन		2014- Administration of Justice				
	भारित		*Charged:*	...	*3.48*	*3.48*

यह पूरक विनियोग स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय और तोड़-फोड़ निरोधी, सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा संबंधी उपकरणों पर अतिरिक्त व्यय (3.48 करोड़ रुपए) के लिए अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropration is required for meeting additional establishment related expenditure and for additional expenditure on Anti Sabotage, CCTV and other security related equipment (Rs.3.48 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.65

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिए)।
(See page 65 of the Demands for Grants of Cental Government for the year 2007-2008 and page 32 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	568.65	64.25	632.90
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**568.67**	**64.25**	**632.92**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2810-गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत	स्वीकृत	2810- Non-Conventional Sources of Energy	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगा गया हैः-

(क) बायोगैस विकास कार्यक्रम के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत वचनबद्ध देयताओं संबंधी अतिरिक्त व्यय (14.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

(ख) सौर फोटोवोल्टीय (एसपीवी) कार्यक्रम के तहत राज्य अभिकरणों को जारी करने हेतु (23.95 करोड़ रुपए)।

(ग) पवन पम्प कार्यक्रम को सहायता के तहत वचनबद्ध देयताओं (2.40 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

(घ) औद्योगिक अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा के तहत वचनबद्ध देयताओं (0.75 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

(ङ) राज्य केन्द्रक अभिकरण के तहत वचनबद्ध देयताओं (0.40 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:-

(a) To meet additional expenditure for committed liabilities under National Programme for Biogas Development programme (Rs.14.00 crore).

(b) For release to State agencies under Solar Photovoltaic (SPV) programme (Rs.23.95 crore).

(c) To meet committed liabilities under Assistance to Wind Pump Programme (Rs.2.40 crore).

(d) To meet committed liabilities under Energy from Industrial Waste (Rs.0.75 crore).

(e) To meet committed liabilities under State Nodal Agency (Rs.0.40 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.69

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली मांगो का पृष्ठ सं.34 देखिए)।
(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 34 of the First Supplementary Demands for Grants for the yeart 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*7.61*	*9.00*	*16.61*
	स्वीकृत		Voted:	320.88	28.51	349.39
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	*2.24*	...	*2.24*
	स्वीकृत		Voted:	6.46	...	6.46
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**337.20**	**37.51**	**374.71**
	भारित		*Charged:*	*9.85*	*9.00*	*18.85*
	स्वीकृत		Voted:	327.35	28.51	355.86

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant/Appropiration will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	...	6.46 (कa)	6.46
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ		2070-Other Administrative Services				
	भारित		*Charged:*	...	*2.24* (खb)	*2.24*
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**		**...**	**8.70**	**8.70**
	भारित		*Charged:*	...	*2.24*	*2.24*
	स्वीकृत		Voted:	...	6.46	6.46

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपेक्षित हैः

(क) केन्द्रीय अनुसंधान संबंधी ब्यूरो का स्थापना व्यय

(ख) केन्द्रीय सतर्कता संबंधी आयोग का स्थापना व्यय

चूंकि अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसमें कोई निवल व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for meeting additional requirement for:

(a) establishment related expenditure of Central Bureau of Investigation.

(b) establishment related expenditure of Central Vigilance Commission.

As matching savings available in the Capital Voted Section of the Grant will be surrendered, this supplementary will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 70

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 और वर्ष 2007-2008 अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 तथा अनुदान की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिए)।
(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 35 of First Supplementary Demands for Grants and page 38 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	2867.81	...	2867.81
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	11256.94	...	11256.94
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	9326.09	...	9326.09
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**23450.84**	**...**	**23450.84**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2802-पेट्रेलियम	स्वीकृत	2802-Petroleum	Voted:	9325.76 (कa)	...	9325.76
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat-Economic Services	Voted:	...	0.33 (खb)	0.33
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**9325.76**	**0.33**	**9326.09**

टिप्पणीः *अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।*

Note: *The above estimates of additional requirements do not take into account the receipts shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.*

8012-विशेष जमा और लेखा	8012-Special Deposits and Accounts	...	(-)9296.92	(-)9296.92

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए अपेक्षित हैः

(क) (i) संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के खाते में अनुमानित वसूलियों (9076.41 करोड़ रुपए) के अंतर्गत तेल विपणन कंपनियों के लिए और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (197.37 करोड़ रुपए) और आईओसी (23.14 करोड़ रुपए) की आपात देयताओं के निपटान हेतु तथा एपीएम अवधि से संबंधित विशेष प्रतिभूतियां जारी करके क्षतिपूर्ति प्रदान करना। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ii) घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल (50.00 करोड़ रुपए) पर सब्सिडी में संवर्धन। चूंकि 21.16 करोड़ रुपए की राशि की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों से की जायेगी, अतः इसमें 28.84 करोड़ रुपए का व्यय होगा।

(ख) सचिवालय-आर्थिक सेवाओं (0.33 करोड़ रुपए) के तहत प्रावधानों में वृद्धि करना है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:-

(a) (i) Providing compensation through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated under-recoveries on account of sale of sensitive petroleum products (Rs.9076.41 crore) and settlement of the contingent liabilities of ONGC (Rs.197.37 crore) and IOC (Rs.23.14 crore) pertaining to the APM period. This does not entail any cash outgo.

(ii) Augmentation of Subsidy on Domestic LPG & PDS Kerosene (Rs.50.00 crore). As an amount of Rs. 21.16 crore will be met through savings available within the same Section of the Grant, this will entail a cash outgo of Rs.28.84 crores.

(b) Augmentation of provisions under Secretariat-Economic Services (Rs.0.33 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 72

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF POWER

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 देखिए)।
(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	4883.91	1010.28	5894.19
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	2.27	0.01	2.28
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		Voted:	4886.18	1010.29	5896.47

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	2.26 (कa)	...	2.26
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (बb)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	**स्वीकृत**	**Total (Revenue Section)**	**Voted:**	**2.27**	**...**	**2.27**
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4801-Capial Outlay on Power Projects	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**2.28**	**...**	**2.28**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः

(क) विष्णुगढ़ पीपलकोटी पनबिजली परियोजना के अध्ययन हेतु टिहरी हाइड्रो डिवलपमेंट कार्पोरेशन को विश्व बैंक से प्राप्त सहायता (2.26 करोड़ रुपए) को अग्रेषित करने हेतु। यह व्यय लेखा समायोजनों के स्वरूप का है, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम हेतु राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (240.47 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ग) टिहरी हाइड्रो डिवलपमेंट कॉर्पोरेशन की विष्णुगढ़ पीपलकोटी की अनुमोदित परियोजना के लिए इक्विटी (60.74 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) For passing on aid received from World Bank to Tehri Hydro Development Corporation Limited (THDC) for studies for Vishnugad Pipalkoti Hydro Electric Project (Rs. 2.26 crore). This expenditure is in the nature of accounting adjustments, hence, it does not entail cash outgo.

(b) To provide for Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana (RGGVY) for the North Eastern Region and Sikkim (Rs. 240.47 crore). As matching savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) To provide equity (Rs. 60.74 crore) for the approved project of Vishnugad Pipalkoti of Tehri Hydro Development Corporation. As matching savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 73 (विनियोग APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते

STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिए)।
(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*17.64*	...	*17.64*
	स्वीकृत		Voted:	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	*1.73*	...	*1.73*
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	भारित		***Charged:***	***19.37***	**...**	***19.37***

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2012-राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	स्वीकृत	2012-President, Vice President, Governor, Administrator of Union Territories	*Charged:*	...	*1.73*	*1.73*

यह पूरक विनियोग अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional establishment related expenditure. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 75

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिए)।
(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.54*	...	*0.54*
	स्वीकृत		Voted:	108.97	...	108.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	*0.08*	...	*0.08*
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**109.59**	**...**	**109.59**
	भारित		*Charged:*	*0.62*	...	*0.62*
	स्वीकृत		Voted:	108.97	...	108.97

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	स्वीकृत	2011-Parliament/State/ Union Territory Legislatures	*Charged:*	...	*0.08*	*0.08*

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional establishment related expenditure. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.78

ग्रामीण विकास विभाग
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 और वर्ष 2007-08 की अनुदान की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 और वर्ष 2007-08 की अनुदान की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिए)।

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 36 of the First Supplementary Demands for Grants 2007-2008 and page 40 of Second Supplementary Demands for Grants 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	43347.86	...	43347.86
I. पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	300.01	20.00	320.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	980.66	...	980.66
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**44628.53**	**20.00**	**44648.53**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451- Secretariat - Economic Services	Voted:	...	0.64 (कa)	0.64
2505-ग्रामीण रोजगार		2505- Rural Employment	Voted:	880.00 (खb)	...	880.00
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत	2515- Other Rural Development Programmes	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
3054-सड़क और पुल		3054- Roads and Bridges	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552- North Eastern Areas	Voted:	100.00 (ङe)	...	100.00
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**980.02**	**0.64**	**980.66**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए मांगा गया हैः

(क) वेतन के तहत प्रावधान। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) (i) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का खाद्यान्न घटक (600 करोड़ रुपये)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये की बचतें उपलब्ध हैं,इसमें 580 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (1064.09 करोड़ रुपए), चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 764.09 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसमें 300 करोड़ रूपए का नकद व्यय होगा।

(ग) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की प्रशासनिक लागतों की पूर्ति हेतु डीआरडीए प्रशासन (38 करोड़ रुपये)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एडीबी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (350 करोड़ रूपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हितार्थ एक मुश्त प्रावधान के अंतर्गत कोष में संवर्द्धन। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional requirement of the following:

(a) Provision under salaries. This will entail cash outgo.

(b) (i) Foodgrains Component of Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (Rs. 600 crore). After taking into account savings of Rs. 20 crore within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs. 580 crore.

(ii) National Rural Employment Guarantee Scheme (Rs. 1064.09 crore). After taking into account savings of Rs. 764.09 crore within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs. 300 crore.

(c) For meeting the administrative costs of District Rural Development Agencies (DRDAs) (Rs.38 crore) . As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) ADB assisted projects under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (Rs. 350 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e) Augmentation of funds under lump sum provision for the benefit of North Eastern Region and Sikkim. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.79

भू-संसाधन विभाग
DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 देखिए)।
(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	1503.78	...	1503.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**1503.79**	**...**	**1503.79**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	स्वीकृत	2501-Special Programmes for Rural Development	Voted:	0.01	...	0.01

समेकित जलसंभर प्रबन्धन कार्यक्रम की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस पूरक अनुदान की मांग की गई है (50 करोड़ रुपये)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary Grant is sought for meeting the additional requirement of Integrated Watershed Management Programme (Rs.50 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.80

पेयजल आपूर्ति विभाग
DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिए)।
(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 41 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	7561.74	...	7561.74
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**7561.76**	**...**	**7561.76**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता	स्वीकृत	2215- Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की मांग मल व्ययन तथा स्वच्छता कार्यक्रम की अतिरिक्त आवश्यकता (16.63 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु की गयी है। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting the additional requirement of Sewerage and Sanitation Programme (Rs.16.63 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.81

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिए)।
(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*0.02*	*...*	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	1713.38	73.90	1787.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	1.95	1.96
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1713.41**	**75.85**	**1789.26**
	भारित		*Charged:*	*0.02*	*...*	*0.02*
	स्वीकृत		Voted:	1713.39	75.85	1789.24

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान		3425-Other Scientific Research				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (कa)	...	0.01
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5425-Capital Outlay on other Scientific and Environmental Research	Voted:	1.95 (खb)	...	1.95
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**1.96**	**...**	**1.96**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए अपेक्षित हैः

(क) निम्नलिखित के लिए अनुदान सहायता मांगी गयी हैः (i) भारतीय वैज्ञानिक कृषि एसोसिएशन, कोलकाता (7 करोड़ रुपये), (ii) भारतीय खगोल-भौतिकी संस्थान, बंगलौर (4.85 करोड़ रुपये), (iii) श्री चित्र तिरुनल आयुर्विज्ञान चिकित्सा और प्रौद्योगिकी संस्थान, (एससीटीआईएमएसटी), तिरुवअनन्तपुरम (2 करोड़ रुपये), (iv) जवाहर लाल नेहरु उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर (5 करोड़ रुपये), (v) चूर्ण धातु-विज्ञान और नवीन सामग्री के लिए उच्च अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद (6 करोड़ रुपये), (vi) राज्य वेधशाला (एआरआईईएस), नैनीताल (7 करोड़ रुपये), (vii) बांस उत्पाद प्रौद्योगिकी (20 करोड़ रुपये), (viii) अनुसंधान और विकास सहायता (25 करोड़ रुपये), (ix) अन्य देशों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग (10 करोड़ रुपये) और (x) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता विकास (7 करोड़ रुपये)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अंदर समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा है।

(ख) गांधी नगर, गुजरात में भारतीय सर्वेक्षण के निर्माण व्यय के लिए (2 करोड़ रुपये)। पूंजी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों से 0.05 करोड़ रुपये की राशि की पूर्ति की जायेगी और शेष 1.95 करोड़ रुपये की राशि की पूर्ति राजस्व भाग से अभ्यर्पित करने के बाद की जायेगी। इसलिए इसमें कोई निवल नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for the following:

(a) for Grants-in-aid to (i) Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata (Rs.7 crore), (ii) Indian Institute of Astrophysics, Bangalore (Rs.4.85 crore), (iii) Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology (SCTIMST) Thiruvananthapuram (Rs.2 crore), (iv) Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore (Rs.5 crore), (v) Advanced Research Centre for Powder Metallurgy & New Materials Hyderabad (Rs.6 crore), (vi) State Observatory (ARIES), Nainital (Rs.7 crore), (vii) Technology for Bamboo Products (Rs.20 crore), (viii) Research & Development Support (Rs.25 crore), (ix) S&T Cooperation with other countries (Rs.10 crore) and (x) S&T Entrepreneurship Development (Rs.7 crore). As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Towards construction expenditure of Survey of India (Rs.2 crore) at Gandhi Nagar, Gujarat. A sum of Rs.0.05 crore will be met from savings within Capital Section and the balance amount of Rs.1.95 crore will be met after surrendering from the Revenue Section. Hence there will be no net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.82

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिए)।
(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	1901.90	0.10	1902.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	0.20	0.22
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**1901.92**	**0.30**	**1902.22**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत	3425-Other Scientific Research	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण संबंधी अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5425-Capital Outlay on other Scientific and Environmental Research	Voted:	0.20 (गc)	...	0.20
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.21**	**0.01**	**0.22**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैः

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) को बौद्धिक सम्पदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (6.20 करोड़ रुपए)।

(ख) सीएसआईआर प्रशासन को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (10 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(ग) प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए एशिया एंड पैसिफिक सेन्टर के विशेष निर्माण कार्य संबंधी व्यय के लिए। चूंकि राजस्व भाग में बचत उपलब्ध है, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) For providing grants-in-aid to Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) towards Intellectual Property & Technology Management (Rs.6.20 crore).

(b) For providing additional grants-in-aid to the Administration of the CSIR (Rs.10 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) For expenditure towards special construction work for Asia and Pacific Centre for the Transfer of Technology. As saving is available under Revenue Section, this will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 83

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिए)।
(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	694.70	...	694.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	8.30	...	8.30
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**703.00**	**...**	**703.00**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat-Economic Services	Voted:	...	0.30 (कa)	0.30
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत	3425-Other Scientific Research	Voted:	7.20 (खb)	...	7.20
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.80 (गc)	...	0.80
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**8.00**	**0.30**	**8.30**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए हैः

(क) सचिवालय आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय की पूर्ति हेतु।

इसमें निवल नकद व्यय होगा।

(ख) (i) निम्नलिखित योजनाओं के लिए सहायता अनुदान के अन्तर्गत व्यय की पूर्ति हेतु; (1) जैव-प्रौद्योगिकी एसोसिएटशिप एंड ट्रेनिंग अब्रोड (1.57 करोड़ रुपए), (2) जैव-प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना (2.00 करोड़ रुपए), (3) जैव-प्रौद्योगिकी शिक्षण तथा प्रशिक्षण (4.99 करोड़ रुपए), (4) कृषि जैव-प्रौद्योगिकी (4.99 करोड़ रुपए), (5) चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी (4.99 करोड़ रुपए), (6) ह्यूमेन जिनेटिक्स तथा जिनोमिक्स (3.25 करोड़ रुपए), (7) पशु जैव प्रौद्योगिकी (2.00 करोड़ रुपए), (8) नैनो जैव प्रौद्योगिकी (2.45 करोड़ रुपए), (9) वैक्सीन (1.84 करोड़ रुपए) और (10) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जिनोम रिसर्च (0.60 करोड़ रुपए)।

(ii) निम्नलिखित अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के अन्तर्गत व्यय की पूर्ति हेतुः (1) स्टेम सैल अनुसंधान (4.20 करोड़ रुपए), (2) जैव इन्जीनियरिंग (2.00 करोड़ रुपए) और अन्तर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम तथा वैज्ञानिक परामर्शी समिति सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु (1.00 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant is required for the following:

(a) For meeting the expenditure under Secretariat Economic Services.

This will entail cash outgo.

(b) (i) For meeting the expenditure under Grants-in-aid for the following schemes: (1) Bio-Technology Associateships and Training Abroad (Rs 1.57 crore), (2) Biotech Popularization (Rs 2.00 crore), (3) Biotechnology Education & Training (Rs 4.99 crore), (4) Agriculture Biotechnology (Rs 4.99 crore), (5) Medical Biotechnology (Rs 4.99 crore), (6) Human Genetics & Genomics (Rs 3.25 crore), (7) Animal Biotechnology (Rs 2.00 crore), (8) Nano Biotechnology (Rs 2.45 crore), (9) Vaccine (Rs.1.84 crore) and (10) National Institute of Plant Genome Research (Rs. 0.60 crore).

(ii) For meeting the expenditure under the following R& D activities: (1) Stem Cell Research (Rs 4.20 crore), (2) Bioengineering (Rs 2.00 crore) and for meeting expenditure for International Bilateral Programme and Scientific Advisory Committee (Rs.1.00 crore).

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 28.68 करोड़ रुपए की बचत उपलब्ध है; इसलिए 7.20 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत स्कीमों के लिए सहायता अनुदान के व्यय की पूर्ति हेतु (1) जैव स्रोत विकास तथा उपयोग (2.80 करोड़ रुपए), (2) नैनो जैव प्रौद्योगिकी (0.82 करोड़ रुपए), (3) कृषि जैव-प्रौद्योगिकी (0.10 करोड़ रुपए) और (4) बायो इन्फोर्मेटिक्स (2.25 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 5.17 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए इसमें 0.80 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

As saving of Rs 28.68 crore is available within the same Section of the Grant, this will entail a cash outgo of Rs.7.20 crore.

(c) For meeting the expenditure of Grants-in-aid for Schemes under North-Eastern areas for (1) Bioresource development & utilization (Rs 2.80 crore), (2) Nano Biotechnology (Rs 0.82 crore), (3) Agriculture Biotechnology (Rs 0.10 crore) and (4) Bio-Informatics (Rs. 2.25 crore). As saving of Rs 5.17 crore is available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs 0.80 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.84

नौवहन विभाग
DEPARTMENT OF SHIPPING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2007-08 की अनुदान की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)। (See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	1111.50	589.50	1701.00
I. पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*92.78*	...	*92.78*
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	0.01	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1204.30**	**589.51**	**1793.81**
	भारित		*Charged:*	*92.78*	...	*92.78*
	स्वीकृत		Voted:	1111.52	589.51	1701.03

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3051-पत्तन द्वीप स्तंभ	स्वीकृत	3051-Ports and Light Houses	Voted:	...	0.01 (कa)	0.01
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	स्वीकृत	3056-Inland Water Transport	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ - राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total - Revenue Section**	**Voted:**	**...**	**0.02**	**0.02**
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4858-इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4858-Capital Outlay On Engineering Industries	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.01**	**0.02**	**0.03**

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु मांगे गए हैः

(क) (i) हल्दिया चैनल के लिए कोलकाता पत्तन ट्रस्ट को अतिरिक्त तलकर्षण सब्सिडी (20.43 करोड़ रूपए) प्रदान करने हेतु;

(ii) अंदमान लक्षद्वीप पत्तन निर्माण कार्य के लघु निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त व्यय प्रदान करने हेतु (1.10 करोड़ रुपए);

(iii) सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरण (1.59 करोड़ रुपए); अवमूल्यन प्रारक्षित निधि में अंतरण (3.00 करोड़ रुपए) और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्राप्तियों में से द्वीप स्तंभ एवं हल्के जलयान महानिदेशालय द्वारा व्यावसायिक सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय (1.50 करोड़ रूपए) की पूर्ति हेतु।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अतिरिक्त सहायता

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(a) (i) For providing additional dredging subsidy to Kolkata Port Trust for Haldia Channel (Rs. 20.43 crore);

(ii) For providing additional expenditure for Minor Works of Andaman Lakshadweep Harbour Works (ALHW) (Rs. 1.10 crore);

(iii) Transfer to General Reserve Fund (Rs.1.59 crore), Depreciation Reserve Fund (Rs.3.00 crore) and to meet additional expenditure on professional services (Rs.1.50 crore) by Directorate General of Light Houses and Light Ships (DGLHLS) against the additional receipts during current financial year.

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) For providing additional grants-in-aid to Inland

अनुदान (0.54 करोड़ रूपए) प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ग) 70 टन के एलएल क्रेन की अधिप्राप्ति के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. की अतिरिक्त आवश्यकता (7.78 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

Waterways Authority of India (Rs. 0.54 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) For providing additional requirement of Hindustan Shipyard Ltd. (Rs. 7.78 crore) for procurement of 70 ton LL Crane. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.85

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग
DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिए)।
(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.80*	*6.70*	*7.50*
	स्वीकृत		Voted:	12003.90	12674.48	24678.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	...	*0.50*	*0.50*
	स्वीकृत		Voted:	161.88	0.01	161.89
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**12166.58**	**12681.69**	**24848.27**
	भारित		*Charged:*	*0.80*	*7.20*	*8.00*
	स्वीकृत		Voted:	12165.78	12674.49	24840.27

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3054-सड़क एवं पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:	...	161.88 (कa)	161.88
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
5054-सड़क और पुलों पर परिव्यय		5054-Capital Outlay on Roads and Bridges				
	भारित		*Charged:*	...	*0.50* (खb)	*0.50*
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**		**0.01**	**162.38**	**162.39**
	भारित		*Charged:*	...	*0.50*	*0.50*
	स्वीकृत		Voted:	0.01	161.88	161.89

टिप्पणीः *उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दिखाई गयी वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।*

Note: *The above estimates do not include the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure:*

पूंजी भाग	*CAPITAL SECTION*			
मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEAD**			
5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)10.31	(-)10.31

इस पूरक अनुदान/विनियोग की मांग निम्नलिखित उदेश्यों हेतु की गई हैः

(क) (i) सड़क विंग (177.30 करोड़ रुपए) और सीमा सड़क विंग (10.00 करोड़ रुपए) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव एव मरम्मत (ii) सामरिक और सीमा सड़क रखरखाव कार्य (9.74 करोड़ रुपए); (iii) भूटान प्रतिपूरक भत्ते (11.90 करोड़ रुपए) हेतु सहायता अनुदान; और (iv) बीआरडीबी द्वारा भूटान के अन्दर किए

The supplementary grant /appropriation is sought for the following purposes:

(a) For meeting additional expenditure on (i) Maintenance and repairs of national highways undertaken by Roads Wing (Rs.177.30 crore) and Border Roads Wing (Rs.10.00 crore); (ii) Strategic & Border Road maintenance works (Rs.9.74 crore); (iii) Grants-in-aid for

जाने वाले सड़क निर्माण कार्य हेतु सहायता अनुदान (5.49 करोड़ रुपए), की अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(ख) न्यायालय डिक्रीयों और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में 52.55 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं और 64.77 करोड़ रुपए की बचतों के उपयोग और अनुदान के बूंजी भाग में 10.31 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई वसूलियां देखते हुए इसमें 87.30 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

(ग) सीमा सड़क संगठन द्वारा जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग 1क, 1ख, 1ग औरक 1घ के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी 100.00 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

Bhutan Compensatory Allowance (Rs.11.90 crore); and (iv) Grants-in-aid for road works undertaken by Border Roads Development Board in Bhutan (Rs.5.49 crore) .

(b) For meeting additional expenditure on account of court decrees and Motor Accident Claims Tribunal (Rs.0.50 crore).

After taking into account savings of Rs.52.55 crore available within the Revenue Section of the Grant, savings of Rs.64.77 crore in the Capital Section of the Grant and enhanced recoveries of Rs. 10.31 crore, this will entail a net cash outgo of Rs.87.30 crore.

(c) For meeting additional expenditure of Rs. 100.00 crore towards land acquisition in Jammu & Kashmir (J&K) by Border Roads Organization (BRO) in respect of National Highway 1A, IB, 1C and ID. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.86

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय
(पूर्वनाम - लघु उद्योग मंत्रालय)
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(PREVIOUSLY - MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86, वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 तथा वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिए)।
(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 38 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008 and page 42 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	585.41	...	585.41
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	4.07	1.90	5.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**589.49**	**1.90**	**591.39**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग	स्वीकृत	2851- Village and Small Industries	Voted:	0.01	...	0.01

इन पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए है (i) प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान की गुणवत्ता और सब्सिडियों से सम्बद्ध कार्यक्रम (4.14 करोड़ रुपए), (ii) प्रोत्साहन सेवा संस्थान तथा अन्य प्रभार सम्बन्धी कार्यक्रम (4.73 करोड़ रुपए) और (iii) अन्य प्रशासनिक व्ययों पर डाटा बेस का उन्नयन (1.55 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting the additional requirement of (i) Quality of Technology Support Institution & Programme on Subsidies (Rs.4.14 crore), (ii) Promotional Service Institutions and Programmes on Other Charges (Rs.4.73 crore) and (iii) Updation of Data base on Other Administrative Expenses (Rs.1.55 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.87

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगो का पृष्ठ 39 तथा वर्ष 2007-08 की अनुदानों की दूसरी पूरक मागों का पृष्ठ 43 देखिए)।
(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 39 of First Supplementary Demands for Grants and page 43 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः	*I. ORIGINAL GRANT:*				
स्वीकृत		Voted:	1934.15	125.00	2059.15
पूरक अनुदानः	*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
स्वीकृत		Voted:	200.02	...	200.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत		Voted:	0.83	...	0.83
जोड़ (मूल और पूरक)	**Total (Original plus Supplementary)**				
स्वीकृत		Voted:	2135.00	125.00	2260.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष	**MAJOR HEAD**				
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	2225- Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
स्वीकृत		Voted:	0.83	...	0.83

इस पूरक अनुदान की मांग 'बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउण्डेशन' के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय (1.00 करोड़ रुपए) हेतु की गई है। इसमें 0.83 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के माध्यम से शेषराशि (0.17 करोड़ रुपए) की पूर्ति की जाएगी।

The supplementary grant is sought for recurring and non-recurring expenditure (Rs.1.00 crore) for 'Babu Jagjivan Ram National Foundation'. This will entail a cash outgo of Rs. 0.83 crore. The balance amount (Rs.0.17 crore) shall be met through savings available within the same Section of the Grant.

मांग संख्या DEMAND NO. 89

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिए)।
(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	1834.92	18.62	1853.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**1834.93**	**18.62**	**1853.55**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3454-जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	स्वीकृत	3454-Census Surveys and Statistics	Voted:	...	0.01	0.01

इस पूरक अनुदान की मांग भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) कोलकत्ता के अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी व्यय (2.50 करोड़ रुपये) की पूर्ति हेतु की गई है।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought of meeting additional establishment related expenditure of Indian Statistical Institute (ISI), Kolkata (Rs. 2.50 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.90

इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2007-08 की अनुदान की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिए)।
(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 44 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	85.50	65.00	150.50
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	4.27	...	4.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	...	5.00	5.00
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**89.77**	**70.00**	**159.77**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4852-लौह और इस्पात उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4852-Capital Outlay on Iron and Steel Industries	Voted:	5.00	...	5.00

यह पूरक अनुदान आवश्यक भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि. (7.00 करोड़ रुपये) में कंपनी की नवीकरण, परिवर्तन और प्रतिस्थापन योजनाओं के लिए इक्विटी निवेश हेतु मांगा गया था। चूंकि इस व्यय को अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध 2.00 करोड़ रुपये की बचतों से आंशिक रूप से पूरा किया जाएगा, शेष राशि के लिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इस अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत 5.00 करोड़ रुपये की तुलनीय बचतें उपलब्ध हैं, जिसे सुपुर्द कर दिया जायेगा। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for equity investment in Bharat Refractories Ltd. (Rs. 7.00 crore) for Addition, Modification and Replacement (AMR) schemes of the Company. As the expenditure will be met partly from savings of Rs. 2 crore available under the same section of the Grant, technical supplementary is sought for the balance amount. Matching savings of Rs. 5.00 crore are available under the Revenue Section of the Grant, which will be surrendered. This will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 91

कपड़ा मंत्रालय
MINISTRY OF TEXTILES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2007-2008 की अनुदान की दूसरी पूरक की मांगों का पृष्ठ 45 देखिए)।
(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 45 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	2811.20	325.48	3136.68
पूरक अनुदानः		***SUPPLEMENTARY GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	1454.03	0.01	1454.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	509.68	0.01	509.69
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**4774.91**	**325.50**	**5100.41**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2851-ग्रामीण और लघु उद्योग	स्वीकृत	2851-Village and Small Industries	Voted:	0.01 (कa)	...	0.01
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	0.01 (खb)	509.66 (गc)	509.67
जोड़ - राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total - Revenue Section**	**Voted:**	**0.02**	**509.66**	**509.68**
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
4851-ग्रामीण और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.03**	**509.66**	**509.69**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित योजनाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए मांगा गया हैः

(क) (i) मिल गेट प्राइस स्कीम योजना (8.50 करोड़ रुपये); (ii) डिजाइन और तकनीकी उन्नयन (1.25 करोड़ रुपये) और (iii) मानव संसाधन विकास (1.52 करोड़ रुपये)।

(ख) प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना (232.37 करोड़ रुपये) और (ii) कपड़ा प्रबंधन संस्थान (4.18 करोड़ रुपये)।

चूंकि अनुदान में उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ग) (i) आवश्यक लेखन समायोजनों के लिए यथा भारतीय पटसन निगम लि. की पुनर्संरचना करने के कारण बकाया ऋण को बट्टे-खाते में डालना (196.58 करोड़ रुपये) और ब्याज को माफ करना (313.07 करोड़ रुपये)। इसे प्राप्तियों से पूरा किया जायेगा, और इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा। (ii) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए (0.50 करोड़ रुपये)। चूंकि अनुदान में उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(घ) बुनकर के सेवा केन्द्रों/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारभूत अवर्संरचना पर व्यय की पूर्ति के लिए (1.15 करोड़ रुपये)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary Grant is sought for meeting the additional expenditure on the following schemes:-

(a) (i) Mill Gate Price Scheme (Rs.8.50 crore), (ii) Design and Technical Upgradation (Rs.1.25 crore) and (iii) Human Resource Development (Rs.1.52 crore).

(b) (i) Technology Upgradation Fund Scheme (Rs.232.37 crore) and (ii) Institute of Textile Management (Rs.4.18 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

(c) (i) for carrying out necessary accounting adjustments viz. write off of outstanding loan (Rs.196.58 crore) and waiver of interest (Rs.313.07 crore) consequent upon restructuring of Jute Corporation of India Ltd. This will be matched by receipts, and hence will not entail cash outgo; (ii) for meeting the additional requirement of National Institute of Fashion Technology (Rs.0.50 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) towards meeting the expenditure on Infrastructure for Weavers' Service Centres (WSC)/Indian Institutes of Handloom Technology (IIHT) (Rs.1.15 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 92

पर्यटन मंत्रालय
MINISTRY OF TOURISM

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिए)।
(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	390.62	606.00	996.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	1.50	1.51
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		Voted:	390.63	607.50	998.13

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
3452-पर्यटन	स्वीकृत	3452-Tourism	Voted:	0.01 (कa)	...	0.01
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
5452-पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5452-Capital Outlay on Tourism	Voted:	1.50 (खb)	...	1.50
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**1.51**	**...**	**1.51**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया हैः

(क) होटल प्रबंधन संस्थान/फूड क्राफ्ट संस्थान/भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान/राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी परिषद के लिए केन्द्रीय वित्त सहायता (3.00 करोड़ रुपए), आवास अवसंरचना के प्रोत्साहन हेतु (4.00 करोड़ रूपए) और यूएनडीपी के तहत पर्यटन परियोजना के लिए (1.00 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, इसलिए पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) गन्तव्य स्थलों और सर्किटों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास के अंतर्गत जारी योजनाओं/परियोजनाओं के लिए व्यय (59.28 करोड़ रुपए) की पूर्ति के लिए अतिरिक्त कोष की जरूरत है। चूंकि 57.78 करोड़ रुपए की समतुल्य बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, इसलिए 1.50 करोड़ रुपए की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा गया है।

इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होता है।

This supplementary grant is sought for:

(a) For Central Financial Assistance to Institute of Hotel Management (IHMs)/Food Craft Institute (FCI)/Indian Institute of Tourism & Travel Management (IITTM)/ National Council for Hotel Management & Catering Technology (NCHMCT) (Rs. 3.00 crore), Incentive to Accomodation Infrastructure (Rs. 4.00 crore), and Tourism Project under UNDP (Rs. 1.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Additional funds are required for meeting expenditure (Rs. 59.28 crore) for ongoing schemes/projects under Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits. As matching savings of Rs. 57.78 crore is available in the same Section of the Grant, supplementary is sought for remaining amount of Rs. 1.50 crore.

This supplementary does not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 93

जनजातीय कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93, वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिए)।

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008 and page 46 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*1489.29*	...	*1489.29*
	स्वीकृत		Voted:	207.73	35.02	242.75
पूरक अनुदानः		***SUPPLEMENTARY GRANT:***				
	भारित		*Charged:*	*18.42*	...	*18.42*
	स्वीकृत		Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1715.47**	**35.02**	**1750.49**
	भारित		*Charged:*	*1507.71*	...	*1507.71*
	स्वीकृत		Voted:	207.76	35.02	242.78

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान 'अनुवीक्षण और मूल्यांकन' योजना के अंतर्गत मूल्यांकन अध्ययनों का संचालन करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों के लिए सहायता अनुदान के रूप में मांगा गया है (0.14 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for providing grants-in-aid to specialized agencies for conducting Evaluation Studies under the Scheme 'Monitoring and Evaluation' (Rs.0.14 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.94

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिए)।
(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*0.01*	...	*0.01*
	स्वीकृत		Voted:	1127.02	816.90	1943.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	99.00	1.00	100.00
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1226.03**	**817.90**	**2043.93**
	भारित		*Charged:*	*0.01*	...	*0.01*
	स्वीकृत		Voted:	1226.02	817.90	2043.92

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
गृह मंत्रालय		**Ministry of Home Affairs**				
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2052-Secretariat General Services	Voted:	...	0.80 (क a)	0.80
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	...	1.20 (ख b)	1.20
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070-Other Administrative Services	Voted:	...	0.76 (ग c)	0.76
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	स्वीकृत	2245-Relief on account of Natural Calamities	Voted:	...	28.63 (घ d)	28.63
ग्रामीण विकास मंत्रालय		**Ministry of Rural Development**				
2215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रम	स्वीकृत	2215-Water Supply and Sanitation Programme	Voted:	...	1.62 (ड e)	1.62
विद्युत मंत्रालय		**Ministry of Power**				
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	...	31.00 (च f)	31.00
माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग		**Department of Secondary Education and Higher Education**				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	...	1.20 (छ g)	1.20
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		**Ministry of Road Transport and Highways**				
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070- Other Administrative Services	Voted:	...	0.12 (ज h)	0.12
3054-सड़कें और पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:	...	2.00 (झ i)	2.00
पोत परिवहन मंत्रालय		**Ministry of Shipping**				
3051-पत्तन और द्वीप स्तंभ	स्वीकृत	3051-Port and Light Houses	Voted:	...	5.50 (ञ j)	5.50
3052-पोत परिवहन	स्वीकृत	3052-Shipping	Voted:	...	20.00 (ट k)	20.00
नागर विमानन मंत्रालय		**Ministry of Civil Aviation**				
3053-नागर मंत्रालय	स्वीकृत	3053-Civil Aviation	Voted:	...	4.17 (ठ l)	4.17
शहरी विकास मंत्रालय		**Ministry of Urban Development**				
2059-लोक निर्माण	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	...	1.00 (ड m)	1.00
2216-आवासन	स्वीकृत	2216-Housing	Voted:	...	1.00 (ढ n)	1.00
जोड़ राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total Revenue Section**	**Voted:**	**...**	**99.00**	**99.00**

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
पर्यावरण और वन मंत्रालय		**Ministry of Environment and Forest**				
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life	Voted:	...	0.66 (ण)	0.66
शहरी विकास मंत्रालय		**Ministry of Urban Development**				
4059-लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4059-Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	0.34 (त्प)	0.34
जोड़ पूंजी भाग	**स्वीकृत**	**Total Capital Section**	**Voted:**	**...**	**1.00**	**1.00**
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**100.00**	**100.00**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए हैः

(क) सुनामी पुर्नवास निर्माण कार्यों की यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर को किराए में लेने की लागत तथा यात्रा व्यय।

(ख) पुलिस कार्मिकों का वेतन, चिकित्सा उपचार तथा यात्रा व्यय।

(ग) होमगार्ड कार्मिकों की मजदूरी तथा यात्रा व्यय।

(घ) अस्थायी शरण स्थलों में अनुग्रह रूप में तथा मुफ्त राशन आपूर्ति तथा अन्य संभार तंत्र सहायता।

(ड़) ग्रामीण जलापूर्ति का रख-रखाव।

(च) विद्युत क्षेत्र हेतु पीओएल तथा स्नेहक की खरीद।

(छ) सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के लिए तैनात अध्यापकों तथा स्टाफ के संबंध में निजी स्कूलों को अनुदान (0.50 करोड़ रुपए) छात्रवृत्ति (0.30 करोड़ रुपए) और यात्रा व्यय (0.40 करोड़ रुपए)।

(ज) औद्योगिक कर्मचारियों हेतु बकाया समयोपरि भत्ते।

(झ) सड़कों तथा पुलों का रख-रखाव।

(ञ) पोत परिवहन विभाग के लिए पीओएल खरीद (5.00 करोड़ रुपए) तथा गोदी बाड़ों का रख-रखाव (0.50 करोड़ रुपए)।

(ट) मेसर्स शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया को जलयानों के संचालन तथा रखरखाव हेतु भुगतान।

(ठ) मेसर्स पवन हंस हेलिकॉप्टर लि. को अन्तर्द्वीपीय हेलिकॉप्टर सेवाओं के कारण भुगतान।

(ड) गैर-आवासीय भवनों का रख-रखाव।

(ण) आवासीय भवनों का रख-रखाव।

(त) वानिकी तथा वन्यजीव के अन्तर्गत विभिन्न पूंजी परिसम्पत्तियों का रख-रखाव।

(थ) लोक निर्माण कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न पूंजी परिसम्पत्तियों का रख-रखाव।

इस पूरक में 100 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on:

(a) Chartering cost of Helicopter and travel expenses for visiting Tsunami Rehabilitation Works.

(b) Salary, medical treatment and travel expenses of Police personnel.

(c) Wages of Home Guard personnel and travel expenses.

(d) Ex-gratia and free ration supply and other logistic support in temporary shelters.

(e) Maintenance of rural water supply.

(f) Purchase of P.O.L. and lubricants for Power Sector.

(g) Grants to Private Schools (Rs. 0.50 crore); scholarships (Rs. 0.30 crore) and travel expenses (Rs. 0.40 crore) in respect of teachers and staff posted in tsunami affected areas on fixed tenure posting.

(h) OTA arrears to Industrial employees.

(i) Maintenance of Roads and Bridges.

(j) Purchase of P.O.L. for Shipping Department (Rs. 5.00 crore) & maintenance of dockyards (Rs. 0.50 crore)

(k) Payment for running and maintenance of vessels to M/s Shipping Corporation of India.

(I) Payment on account of inter-island helicopter services to M/s Pawan Hans Helicopter Ltd.

(m) Maintenance of non-residential buildings.

(n) Maintenance of residential buildings.

(o) Maintenance of various capital assets under Forestry and Wild Life,

(p) Maintenance of various capital assets under Public Works Sector.

The supplementary will entail cash outgo of Rs.100 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 95

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 देखिए)।
(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*35.22*	*0.30*	*35.52*
	स्वीकृत		Voted:	1190.35	191.76	1382.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित		*Charged:*	*4.35*	*...*	*4.35*
	स्वीकृत		Voted:	93.57	41.08	134.65
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1323.49**	**233.14**	**1556.63**
	भारित		*Charged:*	*39.57*	*0.30*	*39.87*
	स्वीकृत		Voted:	1283.92	232.84	1516.76

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
गृह मंत्रालय		**Ministry of Home Affairs**				
2014-न्याय प्रशासन		2014-Administration of Justice				
	भारित		*Charged:*	*...*	*4.35(क a)*	*4.35*
	स्वीकृत		Voted:	...	1.80(ख b)	1.80
2030- स्टाम्प और पंजीकरण	स्वीकृत	2030-Stamps and Registration	Voted:	...	0.21(ग c)	0.21
2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2052-Secretariat General Services	Voted:	...	0.60(घ d)	0.60
2053- जिला प्रशासन	स्वीकृत	2053-District Administration	Voted:	...	0.45(ङ e)	0.45
2054- राजकोषीय और लेखा प्रशासन	स्वीकृत	2054-Treasury And Accounts Administration	Voted:	...	0.04(च f)	0.04
2055- पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	4.95(छ g)	7.26(ज h)	12.21
2056- जेल	स्वीकृत	2056-Jails	Voted:	...	0.38(झ i)	0.38
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070-Other Administrative Services	Voted:	0.39(ञ j)	0.87(ट k)	1.26
ग्रामीण विकास मंत्रालय		**Ministry of Rural Development**				
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत	2515-Other Rural Development Programmes	Voted:	2.48(ठ l)	...	2.48
विद्युत मंत्रालय		**Ministry of Power**				
2801- विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	...	22.13(ड m)	22.13
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		**Ministry of Food Processing Industries**				
2408- खाद्य भंडारण और भांडागारण	स्वीकृत	2408-Food Storage and Warehousing	Voted:	...	0.10(ढ n)	0.10
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		**Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution**				
3456-नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत	3456-Civil Supplies	Voted:	0.13(ण o)	...	0.13

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		**Ministry of Health and Family Welfare**				
2210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical & Public Health	Voted:	2.78(तp)	2.95(थq)	5.73
बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग		**Department of Elementary Education and Literacy**				
2202- सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	2.19(दr)	3.23(धs)	5.42
2236- पोषण	स्वीकृत	2236-Nutrition	Voted:	1.00(नt)	...	1.00
माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग		**Department of Secondary Education and Higher Education**				
2202- सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	0.04(पu)	8.04(फv)	8.08
2203- तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत	2203-Technical Education	Voted:	1.16(बw)	1.51(भx)	2.67
युवा मामले और खेल मंत्रालय		**Ministry of Youth Affairs and Sports**				
2204- खेलकूद और युवा मामले	स्वीकृत	2204-Sports and Youth Services	Voted:	0.42(मy)	0.42(यz)	0.84
संस्कृति मंत्रालय		**Ministry of Culture**				
2205- कला और संस्कृति	स्वीकृत	2205-Art and Culture	Voted:	0.18(ककaa)	0.42(खखbb)	0.60
श्रम और रोजगार मंत्रालय		**Ministry of Labour and Employment**				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	0.50(गगcc)	...	0.50
2230- श्रम और रोजगार	स्वीकृत	2230-Labour and Employment	Voted:	...	0.34(घघdd)	0.34
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		**Ministry of Road Transport and Highways**				
3055- सड़क परिवहन	स्वीकृत	3055-Road Transport	Voted:	...	5.61(ङङee)	5.61
पर्यटन मंत्रालय		**Ministry of Tourism**				
3452- पर्यटन	स्वीकृत	3452-Tourism	Voted:	1.71(चचff)	0.40(छछgg)	2.11
शहरी विकास मंत्रालय		**Ministry of Urban Development**				
2058-स्टेशनरी और मुद्रण	स्वीकृत	2058-Stationery and Printing	Voted:	...	0.88(जजhh)	0.88
2059- लोक निर्माण	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	...	4.38(झझii)	4.38
2215- जल आपूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत	2215-Water Supply and Sanitation	Voted:	...	1.49(ञञjj)	1.49
2216- आवास	स्वीकृत	2216-Housing	Voted:	...	1.53(टटkk)	1.53
2217- शहरी विकास	स्वीकृत	2217-Urban Development	Voted:	...	9.06(ठठll)	9.06
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		**Ministry of Social Justice and Empowerment**				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		2235-Social Security and Welfare	Voted:	...	0.08(डडmm)	0.08
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		**Ministry of Communication and Information Technology**				
3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat - Economic Services	Voted:	0.96(ढढnn)	0.50(णणoo)	1.46
जोड़ - राजस्व भाग		**Total - Revenue Section**		**18.89**	**79.03**	**97.92**
	भारित		*Charged:*	...	*4.35*	*4.35*
	स्वीकृत		Voted:	18.89	74.68	93.57

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
गृह मंत्रालय		**Ministry of Home Affairs**				
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4055-Capital Outlay on Police	Voted:	2.50(ततpp)	...	2.50
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4059-Capital Outlay on Public Works	Voted:	1.64(थथqq)	...	1.64
कृषि मंत्रालय		**Ministry of Agriculture**				
4405-मत्स्य उद्योग पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4405-Capital Outlay on Fisheries	Voted:	0.13(ददrr)	...	0.13
माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग		**Department of Secondary Education and Higher Education**				
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture	Voted:	2.66(धधss)	...	2.66
युवा मामले और खेल मंत्रालय		**Ministry of Youth Affairs and Sports**				
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	4.80(ननtt)	...	4.80
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		**Ministry of Road Transport & Highways**				
5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5055-Capital Outlay on Road Transport	Voted:	3.00(पपuu)	...	3.00
शहरी विकास मंत्रालय		**Ministry of Urban Development**				
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4216-Capital Outlay on Housing	Voted:	10.21(फफvv)	...	10.21
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4217-Capital Outlay on Urban Development	Voted:	6.17(बबww)	9.97(भभxx)	16.14
जोड़ - पूंजी भाग	**स्वीकृत**	**Total - Capital Section**	**Voted:**	**31.11**	**9.97**	**41.08**
जोड़ (पूरक)		**Total (Supplementary)**		**50.00**	**89.00**	**139.00**
	भारित		*Charged:*	...	*4.35*	*4.35*
	स्वीकृत		Voted:	50.00	84.65	134.65

टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकता के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई अतिरिक्त वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिनका समायोजन व्यय में से घटाकर किया जाता है।

***Note** : The above estimates of additional requirement do not take into account the additional recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.*

पूंजी भाग		*REVENUE SECTION*				
विद्युत मंत्रालय		**Ministry of Power**				
2014- न्याय प्रशासन	स्वीकृत	2014-Administration of Justice	Voted:	...	-1.60	-1.60
2801- लोक निर्माण	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	...	-4.65	-4.65
2801- जल आपूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत	2014-Water Supply & Sanitation	Voted:	...	2.25	2.25
जोड़ - पूंजी भाग	**स्वीकृत**	**Total - Revenue Section**	**Voted:**	**...**	**-4.00**	**-4.00**
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4217-Capital Outlay on Urban Development	Voted:	...	-19.00	-19.00
जोड़ - पूंजी भाग	**स्वीकृत**	**Total - Capital Section**	**Voted:**	**...**	**-19.00**	**-19.00**
जोड़ (वसूलियां)		**Total (Recoveries)**		**...**	**-23.00**	**-23.00**

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:

(क) स्थापना संबंधी व्यय में अभिवृद्धि।

(ख) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (1.77 करोड़ रु.) चिकित्सा दावे/बिल (0.14 करोड़ रु,); यात्रा भत्ते पर अतिरिक्त व्यय (0.13 करोड़ रु.); विद्युत, जल और दूरभाष इत्यादि के लम्बित बिल (0.16 करोड़ रु.) और राज्य विधायी प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों के वेतन और भत्तों के बकाया के भुगतान हेतु (0.20 करोड़ रु.)।

(ग) गैर-न्यायिक स्टाम्प्स खरीदने हेतु।

(घ) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (0.40 करोड़ रु.); चिकित्सा दावों/बिलों हेतु (0.04 करोड़ रु.) तथा विद्युत, जल और दूरभाष इत्यादि के लम्बित बिलों हेतु (0.16 करोड़ रु.)।

(ङ) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (0.12 करोड़ रु.); विद्युत, जल और दूरभाष इत्यादि के लम्बित बिलों हेतु (0.33 करोड़ रु.)।

(च) लम्बित चिकित्सा बिलों का निपटान करने हेतु।

(छ) यातायात बिन्दुओं पर सीसीटीवी निगरानी कैमरों की स्थापना हेतु।

(ज) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (6.59 करोड़ रु.) चिकित्सा दावों/बिलों हेतु (0.10 करोड़ रु,) विद्युत, जल और दूरभाष इत्यादि के लम्बित बिलों हेतु (0.10 करोड़ रु.); पुलिस की वर्दियों के बिलों के निपटान करने हेतु (0.18 करोड़ रु.); यातायात बिन्दुओं पर सीसीटीवी निगरानी कैमरों की स्थापना हेतु (0.25 करोड़ रु.) और पुलिस अस्पताल में औषधियों की खरीद हेतु (0.04 करोड़ रु.)।

(झ) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (0.16 करोड़ रु.); होम गार्ड स्वयंसेवकों को 220 पदों के सृजन के कारण (0.01 करोड़ रु.); यात्रा भत्ते के दावों में वृद्धि (0.01 करोड़ रु.) और मॉडल जेल में राशन और अन्य सामग्री की खरीद (0.20 करोड़ रु.)।

(ञ) यू.टी. गेस्ट हाऊस में सामान की खरीद हेतु और ठेके पर लिए गए कर्मचारियों की मजदूरी का भुगतान करने हेतु।

(ट) विद्युत, जल और दूरभाष इत्यादि के लम्बित बिलों हेतु (0.12 करोड़ रु.);स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (0.02 करोड़ रु.); दैनिक मजदूरी (0.45 करोड़ रु.); यू.टी. गेस्ट हाऊस में सामान की खरीद हेतु और ठेके पर लिए गए कर्मचारियों की मजदूरी का भुगतान करने हेतु (0.28 करोड़ रु.)।

(ठ) गांवों के उन्नयन और विकास के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु।

(ड) स्थापना संबंधी व्यय का भुगतान (1.87 करोड़ रु.) चिकित्सा दावों/बिलों हेतु (0.08 करोड़ रु,); विद्युत की खरीद और लम्बित विद्युत आपूर्ति बिलों हेतु (20.00 करोड़ रु.) शहर में विद्युत लाइनों और खम्भों के अनुरक्षण हेतु (0.18 करोड़ रु.)

(ढ) फूड क्राफ्टस संस्थान में कार्यरत स्टाफ और संस्थान में विभिन्न विकास कार्यकलापों के लिए स्थापना संबंधी व्यय हेतु।

(ण) निर्धन वर्ग हेतु राशन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु।

(त) सामान्य अस्पताल में कार्यरत वर्ग-iv के कर्मचारियों की वर्दियां खरीदने हेतु (0.28 करोड़ रु.); स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (2.00 करोड़ रु.); संविदात्मक कार्मिकों के लिए मजदूरी का भुगतान हेतु (0.50 करोड़ रु.)।

(थ) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (2.74 करोड़ रु.); चिकित्सा इत्यादि (0.11 करोड़ रु.); विद्युत, जल और दूरभाष इत्यादि के लम्बित बिलों हेतु (0.10 करोड़ रु.)।

The Supplementary Grant/Appropriation is required for the following purposes:

(a) Increase in establishment related expenditure.

(b) Increase in establishment related expenditure (Rs. 1.17 crore); medical claims/bills (Rs. 0.14 crore); additional expenditure on TA (Rs. 0.13 crore); pending bills of Electricity, Water & Telephone etc. (Rs.0.16 crore) and for payment of arrear of Pay and Allowances for the staff working in State Legal Authority (Rs. 0.20 crore).

(c) For the purchase of non-judicial stamps.

(d) Increase in establishment related expenditure (Rs. 0.40 crore); medical claims/bills (Rs. 0.04 crore) and pending bills of Electricity, Water & Telephone etc. (Rs. 0.16 crore).

(e) Increase in establishment related expenditure (Rs. 0.12 crore); pending bills of Electricity, Water & Telephone etc. (Rs. 0.33 crore).

(f) For clearing pending medical bills.

(g) For the installation of CCTV surveillance cameras at traffic points.

(h) Increase in establishment related expenditure (Rs. 6.59 crore); medical claims/bills (Rs.0.10 crore); pending bills of Electricity, Water & Telephone etc. (Rs. 0.10 crore); to clear the bills of police uniforms (Rs.0.18 crore); installation of CCTV surveillance cameras at traffic points (Rs. 0.25 crore) and purchase of medicines in Police Hospital (Rs. 0.04 crore).

(i) Increase in establishment related expenditure (Rs. 0.16 crore); creation of 220 posts of Home Guard Volunteers (Rs. 0.01 crore); enhanced TA claims (Rs. 0.01 crore) and purchase of ration and other material in Model Jail (Rs. 0.20 crore).

(j) For purchase of material in U.T. Guest House and for the payment of wages to the contractual staff.

(k) Pending bills of Electricity, Water & Telephone etc.(Rs. 0.12 crore); increase in establishment related expenditure (Rs.0.02 crore); daily wages (Rs. 0.45 crore); for purchase of material in U.T. Guest House and for payment of wages to the contractual staff (Rs. 0.28 crore).

(l) For providing modern facilities for upgradation and development of the villages.

(m) Payment of establishment related expenditure (Rs. 1.87 crore); medical claims/bills (Rs. 0.08 crore); purchase of power and pending power supply bills (Rs. 20.00 crore); for maintenance of electricity lines and poles in the city (Rs. 0.18 crore).

(n) Establishment related expenditure for the staff working in Food Crafts Institute & for various development activities in the Institute.

(o) For strengthing ration distribution system for the poor class.

(p) For purchase of uniforms for class-IV employees working in General Hospital (Rs. 0.28 crore); Increase in establishment related expenditure (Rs. 2.00 crore); payment of wages to the contractual staff (Rs. 0.50 crore).

(q) Establishment related expenditure (Rs. 2.74 crore); medical bills, etc. (Rs. 0.11 crore); pending bills of Electricity, Water & Telephone etc. (Rs. 0.10 crore).

(द) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (0.19 करोड़ रु.); सर्वशिक्षा अभियान योजना के तहत व्यय का हिस्सा (2.00 करोड़ रु.)।

(ध) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (2.50 करोड़ रु.); सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में साफ सफाई/झाड़ पोछ हेतु (0.52 करोड़ रु.); सामग्री की खरीद हेतु (0.10 करोड़ रु.) और विद्युत, जल और दूरभाष इत्यादि के लम्बित बिलों के निपटान करने हेतु (0.11 करोड़ रु.);

(न) मध्यांहन भोजन योजना के तहत व्यय का हिस्सा।

(प) स्थापना संबंधी व्यय का भुगतान।

(फ) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (1.15 करोड़ रु.); सभी विद्यालयों और महाविद्यालियों में साफ सफाई/झाड़ पोछ हेतु (0.90 करोड़ रु.); पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के संदर्भ में घाटे के बकाय हेतु (5.50 करोड़ रु.); चिकित्सा बिल हेतु (0.14 करोड़ रु.); सहायता प्राप्त विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के स्थापना व्यय में वृद्धि (0.20 करोड़ रु.); और विद्युत, जल और दूरभाष इत्यादि के लम्बित बिलों का निपटान करने हेतु (0.15 करोड़ रु.);

(ब) स्थापना संबंधी व्यय (0.16 करोड़ रु.); पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के स्थापना संबंधी व्यय वृद्धि हेतु (1.00 करोड़ रु)।

(भ) स्थापना संबंधी व्यय का भुगतान (0.15 करोड़ रु.); पंजाब इंजीनियरिंग कालेज में कार्यरत कार्मिकों के वेतन और भत्तों में वृद्धि(1.00 करोड़ रु)।

(म) विद्युत, जल और दूरभाष इत्यादि के लम्बित बिलों हेतु (0.16 करोड़ रु.); सामग्री की खरीद हेतु (0.26 करोड़ रु.)।

(य) स्थापना संबंधी व्यय का भुगतान (0.35 करोड़ रु.); खेलकूद विभाग के लिए सामान खरीदने हेतु (0.07 करोड़ रु.)।

(कक) सहायता अनुदान की प्राप्ति में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि।

(खख) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (0.27 करोड़ रु.) चिकित्सा दावों/बिलों हेतु (0.03 करोड़ रु,) विद्युत, जल और दूरभाष इत्यादि के लम्बित बिलों हेतु (0.10 करोड़ रु.); पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु (0.02 करोड़ रु.)।

(गग) ईएसआई अस्पतालों में औषधियों की खरीद हेतु।

(घघ) स्थापना संबंधी व्यय का भुगतान।

(डड) स्थापना संबंधी व्यय का भुगतान (2.22 करोड़ रु.); चंडीगढ़ परिवहन प्रतिष्ठान के परिचालन कार्मिकों के समयोपरि भत्ते हेतु (2.97 करोड़ रु.); चिकित्सा बिलों/दावों हेतु (0.07 करोड़ रु.);यात्रा भत्ते पर अतिरिक्त व्यय (0.15 करोड़ रु.);सीटीयू के परिचालन कार्मिकों के लिए वर्दियों की खरीद हेतु (0.20 करोड़ रु.)।

(चच) फूड क्राफ्टस संस्थान में कार्यरत कार्मिकों के लिए वेतन और भत्तों के बकाया का भुगतान और संस्थान में विकास गतिविधियों के लिए (0.80 करोड़ रु.); शहर में विभिन्न पर्यटन सुविधाओं के उन्नयन हेतु (0.91 करोड़ रु.)।

(छछ) विद्युत, जल और दूरभाष इत्यादि के लम्बित बिलों का निपटान करने हेतु।

(जज) सामान खरीदने हेतु (0.25 करोड़ रु.); स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (0.60 करोड़ रु.); चिकित्सा दावों/बिलों हेतु (0.03 करोड़ रु,)।

(झझ) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (2.92 करोड़ रु.) चिकित्सा बिलों/दावों हेतु (0.08 करोड़ रु,) विद्युत, जल और दूरभाष इत्यादि के लम्बित बिलों हेतु (0.10 करोड़ रु.); टीए का भुगतान (0.09 करोड़ रु.); दैनिक मजदूरी के भुगतान हेतु (0.15 करोड़ रु.); प्रशासन के गैर-आवासीय भवनों में विभिन्न अनुरक्षण कार्यों हेतु (0.89 करोड़ रु.)। केन्द्रीय भंडार के लिए वस्तुएं खरीदने हेतु (0.15 करोड़ रु.)।

(r) Establishment related expenditure (Rs. 0.19 crore); share of expenditure under Sarv Shiksha Abhiyan Scheme (Rs. 2.00 crore).

(s) Establishment related expenditure (Rs. 2.50 crore); for sweeping/cleaning of all schools and colleges (Rs 0.52 crore); purchase of material (Rs. 0.10 crore) and clearing pending bills of Electricity, Water & Telephone etc. (Rs. 0.11 crore).

(t) For sharing of expenditure under mid-day meal scheme

(u) Payment of establishment related expenditure.

(v) Payment of establishment related expenditure (Rs. 1.15 crore); for sweeping/cleaning of all schools and colleges (Rs. 0.90 crore); arrears of deficit in respect of Panjab University, Chandigarh (Rs. 5.50 crore); medical bills (Rs. 0.14 crore); increase in establishment expenditure for staff working in aided schools & colleges (Rs. 0.20 crore) and pending bills of Electricity, Water & Telephone etc.(Rs. 0.15 crore).

(w) Payment of establishment related expenditure (Rs. 0.16 crore); establishment related expenditure for staff working in Punjab Engineering College (Rs.1.00 crore).

(x) Payment of establishment related expenditure. (Rs. 0.51 crore); increase in pay and DA for staff working in Punjab Engineering College (Rs.1.00 crore).

(y) For pending bills of Electricity, Water & Telephone etc.(Rs. 0.16 crore); purchase of material (Rs. 0.26 crore).

(z) Payment of establishment related expenditure (Rs. 0.35 crore); purchase of material for Sports Department (Rs. 0.07 crore).

(aa) Increase in number of beneficiaries in receipt of grants-in-aid.

(bb) Payment of establishment related expenditure (Rs. 0.27 crore); medical claims/bills (Rs. 0.03 crore); pending bills of Electricity, Water & Telephone etc.(Rs. 0.10 crore); for purchase of books for library (Rs. 0.02 crore).

(cc) For purchase of medicines in ESI Hospitals.

(dd) Payment of establishment related expenditure.

(ee) Payment of establishment related expenditure (Rs. 2.22 crore); overtime allowance of operational staff of Chandigarh Transport Undertaking (Rs. 2.97 crore); medical bills/claims (Rs. 0.07 crore); additional expenditure on TA (Rs. 0.15 crore); purchase of uniforms for the operational staff of CTU (Rs. 0.20 crore).

(ff) Payment of arrears of Pay & Allowances for staff working in Food Crafts Institute & for development activities in the Institute (Rs. 0.80 crore); upgradation of various Tourism facilities in the City (Rs. 0.91 crore).

(gg) For clearing the pending bills of Electricity, Water & Telephone etc.

(hh) For purchase of material (Rs. 0.25 crore); increase in establishment related expenditure (Rs. 0.60 crore); medical bills/claims (Rs. 0.03 crore).

(ii) Payment of establishment related elxpenditure (Rs. 2.92 crore); medical bills/claims (Rs. 0.08 crore); pending bills of Electricity, Water & Telephone etc.(Rs. 0.10 crore); payment of TA (Rs. 0.09 crore); for various maintenance works in non-residential buildings of the Administration (Rs. 0.89 crore); for payment of daily wagers (Rs. 0.15 crore); purchase of material for Central Stores (Rs. 0.15 crore).

(जज) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (0.80 करोड़ रु.) चिकित्सा बिलों/दावों हेतु (0.07 करोड़ रु,); जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज ट्रीटमैंट लाइनों के अनुरक्षण हेतु (0.62 करोड़ रु.)

(टट) स्थापना संबंधी व्यय का भुगतान (0.08 करोड़ रु.); दैनिक मजदूरों के लिए भुगतान (0.02 करोड़ रु.); चंडीगढ़ में सरकारी आवासों के अनुरक्षण हेतु (1.43 करोड़ रु.)।

(ठठ) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि (0.64 करोड़ रु.); विद्युत, जल और दूरभाष इत्यादि के लम्बित बिलों हेतु (0.20 करोड़ रु.); नगर निगम, चंडीगढ़ के लिए अतिरिक्त अनुदान (8.20 करोड़ रु.); चिकित्सा बिलों/दावों हेतु (0.02 करोड़ रु,)।

(डड) स्थापना संबंधी व्यय का भुगतान (0.02 करोड़ रु.); सामाजिक कल्याण विभाग की कल्याण योजनाओं हेतु (0.06 करोड़ रु.)।

(ढढ) एसडब्ल्यूएएन, सीटीओ एसएस और सीआईटीआरओपी जैसी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु।

(तत) सीआईपीए परियोजना (0.50 करोड़ रु.) के अंतर्गत पुलिस थानों के उन्नयन और गांव धनास में पुलिस आवासों के निर्माण हेतु (2.00 करोड़ रु.)।

(थथ) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रशासनिक खण्ड के निर्माण और उच्च न्यायालय भवन में सेन्ट्रल एसी के प्रावधान हेतु (1.44 करोड़ रु.); चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु (0.02 करोड़ रु.); जेल भवन सुधार करने हेतु (0.18 करोड़ रु.)।

(दद) चल रहे निर्माण कार्यों को पुरा करने के लिए।

(धध) विद्यालयों के विभिन्न भवनों मे निर्माण हेतु और विभिन्न महाविद्यालयों के सिविल कार्यों के लिए।

(नन) क्रिकेट स्टेडियम में सुविधाएं मुहैया कराने के लिए।

(पप) चंडीगढ़ परिवहन प्रतिष्ठान में सेमी लो फ्लोर और एसी डीलक्स बसें खरीदने के लिए।

(फफ) सरकारी आवासों के निर्माण को पूरा करने हेतु (5.52 करोड़ रु.) और जेएनएनयूआरएम परियोजना के लिए हस्तांतरित किया जाने वाला कोष (4.69 करोड़ रु.)

(बब) प्रशासन की विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने हेतु।

(भभ) विभिन्न चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए अर्थात नेहरु अभिनय कला केन्द्र का निर्माण, प्लास्टिक रैग डीलर्स केन्द्र का निर्माण, सड़कों, कंक्रीट सड़कों सहित, को चौड़ा और मजबूत करने के लिए आरजीटीपी-फेज-II में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु, थिएटर और ईडीसी परियोजना इत्यादि का विकास करने हेतु।

व्यय में कटौती करके वसूलियां को समायोजित करने के बाद, इस पूरक अनुदान में 116.00 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।

(jj) Payment of establishment related expenditure (Rs. 0.80 crore); medical bills/claims (Rs. 0.07 crore); for maintenance of water supply lines & sewerage treatment lines (Rs. 0.62 crore).

(kk) Payment of establishment related expenditure (Rs. 0.08 crore); payment to daily wagers (Rs. 0.02 crore); for maintenance of Govt. Houses in Chandigarh (Rs. 1.43 crore).

(ll) Payment of establishment related expenditure (Rs. 0.64 crore); pending bills of Electricity, Water & Telephone etc. (Rs 0.20 crore); additional grant for Municipal Corporation, Chandigarh (Rs. 8.20 crore); medical bills/ claims (Rs. 0.02 crore).

(mm) Payment of establishment related expenditure (Rs. 0.02 crore); welfare schemes of Social Welfare Department (Rs. 0.06 crore).

(nn) & (oo) For the upgradation of Information Technologies for implementing various schemes like SWAN, CTOSS and CITROP.

(pp) For upgradation of police stations under CIPA Project (Rs. 0.50 crore) and construction of police houses in village Dhanas (Rs. 2.00 crore).

(qq) Construction of Administrative Block in Punjab & Haryana High Court and for provision of central AC in High Court building (Rs. 1.44 crore); completion of various ongoing works (Rs. 0.02 crore); upgradation of Jail Building (Rs. 0.18 crore).

(rr) For completion of ongoing works.

(ss) For construction of various buildings of schools and for the civil works of various colleges.

(tt) For upgrading the facilities in the Cricket Stadium.

(uu) For purchase of semi low floor and AC delux buses for the Chandigarh Transport Undertaking.

(v v) For completion of construction of govt. houses (Rs. 5.52 crore) and funds to be transferred to JNNURM Project (Rs. 4.69 crore).

(ww) For acquisition of land for various projects of the Administration.

(xx) For completion of various ongoing works, i.e. construction of Nehru Centre for Performing Art, construction of Centre for Plastic Rag Dealers, to provide basic amenities in RGTP Phase-II, for the widening and strengthening of roads including concrete roads, upgradation of Theatre and EDC Project, etc.

After adjustment of the recoveries taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a net cash outgo of Rs. 116.00 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.96

दादरा और नागर हवेली
DADRA AND NAGAR HAVELI

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 देखिए)।
(See page 105 of the Demand for Grants of Central Government for the year 2007-08).

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	918.14	39.12	957.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	16.32	9.90	26.22
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**934.46**	**49.02**	**983.48**
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	934.46	49.02	983.48

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
गृह मंत्रालय		**Ministry of Home Affairs**				
2030-स्टाम्प और पंजीकरण		2030-Stamps and Registration				
	स्वीकृत		Voted:	...	0.05 (कa)	0.05
ग्रामीण विकास मंत्रालय		**Ministry of Rural Development**				
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत	2515-Other Rural Development Programmes	Voted:	0.96 (खb)	...	0.96
विद्युत मंत्रालय		**Ministry of Power**				
2801- विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	1.60 (गc)	0.40 (घd)	2.00
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय		**Ministry of Environment and Forests**				
2406-वानिकी व वन्य जीव	स्वीकृत	2406-Forestry & Wild Life	Voted:	...	1.42 (ङe)	1.42
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		**Ministry of Health and Family Welfare**				
2210- चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	2.45 (चf)	1.05 (छg)	3.50
प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग		**Department of Elementary Education and Literacy**				
2202- सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	3.71 (जh)	0.35 (झi)	4.06
माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा		**Department of Secondary Education and Higher Education**				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	0.95 (ञj)	...	0.95
सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय		**Ministry of Road Transport and Highways**				
3054-सड़कें एवं पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:	2.00 (टk)	0.23 (ठl)	2.23
जल संसाधन मंत्रालय		**Ministry of Water Resources**				
2215-जलापूर्ति व सफाई		2215-Water Supply & Sanitation	Voted:	0.50 (डm)	0.35 (ढn)	0.85
2702-लघु सिंचाई		2702-Minor Irrigation	Voted:	0.15 (णo)	0.15 (तp)	0.30
कुल राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total Revenue Section**	**Voted:**	**12.32**	**4.00**	**16.32**

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
विद्युत मंत्रालय		**Ministry of Power**				
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4801-Capital Outlay on Power Projects	Voted:	4.50 (थq)	...	4.50
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		**Ministry of Health and Family Welfare**				
4210- चिकित्सा व जनस्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted:	1.45 (दा)	...	1.45
माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग		**Department of Secondary Education and Higher Education**				
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture	Voted:	0.25 (घs)	...	0.25
पर्यटन मंत्रालय		**Ministry of Tourism**				
5452-पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5452-Capital Outlay on Tourism	Voted:	0.50 (नत)	...	0.50
जल संसाधन मंत्रालय		**Ministry of Water Resources**				
4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4215-Capital Outlay on Water supply and Sanitation	Voted:	3.20 (पप)	...	3.20
कुल-पूंजी भाग	**स्वीकृत**	**Total-Capital Section**		**9.90**	**...**	**9.90**
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**22.22**	**4.00**	**26.22**

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु है:-

(क) सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों के बकाया बिलों का भुगतान।

(ख) पंचायत बाजार और पंचायत घरों के निर्माण के लिए पंचायत को सहायता अनुदान।

(ग) स्ट्रीट लाइट वर्क्स पर प्रतिबद्ध व्यय के निपटान हेतु नगरपालिका सिल्वासा को सहायता अनुदान (0.60 करोड़ रुपये) और पंचायत को स्ट्रीट लाइट ऊर्जा बिलों और बकाया डीजीएस व डी दावों के निपटान हेतु (1.00 करोड़ रुपये)।

(घ) बकाया स्ट्रीट लाइट बिलों का भुगतान और डीजीएस व डी भुगतान।

(ङ) एसीपी वेतनमान स्वीकृति के कारण वन विभाग के कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान।

(च) सिविल अस्पताल हेतु औषधि, सर्जीकल सामग्री आदि की खरीद (0.70 करोड़ रुपए); सिविल अस्पताल के संविदा के आधार पर रखे गए चिकित्सकों, विशेषज्ञों, नर्स और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ को पारिश्रमिक भुगतान (1.35 करोड़ रुपये) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 'कन्या बचाओ कार्यक्रम' पर प्रतिबद्ध व्यय हेतु (0.40 करोड़ रुपये)

(छ) विनोबा भावे सिविल अस्पताल में इनडोर रोगियों के लिए बेडशीट, कोट, आहार प्रदान करने आदि की खरीद

(ज) सर्वशिक्षा अभियान समिति और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से (2.51 करोड़ रुपये) का भुगतान तथा पंचायत को प्राथमिक विद्यालय टायलेट ब्लाक्स का निर्माण और कक्षा कमरों के विस्तार हेतु सहायता अनुदान (1.20 करोड़ रुपये)।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on:

(a) Payment of pending bills of Government Printing Presses.

(b) Grants-in-aid to Panchayat for construction of Panchayat Market and Panchayat Ghars.

(c) Grants-in-aid to Minicipality, Silvassa for clearing the committed expenditure on street light works (Rs.0.60 crore) and to Panchayat for clearing the street light energy bills and pending DGS&D Claims (Rs.1.00 crore).

(d) Payment of pending street light bills and DGS&D payments.

(e) Payment of salary arrears to the employees of Forest Department on account of sanction of ACP scales.

(f) Purchase of medicine, surgical material etc. for Civil Hospital (Rs.0.70 crore); payment of remuneration to the contractual Doctors including Specialists, Nurses and other Para Medical staff of Civil Hospital (Rs.1.35 crore) and to make committed expenditure on 'Save a Girl Child Programme' for SC/STs (Rs.0.40 crore).

(g) Purchase of bedsheets, coats, providing diet, etc. for in-door patients for Vinoba Bhave Civil Hospital.

(h) Payment of UT share (Rs.2.51 crore) to Sarva Shiksha Abhiyan Society and Kasturba Gandhi Balika Vidalaya and Grants-in-aid (Rs.1.20 crore) to Panchayat for construction of primary schools, toilet blocks and extension of class rooms.

(झ) 244 प्राथमिक विद्यालयों के रखरखाव हेतु पंचायत को सहायता अनुदान।

(ञ) दैनिक मजदूरी अध्यापकों को बकाया मजदूरी का भुगतान (0.70 करोड़ रुपये) और पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियों के बकाया दावों (0.25 करोड़ रुपये) का भुगतान।

(ट) चालू सड़क कार्य को पूरा करने के लिए सिल्वासा नगरपालिका को (1.00 करोड़ रुपये) तथा सड़क कार्यों के लिए एसफाल्टस की खरीद के सम्बन्ध में डीजीएस और डी के भुगतान हेतु पंचायत को (1.00 करोड़ रुपये) सहायता अनुदान ।

(ठ) बाढ़ क्षतिग्रस्त सड़क और इसकी पुश्ता दीवारों की मरम्मत हेतु पंचायत को सहायता अनुदान।

(ड) विभिन्न गांवों में जलापूर्ति लाइनों को पूरा करने के बाबत पंचायत को सहायता अनुदान।

(ढ) जलापूर्ति योजनाओं के बकाया विद्युत बिलों और बकाया डीजीएस और डी दावों का भुगतान।

(ण) सिंचाई उद्देश्यों के लिए खाडोली में चेकडेम निर्माण हेतु पंचायत को सहायता अनुदान।

(त) 155 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के रखरखाव हेतु पंचायत को सहायता अनुदान और इन योजनाओं के बकाया बिजली बिलों हेतु।

(थ) सब स्टेशनों के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध देयता के सम्बन्ध में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड और जीईटीसीओ को भुगतान।

(द) जीवनरक्षक उपकरणों की खरीद (0.45 करोड़ रुपये) तथा सिविल अस्पताल में ट्रोमा यूनिट के निर्माण के सम्बन्ध में भुगतान (1.00 करोड़ रुपये) हेतु।

(घ) टोकरखाडा में माध्यमिक विद्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में प्रतिबद्ध देयता।

(न) होटल प्रबंधन कालेज के निर्माण हेतु संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से का भुगतान।

(प) माडोनी पाटेलाड के जल कमी वाले गावों में विभिन्न पाडास में पेयजल प्रदान करने हेतु चालू कार्यों के सम्बन्ध में भुगतान।

इस पूरक अनुदान में 26.22 करोड़ रुपये का नगद व्यय होगा।

(i) Grants-in-aid to panchayat for maintenance of 244 Primary schools.

(j) Payment of pending wages to daily wage teachers (Rs.0.70 crore) and pending claims of scholarships for eligible students (Rs.0.25 crore).

(k) Grants-in-aid to Municipality, Silvassa for completing the ongoing road works (Rs.1.00 crore) and to Panchayat for making DGS&D payments towards purchase of asphalt for road works (Rs.1.00 crore).

(l) Grants-in-aid to Panchayat for repairing flood damaged road and its retaining wall.

(m) Grants-in-aid to Panchayat for completing the water supply lines in various villages.

(n) Payment of pending electricity bills of water supply schemes and pending DGS&D claims.

(o) Grants-in-aid to Panchayat for construction of a Check Dam at Khadoli for irrigation purposes.

(p) Grants-in-aid to Panchayat for maintenance of 155 Lift Irrigation Schemes and pending electricity bills for these schemes.

(q) Payment to Power Grid Corporation Ltd. & GETCO towards the committed liability for construction of sub-stations.

(r) Purchase of life saving equipment (Rs.0.45 crore) and for making payment towards construction of Trauma Unit in Civil Hospital (Rs.1.00 crore).

(s) Committed liability towards construction of secondary school at Tokarkhada.

(t) Payment of UT's share for construction of Hotel Management College.

(u) Payment towards ongoing works for providing drinking water at various Padas in water scarce villages of Madoni Patelad.

This supplementary grant will entail cash outgo of Rs.26.22 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.97

दमन और दीव
DAMAN & DIU

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 देखिए)।
(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	358.86	45.62	404.48
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	129.50	11.50	141.00
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**488.36**	**57.12**	**545.48**
	स्वीकृत		Voted:	488.36	57.12	545.48

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
गृह मंत्रालय		**Ministry of Home Affairs**				
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	स्वीकृत	2225- Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	Voted:	0.20 (कa)	....	0.20
विद्युत मंत्रालय		**Ministry of Power**				
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801- Power	Voted:	...	118.00 (खb)	118.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		**Ministry of Health and Family Welfare**				
2210-चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210- Medical and Public Health	Voted:	2.10 (गc)	0.50 (घd)	2.60
प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग		**Department of Elementary Education and Literacy**				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202- General Education	Voted:	0.25 (ङe)	...	0.25
लघु उद्योग मंत्रालय		**Ministry of Small Scale Industries**				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	0.15 (चf)	...	0.15
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		**Ministry of Road Transport and Highways**				
3054-सड़क व पुल	स्वीकृत	3054- Road & Bridges	Voted:	1.00 (छg)	...	1.00
पर्यटन मंत्रालय		**Ministry of Tourism**				
2220-सूचना और प्रचार	स्वीकृत	2220- Information and Publicity	Voted:	0.15 (जh)	...	0.15
3452-पर्यटन	स्वीकृत	3452- Tourism	Voted:	0.50 (झi)	...	0.50
शहरी विकास मंत्रालय		**Ministry of Urban Development**				
2059-लोक निर्माण	स्वीकृत	2059- Public Works	Voted:	...	0.50 (ञj)	0.50
2215-जल आपूर्ति और साफ सफाई	स्वीकृत	2215- Water Supply and Sanitation	Voted:	...	1.25 (टk)	1.25
2216-आवास	स्वीकृत	2216- Housing	Voted:	...	0.25 (ठl)	0.25
2217-शहरी विकास	स्वीकृत	2217- Urban Development	Voted:	...	3.50 (डm)	3.50
जल संसाधन मंत्रालय		**Ministry of Water Resources**				
2702-लघु सिंचाई	स्वीकृत	2702- Minor Irrigation	Voted:	0.25 (ढn)	...	0.25
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		**Ministry of Social Justice & Empowerment**				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत	2235- Social Security & Welfare	Voted:	0.90 (णo)	...	0.90
जोड़ राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Total Revenue Section**	**Voted:**	**5.50**	**124.00**	**129.50**

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग		***CAPITAL SECTION***				
गृह मंत्रालय		**Ministry of Home Affairs**				
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4070-Capital outlay on other Administrative services	Voted:	0.50 (तp)	...	0.50
विद्युत मंत्रालय		**Ministry of Power**				
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4801-Capital outlay on Power Projects	Voted:	2.00 (थq)	...	2.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		**Ministry of Road Transport & Highways**				
5054-सड़कों और राजमार्गों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5054-Capital outlay on Roads & Bridges	Voted:	8.00 (दr)	...	8.00
शहरी विकास मंत्रालय		**Ministry of Urban Development**				
4055-पुलिस आवास निर्माण पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4055-Capital outlay on Police House	Voted:	1.00 (धs)	...	1.00
जोड़ पूंजी भाग	**स्वीकृत**	**Total Capital Section**	**Voted:**	**11.50**	**...**	**11.50**
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**17.00**	**124.00**	**141.00**

टिप्पणीः *अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।*

Note: *The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.*

राजस्व भाग	**स्वीकृत**	**Revenue Section**	**Voted:**	**...**	**445.99**	**445.99**
विद्युत मंत्रालय		**Ministry of Power**				
2801-विद्युत		2801-Power				
	स्वीकृत		Voted:	...	-118.00	-118.00

पूरक अनुदान निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित हैः

(क) साक्षरता में वृद्धि करने और मकानों के निर्माण के लिए अजा/अजजा छात्रों को प्रोत्साहन देने; जनजाति उप-योजना के अंतर्गत मकानों की मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए सब्सिडी।

(ख) विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रक विद्युत स्टेशन से बिजली खरीदना। सम्पूर्ण राशि को वसूली की कटौती के रूप में समायोजित किया जायेगा।

(ग) औषधि और उपकरण खरीदना; लम्बित बिलों का निपटान (0.85 करोड़); दिकड़ी विकास और बालिका समृद्धि योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (1.00 करोड़) तथा राष्ट्रीय मातृत्व, बाल कल्याण और परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन, इत्यादि (0.25 करोड़)।

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सरकारी अस्पतालों के लिए औषधियां और उपकरण खरीदना।

(ङ) प्राथमिक शिक्षा के लिए कक्षा-कक्षों का निर्माण और उनमें आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना।

(च) जनजाति उपयोजना, केवीआसी इत्यादि को प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठन को वित्तीय सहायता और सेवा उन्मुख यूनिटों में स्व-रोजगार के लिए वित्तीय सहायता की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना।

(छ) जिला/ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों को निर्माण और मरम्मत तथा निकासी व्यवस्था अनुरक्षण, इत्यादि।

(ज) विभिन्न उत्सव समारोहों के लिए प्रचार/विज्ञापन सामग्री खरीदना।

(झ) नई विलासिता तारण नौकाएं खरीदना; विभिन्न पर्यटक स्थलों पर

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on:

(a) Incentives to SC/ST students for increasing literacy and construction of houses; subsidy for reparing and renovation of houses under Tribal Sub Plan.

(b) Purchase of power from various Central Sector Power Stations. The entire amount will be adjusted as deduct recovery.

(c) Purchase of medicine and equipments, settlement of pending bills (0.85 crore); implementation of schemes of Dikri Development and Balika Samridhi Yojana and National Maternity Benefit Schemes (1.00 crore) and implementation of maternity, child welfare and family planning programme, etc. (0.25 crore)

(d) Purchase of medicines and equipments for primary health centre and Government hospitals.

(e) Grant-in-aid for construction of class rooms for primary education and to provide basic amenities.

(f) Grant-in-aid for implementation of schemes of financial assistance to the voluntary organisation and finanacial assistance for self employment in service oriented units under Tribal Sub-Plan, promotion of KVIC, etc.

(g) Construction and improvement of roads in Rural Area under District/village Panchayats and maintenance of drainage, etc.

(h) Purchase of publicity/advertising materials for celebrating various festivals.

(i) Purchase of new luxury ferry boats; providing lighting

प्रकाश की व्यवस्था कराने और बाल खेलकूद उपकरण खरीदना, इत्यादि।

(ञ) गैर-आवासीय भवन/अवसंरचना प्रतिस्थापनों के अनुरक्षण, मरम्मत और रखरखाव के लिए छोटा-मोटा सामान खरीदना और विद्युत बिलों, इत्यादि का भुगतान करना।

(त) दभाल में विभिन्न अनुरक्षण/मरम्मत कार्यों, जल आपूर्ति परियोजना के अनुरक्षण और मरम्मत कार्य के लिए छोटा-मोटा सामान खरीदना; विद्युत बिलों इत्यादि का भुगतान करना (0.65 करोड़ रु.); ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत दमन और दीव के लिए जल आपूर्ति परियोजना के अनुरक्षण और मरम्मत; विद्युत बिलों, इत्यादि का भुगतान करना (0.60 करोड़ रु.)।

(थ) गैर-आवासीय भवन/अवसंरचना प्रतिस्थापनों के अनुरक्षण, मरम्मत और रखरखाव के लिए छोटा-मोटा सामान खरीदना और विद्युत बिलों, इत्यादि का भुगतान करना।

(द) सामान्य संवर्ग स्टाफ को वेतन और महंगाई भत्ता का भुगतान के अनुदान सहायता; चुंगी-कर के उन्मूलन के स्थान पर पूरक अनुदान; जन-प्रसाधनों/बूचड़खानों/मछली बाजार इत्यादि के निर्माण जैसी विभिन्न विकासशील कार्यों/योजनाओं का कार्यान्वयन करना।

(ध) जनजाति उप-योजना के लिए सिंचाई के कुओं के पुनरुद्धार/निर्माण; कुओं के माध्यम से लघु सिंचाई; पाइप लाइन अनुरक्षण और लघु सिंचाई निर्माण और अनुरक्षण हेतु जिला पंचायत को सहायता तथा जल संभरण विकास इत्यादि के लिए सहायता अनुदान।

(न) बीडीओ दमन से जिला पंचायत, दमन और दीव को हस्तांतरित वृद्धावस्था पेंशन और महिला कल्याण योजनाओं तथा स्वयंसेवी संगठनों, इत्यादि को अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सहायता अनुदान।

(ट) बचाव-सह-आपात सेवा टेंडर की संरचना हल्के बचाव सेवा टेंडर की पुनः संरचना कार्य के लिए चेसिस खरीदना; महाविपदा के प्रबंधन के लिए आधुनिक अग्निशमन और बचाव उपकरण खरीदना।

(ठ) रिगंवाडा, नेनी दमन में संचारण नेटवर्क को सुदृढ़ करना और नया उप-केन्द्र का उत्थापन्न।

(ड) नया दमनगंगा पुल का निर्माण, वरकुंड ग्राम का नया समानान्तर पुल का निर्माण तथा मोती दमन में बामनपूजा से धोलर तक चार लेन की सड़क बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने हेतु भूमि अधिग्रहण आयुक्त, दमन को भुगतान करना।

(ढ) दमन और दीव जिलों में पुलिस क्वार्टरों और थानों का निर्माण करना।

व्यय को घटाकर वसूलियों के समायोजन के बाद इस अनुपूरक में 23.00 करोड़ रु. का निवल नकद व्यय होगा।

arrangements at various tourist spots and purchase of children play equipments, etc.

(j) Procurement of petty material for maintenance, repair and upkeep of non-residential building/infrastructure installations and payment of electricity bills, etc.

(k) Purchase of petty material for various maintenance/ repairs works; maintenance & repair work of Water Supply Project at Dabhal; payment of elecricity bills, etc. (Rs.0.65 crore); maintenance and repair of water Supply Project for Daman & Diu District under Rural Water Supply Schemes; payment of electricity bills, etc. (Rs.0.60 crore).

(l) Procurement of petty material for maintenance, repair and upkeep of non-residential building infrastructure installation and payment of electricity bills, etc.

(m) Grant-in-aid for payment of salary and dearness allowance to common cadre staff; compensatory grants in lieu of abolition of octroi tax; implementation of various developmental works/schemes like construction of public toilets/slaughter houses/fish markets, etc.

(n) Grant-in-aid for renovation/construction of irrigation well for Tribal Sub-Plan; minor irrigation through wells; pipeline maintenance and assistance to District panchyat for contruction and maintenance of minor irrigation and watershed development etc.

(o) Grant-in-aid for Old Age Pension and Women's Welfare Schemes transferred from BDO Daman to District Panchayat, Daman & Diu and other financial assistance to the Voluntary Organisations, etc.

(p) Procurement of chassis for fabrication of Rescue-cum-Emergency Tender; re-fabrication work of Light Rescue Tender; purchase of latest fire fighting and rescue equipments for disaster management.

(q) Strengthening of Transmission networks and erection of new Sub-Station at Riganwada, Nani Daman.

(r) Construction of new Damanganga Bridge; construction of new parellel bridge of Varkund Village and payment to Land Acquisition Collector, Daman for acquisition of land for four lane road from Bamanpuja to Dholar at Moti Daman.

(s) Construction of police quarters and police stations in Daman & Diu Districts.

After adjustment of the recoveries taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a net cash outgo of Rs. 23.00 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.98

लक्षद्वीप
LAKSHADWEEP

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिए)।
(See page 116 of the Demand for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	321.98	165.48	487.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	32.77	...	32.77
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**354.75**	**165.48**	**520.23**
	भारित		*Charged:*	...	...	...
	स्वीकृत		Voted:	354.75	165.48	520.23

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
गृह मंत्रालय		**Ministry of Home Affairs**				
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	…	0.32 (कa)	0.32
कृषि मंत्रालय		**Ministry of Agriculture**				
2403-पशुपालन	स्वीकृत	2403-Animal Husbandry	Voted:	…	0.09 (खb)	0.09
2405-मत्स्य पालन	स्वीकृत	2405-Fisheries	Voted:	…	0.78 (गc)	0.78
ग्रामीण विकास मंत्रालय		**Ministry of Rural Development**				
2029-भू राजस्व	स्वीकृत	2029-Land Revenue	Voted:	…	0.08 (घd)	0.08
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत	2515-Other Rural Development Programme	Voted:	…	2.00 (ङe)	2.00
विद्युत मंत्रालय		**Ministry of Power**				
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	…	9.91 (चf)	9.91
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		**Ministry of Food Processing Industries**				
2408-खाद्य भंडारण एवं भंडारागारण	स्वीकृत	2408-Food Storage & Warehousing	Voted:	…	3.00 (छg)	3.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		**Ministry of Health and Family Welfare**				
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	…	0.30 (जh)	0.30
सेकण्डरी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग		**Department of Secondary Education and Higher Education**				
2202-सेकण्डरी शिभा	स्वीकृत	2202-Secondary Education	Voted:	…	3.77 (झi)	3.77
लघु उद्योग मंत्रालय		**Ministry of Small Scale Industries**				
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत	2851-Village and Small Industries	Voted:	…	0.10 (ञj)	0.10
पोत परिवहन		**Ministry of Shipping**				
3051-बन्दरगाह और दीपस्तम्भ	स्वीकृत	3051-Port and Light Houses	Voted:	…	0.20 (टk)	0.20
3052-पोत परिवहन	स्वीकृत	3052-Shipping	Voted:	…	9.40 (ठl)	9.40
शहरी विकास मंत्रालय		**Ministry of Urban Development**				
2058-स्टेशनरी और मुद्रण	स्वीकृत	2058-Stationery and Printing	Voted:	…	0.10 (डm)	0.10
2059-लोक निर्माण	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	…	2.58 (ढn)	2.58
2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	स्वीकृत	2215-Water Supply and Sanitation	Voted:	…	0.08 (णo)	0.08

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2216-आवास	स्वीकृत	2216-Housing	Voted:	...	0.06 (तp)	0.06
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**...**	**32.77**	**32.77**

टिप्पणीः *अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई अतिरिक्त वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।*

Note: *The above estimates of additional requirements do not take into account the additional recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.*

राजस्व भाग		***Revenue Section***				
2059-लोक निर्माण	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	...	-0.25	-0.25
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801 -Power	Voted:	...	-1.80	-1.80
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	**Total Revenue Section**	**Voted:**	**...**	**-2.05**	**-2.05**
पूंजी भाग		***Capital Section***				
6425-सहयोग हेतु ऋण	स्वीकृत	6425-Loans for Co-operation	Voted:	...	-0.72	-0.72
जोड़ (वसूलियां)	स्वीकृत	**Total (Recoveries)**	**Voted:**	**...**	**-2.77**	**-2.77**

पूरक अनुदान निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित हैः-

(क) बकाया महंगाई भत्ता, मजदूरी का भुगतान महंगाई भत्ता दरों, मजदूरी और यात्रा के कारण तथा स्टेशनरी की अधिप्राप्ति।

(ख) मूर्गी पोषण लागत में बढ़ोतरी और बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान।

(ग) डीजीएस एण्ड डी दर समझौता पर एचएसडी तेल अधिप्राप्ति के बकाया दावों और लदान/परिवहन/भराव/माल भाड़ा प्रभार आदि का भुगतान।

(घ) बढ़ी हुई मजदूरी और मंहगाई भत्ता आदि के बकायों का भुगतान।

(ङ) मंत्रालयिक स्टाफ के अन्य भत्ते और वेतन तथा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित अन्य स्टाफ की अतिरिक्त आवश्यकता तथा नौ द्वीपों में पंचायत चुनाव संचालन।

(च) डीजल/गैस विद्युत उत्पादन हेतु आवश्यक एचएसडी आयल के बकाया बिलों का भुगतान।

(छ) किफायती मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम से चावल की अधिप्राप्ति।

(ज) अतिरिक्त महंगाई भत्ता और एसीपी स्वीकृति के कारण बकाया और दवाई लागत बढ़ोतरी आदि का भुगतान।

(झ) महंगाई दरों में बढ़ोतरी के कारण भत्ते और बकाया भुगतान, एसीपी स्वीकृति, विभिन्न द्वीपों में छात्रों के शैक्षणिक टूर हेतु यात्रा भत्ता, छात्रावास सब्सिडी और पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित अध्यापक/स्टॉफ के वेतन और भत्ते आदि का भुगतान।

(ञ) (ट) और (ठ) महंगाई भत्ते की दरों में बढ़ोतरी के कारण वेतन और भत्तों का बकाया और एसीपी स्वीकृती आदि का भुगतान।

(ड) शिपिंग कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया और लक्षद्वीप डवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पवन हंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जहाजों/नौकाओं के संचालन और रख-रखाव हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन एवं रख-रखाव हेतु।

(ढ़) महंगाई भत्ते की दरों में बढ़ोतरी के कारण वेतन भत् का बकाया और एसीपी स्वीकृती, चिकित्सा दावे, आफिस स्टेशनरी की प्राप्ति, गैर आवासीयभवनों का रख-रखाव और निर्माण सामग्री की लागत आदि।

(ण) और (त) कार्यालय स्टेशनरी की अधिप्राप्ति।

व्यय में से कटौती के रूप में ली गई वसूलियों के समायोजन के बाद, इस पूरक में 30.00 करोड़ रुपये का निवल नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on:

(a) Payment of arrear of DA, wages, Travelling allowances due to increase in DA rates, wages and incidence of travel between islands and mainland and procurement of stationery.

(b) Payment of the escalation cost of poultry feed and increased DA.

(c) Payment of pending claims of HSD oil procurred on DGS&D rate contract and loading/ transportation/filling/freight charges, etc.

(d) Payment of increased wages and arrears of Dearness Allowances, etc.

(e) Additional requirement of salary and other allowances of ministarial staff and other staff transferred to Panchayati Raj Institutions and to conduct Panchayat election in nine islands.

(f) Payment of outstanding bills of HSD oil required for diesel/ gas power generation.

(g) Procurement of rice from Food Corporation of India at economic price.

(h) Payment of additional DA and arrears due to sanctioning of ACP and escalation cost of medicine, etc.

(i) Payment of arrears of Pay and Allowances due to increase in DA rates, sanctioning of ACP, TA for students for educational tours in various islands, hostel subsidy and also Pay & Allowances of teachers/staff transferred to Panchayati Raj Institutions, etc.

(j) (k) & (m) Payment of arrears of Pay & Allowances due to increase in DA rates and sanctioning of ACP, etc.

(l) For running and maintenance of ships/barges by Shipping Corporation of India and Lakshadweep Development Corporation and Pawan Hans Corporation Ltd. for running and maintenance of helicopter services.

(n) Payment of arrears of Pay & Allowances due to increase in DA rates and sanctioning of ACP, medical claims, procurement of office stationery, maintenance of non-residential building and cost of construction material, etc.

(o) & (p) Procurement of office stationery.

After adjustment of the recoveries taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a net cash outgo of Rs.30.00 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 99

शहरी विकास विभाग
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121, वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिए)।
(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008, page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08 and page 47 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	*25.72*	*23.70*	*49.42*
	स्वीकृत		Voted:	1000.62	1670.00	2670.62
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	भारित		*Charged:*	...	*16.50*	*16.50*
	स्वीकृत		Voted:	...	192.02	192.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	589.06	589.08
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**		**1026.36**	**2491.28**	**3517.64**
	भारित		*Charged:*	*25.72*	*40.20*	*65.92*
	स्वीकृत		Voted:	1000.64	2451.08	3451.72

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2217-शहरी विकास	स्वीकृत	2217-Urban Development	Voted:	0.01 (कa)	...	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	**स्वीकृत**	**Total (Revenue Section)**	**Voted:**	**0.02**	**...**	**0.02**
पूंजी भाग		*CAPITAL SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
6217-शहरी विकास हेतु ऋण	स्वीकृत	6217-Loans for Urban Development	Voted:	589.06 (गc)	...	589.06
जोड़ (पूंजी भाग)	**स्वीकृत**	**Total (Capital Section)**	**Voted:**	**589.06**	**...**	**589.06**
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**589.08**	**...**	**589.08**

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः

(क) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के द्वितीय चरण के विस्तार हेतु सहायता अनुदान (19.40 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ख) निम्नलिखित राज्यों में ढांचागत विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में : अरूणाचल प्रदेश (29.72 करोड़ रुपए), नागालैंड (22.34 करोड़ रुपए), सिक्किम (11.06 करोड़ रुपए), त्रिपुरा (4.58 करोड़ रुपए) और असम (22.30 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(a) Grants-in-aid for extension of Phase II of Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) (Rs. 19.40 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Towards Infrastructure Development Projects in the States of Arunachal Pradesh (Rs. 29.72 crore), Nagaland (Rs. 22.34 crore), Sikkim (Rs. 11.06 crore), Tripura (Rs. 4.58 crore) and Assam (Rs. 22.30 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग) दिल्ली मेट्रौ रेल कॉर्पोरेशन को सहायता अन्तरण (पीटीए) के रूप में (567.50 करोड़ रुपए) तथा वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय कर (32.50 करोड़ रुपए) के भुगतान सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु गौण ऋण के रूप में ऋण प्रदान करने के लिए।

10.94 करोड़ रुपए के अनुदान के उसी भाग में बचतों को ध्यान में रखते हुए तथा 28.58 करोड़ रुपए के अनुदान के राजस्व भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद इसमें 560.48 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

(c) For providing loan to Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) as Pass Through Assistance (PTA) (Rs. 567.50 crore) and as subordinate debt for meeting expenditure on payment of Central Taxes (Rs. 32.50 crore) during the year 2007-08.

After taking into account the savings within the same Section of the Grant of Rs. 10.94 crore and utilizing the savings under Revenue Section of the Grant of Rs. 28.58 crore, this will entail a net cash outgo of Rs. 560.48 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.103

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 देखिए)।
(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		***I. ORIGINAL GRANT:***				
	स्वीकृत		Voted:	5853.00	...	5853.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		Voted:	**5853.02**	**...**	**5853.02**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		***REVENUE SECTION***				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		2235-Social Security and Welfare				
	स्वीकृत		Voted:	...	0.01 (कa)	0.01
2236-पोषण		2236-Nutrition				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.01**	**0.01**	**0.02**

इन पूरक अनुदानों की मांग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु की गई हैः-

(क) (i) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान के वेतन, मंहगाई भत्ता, पेंशन, आनुषंगिक खर्च आदि अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय केन्द्र पर आवासीय और प्रशासनिक ब्लॉक की मरम्मत हेतु सहायता अनुदान (1.20 करोड़ रुपए)।

(ii) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को वेतन, महंगाई भत्ता, पेंशन आदि की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हैतु सहायता अनुदान (0.53 करोड़ रुपए)।

(iii) राष्ट्रीय महिला आयोग को वेतन, महंगाई भत्ता पेंशन आदि अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.15 करोड़ रुपए)।

(ख) डीएवीपी के पिछले सालों के बकाया बिलों के निपटाने के लिए खाद्य एवं पोषण बोर्ड का सहायता अनुदान (1.09 करोड़ रुपए)।

चुंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदानों की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) (i) Grants-in-aid to National Institute of Public Cooperation and Child Development for meeting additional requirements on Salaries, DA, Pension, incidentals etc. and for repairing residential accommodation & Administrative Block at Headquarter and its Regional Centre (Rs. 1.20 crore).

(ii) Grants-in-aid to Central Social Welfare Board for meeting additional requirements on Pay, DA, Pension etc. (Rs.0.53 crore)

(iii) Grants-in-aid to National Commission for Women for meeting additional requirements on Salary, DA, Pension etc. (Rs.0.15 crore)

(b) Grants-in-aid to Food and Nutrition Board for clearing the previous years' pending bills of DAVP(Rs. 1.09 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO.104

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 और वर्ष 2007-2008 के पूरक अनुदानों के पहले बैच का पृष्ठ 43 देखिए)।
(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 43 of First Batch of Supplimentary Demands for Grants 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व **Revenue**	पूंजी **Capital**	जोड़ **Total**
I. मूल अनुदानः		*I. ORIGINAL GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	753.21	26.79	780.00
पूरक अनुदानः		*SUPPLEMENTARY GRANT:*				
	स्वीकृत		Voted:	75.01	70.21	145.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		**Total (Original plus Supplementary)**				
	स्वीकृत		**Voted:**	**828.26**	**97.00**	**925.26**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना **Plan**	आयोजना-भिन्न **Non-Plan**	जोड़ **Total**
राजस्व भाग		*REVENUE SECTION*				
मुख्य शीर्ष		**MAJOR HEAD**				
2204-खेल एवं युवा सेवाएं	स्वीकृत	2204-Sports and Youth Services	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (गc)	0.02
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (खb)	0.01 (घd)	0.02
जोड़ (पूरक)	**स्वीकृत**	**Total (Supplementary)**	**Voted:**	**0.02**	**0.02**	**0.04**

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए इन पूरक अनुदानों की मांग की गई हैः-

(क) (i) राष्ट्रीय सेवा योजनाः विभिन्न प्रशिक्षण अनुस्थापन केन्द्रों और प्रशिक्षण अनुस्थापन क्षेत्रीय केन्द्रों के वेतन भुगतान और प्रशिक्षण खर्चों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (1.35 करोड़ रुपए)।

(ii) युवा छात्रावासः युवा छात्रावासों की मरम्मत हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (0.35 करोड़ रुपए)।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद में विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कारः 2004-05 के दौरान आयोजित खेल-कूद से सम्बद्ध खिलाडियों को बकाया नगद पुरस्कार के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (3.50 करोड़ रुपए)।

(iv) राष्ट्रीय खेल संघः अन्तर्राष्ट्रीय खेल कूद में खिलाडियों के वर्धित प्रकटन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (3.00 करोड़ रुपए)।

(v) राष्ट्रमण्डल खेलः राष्ट्रमण्डल खेलों के सम्बन्ध में ढांचागत विकास हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (15.00 करोड़ रुपए)।

(vi) साहसिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (0.50 करोड़ रुपए)।

(vii) डोप टेस्ट के लिए उपकरणों की खरीद हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (4.00 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) (i) National Service Scheme:- To meet the additional requirement for payment of salary and training expenses of various Training Orientation Centres and Training Orientation Regional Centres (Rs.l.35 crore).

(ii) Youth Hostel: -To meet the additional requirement for repair of Youth Hostels (Rs.0.35 crore).

(iii) Special Awards to Winners in International Sports Events and their Coaches: -To meet the additional requirement for payment of pending Cash Award for players for the sports events held during 2004-05 (Rs.3.50 crore).

(iv) National Sports Federations: -To meet the additional requirement for enhanced exposure of sports persons to international sports events (Rs.3.00 crore).

(v) Commonwealth Games: -To meet the additional requirement for development of infrastructure in connection with Commonwealth Games (Rs.15.00 crore).

(vi) To meet the additional requirement for Promotion of Adventure Activities (Rs.0.50 crore).

(vii) To meet the additional requirement for purchase of equipments for Dope Test (Rs.4.00 crore).

(viii) "राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए भारतीय टीमों की तैयारी" योजना के तहत खिलाड़ियों के विशिष्ट वर्ग को प्रशिक्षण प्रदान करने और भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्रों में ढांचागत विकास आदि हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण/राष्ट्रीय खेल संघों को अतिरिक्त निधि प्रदान करना (10.00 करोड़ रुपए)।

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर को सहायता अनुदान (4.15 करोड़ रुपए)।

(ग) (i) नेहरू युवा केन्द्र संगठन को नवसृजित पदों पर व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (1.67 करोड़ रुपए)।

(ii) भारतीय खेल प्राधिकरण को अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान आदि हेतु सहायता अनुदान (3.54 करोड़ रुपए)।

(iii) राष्ट्रीय महिला खेल चैम्पियनशिप के संचालन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता (0.50 करोड़ रुपए)।

(घ) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के तहत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (2.67 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(viii) To release additional funds to Sports Authority of India(SAI) and National Sports Federations under the scheme "Preparation of Indian Teams for Commonwealth Games" for providing training to elite group of sports persons and for development of infrastructure in SAI Centres etc.(Rs.I0.00 crore).

(b) Grants-in-aid to Assam, Meghalaya and J&K under National Service Scheme (Rs.4.15 crore).

(c) (i) Grants-in-aid to Nehru Yuva Kendra Sangathan to meet the expenditure on newly created posts (Rs.l.67 crore).

(ii) Grants-in-aid to Sports Authority of India for payment of salary etc. to its employees (Rs.3.54 crore).

(iii) Additional requirement for conducting National Sports Championship for Women (Rs.0.50 crore).

(d) Grants-in-aid to State Governments under National Discipline scheme (Rs.2.67 crore).

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought in each case.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2007-08 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग मूल बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत अथवा 1 करोड़ रुपए, जो भी अधिक हो, से बढ़ जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceed 25% of the original Budget provision or Rs. 1 crore, whichever is more during 2007-08.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2007-2008 Budget Estimates 2007-2008	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appro-priation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	**कृषि एवं सहकारिता विभाग** **Department of Agriculture and Cooperation**	कृषि संबंध जनगणना Agricultural Census	9.84	2.50	इस योजना के तहत राज्य सरकारों को निधियों को जारी करने की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। To meet additional requirement for release of funds to State Governments under the scheme.
		कृषि संबंधी आँकड़ों में सुधार Improvement of Agricultural Statistics	24.35	10.97	- तदैव - - do -
		गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए ढाँचागत सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण Development & strengthening of infrastructure facilities for production and distribution of quality seeds	7.80	10.00	- तदैव - - do -
		राज्य आयोजना को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) Additional Central Assistance to State Plan (Rashtriya Krishi Vikas Yojana)	0.00	100.00	- तदैव - - do -
2.	**पशुपालन, डेयरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग** **Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries**	पशुरोग नियंत्रण (मुशी.3601) Animal Disease Control (M.H.3601)	44.14	28.13	योजना में निधि की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए। To meet the additional requirement of fund in the scheme.
		गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (मुशी.3601) Intensive Dairy Development Programme (M.H.3601)	3.00	2.00	- तदैव - - do -
		गुणवत्ता और स्वच्छ दूध के लि आधारभूत ढाँचे को सुदृढ़ बनाना (मुशी.3601) Strengthening infrastructure for quality and clean milk (M.H.3601)	15.00	4.00	- तदैव - - do -
		राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण और मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार मुशी.3601) National Welfare of Fishermen and Fisheries Training & Extension (M.H.3601)	14.12	3.00	- तदैव - - do -

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
3.	**नागरिक विमानन मंत्रालय**	3053-नागरिक विमानन 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 06-हज चार्टरों के परिचालिन हेतु सब्सिडी 33-सब्सिडी			हज चार्टर को चलाने के व्यय की पूर्ति हेतु।
	Ministry of Civil Aviation	3053-Civil Aviation 80-General 800-Other Expenditure 06-Subsidy for operation of Haj Charters 33-Subsidy	374.00	10.00	To meet expenditure of operation of Haj Charters.
4.	**विदेश मंत्रालय**	एमएच 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग बांगलादेश को सहायता			जून 2007 में चटगांव में सामुहिक मिट्टी धंसान से प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्वास के लिए बांगलादेश सरकार को प्रधानमंत्री के त्वरित सहायता प्रस्ताव को पूरा करने के लिए ।
	Ministry of External Affairs	MH 3605-Technical & Economic Cooperation with other countries Aid to Bangladesh	15.00	41.00	Fulfillment of PM's offer of immediate assistance to the Govt. of Bangladesh for relief and rehabilitation of those affected by massive mudslides in Chittagong in June, 2007.
		एमएच 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग लातीन अमरीकी देशों को सहायता			"लातीन अमरीकी देशों को सहायता" नया वस्तु शीर्ष खुलने के अनुवर्तन में।
		MH 3605 Technical & Economic Cooperation with other countries Aid to Latin American Countries	0.00	3.53	Consequent upon opening the new object head "Aid to Latin American Countries.
		एमएच 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग सार्क कार्यक्रम			सार्क सांस्कृतिक त्यौहार और छात्र विनिमय कार्यक्रमों के लिए जो चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आयोजित होने के लिए निर्धारित हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत और भूटान के बीच सार्क दूरऔषध परियोजना के कार्यान्वयन हेतु।
		MH 3605-Technical & Economic Cooperation with other countries SAARC Programme	3.00	7.90	For SAARC Cultural Festival and Student Exchange Programme which are scheduled to take place in the third quarter of the current financial year and for implementation of SAARC Telemedicine Project between India and Bhutan during the current financial year.
		एमएच 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग अफगानिस्तान को सहायता			"अफगानिस्तान को सहायता" नया वस्तु शीर्ष खुलने के अनुवर्तन में।
		MH 3605-Technical & Economic Cooperation with other countries-Aid to Afghanistan	0.00	301.00	Consequent upon opening the new object head "Aid to Afghanistan".

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		एमएच 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग आपदा राहत हेतु सहायता			मंगोलिया, बंगलादेश, उत्तरी कोरिया व पेरू इत्यादि विभिन्न देशों को, जो भूकम्प आदि से प्रभावित हैं, मानवीय सहायता प्रदान करने हेतु ।
		MH 3605-Technical & Economic Cooperation with other countries Aid for Disaster Relief	4.10	85.16	For providing humanitarian assistance to various countries like Mongolia, Bangladesh, North Korea and Peru etc. who suffered from earthquate etc.
		एमएच 2061-विदेशी मामले-प्रशिक्षण एफएसआई			विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान के अपने नये परिसर में पुनःस्थापन से संबंधित अतिरिक्त व्यय ।
		MH 2061-External Affairs - Training FSI	0.85	0.25	For additional expenditure involved in relocation of the Foreign Service Training Institute in its new premises.
		एमएच 2061-विदेशी मामले अन्य व्यय - संस्थानों को अनुदान - आईसी डबल्यूए			इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड एफेयर्स के शासी निकायों द्वारा लिए गए भूमि क्रियान्वयन निर्णयों की वर्द्धित गतिविधियों हेतु जो सरकार द्वारा स्वीकार करने के बाद पहली बार फरवरी, 2007 में पूरे किए गए ।
		MH 2061-External Affairs - Other Expenditure - Grant to Institutions ICWA.	2.40	0.99	For enhanced activities of the Indian Council of World Affairs land implementation of the decisions taken by governing bodies which met for the first time in February, 2007 after the Government take over.
5.	**वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग**	**एमएच 2020 आय व व्यय पर करों का संग्रहण (मुख्य शीर्ष)**			
		00.001 निर्देशन एवं प्रशासन (मुख्य शीर्ष)			
		01 अन्वेषण			
		01.0013 कार्यालय व्यय			यह बढ़ोतरी कराधानों को व्यापक बनाने के कारण आवश्यकता की पूर्ति हेतु बढ़ोतरी और वाहनों की किराया लागत तथा 177 वाहन की खरीद की पूर्ति हेतु
		01.0041 गुप्त सेवा खर्च			कर अपवंचकों के खिलाफ जांच कार्यवाही से पूर्व इच्छित सूचना देने वालो के द्वारा आन्तरिक सूचना देने व सूचना प्राप्त करने की लागत पूर्ति करने हेतु।
	Ministry of Finance Department of Revenue	**MH 2020 Collection of Taxes on Income & Expenditure (Major Head)**			
		00.001 Direction and Administration (Major Head)			
		01 Investigation			
		01.00.13 Office Expenses	1.90	2.63	The increase is to meet the requirement due to widening of tax base and to meet the cost of hiring of vehicles and purchase of 177 vehicles.

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore*)

1	2	3		4	5	6
		01.00.41	Secret Service Expenditure	0.15	0.25	In order to meet the cost of buying information from willing informers to part with inside information prior to search operations against tax evaders.
		02	**अनुसन्धान सांख्यिकी और प्रकाशन**			
		02.00.13	कार्यालय व्यय			यह बढ़ोतरी सरकारी मुद्रणालयों के बकाया बिलों,और चालानो व विभिन्न फर्मो की आवाजाही आदि के कारण है।
		02.00.28	व्यावसायिक सेवाएं			वकीलों को विधि प्रभार पर खर्च करने हेतु।
		02.00.50	अन्य प्रभार			एमएसीटी कोर्ट देहरादून इनके आदेश की अनुपालना में ब्याज सहित क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु।
		02	**Research Statistics and Publication**			
		02.00.13	Office Expenses	15.00	18.27	The increase is on account of arrear bills of Govt. press, and transportation of challans and various forms etc.
		02.00.28	Professional Services	0.03	1.02	To meet the expenditure on legal charges to lawyers.
		02.00.50	Other Charges	0.00	0.04	For making payment of compensation amount alongwith interest in compliance of MACT Court, Dehradun order.
		03	**संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं**			
		03.00.06	चिकित्सा उपचार			यह बढ़ोतरी गम्भीर और आपात कालीन मेडीकल दावो से संबंधित बकाया बिलों का भुगतान करने हेतु अपेक्षित है।
		03.00.12	विदेश यात्रा व्यय			यह बढ़ोतरी सुधार क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रीय प्रेक्टिस के अध्ययन करने हेतु अधिकारियों की विदेश यात्रा के लिए भुगतान करने हेतु है।
		03.00.26	विज्ञापन एवं प्रचार			निविदाओं के ज्ञापन इत्यादि हेतु भुगतान के लिए।
		03.00.28	व्यावसायिक सेवाएं			वकीलों को विधिक प्रभार व्यय की पूर्ति हेतु।
		03	**Organisation and Management Services**			
		03.00.06	Medical Treatment	0.06	0.07	The increase is required to make the payment of pending bills relating to serious and emergency medical claims.
		03.00.12	Foreign Travel Expenses	0.00	0.07	The increase is for making payment for the visit abroad of officers for studying best international practice in the area of tax reform.
		03.00.26	Advertising & Publicity	0.00	0.09	To make payment for advertisement of tenders etc.
		03.00.28	Professional Services	0.50	2.82	To meet the expenditure on legal charges to Lawyers.
		04	**निरीक्षण**			
		04.00.13	कार्यालय व्यय			विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित परीक्षा की लागत की पूर्ति हेतु बढ़ोतरी।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3		4	5	6
		04	**Inspection**			
		04.00.13	Office Expenses	0.30	0.36	The increase is to meet the cost of departmental examination at various centres.
		00.101	**संग्रहण प्रभार-आयकर (लघु शीर्ष)**			
		01	**आयुक्त एवं उनके कार्यालय**			
		01.01.02	मजदूरी			यह बढ़ोतरी मजदूरी बिलों की अतिरिक्त आवश्यकता और मजदूरी दरो में बढ़ोतरी इत्यादि की पूर्ति करने की वजह से है।
		01.01.06	चिकित्सा उपचार			यह बढ़ोतरी प्रक्रिया अधीन गम्भीर व आपात कालीन चिकित्सा दावों से संबंधित बकाया बिलों के कारण है। इसके अतिरिक्त एक मामले में विदेशी इलाज हेतु 2.00 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गयी।
		01.01.12	विदेश यात्रा व्यय			माननीय वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित आईआरएस अफसरों विदेश में प्रतिनियुक्ति पर होने वाले खर्च की पूर्ति हेतु।
		01.01.13	कार्यालय व्यय स्वीकृत			इस शीर्ष में यह बढ़ोतरी प्रचालन वाहनों और क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा वाहन किराया, आयकर फार्म मुद्रण का विकेन्द्रीयकरण आईटीआई परिवहन, सेवा डाक टिकट, कार्यालय उपयोग सामग्री व स्टेशनरी खरीद पर व्यय और साथ ही 1% के वृद्धिशील राजस्व संग्रहण के 1 प्रतिशत प्रोत्साहन के कारण है।
		01.01.14	किराया, दरें और कर			यह बढ़ोतरी सीसीआईटी मुम्बई के अधीन 158.00 करोड़ रुपए की किराया संशोधन राशि की बकाया के पांच विशेष मामलो के कारण बढ़ोतरी।
		01.01.16	प्रकाशन			सीसीआईटी की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्रकाशन/मुद्रण पर व्यय की पूर्ति हेतु।
		01.01.27	लघु निर्माण कार्य			बड़ी संख्या की लघु निर्माण कार्यों की लागत को पूरा करने हेतु जो इकाइयों के निष्पादनधीन हैं।
		00.101	**Collection Charges-Income Tax (Minor Head)**			
		01	**Commissioners and their officers**			
		01.01.02	Wages	9.86	2.03	The increase is due to meet the additional requirement of outstanding wage bill and hike in wage rates etc.
		01.01.06	Medical Treatment	16.72	2.43	The increase is due to pending bills relating to serious and emergency medical claims which are under process. Besides this, there is a singal case where a reimbursement of Rs.2.00 crore has been made for treatment abroad.
		01.01.12	Foreign Travel Expenses	0.09	0.36	To meet the cost of deputation abroad of IRS Officers approved by Hon'ble FM.
		01.01.13	Office Expenses Voted	201.05	65.91	The increase in this head is on account of expenditure towards operational vehicles and hiring of

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore*)

1	2	3		4	5	6
						vehicles by field units, decentralisation of printing of income-tax forms, conveyance to ITIs, service postage stamps, purchase of stationery & office consumable and also 1% incentive of incremental revenue collection.
		01.01.14	Rent, Rates and Taxes	97.77	150.44	The increase is on account of five specific cases of rent revision arrears amount to Rs.158.00 crore under the charge of CCIT, Mumbai.
		01.01.16	Publication	0.77	0.48	To meet the expenditure on printing/procuring publications by field units of CCITs.
		01.01.27	Minor Works	3.90	2.54	To meet the cost of large number of minor works which are under execution by the units.
		02	**आयकर व धनकर मामला संबंधी निपटान आयोग**			
		02.00.11	घरेलु यात्रा व्यय			आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा की गई हवाई यात्रा संबंधी बकाया बिलों के भुगतान हेतु।
		02.00.27	लघु निर्माण कार्य			निष्पादन लघु निर्माण कार्यों की लागत की पूर्ति हेतु।
		02	**Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax Cases**			
		02.00.11	Domestic Travel Expenses	0.35	0.25	In order to make payment of pending bill towards air travel by Chairman and Members of the Commission.
		02.00.27	Minor Works	0.00	0.01	To meet the cost of minor works which are under execution.
		04	**प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक का मण्डलीय लेखा कार्यालय**			
		04.00.17	बीसीटीटी			बैंक लेन-देन में बढ़ोतरी के कारण।
		04	**Zonal Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts**			
		04.00.17	BCTT	0.02	0.06	This is due to increase in bank transactions.
		02	**एडवांस रूलिंग ऑथारिटी**			
		02.00.13	कार्यालय व्यय			यह बढ़ोतरी अध्यक्ष और सदस्य के सरकारी आवास का नवीकरण, फोटोकापी मशीन की खरीद तथा स्टेशनरी, बिजली, टेलीफोन प्रभार आदि के भुगतान के कारण है।
		02	**Authority for the Advance Rulings**			
		02.00.13	Office Expenses	0.32	0.15	The increase is to meet the cost of expenditure on renovation of official residence of Chairman, Member, purchase of photocopy machine and making payment to-

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3		4	5	6
						wards stationery, electricity, telephone charges, etc.
			पूंजी प्रभार			
		एमएच 4059	सरकारी आवास का अधिग्रहण आवास			यह वृद्धि मुम्बई व दिल्ली में लार्जपंअर यूनिट्स की स्थापना हेतु तैयार कार्यालय आवास की खरीद की एवज में आंशिक भुगतान और अन्य कार्यालयों हेतु एक मुश्त प्रावधान की वजह से है।
			Capital Section **Principal Chief Controller of Accounts**			
		MH 4059	Acquisition of Office Accommondation Accommodation	1.00	36.00	The increase is to meet the part payment towards purchase of Ready Built Office Accommodations at Mumbai and New Delhi for setting up of Large Payer Units (LTUs) and lump sum provision for other offices. Consequent upon opening the new objecthead "Aid to Latin American Countries. (Order No. 2).
6.	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**					कार्यालय व्यय के विषय में बढ़ा हुआ खर्च (आईटी)
		सरकारी स्वास्थ्य सेवा निदेशालय				वेतन और भत्तों तथा अन्य स्थापना शुल्कों के विषय में बढ़ा हुआ खर्च।
	Ministry of Health and Family Welfare	2210.01.001.03		1.00 (Plan)	0.85	Increased expenditure on Office Expenses(IT)
		Dte.G.H.S		20.92 (Non-Plan)	0.47	Increased expenditure on Pay & allowances & other estt. charges.
		एन.एम.एल				प्रकाशनों और लघु कार्य के विषय में बढ़ा हुआ खर्च। वेतन और प्रकाशन पर व्यय।
		2210.01.001.04		7.00 (Plan)	5.45	Increased expenditure on Publications & Minor Work
		N.M.L		23.82 (Non-Plan)	0.67	Expenditure on Salaries & Publication
		औषधालयों/अस्पतालों-सीजीएचएस की स्थापना				वेतन और भत्तों, औषधियों और अन्य उपभोज्यों पर बढ़ा हुआ व्यय।
		2210.01.103.24 Setting up Dispensaries/ Hospitals - CGHS		332.50 (Non-Plan)	38.00	Increased expenditure on pay & allowances, medicines & other consumables.
		सफदरजंग अस्पताल				वेतन, मजदूरी, कार्यलय व्यय, आरआर एंड टी तथा साफ-सफाई/सुरक्षा सेवाएं को किराये पर लेने के विषय में बढ़ा हुआ खर्च।
		2210.01.110.19		30.00 (Plan)	7.70	
		Safdarjung Hospital		79.90 (Non-Plan)	13.05	वेतन और भत्तों, सामान और आपूर्तियों तथा अन्य स्थापना शुल्कों के विषय में बढ़ा हुआ खर्च।

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
					Increased expr. on Salaries. Wages, Office expenses, RR&T& hiring of sanitary/security services Increased expr. on Pay& allowances, material and supplies & other estt. charges
		डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल 2210.01.110.20	26.00 (Plan)	1.00	कार्यालय व्यय और उपभोज्य के विषय में बढ़ा हुआ खर्च। कार्यालय व्यय, आपूर्तियों और सामग्री तथा लघु कार्यों के विषय में बढ़ा हुआ व्यय।
		Dr.R.M.L.Hospital	61.15 (Non-Plan)	3.95	Increased expr. on office expenses & consumables. Increased expenditure on on office expenses, supplies & materials & Minor Works.
		के.एस.सी अस्पताल, नई दिल्ली 2210.01.110.23	7.00 (Plan)	1.60	वेतन और भत्तों पर बढ़ा हुआ खर्च। कार्यालय व्यय, प्रकाशन और लघु कार्यों पर बढ़ा हुआ खर्च।
		KSC Hospital,N.Delhi	12.95 (Non-Plan)	0.50	Increased expenditure on Pay & allowances. Increased expenditure on office expenses, publications & Minor works.
		एलएचएमसी और श्रीमती एस.के. अस्पताल 2210.05.105.27	8.00 (Plan)	5.50	वेतन, कार्यालय व्यय, प्रकाशन, आपूर्तियां और सामग्री पर बढ़ा हुआ खर्च। वेतन और भत्तों, मजदूरी और आपूर्तियों और सामग्री के विषय में बढ़ा हुआ खर्च।
		LHMC & Smt. S.K. Hospital	54.00 (Non-Plan)	0.70	Increased expenditure on salaries, office expenses, publications. Supplies & Materials Increased, expenditure on pay & allowances, WagesS Supplies & Materials
		क्षेत्रीय पीजी केन्द्र जेआईपीएमईआर, पांडिचेरी 2210.05.105.33 Regional P.G.Centre JIPMER, Pondicherry	20.00 (Plan)	11.55	वेतन और भत्ते तथा मजदूरी। Pay & allowances and wages.
		वीएमएमसी, नई दिल्ली 2210.05.105.39 VMMC, N,Delhi	1.00 (Plan)	1.50	केवल वेतन के लिए। Exclusively for, Salaries.
		आरएलटीआरआई, गौरीपुर 2210.06.003.05 RLTRI, Gauripur	1.00 (Plan)	0.55	वेतन और मजदूरी Salaries & Wages
		एआईआईएच और पीएच, कोलकाता			वेतन पर बढ़ा हुआ खर्च।

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		2210.06.112.05 AIIH&PH, Kolkatta	1.00 (Plan) 8.11 (Non-Plan)	0.20 1.29	वेतन, कार्यालय व्यय, वजीफा और छात्रवृत्ति एवं व्यावसायिक सेवाओं के विषय पर बढ़ा हुआ खर्च। Increased expenditure on salaries Increased expenditure on salaries, office expenses, stipends & scholarships & professional services.
		अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधि मंडल 2210.06.800.02 Delegation to International Health Conferences.	1.00 (Non-Plan)	1.10	विदेश यात्राओं पर बढ़ा हुआ खर्च। Increased expenditure on foreign visits.
		विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए अंशदान 2210.80.798.02 Contribution to WHO	8.20 (Non-Plan)	5.15	1.1.2008 को प्रारम्भ हुए द्विवार्षिकी 2008-09 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन हेतु स्वैच्छिक अंशदान। Voluntary contributions to WHO for the biennium 2008-09 commencing on 1.1.2008.
		सफदरजंग अस्पताल 4210..01.110.06 Safdarjung Hospital	0.00 (Pian)	2.00	बड़े निर्माण कार्यों के लिए खर्च। Expenditure on Major Works
		क्षेत्रीय पीजी केन्द्र जेआईपीएमईआर, पांडिचेरी 4210.03.105.06 Regional PG Centre, JIPMER, Pondicherry	82.45 (Pian)	3.50	बड़े निर्माण कार्यों के लिए बढ़ा हुआ खर्च। Increased expenditure on Major Works
		डा.आरएमएलपीजीआईएमईआर, विनियोग 4210.03.105.08 Dr.RMLPGIMER appropriation	1.30 (Plan)	5.00	बड़े निर्माण कार्यों के लिए बढ़ा हुआ खर्च। Increased expenditure on Major Works
		राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (निरोध के लिए) 2210.06.101.33 National AIDS Control Programme (for Condoms)	247.50 (Plan)	27.50	एडस को नियंत्रित करने हेतु निरोधों पर अतिरिक्त खर्च के लिए। For additional expenditure on Condoms for controlling AIDS.
		समेकित रोग निगरानी परियोजना 2210.06.800.27 Integrated Disease Surveillance Project	40.00 (Plan)	20.00	निगरानी कार्य पर व्यय में वृद्धि होने के कारण। Due to increased expenditure on Surveillance.
		मुख्यालय में कार्यकलाप 2211.00.106.01 Activities at Headquarters	48.60 (Plan)	14.57	सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों में हुई वृद्धि के लिए। For increased Information, Education and Communidation activities.
		राज्य पीआईपी के लिए आर सी एच नम्यता पूल			राज्यों को जननी सुरक्षा योजना के लिए नकद अनुदान में हुई वृद्धि व्यय के लिए।

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		2211.00.109.08 RCH Flexible Pool for StatePIP	147.62 (Plan)	14.38	For increased outgo of cash grants to States for Janani Suraksha Yojana (JSY).
		सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजनाएं 2211.00.200.20 Social Marketing Area Projects	0.50 (Plan)	1.23	नई परियोजनाओं की मंजूरी के कारण खर्च में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप। Due to approval of new projects resulting in increased expenditure.
		प्रबंधन सूचना प्रणाली 2211.00.800.14 Management Information System	27.00 (Plan)	21.00	नये सर्वेक्षण कार्य शुरु करने के कारण - जिला स्तर पर स्वास्थ्य सर्वेक्षण और वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण। Due to undertaking new surveys - District Level Health Survey (DLHS) &Annual Health Survey (AHS).
		पल्स पोलियो रोग-प्रतिरोधी कार्यक्रम 3601.04.246.03 Pulse Polio Immunization Programme	623.38 (Plan)	1.50	अधिक पोलियो के मामलों के कारण बढ़े हुए कार्यकलाप के लिए। For increased activity due to more Polio cases.
		राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) 3601.04.263.03 National Vector Borne Disease Control Programme (Rural)	8.00 (Plan)	1.00	राज्यों को अधिक जिन्स सहायता के लिए। For more commodity assistance to States.
		राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम 3601.04.263.06 National Leprosy Control Programme	8.00 (Plan)	1.00	राज्यों को अधिक जिन्स सहायता के लिए। For more commodity assistance to States.
		राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री और उपकरणों की बल्क खरीद 4210.04.101.09 Bulk Purchase of Material and Equipment for National Tuberculosis Control Programme	22.00 (Non-Plan)	2.00	राज्यों को अधिक जिन्स सहायता के लिए। For more commodity assistance to States.
7.	**गृह मंत्रालय**	**राजस्व भाग** **अनुदान सं. 50-गृह मंत्रालय** **2052-सचिवालय-सामान्य सेवा (मुख्य शीर्ष)** **00.090-सचिवालय** 03-गृह मंत्रालय 01-स्थापना			
		03.00.06-चिकित्सा उपचार			लंबित बिलों के निपटान के साथ-साथ वर्ष के दौरान होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए।
		03.00.12-विदेश यात्रा व्यय			लंबित बिलों के निपटान के साथ-साथ वर्ष के दौरान होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए।
		32-स्वापक नियंत्रक ब्यूरो 01-स्थापना 32.01.26-विज्ञापन एवं प्रभार			श्रम एवं दृश्य प्रचार महानिदेशालय की नीति में परिवर्तन के कारण तथा प्रमुख मादक

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		32.01.27-लघु निर्माण कार्य			द्रव्य विरोधी अभियान शुरू करने के लिए। मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय की पूर्ति के लिए।
	Ministry of Home Affairs	**Revenue Section**			
		Grant No. 50-Ministry of Home Affairs			
		2052-Secretariat-General Service (Major Head)			
		00.090-Secretariat			
		03-Ministry of Home Affairs			
		01-Establishment			
		03.00.06-Medical Treatment	1.00	0.31	To clear the pending bills as well as to meet the expenses during the year.
		03.00.12-Foreign Travel Expenses	4.50	0.49	To clear the pending bills as well as to meet the expenses during the year.
		32-Narcotics Control Bureau			
		01-Establishment			
		32.01.26-Advertising and Publicity	0.02	0.10	Due to change in the policy of DAVP as well as for issuing major anti drug campaign.
		32.01.27-Minor Works	0.0260	0.1852	To meet the expenditure on repair & maintenance.
		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं (मुख्य शीर्ष)			
		00.105-विशेष जांच आयोग (लघु शीर्ष)			
		02-अन्य आयोग			
		14-केन्द्र राज्य संबंध आयोग			
		02.14.01-वेतन			अध्यक्ष/सदस्यों और उनके कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ आयोग ने पूर्ण रूप से कार्य आरंभ कर दिया है।
		02.14.06-चिकित्सा उपचार			
		02.14.11-घरेलू यात्रा व्यय			- तदैव -
		02.14.13-कार्यालय व्यय			- तदैव -
		02.14.14-किराया, दरें और कर			- तदैव -
		02.14.28-व्यावहारिक सेवाएं			- तदैव -
		2070-Other Administrative Service (Major Head)			
		00.105-Special Commission of Inquiry (Minor Head)			
		02-Other Commission			
		14-Commission on Centre State Relations			
		02.14.01-Salaries	0.75	0.75	The Commission has become fully functional with the appointment of Chairman/Members & their Staff.
		02.14.06-Medical Treatment	0.04	0.06	
		02.14.11-Domestic Travel Expenses	0.10	0.10	- do -
		02.14.13-Offcie Expenses	0.10	0.10	- do -
		02.14.14-Rent, Rates & Taxes	0.00	0.01	- do -
		02.14.28-Professional Services	0.00	0.05	- do -
		00.116-आप्रवासन ब्यूरो (लघु शीर्ष)			
		01-प्रवासियों को सेवा			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		01.00.27-लघु निर्माण कार्य			एम एंड ई की मरम्मत और रखरखाव संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।
		00.116-Bureau of Immigration (Minor Head)			
		01-Service to Migrants			
		01.00.27-Minor Works	0.00	0.40	To meet the expenditure on repair & maintenance of M&E.
		03-अन्य योजनाएँ			
		03.02-क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय			
		03.02.06-चिकित्सा उपचार			कर्मचारी के उपचार के व्यय की पूर्ति हेतु।
		03-Other Schemes			
		03.02-Regional Implement Offices			
		03.02.06-Medical Treatment	0.0022	0.03	To meet the expenses of the treatment of an employee.
		03.04-अनुवाद प्रशिक्षण का विस्तार			
		03.04.06-चिकित्सा उपचार			कर्मचारी के उपचार के व्यय की पूर्ति हेतु।
		03.04-Expansion of Training in Translation			
		03.04.06-Medical Treatment	0.014	0.04	To meet the expenses of the treatment of an employee.
		800-अन्य व्यय			
		03-आसूचना ब्यूरो			
		03.00.01-वेतन			दैनिक भत्ते की किस्त प्रदान करने के कारण।
		03.0020-अन्य प्रशासनिक व्यय			आसूचना ब्यूरो के माउन्ट एवरेस्ट अभियान के वित्तपोषण हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता थी।
		03.00.26-विज्ञापन एवं प्रचार			श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की नीति में परिवर्तन के कारण तथा प्रमुख मादक द्रव्य विरोधी अभियान शुरू करने के लिए।
		800-Other Expenditure			
		03-Intelligence Bureau			
		03.00.01-Salaries	274.58	1.20	Due to Grant of Instalment of DA
		03.00.20-Other Admn. Expenses	0.02	2.26	Additional funds were required for funding Mt. Everest expendition of Intelligence Bureau.
		03.00.26-Advertising & Publicity	0.014	0.045	Due to change in the policy of DAVP as well as for issuing major anti drug campaign.
		4070-अन्य प्रशासनिक सेवा पर पूंजी परिव्यय (पूंजी भाग)			
		800-अन्य व्यय			
		13-आप्रावसन ब्यूरो			
		99-सूचना प्रौद्योगिकी			
		13.99.52-मशीन एवं उपस्कर			कुछ अंतराष्ट्रीय आप्रवासन जांच चौकियों को अधिकार में लेने और उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करने और उनके कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ उनकी परस्पर कनेवटीविटी के कारण।
		4070-Capital Outlay on Other Administrative Service (Capital Section)			

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		800-Other Expenditure 13-Bureau of Immigration 99-Information Technology 13.99.52-Machinery & Equipment	2.26	3.5	Due to take of over some of the International Immigration check posts and provde State of the art facilities and also for their computarisation as well as inter connectivity.
		4070-अन्य प्रशासनिक सेवा पर पूंजी परिव्यय (पूंजी भाग) 800-अन्य व्यय 07-गृह मंत्रालय 99-सूचना प्रौद्योगिकी 07.99.52-मशीन एवं उपस्कर			मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के अद्यतनीकरण के लिए।
		4070-Capital Outlay on Other Administrative Service (Capital Section) 800-Other Expenditure 07-Ministry of Home Affairs 99-Information Technology 07.99.52-Machinery & Equipment	1.1	1.15	For updating the IT Equipment of the Ministry.
8.	**मंत्रिमण्डल**	**राजस्व भाग** **अनुदान सं. 51-मंत्रिमंडल** **2013-मंत्रिपरिषद** 106-मंत्रिमंडल सचिवालय 03-प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार 03.00.12-विदेश यात्रा खर्च			विदेश मंत्रालय से उसके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की जापान यात्रा पर किए गए खर्च की एवज में आवक दावे के रूप में वेतन एवम् लेखा अधिकारी, मंत्रिमण्डल से प्राप्त 3.50 लाख रुपए के वित्त की प्राप्ति के कारण इस शीर्ष के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	Cabinet	**Revenue Section** **Grant No. 51-Cabinet** **2013-Council of Ministers** 106-Cabinet Secretariat 03-Office of the Principal Scientific Advisor 03.00.12-Foreign Travel Expenses	0.15	0.15	To meet the additional expenditure under this head due to receipt of a bill amounting to Rs. 3.50 lakh from the PAO, Cabinet Affairs, as inward claim from the Ministry of External Affairs, towards the expenditure incurred by them on Japan tour of the Principal Scientific Adviser during the last financial year 2006-07.
		2013-मंत्रिपरिषद 00.108-यात्रा व्यय 01-काबीना मंत्री 01.00.12-विदेश यात्रा व्यय			प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में वेतन एवम् लेखा अधिकारी, मंत्रिमण्डल से 74.00 करोड़ रुपए की राशि के बिलों की प्राप्ति के कारण इस शीर्ष के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		2013-Council of Ministers 00.108-Tour Expenses 01-Cabinet Ministers 01.00.12-Foreign Travel Expenses	34.50	16.00	To meet the additional expenditure under this head due to receipt of bills amounting to Rs. 74.00 crore from the PAO, Cabinet Affairs for foreign tours of PM.
9.	पुलिस	**राजस्व भाग** **अनुदान सं. 52 - पुलिस** **2055 - पुलिस (मुख्य शीर्ष)** **00.003 -शिक्षा व प्रशिक्षण (लघु शीर्ष)** **04-एनआईसीएफएस** 04.00.06-चिकित्सा उपचार 04.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			चिकित्सा प्रति पूर्ति बिलों को चुकाने हेतु। नवनियुक्त अनुसंधान अधिकारियों/कनिष्ठ अनुसंधानवेत्ताओं को भुगतान हेतु।
	Police	**Revenue Section** **Grant No. 52-Police** **2055-Police (Major Head)** **00.003-Education & Training (Minor Head)** **04-NICFS** 04.00.06-Medical Treatment	0.05	0.02	To clear medical re-imbursement bills.
		04.00.20-Other Administrative Expenses	0.06	0.02	For the payment to newly engaged Research Officers/Junior Research Fellows.
		00.105-सीमा सुरक्षा बल 01-बीएसएफ महानिदेशालय 01.00.27-लघु निर्माण कार्य	19.00	10.00	"एमएण्डई" के रखरखाव पर व्यय की पूर्ति हेतु।
		00.105-Border Security Force 01-Directorate General of BSF 01.00.27-Minor Works	19.00	10.00	To meet the expenditure on the maintenance of 'M&E'.
		00.102-केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 01-स्थापना 01.00.24-पीओएल			बाजार से बल द्वारा पीओएल की खरीद व नये बटालियनों की व्यवस्था के कारण।
		01.00.27-लघु निर्माण कार्य			कपड़े इत्यादि की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को अन्तिम रूप न देने के कारण।
		01.00.50-अन्य प्रभार (V)			सर्दी के मौसम में जम्मू-कश्मीर राज्य में भूकारियों में उपयोग हेतु केरोसीन तेल की अधिप्राप्ति के लिए।
		00.102-Central Reserve Police Force 01-Establishment 01.00.24-POL	80.00	30.00	Due to raising of new Bns and purchase of POL by the Force from the Market.

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		01.00.27-Minor Works	18.00	7.00	Due to non-finalisation of proposals of procurement of clothings etc.
		01.00.50-Other Charges (V)	20.00	15.00	To procure kerosene oil for use in Bhukaries in J&K State during winter season.
		0.120-सशस्त्र सीमा बल			
		01-संस्थापना			
		01.00.06-चिकित्सा उपचार			बल के विभिन्न इकाईयों द्वारा अस्पताल बिलों को चुकाने हेतु।
		01.00.13-कार्यालय व्यय			नवनिर्मित बटालियनों पर व्यय के लिए विभिन्न बिलों के भुगतान हेतु।
		01.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			महिलाओं के सात नवनिर्मित कम्पनियों पर सम्भावित खर्च की पूर्ति हेतु।
		01.00.24-पीओएल			नवनिर्मित बटालियन के लिए मध्यम व हल्के वाहनों के लिए पीओएल पर व्यय की पूर्ति हेतु।
		01.00.27-लघु निर्माण कार्य			एमएण्डई के रखरखाव व मरम्मत पर खर्च की पूर्ति हेतु।
		00.120-Sashastra Seema Bal			
		01-Establishment			
		01.00.06-Medical Treatment	4.10	1.30	To clear the Hospital Bills by various units of the Force.
		01.00.13.-Office Expenses	19.50	4.00	To make payment of various bills for the expenditure incurred on newly raised Bns.
		01.00.20-Other Administrative Expenses	3.50	1.00	To meet the expenditure likely to be incurred on seven newly raised Coys of women.
		01.00.24-POL	9.50	2.00	To meet the expenditure on POL for medium and light vehicle procured for newly raised Bns.
		01.00.27-Minor Works	3.50	1.00	To meet the expenditure on repair and maintenance of M&E.
		00.119-दिल्ली पुलिस (लघु शीर्ष)			
		01-निर्देशन व प्रशासन			
		01.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			दिल्ली पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के लिए इक्विटी योगदान हेतु।
		00.119-Delhi Police (Minor Head)			
		01-Direction & Administration			
		01.00.20-Other Administrative Expenses	0.05	4.99	For equity contribution for Delhi Police Housing Corporation.
		00.103-असम राइफल्स (लघु शीर्ष)			
		01-संस्थापना व प्रशासन			
		01.00.26-विज्ञापन व प्रचार			बकाया व सम्भावित प्राप्त बिलों के भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु।
		00.103-Assam Rifles (Minor Head)			
		01-Establishment & Administration			
		01.00.26-Advertising & Publicity	0.80	0.30	To meet the expenditure on clearing the pending bills and likely to be received bills.
		पूंजी भाग			
		4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय (मुख्य शीर्ष)			

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore*)

1	2	3	4	5	6
		00.202-असम राइफल्स			
		02-आवासीय भवन			पूर्वोत्तर में असम राइफल्स के कार्मिकों के लिए आवासीय भवन निर्माण हेतु।
		02.00.53-मुख्य निर्माण कार्य			
		Capital Section			
		4055-Capital Outlay on Police (Major Head)			
		00.202-Assam Rifles			
		02-Residential Building			
		02.00.53-Major Works	5.00	46.00	For construction of Residential Buildings for the personnel of Assam Rifles in the North East.
		00.800-अन्य व्यय			
		14-अश्रुगैस सामग्री की खरीद, विनिर्माण व वितरण			
		01-सामान्य			
		14.01.52-मशीनर व उपस्कर			अश्रुधूम्र ईकाइयां, टेकनपुर में सीएस प्लांट की कमिशनिंग हेतु अश्रुधुम्र इकाई को आपूर्ति आदेश देने के योग्य बनाने हेतु।
		00.800-Other Expenditure			
		14-Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material			
		01-General			
		14.01.52-Machinery & Equipment	0.25	0.96	To enable Tear Smoke Unit to place supply order for Commissioning of CS Plant at Tear Smoke Units, Takenpur.
		00.213-सशस्त्र सीमा बल			
		02-आवासीय भवन			
		02.00.53-मुख्य निर्माण कार्य			गोवाहाटी मेट्रोपोलिटन डिवेलपमेंट आथोरिटी से फ्लैटों की खरीद संबंधी अग्रिम भुगतान हेतु।
		02.00.53-मुख्य निर्माण कार्य			गोवाहाटी विकास प्राधिकरण और दिल्ली विकास प्राधिकरण से एसएसबी द्वारा खरीदे गये फ्लैटों को अधिकार में लेने के लिए अन्तिम भुगतान हेतु।
		00.213-Sashatra Seema Bal			
		02-Residential Building			
		02.00.53-Major Works	10.00	4.90	For payment of advance amount towards the purchase of flats from Guwahati Metropolitian Development Authority.
		02.00.53-Major Works	10.00	15.00	To make Final payment for taking the possession of the flats purchased by SSB from Guwahati Development Authority and Delhi Development Authority.
10.	**गृह मंत्रालय का अन्य व्यय**	**राजस्व भाग**			
		अनुदान सं. 53-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय			
		2245-प्राकृतिक आपदाओं का राहत लेखा (मुख्य शीर्ष)			चूंकि विदेश मंत्रालय, व्यय विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए प्रावधान नहीं रखा गया। विदेश मंत्रालय ने सं. रा-आईएसडीआर का सदस्य बनने के लिए अपना अनापति
		80-सामान्य			
		80.102-प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन			

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore*)

1	2	3	4	5	6
		02-राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध कार्यक्रम 02.00.32-अंशदान			प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। सचिव व्यय ने 41.00 लाख रुपए की राशि का अंशदान स्वीकृत किया है।
	Other Expenditure of MHA	**Revenue Section** **Grant No. 53-Other Expenditure of MHA** 2245-Relief on account of Natural Calamities (Major Head) 80-General 80.102-Management of Natural Disaster 02-National Disaster Management Programme 02.00.32-Contribution	0.15	0.40	As the approval from MEA, Department of Expenditure was not received, provision was not kept. MEA has conveyed their no objection for India to become a member of UN-ISDR. Secretary (Exp.) has approved contribution of an amount Rs. 41.00 lakhs.
11.	**श्रम और रोजगार मंत्रालय** **Ministry of Labour and Employment**	2230.01.111.02 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 2230.01.111.02 - Employees' Pension Scheme 1995	840.00	532.22	कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सम्बन्ध में योगदान के सरकारी हिस्से के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी। Additional funds were required for payment of Government share of contribution towards Employees' Pension Scheme, 1995.
		2230.01.794.01 लौह अयस्क खान, क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि को अंतरण 2230.01.794.01 - Transfer to Iron Ore Mines, Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund	19.00	2.50	उपकर की अपेक्षा से अधिक संग्रहण के कारण आरक्षित निधि को अन्तरण की उच्चतम सीमा को संशोधित कर दिया गया है। Ceiling of transfer to reserve fund has been revised due to more collection of cess than anticipated.
		2230.01.797.04 चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि को अंतरण 2230.01.797.04 - Transfer to Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund	20.00	2.50	उपकर की अपेक्षा से अधिक संग्रहण के कारण आरक्षित निधि को अन्तरण के उच्चतम सीमा को संशोधित कर दिया गया है। Ceiling of transfer to reserve fund has been revised due to more collection of cess than anticipated.
		2230.01.004.02 श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी व्यवस्था में सुधार 2230.01.004.02 .16-Improvement in Labour and Employment Statistical System	0.01	3.70	चण्डीगढ़ स्थित श्रम ब्यूरो ऑफिस के लिए जमीन की लागत के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है। Additional funds are required for meeting expenditure in connection with cost of land for Labour Bureau office at Chandigarh.
		2230.01.109.01.01 बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के तहत स्वनिर्मित आवास निर्माण योजना 2230.01.109.01 .01-Build your own House Scheme under Beedi Workers Welfare Fund	6.06	3.35	चूंकि पुरानी आवास योजना बन्द होने वाली है, अतः वचनबद्ध दायित्वों के सम्बन्ध में सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है। Additional funds are required for release of grant-in-aid towards committed liabilities, as the old housing scheme is going to be closed.

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore*)

1	2	3	4	5	6
		2230.01.109.03.00.34 बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के तहत छात्रवृत्ति और वजीफा 2230.01.109.03 00.34-Scholarship and Stipends-under Beedi Workers Welfare Fund	73.95	5.00	बकाया आवेदनों के निपटान हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है। Additional funds are required for clearing pending applications.
12.	**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**	मुख्य शीर्ष 2225-अनु.जाति/जन जाति/ अ.पि.व. कल्याण 08-राष्ट्रीय विमुक्त, खानाबदोश और अर्द्ध खानाबदोश आयोग 01-वेतन 11-घरेलू यात्रा व्यय 13-कार्यालय व्यय 14-किराया, दरें व कर 06-चिकित्सा व्यय			आयोग की अवधि के विस्तार के कारण।
	Ministry of Social Justice & Empowerment	MH 2225 - Welfare of SC/ST/OBC 08 - National Commission for De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes			
		01-Salary	0.01	0.49	Due to extension of the tenure of the Commission.
		11-Domestic Travel Expenses	0.00	0.20	
		13-Office Expenses	0.00	0.25	
		14-Rent, Rates & Taxes	0.00	0.50	
		06-Medical Expenses	0.00	0.03	
		2. मुख्य शीर्ष 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 04.341.07-अनु. जातियों को मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति 07.00.31-सहायता अनुदान 2. Major Head 3601 - Grant in Aid to State Governments. 04.341.07-Post Matric Scholarship for SCs 07.00.31-Grants in Aid	608,50,00	7,90,33	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the expenditure for the benefit of NE Region and Sikkim.
		3. मुख्य शीर्ष 3601 राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 03.341.01-अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत स्कीम 01.00.31-सहायता अनुदान 3. Major Head 3601 - Grant in Aid to State Governments. 03.341.01-Schemes under Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub-Plan 01.00.31-Grants in Aid	458,47,00	4,57,23	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the expenditure for the benefit of NE Region and Sikkim.
		4. मुख्य शीर्ष 3601 राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 04.377.03-अन्य पिछड़ा वर्गों को मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति 03.00.31- सहायता अनुदान			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ व्यय की पूर्ति हेतु।

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		4. Major Head 3601 - Grant in Aid to State Governments. 04.377.03-Post Matric Scholarship for OBCs 03.00.31-Grants in Aid	89,75,00	8,47,05	To meet the expenditure for the benefit of NE Region and Sikkim.
		5. मुख्य शीर्ष 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 04.377.04-अन्य पिछड़ा वर्गों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति 04.00.31-सहायता अनुदान			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ व्यय की पूर्ति हेतु।
		5. Major Head 3601 - Grant in Aid to State Governments. 04.377.04-Pre-Matric Scholarship for OBCs 04.00.31-Grants in Aid	22,50,00	41,20	To meet the expenditure for the benefit of NE Region and Sikkim.
		6. मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 02.101.10.02-विकलांगों को सहायक सामग्री और उपकरण 10.02.31-सहायता अनुदान			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में स्थित स्वयंसेवी संगठन को निधियां जारी करने हेतु एजेन्सियों के क्रियान्वयन हेतु।
		6. Major Head 2235- Social Security and Welfare. 02.101.10.02-Aids and Appliances for the Handicapped 10.02.31-Grants in Aid	62,00,00	3,58,24	For releasing funds to the Voluntary Organization/Implementing Agencies located in NE - Region and Sikkim.
		7. मुख्य शीर्ष 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 00.090.02-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 99-सूचना प्रौद्योगिकी 02.99.50-अन्य प्रभार			नये कम्प्यूटर की खरीद के लिए P-II व P-III के प्रतिस्थापन के लिए।
		7. Major Head 2251-Secretariat-Social Services. 00.090.02-Ministry of Social Justice & Emplowerment 99-Information Technology 02.99.50-Other Charges	40,00	23,00	For replacement of P-II and P-III for purchase of New Computer.
13.	**योजना मंत्रालय**	**3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं** 00.090-सचिवालय 20-योजना विभाग 20.00.01-वेतन			सामान्य वेतन वृद्धि, मंहगाई भत्ते का प्रभाव, और रिक्त पदों को भरना।
	Ministry of Planning	**3451-Secretariat-Economic Services** 00.090-Secretariat 20-Department of Planning 20.00.01-Salaries	0.10	0.02	Normal increments, impact of DA and filling up of vacant posts.
		00.101-योजना आयोग/योजना बोर्ड 01-मुख्यालय 01.00.11-घरेलू यात्रा व्यय			इंडियन एयरलाइंस और निजी एयरलाइंस के लम्बित बिलों का निपटान करने हेतु। कई गैर-सरकारी दावों का निपटान।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		00.101- Planning Commission/ Planning Board 01-Headquarters 01.00.11-Domestic Travel Expenses	1.90	0.19	To clear pending bills of Indian Airlines and Private Airlines. Disposal of a number of claims of Non-officials.
		01.00.13-कार्यालय व्यय			लम्बित बिलों, सामान्य मूल्य वृद्धि, कर संशोधन पीओएल कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरुप मुख्य रूप से वृद्धि हुई है।
		01.00.13-Office Expenses	3.50	2.39	Increase is attributed mainly on account of pending bills, general price hike, tax revision, steep increase in POL prices, etc.
		01.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों इत्यादि का हिन्दी अनुवाद पर पूर्वानुमनित व्यय।
		01.00.20 Other Administrative Expenses	0.51	0.01	Anticipated expenditure on Hindi translation of various important documents, etc.
		01.00.50-अन्य प्रभार			विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों इत्यादि का हिन्दी अनुवाद पर पूर्वानुमानित व्यय
		01.00.50-Other Charges	0.13	0.08	Anticipated expenditure on Hindi translation of various important documents, etc.
		02-कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन 02.00.11-घरेलू यात्रा व्यय **जोड़ मुख्य शीर्ष-3451**			हवाई किराया में वृद्धि और बकाया टीए बिलों का निपटान।
		02-Programme Evaluation Organisation 02.00.11-Domestic Travel Expenses	0.19	0.02	Hike in Air fare and clearance of outstanding TA bills.
		Total MH-3451	**6.33**	**2.71**	
		घटाएं-सं.अ. 2007-08 में कटौतियां 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 00.90-सचिवालय 20-योजना विभाग 20.00.17-बैंकिंग नकद संव्यवहार कर			अब यह कर मंत्रालयों/सरकारी विभागों के मामले में लागू नहीं है।
		Less-Reductions in RE 2007-08 3451-Secretariat-Economic Services 00.90-Secretariat 20-Department of Planning 20.00.17-Banking Cash Transaction Tax	0.001	(-) 0.001	Now this tax is not applicable in case of Ministries/Govt. Departments.
		00.01-योजना आयोग/योजना बोर्ड 01-मुख्यालय 01.00.17-बैंकिंग नकद संव्यवहार कर			अब यह कर मंत्रालयों/सरकारी विभागों के मामले में लागू नहीं है।
		00.101-Planning Commission/ Planning Board 01-Headquarters 01.00.17-Banking Cash Transaction Tax	0.007	(-) 0.007	Now this tax is not applicable in case of Ministries/Govt. Departments.

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		02-कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन 02.00.06-चिकित्सा उपचार 02- Programme Evaluation Organisation 02.00.06-Medical Treatment	0.106	(-) 0.016	सितम्बर, 2007 तक व्यय के समान को ध्यान में रखते हुए बचत निश्चित हैं। Keeping in view the trend of expenditure upto Sept., 2007 savings are certain.
		02.00.17-बैंकिंग नकद संव्यवहार कर **जोड़** **निवल अतिरिक्त का व्यय** 02.00.17-Banking Cash Transaction Tax	0.002	(-) 0.002	अब यह कर मंत्रालयों/सरकारी विभागों के मामले में लागू नही है। Now this tax is not applicable in case of Ministries/Govt. Department.
		Total	**0.116**	**(-) 0.26**	
		Net Additionalities	**...**	**2.68**	
14.	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** **Department of Science and Technology**	3451 00 090 22 00 16- प्रकाशन (सचिवालय आर्थिक सेवाएं-डीएसटी) 3451 00 090 22 00 16- Publications (Secretariat Economic Services - DST)	0.04	0.45	विभाग की वार्षिक रिपोर्ट परिणाम बजट आदि मुद्रण से संबंधित बिलों का भुगतान प्रबन्धन करना। To cater to payment of bills pertaining to printing of Annual Report, Outcome Budget, etc. of the Department.
		3425 01 101 01 00 01- वेतन (स्थलाकृतिक सर्वेक्षण) (भारतीय सर्वेक्षण) 3425 01 101 01 00 01 - Salaries (Topographical Surveys) (Survey of India)	61.30	2.08	एकरूप वेतनमान के क्रियान्वयन के सर्वेक्षकों को बकाया भुगतानों को चुकाने के लिए। For paying arrears of pay to Surveyors on implementation of uniform pay scales.
		3425 60 200 08 10 31 - सहायता अनुदान (एसएण्डटी विकास उद्यमवृति) 3425 60 200 08 10 31 - Grants-in-aid (S&T Entrepreneurship Development)	22.00	2.00	नेशनल एस एण्ड टी एन्टरप्रेनरशिप डिवेलपमेंट बोर्ड के अग्रगमन कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने हेतु। To provide support to ongoing programmes of the National S&T Entrepreneurship Development Board.
		3425 60 600 05 00 50 - अन्य प्रभार (भारत सरकार के साथ काम कर रहे वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम) 3425 60 600 05 00 50 - Other Charges (National Training Programme for Scientists & Technologists working with the Govt. of India)	2.00	2.00	2007-08 में 25 अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु। For conducting 25 additional training programmes in 2007-2008.
15.	**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**	*राजस्व भाग* **आयोजना-भिन्न** मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय-सामान्य 00.090-सचिवालय 18-कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग 01-स्थापना 18.01.16-प्रकाशन			पिछले और चालू वर्ष के लंबित प्रिंटिंग बिलों को निपटाना।

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
	Ministry of Statistics and Programme Implementation	***Revenue Section***			
		Non-Plan			
		Major Head 2052-Secretariat General			
		00.090-Secretariat			
		18-Department of Programme Implementation			
		01-Establishment			
		18.01.16-Publication	0.03	0.02	To clear pending printing bills of previous and current year.
		मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ			
		00.090-सचिवालय			
		32-सांख्यिकी विभाग			
		01-स्थापना			
		32.01.13-कार्यालय व्यय			कम्प्यूटरों, इसके बाह्य उपकरणों की खरीद और उनका संस्थापन
		32.01.26-विज्ञापन और प्रचार			प्रचार व्यय की पूर्ति के लिए।
		Major Head 3451-Secretariat Economic Services			
		00.090-Secretariat			
		32-Department of Statistics			
		01-Establishment			
		32.01.13-Office Expenses	0.59	0.16	Purchase of computers, its peripherals and instalation.
		32.01.26-Advertising and Publicity	0.06	0.02	To meet the publicity expenses.
		51-राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग			
		01-स्थापना			
		51.01.13-कार्यालय व्यय			कम्प्यूटरों, इसके बाह्य उपकरणों की खरीद और उनका संस्थापन।
		51.01.16-प्रकाशन			पिछले और चालू वर्ष के लंबित प्रिंटिंग बिलों को निपटाना।
		51-National Statistical Commission			
		01-Establishment			
		51.01.13-Office Expenses	0.12	0.04	Purchase of computers, its peripherals and instalation.
		51.01.16-Publication	0.05	0.04	To clear pending printing bills of previous and current year.
		मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना और सर्वेक्षण			
		02-सर्वेक्षण और सांख्यिकी			
		201-राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन			
		01-अधीनस्थ कार्यालय			
		01.00.14-किराया, दरें और कर			क्षेत्रीय प्रचालन प्रभाग के कार्यालय स्थान के बकाया किराए का भुगतान करना।
		02.202-भारतीय सांख्यिकीय संस्थान			
		01-आईएसआई, कोलकाता को सहायता अनुदान			
		01.00.31-सहायता अनुदान			आईएसआई, कोलकाता में वेतन, पेंशन लाभों, बारानगर, कोलकाता में नगरपालिका करों की उच्च दर और दिल्ली केन्द्र में पानी के शुल्क की उच्च दर के संबंध में आवश्यकता की पूर्ति के लिए।
		Major Head 3454-Census, Survey and			
		02-Survey and Statistics			

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		201-National Sample Survey Organisation			
		01-Subordindate office			
		01.00.14-Rent, Rates and Taxes	0.97	0.26	To pay the arrears of rent on office accommodation of Field Operations Division.
		02.202-Indian Statistical Institute			
		01-Grants-in-aid to ISI, Kolkata			
		01.00.31-Grants-in-aid	48.66	2.50	To meet the requirement of ISI, Kolkata on salary, pensionery benefits, higher rate of Municipal taxes at Baranagar, Kolkata and higher rate of water charges at Delhi centre.
		02.203-कम्प्यूटर सेवाएँ			
		01-संबद्ध कार्यालय			
		01.00.03-समयोपरि भत्ते			कर्मचारियों के लंबित बिलों को निपटाना।
		02.203-Computer Services			
		01-Attached Office			
		01.00.03-Overtime Allowances	0.003	0.006	To clear pending bills of officials.
		02.204-केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन			
		01-संबद्ध कार्यालय			
		01-स्थापना			
		01.01.13-कार्यालय व्यय			हाल में पदोन्नत किए गए उप महानिदेशकों के लिए परिवहन किराए पर लेने संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए।
		01.01.16-प्रकाशन			पिछले और चालू वर्ष के लम्बित प्रिंटिंग बिलों का निपटान करना।
		01.01.17-बैंकिंग नकदी लेन-देन कर			बैंकिंग नकदी लेन-देन कर के व्यय को पूर्ति के लिए।
		01.01.28-व्यावसयिक सेवाएँ			वरिष्ठ सरकारी परामर्शदाताओं के भुगतान के लिए।
		आयोजना			
		मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना, सर्वेक्षण और			
		02-सर्वेक्षण और आँकड़े			
		02.201-राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ)			
		02-क्षेत्र परिचालन प्रभाग			
		02.204-Central Statistical Organisation			
		01-Attached Office			
		01-Establishment			
		01.01.13-Office Expenses	0.85	0.13	To meet the expenditure on hiring of transportation for newly promoted Deputy Director Generals.
		01.01.16-Publication	0.23	0.15	To clear pending printing bills of previous and current year.
		01.01.17-Banking Cash Transation Tax	0.0008	0.0014	To meet the BCTT expenses.
		01.01.28-Professional Services	0.017	0.021	To clear payment to Sr. Govt. Counsels.

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		Plan Major Head 3454-Census, Survey and 02-Survey and Statistics 02.201-National Sample Survey Organisation 02-Field Operations Division			
		07-राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्षमता विकास (एनएसएसओ की क्षेत्र सर्वेक्षण योग्यताओं को सुदृढ़ करना) 02.07.26-विज्ञापन और प्रचार			राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के आयोजन के लिए विवरणिकाएँ और अन्य प्रचार सामग्रियों के प्रिंटिंग संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।
		07-Capacity Development of NSSO (Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO)			
		02.07.26-Advertising and Publicity	0.2	0.05	To meet the expenses on printing of brochures and other publicity materials for holding of National Statistics Day.
		02.204-केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन 02-भारतीय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना (भारत में सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण) 02.01.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			प्रशिक्षण संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए।
		02.204-Central Statistical Organisation 02-India Statistical Strengthening Project (Modernisation of Statistical System in India)			
		02.01.20-Other Admn. Expenses	0.03	0.02	To meet the expenses on training.
		19-संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण 01-स्थापना			
		19.01.02-मजदूरी			ठेके पर नियुक्त कामगारों को वेतन का भुगतान करने के लिए।
		19.01.12-विदेश यात्रा व्यय			यात्रा अनुदान सहायता संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए।
		19.01.16-प्रकाशन			लम्बित प्रिंटिंग बिलों का भुगतान करना।
		19.01.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय की पूर्ति के लिए।
		19.99.52-मशीन और उपस्कर			कम्प्यूटरों की खरीद संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए।
		19-Institutional Development & Capacity Building 01-Establishment			
		19.01.02-Wages	0.008	0.002	To pay salary to workers employed on contract basis.
		19.01.12-Foreign Travel Expenses	0.13	0.09	To meet the requirement on travel grant assistance.
		19.01.16-Publications	0.16	0.25	To clear pending printing bills.
		19.01.20-Other Admn. Expenses	0.63	0.97	To meet the expenses on various training programmes.

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		19.99.52-Machinery and Equipment	0.03	0.01	To meet the expenses on purchase of computers.
		800-अन्य व्यय 04-कार्यक्रम का कार्यान्वयन 01-कार्यक्रम/परियोजना तैयार करने में संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में आधारभूत ढाँचे का कार्यान्वयन, मानिटरिंग और निष्पादन प्रबंधन			
		04.01.16-प्रकाशन			प्रकाशनों के मुद्रण संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए।
		04.01.28-व्यावसायिक सेवाएँ			परामर्शदाताओं को भुगतान।
		04.99.52-मशीन और उपस्कर			कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के लिए।
		800-Other Expenditure 04-Programme Implementation 01-Institutional Development and Capacity Building in Programme/ Project Planning, Implemention, Monitoring & Performance Management of Infrastructure in Public & Private Sector			
		04.01.16-Publications	0.28	0.12	To meet the expenses on printing of publications.
		04.01.28-Professional Services	0.63	0.54	Payment to consultants.
		04.99.52-Machinery & Equipment	0.03	0.1	Procurement of computer hardware/software.
		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 186-जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी अन्य व्यय 01-कार्यक्रम का कार्यान्वयन 01-संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण (पीआई भाग)			
		01.01.28-व्यावसायिक सेवाएँ			परामर्शदाताओं को भुगतान
		2552-North Eastern Area 186-Census, Survey and Statistics-Other Expenditure 01-Programme Implementation 01-Institutional Development & Capacity Building (PI Wing)			
		01.01.28-Professional Services	0.05	0.27	Payment to consultants.
		187-सर्वेक्षण और सांख्यिकी भारतीय सांख्यिकीय संस्थान 01-आईएसआई, कोलकाता को सहायता अनुदान			
		01.00.31-सहायता अनुदान			पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यय की पूर्ति के लिए।
		पूँजी भाग 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय 00.112-सांख्यिकी 01-वाहन/उपकरण/भवन 187-Surveys and Statistics-Indian Statistical Institute			

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		01-Grants-in-aid to ISI, Kolkata 01.00.31-Grants-in-aid	1.73	0.79	To meet the North Estern Region expenses.
		Capital Section 5475-Capital Outlay on Other General Economic Services 00.112-Statistics 01-Vehicles/Equipment/Building			
		27-केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन का क्षमता विकास (संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण) 23.00.53-मुख्य निर्माण कार्य			ग्रेटर नोएडा में नासा के निर्माण के लिए।
		27-Capacity Development of CSO (Institutional Development & Capacity Building) 23.00.53-Major Works	11.02	3.40	For construction of NASA at Greater NOIDA.
		34-कम्प्यूटर सेन्टर के डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज और प्रसार को सुदृढ़ करना 31.00.52-मशीन और उपकरण			कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के लिए।
		34-Strengthening of Data Processing, Storage and Dissemination of Computer Centre 31.00.52-Machinery and Equipment	0.15	0.15	For procurement of computer hardware/software.
16.	**गृह मंत्रालय (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र) अंडमान निकोबार द्वीपसमूह**	**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** 3055-सड़क परिवहन 104-सरकारी परिवहन सेवाएं 02-संचालन			पीओएल लुब्रीकैंट आदि की अधिप्राप्ति की अतिरिक्त लागत की पूर्ति हेतु।
	Ministry of Home Affairs (UT without Legislature) Andaman and Nicobar Islands	**Ministry of Road Transport and Highways** 3055-Road Transport 104-Government Transport Services 02-Operation	2.34	5.56	To meet the additional cost of procurement of POL lubricant etc.
		5054-सड़क एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता			सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए सीमा सड़क संगठन को भुगतान।
		5054-Capital Outlay on Roads and Bridges Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme	18.85	30.00	Payment to Border Roads Organisation for construction of roads under Tsunami Rehabilitation Programme.
		पोत परिवहन मंत्रालय 3052-पोत परिवहन 03-शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को भुगतान			जलयानों के रखरखाव और उनमें नाविकों को रखने के संबंध में भुगतान के कारण शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया को भुगतान।
		Ministry of Shipping 3052-Shipping 03-Payment to Shipping Corporation of India	8.50	10.00	For Payment to the Shipping Corporation of India on account of payment for the maintenance and manning of vessels.

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore)*

1	2	3	4	5	6
		शहरी विकास मंत्रालय 4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय 02-शहरी क्षेत्रों को जलापूर्ति			शहरी जलापूर्ति परियोजनाएं आरंभ करना।
		Ministry of Urban Development 4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation 02-Water Supply to Urban Areas	8.50	21.50	For taking up urban water supply projects.
		4416-आवास पर पूंजी परिव्यय सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता			सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्थायी आश्रय स्थलों के निर्माण में त्वरित प्रगति के कारण।
		4416-Capital Outlay on housing Additional Central Assistance for Tsumani Rehabilitation Programme	334.91	43.64	Due to accelerated progress in construction of permanent shelters for persons effected by Tsunami.
17.	**जल संसाधन मंत्रालय**	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान 03-केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान 478-भू-जल-अन्य अनुदान 03-जल संसाधन विकास 03.00.31-सहायता अनुदान			मुख्य शीर्ष 2701 के अन्तर्गत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान रखा गया था, जो राज्य सरकार को अनुदान जारी करने के लिए उपयुक्त शीर्ष नहीं था, इसलिए मुशी 3601 में नए उपशीर्ष को खोलने के बाद बजट प्रावधान पुनर्विनियोग के जरिए किया गया।
	Ministry of Water Resources	3601-Grants in aid to State Govt. 03- Grants for Central Plan Schemes 478- Surface Water Other Grants 03- Development of Water Resources 03.00.31-Grtants-in-Aid	0.00	3.94	As provision was kept for the Grants-in-Aid to State Govt. under the MH 2701, which is not proper head for releasing the grants to State Government. So after opening new sub-head in the MH 3601, budget provision made available by way of re-appropriation.